खण्ड-523, अंक-05
शुक्रवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1945
(11 अगस्त, 2023 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2023)

(खण्ड 523 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | 1-6 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 7-9 |
| अधिकारी दीर्घा के रिक्त होने पर पीठ का ध्यानाकर्षण ... ... | 9-10 |
| प्रश्नोत्तर (क्रमागत) ... ... ... | 10-133 |
| मा0 जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री दिनेश कुमार) को जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई ... ... ... | 133 |
| तारांकित प्रश्न सं0-2 के स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... | 133-134 |
| प्रदेश में मानसून के विलम्ब से आने, सूखा, बाढ़ बादल फटने आदि से फसलों के आच्छादन में हुए बिलम्ब पर उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा ... ... | 134-150 |
| सत्र का आखिरी दिन होने के कारण विस्तृत एजेण्डे पर सम्यक् विचारण हेतु सदन की कार्यवाही का अल्प विराम ... ... ... | 150 |
| उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2008 (लो0आ0) दिनांक 05-08-2008 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 151 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 151-197 |
| अट्ठारहवीं विधान सभा की 'नियम समिति' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन का अन्तिम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... ... | 197-198 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 (अनुमोदित) ... ... ... | 198 |
| प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-73(7) के अन्तर्गत प्राविधानित दण्ड हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 198-199 |
| उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 में संशोधित मुख्य बिन्दु ... ... ... | 199-206 |
| नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्पों पर चर्चा (जारी) ... | 206-207 |
| नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा (जारी) ... | 207-208 |
| याचिकाओं का उपस्थापन ... ... ... | 208 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 208 |
| श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 208 |
| श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 208 |
| श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 209 |
| श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 209 |
| श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 209 |
| श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 209 |
| श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 209 |
| डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 209 |
| डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 210 |
| श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 210 |
| डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 210 |
| श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 210 |
| श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 210 |
| श्री जय कुमार सिंह 'जैकी', सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 210 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 210 |
| श्रीमती आशा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 211 |
| श्री कवीन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 211 |
| श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 211 |
| डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 211 |
| श्री विजय पाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 211 |
| श्री अमित अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 211 |
| श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 212 |
| डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 212 |
| श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 212 |
| श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 212 |
| श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 212 |
| श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 212 |
| श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 213 |
| श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 213 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री देवेन्द्र निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 213 |
| श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 213 |
| श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 213 |
| श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 213 |
| प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 213-214 |
| श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 214 |
| डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 214 |
| श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 214 |
| श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 214 |
| इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 214 |
| श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 214-215 |
| श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 215 |
| श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 215 |
| श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 215 |
| श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 215 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 215 |
| श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 215-216 |
| डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 216 |
| श्री जीतलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 216 |
| डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 216 |
| श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... | 216 |
| श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 216 |
| श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 216-217 |
| श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 217 |
| श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 217 |
| श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 217 |
| श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 217 |
| श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 217 |
| श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 217 |
| श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 218 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 218 |
| श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 218 |
| श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 218 |
| श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 218 |
| श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 218 |
| श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 219 |
| श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 219 |
| श्री सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 219 |
| श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 219 |
| श्री राम औतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 219 |
| श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 219 |
| श्रीं अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 220 |
| श्री राम दुलार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 220 |
| श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 220 |
| श्री विनोद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 220 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 220 |
| श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 220 |
| श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 221 |
| श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 221 |
| श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 321 |
| श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 221 |
| श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 221 |
| श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... | 221 |
| श्री रामकृष्ण भार्गव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 222 |
| श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 222 |
| श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 222 |
| श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 222 |
| श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 222 |
| श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 222 |
| श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 222-223 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 223 |
| श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 223 |
| श्री राघवेन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा की स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... | 223 |
| श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 223 |
| श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 223 |
| श्री बाबू लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 223-224 |
| श्री ओम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 224 |
| मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 224 |
| श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 224 |
| श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 224 |
| श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 224 |
| श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 224-225 |
| श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 225 |
| श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 225 |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 225 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 225 |
| श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 225-226 |
| श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 226 |
| श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 226 |
| श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 226 |
| श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 226 |
| श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 226 |
| श्रीमती महाराजी प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 226 |
| श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 226-227 |
| श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 227 |
| श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 227 |
| श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 227 |
| श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 227 |
| श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 227 |
| श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 227-228 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 228 |
| श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 228 |
| श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 228 |
| श्री अमनगिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 228 |
| डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 228 |
| श्री धीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की लिफ्ट अधिनियम से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 229 |
| श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 229 |
| श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 229 |
| श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 229 |
| श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 229 |
| श्री हंसुराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 229 |
| श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 230 |
| श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 230 |
| श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... ... | 230 |
| श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ... ... | 230 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका', सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ... ... | 230 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 230-242 |
| जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत भूपलपुर तिराहे से संसारीपुर विन्द बस्ती तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 242 |
| जनपद रामपुर के अन्तर्गत स्वार विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रुस्तमनगर निकट रायपुर में पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... | 243 |
| जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत एक वर्कशाप के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... | 243 |
| जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में पारादान नहर कोठी के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 243-244 |
| जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित कर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 244 |
| जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात विभिन्न पी0आर0ओ0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 244-245 |
| जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में अयोध्या-अम्बेडकरनगर मार्ग से कटेहरी बाजार से रेलवे फाटक होते हुए पिलखांवा ग्राम मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 245 |
| जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 245 |
| जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम बरियारपुर खरौली के बीच पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 246 |
| जनपद महोबा के थाना क्षेत्र कबरई के अन्तर्गत ग्राम पहरा में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 246 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मछरेहटा के ग्राम सभा हरिपालपुर में पानी की टंकी का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 246-247 |
| जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में लाइनमैन का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 247-248 |
| जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 248 |
| जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर मुहम्मदान मार्ग पर सम्पर्क मार्ग आझौली पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 248 |
| खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लखनऊ में नियुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह, अभिहित अधिकारी के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 249 |
| जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत आगरा जगनेर मार्ग मधुवन कालोनी मोड़ से प्रकाश चन्द्र अग्रवाल के घर एवं चौ0 डोरी लाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 249 |
| जनपद अमरोहा के धनौरा ब्लाक अन्तर्गत विशावली स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (धूने वाले बाबा) पर मूलभूत-सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 249-250 |
| जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अत्यधिक आवागमन वाले मार्ग की व्यय वित्त समिति EFC की बैठक में अनुमोदनोपरान्त शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लम्बित पत्रावली को राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 250 |
| जनपद बिजनौर में नहटौर नगर पालिका में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन के पुनर्निर्माण कर डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 250-251 |
| जनपद बहराइच के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु सोलर पम्पिंग सेट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | 251 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद जालौन के तहसील माधवगढ़ में कतिपय विद्यालयों को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 251 |
| जनपद बुलन्दशहर के स्याना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 251-252 |
| जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत देबिया गड़ेचा मार्ग से कैमहरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 252 |
| जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के अन्तर्गत प्राचीन तालाब केरावगढ़ को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 252 |
| जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन के अन्तर्गत नया विकास खण्ड खरगूपुर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 252-253 |
| जनपद हरदोई के अन्तर्गत कछौना विकास खण्ड से तेऊ नाकला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 253 |
| जनपद कासगंज के अमापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अड़उआ के एक ही परिवार के पांच लोगों की कार दुर्घटना में हुई मृत्यु के पश्चात् मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 253 |
| जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ विधान सभा क्षेत्र के कोइरीपुर क्षेत्र में बालिकाओं के लिये राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 253-254 |
| श्री सौरभ गर्ग को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 254 |
| जनपद सहारनपुर की मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 254-255 |
| जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआडाडा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहगंज में एक्स-रे मशीन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 255 |
| जनपद एटा के अलीगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 255 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता के ग्राम पंचायत खरवई में स्थित चनौरा देवी तालाब की जल निकासी की व्यवस्था सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 255-256 |
| उत्तर प्रदेश सेन्सस आफ इंडिया के मैनुअल में पार्ट एक में मझवार की पर्यायवाची केवट, मल्लाह आदि किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 256 |
| जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा नगर में पॉटरी उद्योग सम्बन्धित इकाइयों के निकलने वाले अपशिष्ट के प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 256-257 |
| जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नदी के उफान से एकत्र हुए नदी के किनारे जमा बालू, मौरंग निकालने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 257 |
| जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के किमी0-49 से अलादीनपुर मार्ग का उच्चीकरण कर सम्पूर्ण चौड़ाई में आबादी भाग में नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 257-258 |
| जनपद देवरिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही लापरवाही की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 258 |
| कानपुर से अलीगढ़ जीटी रोड 4/6 लेन चौड़ीकरण के अधिग्रहण में कानपुर, कन्नौज सेक्शन में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 258-259 |
| जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के सीताद्वार को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 260 |
| जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मीरा भवन सेनानी मार्ग से शिवाला मंदिर तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 260 |
| भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''म.झवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 260-261 |
| जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर धाम में पक्का घाट तथा विद्युत शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 261 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत पुलिस लाइन से धीरखेडा तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | 262 |
| जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिकरी राजा से जालौन कोंच रोड तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 262 |
| जनपद बस्ती में पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमें करके निर्दोष व्यक्तियों पर हो रही कार्रवाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 262-263 |
| जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 263-264 |
| जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम-भाज्जू में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 264 |
| जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में चकबन्दी प्रक्रिया न होने से उत्पन्न होने की स्थिति में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 265 |
| अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक की अवरुद्ध भर्ती प्रक्रिया-2021 को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 265 |
| स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों एवं उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति में वर्ष 2011 से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बकाया एन0पी0एस0 के मद में की गयी कटौती में से नियोक्ता (इम्प्लायर) के अंश की धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 265-266 |
| जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 266 |
| जनपद मेरठ के विकास खण्ड जॉनी की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर धूमि से बरामपुर जोड़ने वाली सड़क पर एस0 ए0 नहर के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 266-267 |
| तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज में सर्जिकल से सम्बन्धित सामग्रियों के भण्डारण/वितरण का चार्ज प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 267 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सी0एच0सी0 में डॉक्टर और स्टॉफ की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 267-268 |
| जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात में ग्राम कटाई, ब्लाक हसनपुर के अन्तर्गत कतिपय नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 268 |
| प्रदेश के समुचित विकास हेतु पश्चिमांचल विकास निधि जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 268 |
| जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का ई0एस0आई0 अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 269 |
| जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र मारहरा के एटा अलीगंज रोड से किशनपुर, बाबरपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 269 |
| जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ, खुरहण्ड, गिरवां तथा पिण्डखर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 269-270 |
| जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगाँव के अन्तर्गत कौड़ीराम में ट्रान्सफार्मर का गोडाउन स्टोरेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 270 |
| जनपद हाथरस के अन्तर्गत तहसील सिकन्दरा राऊ में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 270 |
| जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 270-271 |
| जनपद रायबरेली में स्थित मेसर्स मनी फ्लोर मिल प्रा0लि0 को हो रहे नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 271 |
| आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी के उत्पीड़न का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 271-272 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 272 |
| उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 273 |
| जनपद मथुरा में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे के वृन्दावन कट पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने तथा कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 273-274 |
| जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थाना मवई व पटरंगा को नवीन भवन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 274 |
| जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र पंचायत दियोरियाकला के नाम से नवीन क्षेत्र पंचायत का गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 274-275 |
| जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 275 |
| जनपद गाजियाबाद में नियुक्त सिंचाई विभाग के अधिकारी की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 276 |
| जनपद चन्दौली में पपौरा-अमिलाई सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 277 |
| जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छितौना मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 277 |
| प्रदेश के नागरिकों के परिवार रजिस्टर/कुटुम्ब की नकल को अधिकांश सरकारी योजनाओं में लाभ लेने हेतु आवश्यक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 278 |
| जनपद बाराबंकी के रामनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पाण्डेयपुर में गुण्डागर्दी कर गिराये गये शौचालयों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 278-279 |
| जनपद बांदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पशु आश्रय स्थलों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 279 |
| जनपद भदोही के बुनकरों को वाराणसी के बुनकरों के समतुल्य बिजली का रेट फिक्स किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 279 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा महुद्दीनपुर उर्फ जंजीरपुर ब्लाक सदर में कूड़ा प्रबन्धन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 280 |
| जनपद सिद्धार्थनगर के पंचायत विस्कोहर एवं इटवा में प्रधानमंत्री योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 280 |
| जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बल्दीराय की मुख्य सड़क जो इसौली से देवरा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 280 |
| जनपद बहराइच के अन्तर्गत वजीरगंज से नन्दवल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 281 |
| दलित की पट्टे वाली जमीन पर दबंगों द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जा रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 281 |
| जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 282 |
| जनपद मेरठ के अन्तर्गत सराय लालदास पुलिस चौकी से पूर्वा इलाही तक रोड तथा पुराने कमेले से लिसाड़ी गेट तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 282 |
| जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचपेड़वा के निकट 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 282 |
| गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनहित में अति आवश्यक रतनलाल नगर को दबौली वेस्ट से जोड़ने हेतु उपरिगामी रेलवे सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 283-284 |
| जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत रौनापार चाँदपट्टी बिलरियागंज मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 284 |
| जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बन्द रोडवेज बस स्टैंड को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 284 |
| जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में बन्द रोडवेज बस स्टैंड को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 285 |
| जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किरतपुर में मार्ग तथा नाली के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 285-286 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद अयोध्या के ग्राम पंचायत करनाईपुर मुतालका के पारागरीबशाह में खलिहान गाटा संख्या-337 पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 286 |
| जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 286-287 |
| जनपद गोरखपुर के सहजनवां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 287 |
| रायबरेली-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में घोर अनियमितता और लापरवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 287 |
| विद्युत कार्य से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 288-289 |
| जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 289 |
| जनपद मिर्जापुर के औराई मिर्जापुर हाई-वे से मुजेहरा खुर्द मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 289 |
| जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 289-290 |
| जनपद बांदा के ग्राम पंचायत पचुल्ला में रोड से सटे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 290 |
| जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा में एक पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 290-291 |
| धारा 143 में अकृषक भूमि के नामान्तरण व दाखिल खारिज हेतु एक तरह के मानक लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 291-292 |
| जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काश्तकारों को आर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 292-293 |
| जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काली सड़क के स्थान पर सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... | 293 |
| जनपद अमरोहा की हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 293 |
| जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नए उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 294 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद चित्रकूट के भरतकूप और सरथुआ को ब्लाक का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 294 |
| जनपद सीतापुर के मिश्रिख विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोमती नदी पर पुल/पैन्टून पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 284-295 |
| जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अन्तर्गत ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 295 |
| प्रदेश के वधशालाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 295 |
| जनपद सुल्तानपुर की तहसील लम्भुआ के गाटा संख्या-207 व 166 एन0एच0 पर सरकारी भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... | 295-296 |
| जनपद सहारनपुर के होजरी व्यवसाय को ओ0डी0ओ0पी0 में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 296 |
| जनपद उन्नाव के भगवंत नगर के ब्लाक सिकन्दरपुर करन में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 296-297 |
| जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 297-298 |
| हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 298-299 |
| जनपद बांदा के ग्राम कनवारा में नहर की पटरी के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 299 |
| जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ उत्तर के जानकीपुरम में हाईटेंशन लाइन को भूमिगत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... | 299-300 |
| जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत डुमरियागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 300 |
| जनपद मथुरा के मांट तहसील में विद्युत कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 300-301 |
| जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर-नगली मार्ग पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 301 |
| उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा कर्मकार बोर्ड में कार्यरत लोगों को दुर्घटना बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 301-302 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 302-314 |
| जनपद जौनपुर के जिला पंचायत में दिनाँक 03-07-2021 से वर्तमान तक किये गये अधोमानक कार्यों के भुगतान की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 314-317 |
| जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में कतिपय स्थान पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विवेकानन्द पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ... ... | 317-318 |
| उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरण सूची में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की सम्मिलित स्थानान्तरित शिक्षिकाओं को वर्तमान जनपद से कार्यमुक्त एवं स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य ... | 318-319 |
| राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ में कार्यरत संविदा कर्मियों के अनुबन्ध का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य ... | 320-323 |
| उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एवं स्केलेटर अधिनियम लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह एवं श्री पंकज सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 323-324 |
| जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत कृष्णलोक कालोनी में 11वीं के छात्र की करेंट लगने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 324-325 |
| जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सलोना कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 325-327 |
| जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में गाँगनौली शुगर मिल पर किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 327-328 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ... ... ... | 328-329 |
| विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों के शिलापट पर विपक्ष के विधायकों का नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... | 329-330 |
| विधान सभा की कार्यशैली में डिजिटल पद्धति लागू करने तथा सदन के संचालन में सहयोग हेतु आभार ... ... ... | 330-343 |
| सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ... | 343 |
| राष्ट्रगान ... ... ... | 344 |
| नत्थियाँ ... ... ... | 345-367 |


---

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## अट्ठारहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

**उपस्थित सदस्य-378**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अंकित भारती, श्री | गाजीपुर |
| 2. | अंकुर तिवारी, श्री | सन्तकबीरनगर |
| 3. | अखिलेश, श्री | आजमगढ़ |
| 4. | अखिलेश यादव, श्री | मैनपुरी |
| 5. | अजय, श्री | गोण्डा |
| 6. | अजय कुमार, डॉ0 | बागपत |
| 7. | अजय सिंह, श्री | बस्ती |
| 8. | अजीत पाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| 9. | अजीत सिंह पाल, श्री | कानपुर देहात |
| 10. | अताउर रहमान, श्री | बरेली |
| 11. | अतुल गर्ग, श्री | गाजियाबाद |
| 12. | अतुल प्रधान, श्री | मेरठ |
| 13. | अनिल कुमार, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 14. | अनिल कुमार, श्री | बुलन्दशहर |
| 15. | अनिल प्रधान, श्री | चित्रकूट |
| 16. | अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री | सन्तकबीरनगर |
| 17. | अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 | सोनभद्र |
| 18. | अनिल कुमार सिंह, श्री | उन्नाव |
| 19. | अनिल पाराशर, श्री | अलीगढ़ |
| 20. | अनिल राजभर, श्री | वाराणसी |
| 21. | अनुपमा जायसवाल, श्रीमती | बहराइच |
| 22. | अनुराग सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| 23. | अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती | हाथरस |
| 24. | अभय सिंह, श्री | अयोध्या |
| 25. | अभिजीत सिंह ''साँगा'', श्री | कानपुर नगर |
| 26. | अमन गिरि, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 27. | अमरेश कुमार, श्री | लखनऊ |
| 28. | अमित अग्रवाल, श्री | मेरठ |
| 29. | अमित सिंह चौहान, डा0 | अयोध्या |
| 30. | अमिताभ बाजपेई, श्री | कानपुर नगर |
| 31. | अरमान खान, श्री | लखनऊ |
| 32. | अरुण कुमार, डॉ0 | बरेली |
| 33. | अर्चना पाण्डेय, श्रीमती | कन्नौज |
| 34. | अलका सिंह, श्रीमती | हरदोई |
| 35. | अवधेश प्रसाद, श्री | अयोध्या |
| 36. | अवधेश सिंह, डॉ0 | वाराणसी |
| 37. | अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री | चित्रकूट |
| 38. | अशरफ अली खान, श्री | शामली |
| 39. | अशोक कुमार, श्री | रायबरेली |
| 40. | अशोक कुमार राणा, श्री | बिजनौर |
| 41. | असीम कुमार, श्री | कुशीनगर |
| 42. | आकाश सक्सैना (हनी) श्री | रामपुर |
| 43. | आदित्यनाथ योगी, श्री | गोरखपुर |
| 44. | आनन्द कुमार यादव, श्री | बहराइच |
| 45. | आर0 के0 पटेल, डॉ0 | जौनपुर |
| 46. | आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती | प्रतापगढ़ |
| 47. | आशा मौर्य, श्रीमती | सीतापुर |
| 48. | आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री | हरदोई |
| 49. | आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री | बदायूं |
| 50. | आशुतोष शुक्ल, श्री | उन्नाव |
| 51. | आशु मलिक, श्री | सहारनपुर |
| 52. | इकबाल महमूद, श्री | सम्भल |
| 53. | इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| 54. | इन्द्राणी देवी, श्रीमती | श्रावस्ती |
| 55. | उमर अली खान, श्री | सहारनपुर |
| 56. | उमाशंकर सिंह, श्री | बलिया |
| 57. | ऊषा मौर्या, श्रीमती | फतेहपुर |
| 58. | ऋषि त्रिपाठी, श्री | महराजगंज |

| | | |
|---|---|---|
| 59. | एम0पी0 आर्य, डॉ0 | बरेली |
| 60. | ओमकुमार, श्री | बिजनौर |
| 61. | ओम प्रकाश, श्री | गाजीपुर |
| 62. | ओम प्रकाश राजभर, श्री | गाजीपुर |
| 63. | ओममणी वर्मा, श्रीमती | बांदा |
| 64. | कपिल देव अग्रवाल, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 65. | कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री | आजमगढ़ |
| 66. | कमाल अख्तर, श्री | मुरादाबाद |
| 67. | कविन्द्र चौधरी, श्री | बस्ती |
| 68. | किरत सिंह, श्री | सहारनपुर |
| 69. | कृष्णपाल मलिक, श्री | बागपत |
| 70. | कृष्णा पासवान, श्रीमती | फतेहपुर |
| 71. | केतकी सिंह, श्रीमती | बलिया |
| 72. | कैलाश, श्री | चंदौली |
| 73. | कैलाश नाथ, श्री | बलरामपुर |
| 74. | कैलाश राजपूत, श्री | कन्नौज |
| 75. | गणेश चन्द्र, श्री | सन्तकबीरनगर |
| 76. | गिरीश चन्द्र यादव, श्री | जौनपुर |
| 77. | गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती | प्रयागराज |
| 78. | गुड़िया कठेरिया, श्रीमती | औरैया |
| 79. | गुरु प्रसाद मौर्य, श्री | प्रयागराज |
| 80. | गुलाब देबी, श्रीमती | सम्भल |
| 81. | गुलाम मौहम्मद, श्री | मेरठ |
| 82. | गौरव कुमार, श्री | बाराबंकी |
| 83. | गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री | जालौन |
| 84. | चंदन चौहान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 85. | चन्द्रपाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| 86. | चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री | फतेहपुर |
| 87. | चेतराम, श्री | शाहजहांपुर |
| 88. | छोटे लाल वर्मा, श्री | आगरा |
| 89. | जगदीश नारायण, श्री | जौनपुर |
| 90. | जय कुमार सिंह जैकी, श्री | फतेहपुर |
| 91. | जय देवी, श्रीमती | लखनऊ |
| 92. | जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री | पीलीभीत |
| 93. | जय प्रकाश अंचल, श्री | बलिया |
| 94. | जयप्रकाश निषाद, श्री | देवरिया |
| 95. | जय प्रताप सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| 96. | जयमंगल, श्री | महराजगंज |
| 97. | जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| 98. | जयवीर सिंह, ठाकुर | अलीगढ़ |
| 99. | जवाहर लाल राजपूत, श्री | झांसी |
| 100. | जाहीद, श्री | भदोही |
| 101. | जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया |
| 102. | जीत लाल पटेल, श्री | प्रतापगढ़ |
| 103. | ज्ञान तिवारी, श्री | सीतापुर |
| 104. | ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री | महराजगंज |
| 105. | डी0सी0 वर्मा, डॉ0 | बरेली |
| 106. | तसलीम अहमद, श्री | बिजनौर |
| 107. | तुफानी सरोज, श्री | जौनपुर |
| 108. | तेजपाल सिंह नागर, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| 109. | त्रिभुवन दत्त, श्री | अम्बेडकरनगर |
| 110. | त्रिभुवन राम, श्री | वाराणसी |
| 111. | दयाशंकर सिंह, श्री | बलिया |
| 112. | दिनेश रावत, श्री | बाराबंकी |
| 113. | दीनानाथ भाष्कर, श्री | भदोही |
| 114. | दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री | देवरिया |
| 115. | दुधराम, श्री | बस्ती |
| 116. | दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| 117. | देवेन्द्र कुमार निम, श्री | सहारनपुर |
| 118. | देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | रायबरेली |
| 119. | देवेन्द्र सिंह, श्री | कासगंज |
| 120. | देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री | बुलन्दशहर |
| 121. | धर्मपाल सिंह, डॉ0 | आगरा |
| 122. | धर्मराज सिंह यादव, श्री | बाराबंकी |
| 123. | धर्मेश सिंह तोमर, श्री | हापुड़ |
| 124. | धीरेन्द्र सिंह, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| 125. | नन्दकिशोर, श्री | गाजियाबाद |
| 126. | नफीस अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| 127. | नवाब जान, श्री | मुरादाबाद |
| 128. | नसीर अहमद खां, श्री | रामपुर |

| | | |
|---|---|---|
| 129. | नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री | फर्रुखाबाद |
| 130. | नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती | कासगंज |
| 131. | नासिर कुरैशी, हाजी | मुरादाबाद |
| 132. | नाहिद हसन, श्री | शामली |
| 133. | नितिन अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| 134. | निर्मल वर्मा, श्री | सीतापुर |
| 135. | नीरज बोरा, डॉ0 | लखनऊ |
| 136. | नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 | वाराणसी |
| 137. | नीलिमा कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| 138. | पंकज पटेल, श्री | जौनपुर |
| 139. | पंकज कुमार मलिक, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 140. | पंकज गुप्ता, श्री | उन्नाव |
| 141. | पंकज सिंह, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| 142. | पंचानन्द पाठक (पी0एन0पाठक), श्री | कुशीनगर |
| 143. | पल्टूराम, श्री | बलरामपुर |
| 144. | पल्लवी पटेल, डॉ0 | कौशाम्बी |
| 145. | पिंकी सिंह, श्रीमती | सम्भल |
| 146. | पीयूष रंजन निषाद, श्री | प्रयागराज |
| 147. | पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री | आगरा |
| 148. | पूजा, श्रीमती | आजमगढ़ |
| 149. | पूजा पाल, श्रीमती | कौशाम्बी |
| 150. | पूनम संखवार, श्रीमती | कानपुर देहात |
| 151. | पूरन प्रकाश, श्री | मथुरा |
| 152. | प्रकाश द्विवेदी, श्री | बांदा |
| 153. | प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती | कानपुर देहात |
| 154. | प्रदीप कुमार चौधरी, श्री | बुलन्दशहर |
| 155. | प्रदीप कुमार यादव, श्री | औरैया |
| 156. | प्रदीप कुमार सिंह, श्री | हाथरस |
| 157. | प्रदीप शुक्ला, श्री | गोरखपुर |
| 158. | प्रभात कुमार वर्मा, श्री | गोण्डा |
| 159. | प्रभाष कुमार, श्री | हरदोई |
| 160. | प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री | चंदौली |
| 161. | प्रसन्न कुमार, श्री | शामली |
| 162. | प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री | गोण्डा |
| 163. | प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री | फिरोजाबाद |
| 164. | प्रेमसागर पटेल, श्री | महराजगंज |
| 165. | फतेह बहादुर, श्री | गोरखपुर |
| 166. | फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| 167. | बम्बा लाल, श्री | उन्नाव |
| 168. | बल्देव सिंह औलख, श्री | रामपुर |
| 169. | बाबूराम, श्री | पीलीभीत |
| 170. | बाबूलाल, श्री | आगरा |
| 171. | बावन सिंह, श्री | गोण्डा |
| 172. | बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती | देवरिया |
| 173. | बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री | हाथरस |
| 174. | बृजेश कठेरिया, इंजी0 | मैनपुरी |
| 175. | बृजेश कुमार, श्री | उन्नाव |
| 176. | बेचई सरोज, श्री | आजमगढ़ |
| 177. | बेदी, श्री | गाजीपुर |
| 178. | बेबीरानी मौर्य, श्रीमती | आगरा |
| 179. | ब्रजभूषण राजपूत, श्री | महोबा |
| 180. | ब्रजेश पाठक, श्री | लखनऊ |
| 181. | ब्रजेश यादव, श्री | बदायूं |
| 182. | ब्रिजेश, श्री | सहारनपुर |
| 183. | भगवान सिंह कुशवाहा, श्री | आगरा |
| 184. | भूपेश चौबे, श्री | सोनभद्र |
| 185. | मदन भैया, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 186. | मंजू त्यागी, श्रीमती | खीरी |
| 187. | मनीष असीजा, श्री | फिरोजाबाद |
| 188. | मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री | कुशीनगर |
| 189. | मनीष रावत, श्री | सीतापुर |
| 190. | मनीषा, श्रीमती | हमीरपुर |
| 191. | मनोज कुमार पाण्डेय, श्री | रायबरेली |
| 192. | मनोज कुमार पारस, श्री | बिजनौर |
| 193. | मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 | हमीरपुर |
| 194. | मनोहर लाल, श्री | ललितपुर |
| 195. | मन्जू शिवाच, डॉ0 | गाजियाबाद |
| 196. | मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | अमेठी |
| 197. | महबूब अली, श्री | अमरोहा |
| 198. | महाराजी प्रजापति, श्रीमती | अमेठी |

199. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
200. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
201. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
202. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
203. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
204. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
205. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
206. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
207. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
208. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
209. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
210. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
211. मेघश्याम, श्री मथुरा
212. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
213. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
214. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
215. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
216. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
217. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
218. योगेश धामा, श्री बागपत
219. योगेश वर्मा, श्री खीरी
220. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
221. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
222. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
223. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
224. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
225. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
226. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
227. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
228. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
229. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
230. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
231. रवि शर्मा, श्री झांसी
232. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
233. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
234. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
235. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
236. आर0के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
237. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
238. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
239. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
240. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
241. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
242. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
243. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
244. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
245. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
246. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
247. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
248. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
249. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
250. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूँ
251. राजीव सिंह 'पारीक्षा', श्री झांसी
252. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
253. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
254. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
255. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
256. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
257. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
258. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
259. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
260. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
261. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
262. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
263. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
264. रामकेश निषाद, श्री बांदा
265. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
266. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
267. रामदुलार, श्री सोनभद्र
268. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
269. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच

| | | |
|---|---|---|
| 270. | रामपाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| 271. | राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री | बलरामपुर |
| 272. | राम फेरन पाण्डेय, श्री | श्रावस्ती |
| 273. | राम बिलाश चौहान, श्री | मऊ |
| 274. | राम मूर्ति वर्मा, श्री | अम्बेडकरनगर |
| 275. | रामरतन कुशवाहा, श्री | ललितपुर |
| 276. | राम सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| 277. | राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री | रायबरेली |
| 278. | रिंकी कोल, श्रीमती | मिर्जापुर |
| 279. | रितेश कुमार गुप्ता, श्री | मुरादाबाद |
| 280. | रेखा वर्मा, श्रीमती | औरैया |
| 281. | लकी यादव, श्री | जौनपुर |
| 282. | लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| 283. | लक्ष्मी राज सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| 284. | लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकरनगर |
| 285. | लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | खीरी |
| 286. | वाचस्पति, श्री | प्रयागराज |
| 287. | विकास गुप्ता, श्री | फतेहपुर |
| 288. | विजमा यादव, श्रीमती | प्रयागराज |
| 289. | विजयपाल (आढ़ती), श्री | हापुड़ |
| 290. | विनय कुमार द्विवेदी, श्री | गोण्डा |
| 291. | विनय प्रकाश गोंड, श्री | कुशीनगर |
| 292. | विनय वर्मा, श्री | सिद्धार्थनगर |
| 293. | विनोद सरोज, श्री | प्रतापगढ़ |
| 294. | विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 | मिर्जापुर |
| 295. | विनोद चतुर्वेदी, श्री | जालौन |
| 296. | विनोद शंकर अवस्थी, श्री | खीरी |
| 297. | विनोद सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| 298. | विपिन कुमार डेविड, श्री | एटा |
| 299. | विपिन सिंह, श्री | गोरखपुर |
| 300. | विपुल दुबे, श्री | भदोही |
| 301. | विमलेश पासवान, डॉ0 | गोरखपुर |
| 302. | वीरेन्द्र यादव, डॉ0 | गाजीपुर |
| 303. | विवेक कुमार वर्मा, श्री | पीलीभीत |
| 304. | विवेकानन्द पाण्डेय, श्री | कुशीनगर |
| 305. | विशम्भर सिंह यादव, श्री | बांदा |
| 306. | वीर विक्रम सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| 307. | वीरेन्द्र चौधरी, श्री | महराजगंज |
| 308. | वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री | एटा |
| 309. | शफीक अहमद अंसारी, श्री | रामपुर |
| 310. | शलभ मणि त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| 311. | शशांक त्रिवेदी, श्री | सीतापुर |
| 312. | शशांक वर्मा, श्री | खीरी |
| 313. | शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री | बरेली |
| 314. | शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| 315. | शिव प्रताप यादव, डॉ0 | बलरामपुर |
| 316. | शिवपाल सिंह यादव, श्री | इटावा |
| 317. | श्याम प्रकाश, श्री | हरदोई |
| 318. | श्याम बिहारी लाल, प्रो0 | बरेली |
| 319. | श्यामधनी राही, श्री | सिद्धार्थनगर |
| 320. | श्याम सुन्दर, श्री | रायबरेली |
| 321. | श्रीकान्त कटियार, श्री | उन्नाव |
| 322. | श्रीराम चौहान, श्री | गोरखपुर |
| 323. | संग्राम यादव, डॉ0 | आजमगढ़ |
| 324. | संग्राम सिंह, श्री | बलिया |
| 325. | संजय कुमार शर्मा, श्री | बुलन्दशहर |
| 326. | संजय सिंह गंगवार, श्री | पीलीभीत |
| 327. | संजीव अग्रवाल, श्री | बरेली |
| 328. | संजीव कुमार गोंड, श्री | सोनभद्र |
| 329. | संजीव कुमार दिवाकर, श्री | एटा |
| 330. | संदीप कुमार सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| 331. | संदीप सिंह, श्री | प्रयागराज |
| 332. | सचिन यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| 333. | सतीश चन्द्र शर्मा, श्री | बाराबंकी |
| 334. | सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| 335. | सत्यपाल सिंह राठौर, श्री | कासगंज |
| 336. | सभाकुंवर, श्री | देवरिया |
| 337. | समरपाल सिंह, श्री | अमरोहा |
| 338. | सरवन कुमार निषाद, इंजी0 | गोरखपुर |
| 339. | सरिता भदौरिया, श्रीमती | इटावा |

| | | |
|---|---|---|
| 340. | सरोज कुरील, श्रीमती | कानपुर नगर |
| 341. | सरोज सोनकर, श्रीमती | बहराइच |
| 342. | सर्वेश सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| 343. | सलोना कुशवाहा, श्रीमती | शाहजहांपुर |
| 344. | साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| 345. | सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री | प्रयागराज |
| 346. | सीताराम वर्मा, श्री | सुल्तानपुर |
| 347. | सुचि, श्रीमती | बिजनौर |
| 348. | सुनील कुमार शर्मा, श्री | गाजियाबाद |
| 349. | सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर | फर्रुखाबाद |
| 350. | सुनील पटेल, डॉ0 | वाराणसी |
| 351. | सुभाष त्रिपाठी, श्री | बहराइच |
| 352. | सुरभी, डॉ0 | फर्रुखाबाद |
| 353. | सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री | कुशीनगर |
| 354. | सुरेन्द्र चौरसिया, श्री | देवरिया |
| 355. | सुरेन्द्र मैथानी, श्री | कानपुर नगर |
| 356. | सुरेश कुमार, श्री | अमेठी |
| 357. | सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| 358. | सुरेश राही, श्री | सीतापुर |
| 359. | सुरेश्वर सिंह, श्री | बहराइच |
| 360. | सुशांत सिंह, कुँवर | बिजनौर |
| 361. | सुशील कुमार शाक्य, श्री | फर्रुखाबाद |
| 362. | सुशील सिंह, श्री | चंदौली |
| 363. | सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री | गाजीपुर |
| 364. | सैय्यदा खातून, श्रीमती | सिद्धार्थनगर |
| 365. | सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 | मेरठ |
| 366. | सौरभ श्रीवास्तव, श्री | वाराणसी |
| 367. | सौरभ सिंह सोनू, श्री | खीरी |
| 368. | स्वामी ओउमवेश, श्री | बिजनौर |
| 369. | हंसु राम, श्री | बलिया |
| 370. | हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री | खीरी |
| 371. | हरिओम, श्री | कासगंज |
| 372. | हरिप्रकाश वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| 373. | हरीश चन्द्र, श्री | बदायूँ |
| 374. | हरेन्द्र सिंह, श्री | हापुड़ |
| 375. | हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री | प्रयागराज |
| 376. | हाकिम लाल बिन्द, श्री | प्रयागराज |
| 377. | हिमान्शु यादव, श्री | बदायूं |
| 378. | हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री | आजमगढ़ |

**नोट** :-जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

**[11:00] प्रश्नोत्तर**

**नत्थी (क)**

**तारांकित प्रश्न**

**प्रदेश में सरकारी बसों के बढ़े हुये किराये को कम करने विषयक**

***1-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी बसों के किराये में अभूतपूर्व वृद्धि क्यों की गयी है ? क्या सरकार, सरकारी बसों के बढ़े हुये किराये को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

**परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-**

परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-991/30-04-2012-346/95, दिनांक 07-11-2012 द्वारा अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई में मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों एवं माल गाड़ियों हेतु अधिकतम किराया की दरें निर्धारित करने के लिए सूत्र का अवधारण किया गया है।

उक्त के क्रम में सरकारी बसों के किराये में की गयी अद्यतन वृद्धि से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रति किलोमीटर संचालन लागत में वृद्धि के आधार पर मंजिली गाड़ियों के अधिकतम किराये के निर्धारण के सन्दर्भ में प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना संख्या-02/एसटीए/2020-06 एसटीए/13, दिनांक 01-01-2020 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण मंजिली बसों का किराया रु0 1.05 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया।

तदोपरान्त निगम की बसों का किराया कोविड-19 संक्रामक बीमारी के कारण उत्पन्न आपदाकाल में नहीं बढ़ाया गया। तत्पश्चात् डीजल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं वेतन, भत्तों में वृद्धि के कारण संचालन लागत में निरन्तर हो रही वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु किराया बढ़ाया जाना अपरिहार्य हो गया।

फलस्वरूप अधिसूचना संख्या-152/एसटीए/2023-06-एसटीए/13, दिनांक 06-02-2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण मंजिली बसों के किराये की अधिकतम दर में 25 पैसे प्रति यात्री प्रति किमी0 की वृद्धि करते हुये रुपये 1.30 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार सरकारी बसों के बढ़े हुए किराये को कम करने पर पुनर्विचार का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा प्रश्न गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार लोगों के लिए है, जो अपनी जरूरतों के लिए प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, परन्तु बढ़ती महंगाई ने गरीब, मजदूर, किसान एवं बेरोजगार लोगों की कमर तोड़ दी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु को महंगा करते जा रही है। अध्यक्ष जी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को नौकरी देने में इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण बमुश्किल कर पा रहे हैं और ऊपर से सरकार द्वारा बसों के किराये में रिकार्ड तोड़ वृद्धि कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि इस वर्ष जो बसों का किराया बढ़ाया गया है, उससे पहले कब और कितने प्रतिशत किराया बढ़ाया गया था ? सरकार द्वारा बढ़ाये गये किराये से पूर्व प्रतिदिन यात्रियों की संख्या कितनी थी एवं किराया बढ़ाने के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि यात्रियों में हुई है अथवा कमी हुई है ? सरकार द्वारा जो किराया बढ़ाया गया है, उसके उपरान्त यात्रियों की सुविधा में क्या वृद्धि की गयी है ? अध्यक्ष जी, किराया वृद्धि के साथ-साथ क्या प्रदेश की सभी तहसीलों, कस्बों एवं ग्राम पंचायतों को रोडवेज की सुविधाओं से जोड़ा गया है और क्या परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रानिक बसों के संचालन करने पर विचार किया जायेगा, यदि हाँ तो कब तक ? परिवहन निगम द्वारा जो अभी तक के रिकार्ड को तोड़कर सबसे अधिक किराया बढ़ाया गया है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं कमी के लिए क्या नए प्रयास अथवा उपाय किए गए हैं ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-991/30-04-2012-346/95, दिनांक 07-11-2012 द्वारा अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई में मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों एवं माल गाड़ियों हेतु अधिकतम किराया की दरें निर्धारित करने के लिए सूत्र का अवधारण किया गया है।

**श्री अध्यक्ष-**

यह उत्तर आ गया है, मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, कोरोनाकाल में कोई किराया में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी और नियम यह है कि हर साल 06 महीने के अन्दर किराये की बढ़ोत्तरी, वेतन और डीजल के अनुपात में की जानी चाहिए। पिछले 03 वर्षों में किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, तो किराया वृद्धि करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि हमने 11 प्रतिशत वेतन वृद्धि किया है और जब 03 साल पहले

किराया बढ़ा था, उस समय डीजल का भाव 63 रुपया था और इस समय डीजल का भाव 90 रुपया हो गया है। जो डिफरेंश आ रहा था, मैंने 24 पैसा प्रति किमी0 प्रति यात्री बढ़ाया है, इसे हमने वेतन और डीजल की बढ़ोत्तरी से कम ही बढ़ाया है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया है।

**डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

मान्यवर, सच यह है कि 23.81 परसेंट प्रति किमी0 की दर से इन्होंने किराया बढ़ाया है।

मा0 अध्यक्ष जी, रोडवेज, स्वास्थ्य या पुलिस यह सब एसेंसियल सेवाओं में आते हैं और गरीबों को आने-जाने के लिए रोडवेज की व्यवस्था सरकार ने की है, इसमें 23.81 परसेण्ट जो पैसा बढ़ाया है, इससे इनकी आमदनी बहुत ज्यादा हो गई है, जब आमदनी ज्यादा हो गई तो इनके जो पुराने बस स्टैण्ड हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया है और ऐसी इनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने इतने परसेण्ट किराया बढ़ा दिया है, यह मैं पूछना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

मंत्री जी जो आपने किराया बढ़ाया है उसके लिए आपने क्या सुविधाएं दी हैं यह आप बता दीजिए।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

अध्यक्ष जी, यह कह रहे हैं कि किराया बढ़ने से हमारी आमदनी बढ़ गई, इससे केवल वेतन और डीजल की भरपाई हुई है, उसमें 24 परसेण्ट बढ़ाने का या 26 परसेण्ट बढ़ाने का हो रहा था, लेकिन मैंने केवल 24 परसेण्ट ही बढ़ाया है। अभी यह कह रहे हैं कि प्राइवेट से और परिवहन निगम में हम जो टैक्स लेते हैं, हम प्राइवेट से प्रतिमाह 65 सौ रुपया लेते हैं और अपने परिवहन निगम से 31 हजार रुपया टैक्स लेते हैं, यानि की परिवहन निगम ज्यादा टैक्स देता है प्राइवेट से, फिर भी हम कई पी0पी0 मॉडल पर कई बस स्टैण्डों को बस अड्डों की तरह बनाने जा रहे हैं सपा सरकार में एक बस अड्डा बना था, लेकिन हम 13 बस अड्डा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए साइन हो चुका है। मेरा वायदा है कि प्रत्येक जनपद को एक-एक हवाई अड्डे की तरफ बस अड्डा देने का।

## अधिकारी दीर्घा के रिक्त होने पर पीठ का ध्यानाकर्षण

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, प्रश्न काल चल रहा है और प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार के लोग महत्वपूर्ण उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी जो हमारे अधिकारियों की दीर्घा है, गैलरी है किसी विभाग का कोई अधिकारी यहां पर उपस्थित नहीं है मेरा आपसे आग्रह है कि इसके

पहले भी यह प्रकरण उठाया गया कि क्यूश्चन ऑवर्स के समय जिस विभाग का क्यूश्चन लगा हो उस विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है।

**श्री अध्यक्ष-**

विधान सभा सचिवालय इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जिन अधिकारियों के यहाँ पर जिस विभाग के प्रश्न यहां पर लगे हैं, वह सारे यहां पर उपस्थित हैं कि नहीं अपने आप वह जानकारी करके मुझे बता देंगे इस प्रश्न को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

## प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

***2-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

[02-गुरुवार के तारांकित प्र0सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## प्रदेश में एक्सप्रेस-वे श्रेणी के मार्गों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा नीति लागू करने विषयक

***3-श्री अतुल प्रधान तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्याः परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे श्रेणी के मार्गों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा नीति सरकार लागू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

शासनादेश संख्या-1575/30-03-2014-32 एम/2013 टीसी, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा प्रदेश में एक्सप्रेस-वे श्रेणी के मार्गों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत ''राज्य सड़क सुरक्षा नीति'' लागू है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह लोक महत्व का बहुत महत्वपूर्ण क्यूश्चन है, क्योंकि एक्सप्रेस-वे की संख्या बहुत बढ़ रही है, मैं उसके लिए धन्यवाद दूँगा कि मेरठ से दिल्ली का सफर आसान हुआ है। इसी तरह से जो सड़क सुरक्षा नीति के बारे में मैंने बात की थी, क्यूश्चन किया था, सड़क सुरक्षा नीति लागू है यह तो ऑन्सर में लिख दिया गया है, लेकिन एक्सप्रेस-वे के नियमों में इस समय बदलाव की जरूरत है, उसके ऊपर सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर से दिल्ली के आस-पास के सटे हुए इलाकों में जिस तरह तेजी से जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, उसके हिसाब से कोई मानक वहाँ पर आस-पास की जगहों पर नहीं है, जिससे दिन-प्रतिदिन घटनाओं की बढ़ोत्तरी होती रहती है। वर्ष 2005 में एस0 सुन्दर साहब जी पूर्व अध्यक्ष थे, एक समिति

का गठन हुआ था, साथ में वह रिपोर्ट आई 2010 में वह रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय पटल पर आ गई, जो एक्सप्रेस-वे हमारे दिल्ली के राष्ट्रीयकृत एक्सप्रेस-वे हुआ करते थे, जो एन0एच0आई0 के माध्यम से बनते थे, लेकिन वह अब स्टेट में भी बनने लगे हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस-वे आगरा से नोएडा तक और फिर मा0 अखिलेश यादव जी की पूर्व की सरकार में एक शानदार एक्सप्रेस-वे आगरा से लेकर आपके लखनऊ तक बना और इसके बाद बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो और अब नया गंगा एक्सप्रेस-वे बन रहा, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए दुख है कि जो मानक होने चाहिए वह मानक वहाँ पर मौके जो स्थिति है वह मानक वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देते।

**श्री अध्यक्ष-**

किस चीज के मानक ?

**श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, जैसे दुपहिया वाहन एक्सप्रेस-वे पर नहीं चलने चाहिए, तिपहिया वाहन भी नहीं चलने चाहिए, जानवरों से खींचे जाने वाले वाहन नहीं चलने चाहिए। मान्यवर, मैं एक घटना का जिक्र करूँगा, जो कि मेरठ से सम्बन्धित है।

**श्री अध्यक्ष-**

आप प्रश्न पूछिये।

**श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ मेरठ के 6 लोग खाटू श्याम की यात्रा के लिए जा रहे थे। मान्यवर, वह 6 लोग मर गये और वह इसलिए मरे क्योंकि जो एक्सप्रेस-वे का नियम है उसका पालन मौके पर नहीं हो रहा था। रॉंग साइड से एक बस आती है और एक पूरा का पूरा परिवार, एक परिवार के दो बच्चे उनके माता-पिता और बबिता, वंशिका और 2 अन्य घायल हो गए। मान्यवर, मैं यह सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से क्योंकि सरकार कहती है कि वह बहुत जागरूक है, लेकिन चूंकि लगातार मौतें हो रही हैं और लगातार आपके सामने आँकड़े आ रहे हैं तो जागरूकता के विषय में जो सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की प्रणाली है, उस पर क्या सरकार कोई काम कर रही है या आने वाले समय में जनसंख्या का घनत्व जो तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कोई काम करेगी या नहीं करेगी। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि जैसे ही हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ प्रवेश करते हैं तो सीट बेल्ट स्वतः ही लग जाती है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है ? मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से इस विषय में पूँछना चाहता हूँ। मैं मा0 मंत्री जी से यह पूँछना चाहता हूँ कि जो ड्राइवर का लाइसेंस हम लोगों को मिलता है कई बार उसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है या उसके जो मानक हैं उसमें कई तरह की अनियमिततायें होती हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

वह अलग प्रश्न है, इससे सम्बन्धित नहीं है।

**श्री अतुल प्रधान-**

मा0 अध्यक्ष जी, ड्राइवर के लाइसेंस जो दिये जा रहे हैं, क्या एक या दो बार गलती करने के बाद क्या उन ड्राइवर लाइसेंस को खत्म करने की कोई योजना है ? क्या सरकार सड़क सुरक्षा कोष, जिससे जो लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, जो मौतें हो जाती हैं। कई बार ऐसे लोग भी मर जाते हैं जिनकी किसी भी योजना के अन्तर्गत कोई मदद नहीं हो पाती है, क्या राज्य सड़क सुरक्षा कोष स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं है, तो क्यों ? मान्यवर, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ पहले एक साल तक दुर्घटनाओं में मरने वालों और घायल होने वालों का डाटा रहता था। क्या सरकार यह डाटा कहीं किसी पटल पर या किसी जगह पर सार्वजनिक करती है अथवा नहीं करती है ? यदि नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है और वह इसको कब तक करेगी ?

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी, क्या यह प्रश्न आप से सम्बन्धित है। यह तो एक्सप्रेस-वे वालों से सम्बन्धित है।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, जो इनका मूल प्रश्न है कि हाई-वे पर दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, ओवर स्पीड रोकने के लिए ए0एम0सी0आर0 कैमरे सभी हाई-वे पर लगे हुए हैं। जो गाड़ियों के चलते हुए कैमरों से चालान काटा जाता है, जो कल ही अपने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कानून बनाया है उसमें 8 लाख 53 हजार लोगों का काटे गये चालान को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। यह हाई-वे पर ही सबसे ज्यादा चालान काटा गया था। कोई भी जो गाड़ी से चलता था तो उसका जो ये कैमरे लगे हैं उससे चालान कट जाता था, उसमें बहुत सारे फर्जी नम्बर देकर भी उसमें चालान कट जाता था। हमारे यहाँ पर शिकायत आई उसमें 8 लाख 53 हजार लोगों को हमने जीरो कर दिया उनके चालान को समाप्त कर दिया। इतना बड़ा कानून उन्होंने कल ही बनाया है। टोल पर किये गये पब्लिक ए0पी0एस0 सिस्टम लगाने की भी घोषणा की गयी है कि अब वहाँ पर भी घोषणा की जाती है कि वाहन चालक नियमों का पालन करिए। हाई स्पीड पर न चलिए और इन तथा आउट की भी व्यवस्था की गयी है कि पहले हाई स्पीड से चलते थे, लेकिन कैमरे के सामने आते ही लोग अपनी गाड़ी रोक लेते थे और फिर स्पीड तेज कर लेते थे, इसलिए अब हमने यह व्यवस्था बनाई है कि इन्ट्री से, लेकिन आउट तक आपका कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर चालान काटते हैं और यह कह रहे हैं तो मैं यह बता दूँ कि वर्ष 2020-21 में 267 दुर्घटनाएँ हुईं जिसमें 224 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2021-2022 में 250 दुर्घटनाएँ हुईं और 244 लोगों की मृत्यु

हुई, लेकिन वर्ष 2022-2023 में 210 दुर्घटनाएँ हुईं और केवल 187 लोगों की मृत्यु हुईं, यानि मैंने दुर्घटना को रोका है और मृत्यु दर को भी मैंने रोका है। कोरोनाकाल में भी जितनी मृत्यु हुई थी, उससे भी मैंने वर्ष 2022-2023 में कम किया है।

हम रोड सेफ्टी के लिए कई काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गवर्नेस के लिए क्या काम हो रहा है ? मैंने हर स्कूल व कालेज में रोड सेफ्टी क्लब बनाया है। आपने देखा होगा कि पिछड़े जिलों में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने स्कूलों-कालेजों में जा करके बच्चों के साथ शपथ दिलाने का काम किया है। निबन्ध व भाषण जैसे कार्यक्रम भी हम लोग आयोजित करते रहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मृत्यु दर में आपको 50 प्रतिशत की कमी लानी है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रोड सेफ्टी के लिए हमने अभी 67 नई गाड़ियां खरीदी हैं, जो आपको देखने को मिलेंगी, यह गाड़ियां केवल रोड सेफ्टी के लिए हाई-वे पर काम करेंगी। यह गाड़ियां पूरी तरह से आधुनिक चीजों से लैस होंगी। एम्बुलेंस को भी हमने 108 से लिंक किया है। कोई दुर्घटना होती है, तो 108 पर और हमारे विभाग को सूचना प्राप्त हो जाती है और हम लोग तुरन्त उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी हम लोगों ने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है, आप देखते होंगे आज एम्बुलेंस हाई-वे पर रन करती रहती हैं। रोड सेफ्टी पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको धीरे-धीरे दुर्घटनाओं में कमी नजर आयेगी और मृत्यु दर हम 50 प्रतिशत से कम ले आयेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न संख्या-4, श्री संदीप सिंह।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, मेरा भी अनुपूरक में नाम है।

**श्री अध्यक्ष-**

तो क्या हुआ नाम है ? सारा उत्तर तो आ गया है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। इतनी देर तो बोले हैं।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, मुझे भी अनुपूरक पर पूँछना है।

**श्री अध्यक्ष-**

चलिए मनोज जी आप पूँछिये, आपका नाम है, इसीलिए आपको अवसर दिया जाता है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूँछियेगा। जो कुछ आपको पूँछना है उसका जवाब पहले आ चुका है।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

जी मान्यवर, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूँछेंगे। माननीय परिवहन मंत्री जी ने यह बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमने कई उपाय किये हैं। ये सही है कि जगह-जगह

पर स्पीड को चेक करने के लिए आपने सूचक मशीनें लगायी हैं, आपका यह भी उत्तर सही है कि कुछ लोग उसे देख करके पहले स्पीड थोड़ी धीमी कर लेते हैं बाद में फिर तेज कर लेते हैं। माननीय मंत्री जी इसके पहले ये दृष्टान्त रहे हैं कि इन सूचक मशीनों के अलावा भी लोग गोपनीय ढंग से खड़े होते थे, मशीनों को लगाते थे और बीच में जो लोग इसको छोड़ करके आगे स्पीड को बढ़ाते थे उनका चालान होता था। आपने कहा कि दुर्घटना की दर भी कम हुई है, पूरा सदन चाहता है कि दुर्घटनाएं कम से कम हों। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक कितनी घटनाएँ हुई हैं और उनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं ?

**श्री अध्यक्ष-**

मनोज जी इसका जवाब दे चुके हैं, आपने सुना नहीं।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 05 वर्ष का तुलनात्मक नहीं बताया है। इन्होंने वर्ष 2018-2019 और 2022-2023 का बताया है।

**श्री अध्यक्ष-**

ये वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23, 05 सालों का बता चुके हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

अगला प्रश्न श्री संदीप सिंह जी का है।

**श्री अवधेश प्रसाद-**

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट कुछ पूँछना है।

**श्री अध्यक्ष-**

अवधेश जी बताइये।

**श्री अवधेश प्रसाद-**

मान्यवर, मंत्री जी ने यह बताया कि 187 लोग मरे हैं, जो बड़ा ही दुःखद है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटनाओं में वर्षवार जिन लोगों की मौतें हुई हैं क्या उनके आश्रितों को यह सरकार कुछ आर्थिक सहायता देगी ?

**श्री अध्यक्ष-**

उसका इससे मतलब नहीं है। श्री संदीप सिंह आप अगला प्रश्न पूछिये।

**प्रदेश में खनन क्षेत्रों में की जाने वाली ब्लास्टिंग के कारण आस-पास के गाँवों के मकान, समरसेबुल पम्प तथा उनके स्वास्थ्य सहित अन्य क्षति की भरपाई करने हेतु योजना बनाने विषयक**

***4-श्री संदीप सिंह-**

(4) क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन हेतु की जाने वाली ब्लास्टिंग के कारण खनन क्षेत्र में गाँवों के जनमानस के मकान, समरसेबुल पम्प तथा उनके स्वास्थ्य सहित अन्य क्षति होती है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**श्री संदीप सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र पहाड़ी है, जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। चूंकि वहाँ पर माइन्स का बड़े पैमाने पर काम होता है और माइन्स में आज-कल पत्थर तोड़ने के लिए बड़ी-बड़ी ब्लास्टिंग का लोग इस्तेमाल करते हैं। जो पहाड़ पर बसे हुए गाँव हैं और उनके बगल में जो पहाड़ है ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों की दीवारें गिर जाती हैं। जो लोगों ने पानी का थोड़ा-मोड़ा इन्तजाम कर रखा है। अपने निजी साधनों से बोरिंग का इन्तजाम कर रखा है, वह बोरिंग ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ इतनी डस्ट हो रही है कि लोगों में टी0बी0 और कैंसर की बीमारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। वहाँ के विधायक होने के नाते हम लोगों की प्रतिदिन कम-से-कम 20-25 लोगों से मुलाकात होती है, जिनका दर्द टी0 बी0 और कैंसर का रहता है, उनका पूरा का पूरा परिवार कैंसर से पीड़ित है और कैंसर की वजह से दम तोड़ रहा है। मैंने इसी पर एक प्रश्न लगाया था, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार का जो जवाब आया, 'जी नहीं' का वह बहुत ही दुःखद है।

लेकिन मैं आपके संरक्षण में आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में यह जो डस्ट उड़ रही है या जो बड़ी-बड़ी ब्लास्टिंग हो रही है, उस डस्ट को रोकने के लिए सरकार कोई पुनर्विचार करेगी या नहीं करेगी ? दूसरा, डस्ट की वजह से कैंसर और टी0बी0 जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, चूंकि उस पहाड़ पर जो लोग माइन्स का काम करते हैं, सरकार को अतिरिक्त पैसा भी देने का काम करते हैं, वह बहुत लम्बी एमाउण्ट होती है, जो मेरी विधान सभा क्षेत्र से बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के खजाने में आता है। क्या सरकार उस पैसे से उस विशेष इलाके में टी0बी0 और कैंसर का कोई विशेष अस्पताल बना करके, कोई

विशेष पैकेज दे करके उन लोगों का इलाज कराने का प्रयास करेगी ? उनके लिए पानी की सुविधा करायें, चूंकि जो टंकी वाली सुविधा है, वह हमारे वहाँ अभी लागू नहीं हो पाई है, चूंकि छोटे-छोटे काश्तकार भी हैं तो लोगों को मजबूरी में गाँव छोड़ करके, भागने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या सरकार उनके रहने का, उनके पीने के पानी का और उनके इलाज का कोई बेहतर इन्तजाम करेगी ? चूँकि मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो विशेष इलाके हैं, एक मेजा ब्लाक में भटौती आता है और दूसरा मांडा में बंगलिया आता है, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ब्लास्टिंग शुरू कर देते हैं, जब गाँव के लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आप ब्लास्टिंग क्यों कर रहे हैं तो वह लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेरा पट्टा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो पट्टे हुए हैं, उनका पूरी तरह से चिन्हीकरण करा करके सरकार उन्हीं जगहों पर ब्लास्टिंग करा रही है या लोग जहाँ पर खाली जगह पा रहे है, वहीं पर पहुँचते हैं और बड़ी-बड़ी ब्लास्टिंग करके पत्थर निकालने लगते हैं।

हमारे उस इलाके में बड़े पैमाने पर गोरखधन्धा चल रहा है। लगातार सरकार द्वारा डस्ट रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उच्चीकृत क्रेशर लगें, लेकिन लोग जो डण्डामार क्रेशर लगाये हैं, उससे लगातार बड़ी-बड़ी घटनायें और दुर्घटनायें हो रही हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उन जगहों को चिन्हित करा करके विशेष जगहों पर ही खनन कराया जायेगा और जिन्होंने गलत जगहों पर खनन किया है, जैसे हमारे भटौती और बंगलिया में, उसकी जाँच कराकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराई जायेगी तथा जो क्रेशर गलत लगे हैं, जो मानक के अनुरूप नहीं हैं, उन क्रेशरों को बन्द करा करके नये उच्चीकृत क्रेशर लगाने के लिए प्रेरित किया जायेगा ? सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं और करेगी तो कब तक ? उसके लिए कुछ समय निर्धारित कराने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

**वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से दो-तीन बातें पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। ब्लास्टिंग का लाइसेंस देने की प्रक्रिया बहुत टफ है। उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत ब्लास्टिंग का लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस देने के बाद पट्टे पर जो पट्टाधारक है, उसकी बिड प्राप्त करने के बाद, उस पर एनवायरमेंटल क्लीयरेंस का एक मैंडेटरी प्रोविजन है और एनवायरमेंटल क्लीयरेंस देने के लिए उसमें पब्लिक हियरिंग भी की जाती है और इसमें खास तौर से कंडीशन यह है कि 50 मीटर की दूरी पर जो आबादी है, उस 50 मीटर तक हम किसी प्रकार का कोई खनन एलाऊ नहीं करते हैं। इसमें जो पब्लिक हियरिंग होती है, भले ही उसमें 100 मीटर तक हो। चूँकि पब्लिक हियरिंग में अगर यह आता है कि यह स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से हानिकारक है या किसी प्रकार से पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता

है या अदरवाइज किसी प्रकार से जनहित को हानि पहुँचाता है तो मान्यवर, उस आधार के ऊपर एनवायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं दिया जाता है और बिना एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के पट्टाधारकों को ब्लास्टिंग करने की या पट्टे पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो पट्टाधारकों से 10 परसेण्ट पैसा अतिरिक्त जमा कराते हैं और वह प्रियॉरिटी सेक्टर के ऊपर खर्च होता है, प्रियॉरिटी सेक्टर जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होता है और जो प्रभावित क्षेत्र होता है, अगर उसकी सड़क वगैरह को नुकसान होता है तो 40 परसेण्ट पैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने की व्यवस्था है, मान्यवर, यह मैंडेटरी है।

मान्यवर, यह वह पैसा है जो खनन पर जो पट्टे की फीस या पट्टे की बिड या उसके अतिरिक्त उसको 10 प्रतिशत पैसा मिलता है। जो पैसा मिलता है उससे प्रियार्टी सेक्टर जैसे पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है या फिर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। हर प्रकार की व्यवस्था माननीय सरकार ने कर रखी है। इस बात के लिए कि किसी भी प्रकार से किसी पब्लिक को, सामान्य नागरिक को किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो। जो पट्टा लेता है अगर उसके वर्कर को नुकसान होता है, उसकी दिव्यांगता पर, आंशिक दिव्यांगता पर अगर किसी प्रकार से क्षति होती है तो उसके लिए बी0ओ0सी0 में पूरी तरीके से व्यवस्था है, उनको मुआवजा भी दिया जाता है। आपके वहाँ अगर कोई विशेष व्यवस्था हो, या कोई विशेष कम्पलेन्ट हो तो हम उसको दिखवा लेंगे और उसकी व्यवस्था भी करवा लेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

अगर आपके यहाँ कोई विशेष व्यवस्था हो तो वह माननीय मंत्री जी को बता दीजिये।

**श्री संदीप सिंह-**

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूँ कि जो 10 प्रतिशत पैसा लिया जाता है वह प्रियॉरिटी सेक्टर में खर्च करते हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय मंत्री जी ने आगे भी तो कह दिया है कि अगर आपके यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था हो तो बता दीजिये।

**श्री संदीप सिंह-**

मान्यवर, इसी से जुड़ी हुई एक बात माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय मंत्री जी ने यही तो कहा है कि जो आपके क्षेत्र की समस्या हो उसको लिख करके दे दीजिये।

**श्री संदीप सिंह-**

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहा था कि जो लोग पहले के क्रेसर लगाये हुये है, वह नियम के विपरीत है क्या उस पर कोई कार्रवाई या उसकी जाँच करायेंगे। अगर जाँच करा लेंगे तो कब तक करा लेंगे। उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप उसको उच्चीकरण करेंगे तो कब तक कर लेंगे, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, मैंने आज ही सुबह एक अधिकारी को भेज कर दिखवाया था आपके क्षेत्र में कि क्या-क्या मामला है, कहां-कहां पट्टा इस प्रकार से दिया जाता है और ब्लास्टिंग की कहीं कोई शिकायत है, किसी की हानि हुई है, किसी को नुकसान पहुँचा है तो आज सुबह की बात है। वैसे मैंने कल शाम को ही कह दिया था, लेकिन आज ही सुबह दिखवाया है। हमारे सामने अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन आपने चूंकि बताया है इसको हम फिर से दिखवा लेंगे और निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई जरूर करेंगे अगर अवैध रूप से किया जा रहा है।

**उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबन्ध पर 25 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत बसें चलाने तथा उक्त निर्णय से होने वाले लाभों का विवरण विषयक**

***5-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 25 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत बसें अनुबन्ध पर चलाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त निर्णय से होने वाले लाभों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी हाँ।

समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध रूप से सम्पन्न किया जायेगा।

प्रदेशवासियों को उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम की स्वयं की एवं अनुबन्धित बसों के संचालन से ग्रामीण, दुर्गम एवं असेवित क्षेत्रों की यात्रा के लिये सुविधाजनक, सुरक्षित एवं बेहतर परिवहन सेवा सुलभ हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मान्यवर, मेरा विषय परिवहन मंत्री जी से है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रदेशवासियों को उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम की स्वयं की एवं अनुबन्धित बसों के संचालन से ग्रामीण, दुर्गम एवं असेवित क्षेत्रों के लोगों को फायदा हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो अनुबन्धित बसें चल रही हैं, उनके मालिकों का सीधा-सीधा

ताल्लुक डग्गामार्ग वाहन चालकों से है, जिसका सीधा-सीधा नुकसान परिवहन को लगातार हो रहा है। इस तरीके के जो हालात है कि आप तरह-तरह की व्यवस्थायें तो देते है लेकिन डग्गा मार्ग वाहन चालक और डग्गामार्ग मालिक अनुबन्धित बसों के मालिकों से मिल कर लगातार डग्गामारी का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भी सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत करने के बजाय उपेक्षित कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दुर्दशा है। यदि सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की चिंता होती तो सरकार उसके कायाकलप का निर्णय लेती। परिवहन निगम में निजी अनुबन्धित बसों की भागीदारी 75 प्रतिशत होने से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम निजी निगम में तब्दील हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूँछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रतिवर्ष कितना घाटा अथवा कितना फायदा हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में 75 प्रतिशत अनुबन्धित बसें चलाने का निर्णय, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के लगातार घाटे में रहने की वजह से लिया गया है। एक अनुबन्धित बस से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कितनी आय होती है ? इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अनुबन्धित बसों की संख्या कितनी है ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में इस समय कुल 11 हजार 118 बसें संचालित हैं, जिसमें 81 हजार 70 निगम की बसें हैं और 2948 अनुबन्धित बसें हैं। 26 प्रतिशत अनुबन्धित बसें हैं और 74 प्रतिशत रोडवेज की बसें हैं। माननीय सदस्य ने आय के बारे में पूछा था तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले प्रतिदिन 11 करोड़, 12 करोड़ की आमदनी होती थी जो आज 18 करोड़, 29 करोड़, 30 करोड़, 32 करोड़ तक की आमदनी हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार देने के लिए अनुबन्धित बसों की संख्या बढ़ाई है। प्रदेश के अन्दर 88 हजार गाँवों तक हमारी बसें पहुंचती हैं, केवल 12 हजार 200 गाँव ऐसे है, जो असेवित हैं जहाँ पर अभी तक परिवहन निगम की बसें नहीं पहुंचती हैं और हर गाँव तक बस पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है, प्रदेश का कोई भी गाँव नहीं बचेगा जहाँ हमारी बसें न चलती मिलें, आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा करके दिखायेंगे।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

जो अनुबन्धित बसों के मालिक हैं और जो डग्गामार चालक और डग्गामार बसों के मालिक है उनमें आपस की सांठ-गांठ है।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन से कहता हूँ कि डग्गामार शब्द को हटाया जाय। उत्तर प्रदेश में एक भी बस ये डग्गामार दिखा दें, एक बस भी डग्गामार नहीं है। डग्गामार किसको कहते हैं, आप एक बस दिखा दीजिये।

(विपक्ष के सदस्य श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री पंकज कुमार मलिक के साथ कई सदस्यों के अपने स्थान से एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान के मध्य)

मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात पहले सुनिये, हर बस ने नेशनल परमिट ली है, हर बस का इंश्योरेंश है, हर बस फिटनेस करके चलती है, वह केवल हमारी शर्तों का उल्लंघन करती हैं। जैसे माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी कुछ कहते हैं और हम लोग उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, वही चीजें हैं, कोई डग्गामार बस उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत बात है। यह बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के लायक नहीं है, मंत्री जी को अपने अल्फाज़ वापस लेने होंगे, डग्गामार बसों से आपका क्या ताल्लुक है ? मा0 अध्यक्ष जी, यह गलत बात है, मा0 मंत्री जी को ये अल्फाज़ वापस लेने चाहिए।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

एक छोटी सी बात कहनी है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि डग्गामार और धक्कामार बसें नहीं हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक कमेटी बना दीजिये और जाँच हो जाय कि डग्गामार बसें हैं या नहीं हैं।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय मंत्री जी ने जिस उत्साह से आशा बंधाई है कि सभी जगह बस अड्डा होगा, सभी गाँवों में वह बसें चलवा रहे हैं। उनके कहने में और आप लोगों के समझने में थोड़ा सा फर्क है। आप जो कह रहे हैं, जो व्यवस्था है निगम की बस और अनुबन्धित बस, अनुबन्धित बसों में माननीय मंत्री जी के जवाब में केवल इतना था कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी शर्त जो कारपोरेशन की तरफ से लगाई गई हो और वह पूरी न करते हों, यह हो सकता है उसको उन्होंने स्वीकार किया है और ऐसा उदाहरण दिया है, जो उदाहरण हम दे भी नहीं सकते हैं। मेरा यह कहना है कि मंशा और नीयत कितनी साफ है कि हर तरह से वह आप लोगों की मंशा को समझते हुए हर गाँव तक बस चलवाना चाहते हैं, पूरी सुविधा देना चाहते है और यह भी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन करके बसें चलें, उनकी मंशा को देखिये।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, मा0 मंत्री जी क्या डग्गामारी पर भी देखेंगे ?

**श्री अध्यक्ष-**

पाण्डेय जी अब हो गया, नया प्रश्न ले लीजिए और अगर अब पूरे प्रश्न नहीं आते तो मैं फिर जिम्मेवार नहीं हूं।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

इतनी आशा आपको बधायी है मंत्री जी ने, इस पर आप कम से कम भरोसा तो करें।

**श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में प्रचलित योजनाओं का विवरण, प्रदेश में कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तथा विगत 02 वर्षों में श्रम विभाग के माध्यम से रोजगार पाने वाले श्रमिकों/कामगारों का विवरण विषयक**

***6-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, डॉ0 संग्राम यादव, श्री स्वामी ओमड्वेश, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री सर्वेश सिंह तथा श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में कौन सी प्रमुख योजनाएँ प्रचलित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखते हुए बतायेगी कि प्रदेश में कुल शिक्षित बेरोजगारों (इण्टर, बी0ए0, एम0ए0, डिप्लोमा, बी0टेक0, एम0टेक0, पी0एच0डी0) की संख्या कितनी है तथा विगत 02 वर्षों में श्रम विभाग द्वारा कितने लोगों को नौकरी दिलाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री अनिल राजभर)-**

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

**आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर**-उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

**उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग**-शासनादेश संख्या-434/36-05-2020-8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

मिशन रोजगार-शासनादेश संख्या-1222/छत्तीस-5-2020, दिनांक 03-12-2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनाँक 05 दिसम्बर, 2020 से 'मिशन रोजगार' अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार

रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस-17,76,25,426 है।

**सेवामित्र**-कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जन-सामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएँ (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल sewamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति (दिनाँक 08 जून, 2023 तक)-

(क) कुशल कामगार 36,013

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या -754

(ग) सेवामित्र की संख्या-3,837

**रोजगार मेलों का आयोजन**-निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनाँक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक | 3,742 | 5,74,587 |
| 2 | दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2023 तक | 2,000 | 2,15,919 |

**कॅरियर काउन्सिलिंग**-प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं रोजगारपरक् प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है। आयोजित कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों एवं उनमें सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या | कॅरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनाँक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक | 12,073 | 13,29,402 |

| क्र0 सं0 | वर्ष | कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या | कॅरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2 | दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2023 तक | 3,977 | 3,28,870 |

**मॉडल कॅरियर सेन्टर-**

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मीरजापुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, सीतापुर, बिजनौर, बस्ती, गोण्डा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बरेली, हरदोई एवं बहराइच में मॉडल कॅरियर सेन्टर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन केन्द्रों द्वारा वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदेश के 15 अन्य जनपदों में मॉडल कॅरियर सेन्टर खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र-**

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर दिनाँक 14 जून, 2023 तक रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) की संख्या-3530423 है।

| क्र0-सं0 | शिक्षा समूह | कुल पंजीकृत जॉब सीकर्स की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | डॉक्ट्रेट | 1883 |
| 2 | एम फिल | 1070 |
| 3 | परास्नातक | 219971 |
| 4 | स्नातक | 725678 |
| 5 | एचएससी/इण्टरमीडिएट | 606477 |
| 6 | एचएससी/हाई स्कूल | 1442768 |
| 7 | कक्षा 9 एवं उससे नीचे | 86957 |
| 8 | डिप्लोमा | 160617 |
| 9 | आईटीआई | 94620 |
| 10 | अशिक्षित | 187194 |

| क्र0-सं0 | शिक्षा समूह | कुल पंजीकृत जॉब सीकर्स की संख्या |
|---|---|---|
| 11 | कम्प्यूटर दक्षता | 3188 |
| | **कुल** | **3530423** |

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। चयन होने के उपरान्त पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

विगत 02 वर्षों में आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनाँक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक | 822 | 117430 |
| 2 | दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2023 तक | 1891 | 207428 |
| | **योग** | **2713** | **324858** |

प्रश्न नहीं उठता।

**डॉ0 संग्राम यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने की इजाजत दी। मान्यवर, हमने श्रम मंत्री से जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश में कितनी योजनाएँ संचालित हैं और कितने लोगों को आपने नौकरी देने का काम किया है। तो मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर दिया, हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मंत्री जी रोजगार के बारे में बात कर रहे है। हम स्थायी नौकरी की बात करते हैं तो मंत्री जी बताते हैं कि इतने रोजगार मेले लगे, इतना आउटसोर्सिंग हुआ। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था और श्रम मंत्री जी आप भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। यह जो आउटसोर्सिंग है यह कैंसर से भी ज्यादा घातक बीमारी है और जब मैं विभिन्न समितियों की बैठक में शामिल होता हूँ या जब इन बेरोजगार चेहरों को देखता हूँ, अपनी बहन-बेटियों को देखता हूँ, तो मान्यवर, आउटसोर्सिंग को कोई कर्मचारी का दर्जा है ही नहीं, इनको माना ही नहीं जाता कि यह कर्मचारी हैं। इनको वेतन में और न इनको पेंशन में कर्मचारी समझा जाता है। मा0 मंत्री जी ने एक सामन्ती व्यवस्था लाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है और मैं यह शुरू से ही कहता था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों की पूरे तौर पर विरोधी है और यह अपने

आचरण से सिद्ध भी करती है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया था और हमारे अनुसूचित वर्ग को आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया था, आज हमारे बीच मा0 मुलायम सिंह जी नहीं हैं, बड़ी लड़ायी के बाद जो मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू हुयी थीं, अभी उसका उद्देश्य पूरा भी नहीं हो पाया है और उसको आपने इतना दीन-हीन कर दिया कि अगर समीक्षा करेंगे तो पायेंगे कि सबसे ज्यादा, हर विभाग आज आउटसोर्सिंग कर रहा है। बिजली विभाग की मीटिंग में था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। आपका नगर विकास, आपका सिंचाई विभाग और यहाँ तक कि आपके उत्तर प्रदेश के सचिवालय में भी आउटसोर्सिंग हो रही है और स्वास्थ्य विभाग में तो आउटसोर्सिंग बड़े पैमाने पर है। जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो हमारी नर्स बहनें हैं आज उनको 10 हजार 12 हजार की नौकरी दी जाती है और जो नया सामन्त आपकी कम्पनी का बैठा है, वह उसमें भी कटौती कर लेता है।

**श्री अध्यक्ष-**

संग्राम जी आप प्रश्न पूछ लीजिए।

**डॉ0 संग्राम यादव-**

मान्यवर, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, अगर हमारे मंत्री जी के रहते हुए, इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर डांका डालने का काम होगा, दलितों के हितों पर, आदिवासियों के हितों पर डांका डालने का काम होगा, तो आपका जो सपना है, ''सबका साथ, सबका विकास'' तो मान्यवर, ऐसे सबका विकास कहाँ हो पायेगा। आप इतने बड़े वर्ग को एक दम किनारे ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं और तीसरी लाइन हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा इन पर विश्वास नहीं है।

मान्यवर, इसीलिए मैं बार-बार जातिगत जनगणना की बात करता हूँ, लेकिन आप नाराज हो जाते हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि इसी प्रश्न में पाँच मा0 सदस्य का नाम और है। अगर एक-एक व्यक्ति 5-5 मिनट प्रश्न पूछने में लगायेगा, तो सम्भव नहीं है।

**डॉ0 संग्राम यादव-**

मान्यवर, मैं नौकरी की बात करता हूँ, ये रोजगार की बात करते हैं। हम और आप एम0एल0ए0 हो गये, मंत्री हो गये। जब पद से हटेंगे, तो पेंशन भी मिलेगी और कूपन भी मिलेगा और देश भर की सुविधाएं मिलेंगी। तो आप बता दें कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आप क्या देंगे ? क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आप राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, ये इतनी खराब नीति है कि न तो नौकरी हो पाती और घर-परिवार अलग उम्मीद लगाये रखता है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमारे आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर हमारी बेटयाँ और बहनें आयीं, जो स्टाफ नर्स के तौर पर आउटसोर्सिंग में काम कर रही थीं और मार्च-अप्रैल के महीने में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कई बेटियां यह कह कर रोने लगीं कि विधायक जी हमारी इसी आधार पर शादी तय हुई थी कि बेटी नौकरी करती है और कम्पनी ने बाहर कर दिया।

**श्री अध्यक्ष-**

अगर आपका अनुपूरक पूछने का मन हो, तो पूछ लीजिए। आपको बोलते हुए छः मिनट हो गया।

**डॉ0 संग्राम यादव-**

मा0 मंत्री जी, मैं रोजगार की बात नहीं किया हूँ। मैं स्थायी नौकरी की बात किया हूँ। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। आप आउटसोर्सिंग को खत्म करिए। आपका बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा है। आप संविदा पर करा दीजिए। आप आउटसोर्सिंग की व्यवस्था क्यों ला दिए ? मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 सब जगह आउटसोर्सिंग कर दिए हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

अगर आप प्रश्न नहीं करना चाहते, आपका कोई अनुपूरक प्रश्न न हो, तो मैं आगे चलूँ। आपको बोलते हुए छः मिनट हो गये, लेकिन आप अनुपूरक नहीं पूछ पाए। मुझे सबको समय देना है।

**डॉ0 संग्राम यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मैंने रोजगार की बात न करके स्थायी नौकरी की बात किया था और स्थायी नौकरी देने में आप कितने आगे बढ़े हैं ? आप तो आयोग की नियुक्ति-पत्र बांट दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी।

**डॉ0 संग्राम यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को सुनने के बाद मैं भी बोलूँगा।

**श्री अध्यक्ष-**

मैं एक प्रश्न में 20 मिनट किसी भी हालत में नहीं दे सकता। मा0 मंत्री जी, आप एक मिनट बैठिए। मा0 अंचल जी का प्रश्न आ जाए, तो दोनों लोगों का साथ में उत्तर दे दीजिएगा।

**श्री जय प्रकाश अंचल-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रश्न किया है कि .....

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न नहीं, आप अनुपूरक पूछ लीजिए।

**श्री जय प्रकाश अंचल-**

अध्यक्ष जी, श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने बेरोजगार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि वर्ष 2023 तक 35 लाख 20 हजार 423 शिक्षित बेरोजगार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया है, लेकिन दो वर्षों में ये मात्र 3 लाख 24 हजार 858 बच्चों को ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। क्या 3 लाख नौजवानों को रोजगार देने के बाद बाकी नौजवानों के लिए इनके पास कोई और योजना है कि नहीं है ? मा0 मंत्री जी ने जो अन्य चीजों पर अपना ध्यान दिया है, उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आज जितने विभाग हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो, बिजली विभाग हो, सहकारिता हो, परिवहन विभाग हो, शिक्षा जैसे तमाम महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जो किसी एजेंसी के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को सरकार ने रोजगार देने का काम किया है और कतिपय कारणों से उस एजेंसी को बदलने का काम अगर सरकार करती है, तो उन रोजगारपरक नौजवानों को भी बाहर करने का काम किया जाता है। क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि जिन नौजवानों को हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार देने का काम किए हैं, उनका जब तक कार्यकाल है, तब तक उन्हें नौकरी से बाहर नहीं किया जायेगा ?

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मा0 मंत्री जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि वर्ष 2017 से लेकर 14 जून, 2023 तक 35 लाख 30 हजार 423 नौजवानों ने पंजीकरण करा लिया है। तो बाकी जो बचे हुए शिक्षित बेरोजगार हैं जिन्होंने अपना रोजगार दफ्तर में पंजीकरण कराया है, क्या उनको भी रोजगार देंगे ?

(श्री स्वामी ओउ्मवेश के खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

कृपया बैठिये, मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए।

**श्री अनिल राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य संग्राम जी ने पिछड़ों की बड़ी चिंता की, मण्डल कमीशन से लेकर अब तक की तमाम चर्चायें कीं। आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बहुत ही सम्मानपूर्वक मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार .....

(समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य द्वारा टोकाटाकी करने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने बहुत विस्तार से इन लोगों को सुना है और प्रश्न करने का मौका भी दिया है। अब आप भी जवाब सुन लें।

**श्री अध्यक्ष-**

मंत्री जी आप बोलिये, उधर की बात मत सुनिये, जान बूझकर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िये। डॉ0 संग्राम यादव जी ने 07 मिनट तक प्रश्न किया है।

**श्री अनिल राजभर-**

युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है और हर हाथ को काम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा स्पष्ट इन्होंने सवाल किया, उसका बड़ा विस्तृत जवाब दिया, जिसको माननीय सदस्य ने स्वीकार किया। मान्यवर, आउटसोर्स की जहाँ तक बात है, तो पूरी दुनिया के सामने भारत की सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और उसका अनुसरण उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। 'जेम पोर्टल' के माध्यम से जो कम्पनियाँ वहाँ इम्पैनल्ड हैं हम उनको अवसर देते हैं, उनके माध्यम से आज बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान उत्तर प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मण्डल कमीशन की बात कही। मण्डल कमीशन जब आया तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी ? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अति पिछड़ों के साथ और उनके हक हुकूक पर सबसे ज्यादा डाका डालने का काम किया तो यह सवाल करने वाले लोगों ने किया है।

(कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

मान्यवर, ये चार बार सरकार में रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

शान्त रहिये, सुनिये।

**श्री अनिल राजभर-**

जो नौकरी की बार-बार चर्चा कर रहे हैं, उन नौकरियों को उठाकर देख लें, उसमें कहाँ राजभर, बिंद, बियार, प्रजापति, कुम्हार, विश्वकर्मा हैं ? आपने आरक्षण की बात की, आपने मण्डल कमीशन की बात की। (शोर)

**श्री अध्यक्ष-**

कृपया शान्त रहिये, मंत्री जी की बात सुनिये।

**श्री अनिल राजभर-**

जो स्थायी नौकरी दे रहे हैं उसकी बात पर आ रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा चार बार यह उत्तर प्रदेश में सरकार चलाये और सबसे ज्यादा अगर इन लोगों ने किसी को ठगने का

काम किया तो मोस्ट बैकवर्ड को ठगने का काम किया। राजभरों, बिन्द, बियार, लोनिया, चौहान, केवट, मल्लाह, पाल, गड़रिया और प्रजापति, कुम्हार को इन लोगों ने ठगने का काम किया।

(कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

**श्री अध्यक्ष-**

पूरा सात मिनट माननीय संग्राम जी ने प्रश्न पूछा उन्होंने फलॉ जाति, फलॉ जाति का उल्लेख किया तो फिर उत्तर सुनिये या फिर जाति न बोली होती। उन्होंने जाति बोली है तो उत्तर आने दीजिए।

**डॉ0 संग्राम यादव-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जाति नहीं बोली है।

**श्री अध्यक्ष-**

जब आपने शुरुआत वहीं से करी है कि फलाँ, फलाँ जाति। तो अब आप मंत्री जी का उत्तर भी सुनिये। अगर उसके बाद उत्तर दे रहे होंगे तो मैं मंत्री जी को रोक दूँगा।

(सदस्य श्री जय प्रकाश अंचल जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 सदस्य अंचल जी आपका प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइये।

**श्री अनिल राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज इन लोगों को पिछड़ों, बेरोजगारों की चिन्ता हो रही है। कल हमारे खेल मंत्री जी जवाब दे रहे थे, हम कैसे साबित करें, कैसे प्रमाणित करें कि हमारी सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। यह रोजगार मेला के विषय पर सवाल खड़ा करते हैं। 2012 में 2034 मेला इन लोगों ने लगाया और 8201 लोगों को रोजगार मेला के माध्यम से इन लोगों ने रोजगार दिया। 2013 में 594 मेला इन लोगों ने लगाया। 2014 में 660 मेला इन लोगों ने लगाया, 2015 में 667 मेला इन लोगों ने लगाया, 2016 में 630 मेला इन लोगों ने लगाया और 1 लाख 69 हजार 75 लोगों को रोजगार, रोजगार मेलों के माध्यम से इन लोगों ने दिया है। आज इन लोगों को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान आज चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और वह इस बात के लिए खड़ा है। मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ, मुझे अवसर मिलना चाहिए। 2017 से 2018 तक 635 मेला हम लोगों ने लगाया और 63152 बेरोजगारों को रोजगार दिया। 2018 से 2019 तक 685 मेला हम लोगों ने लगाया और 10,36,200 लोगों को रोजगार मेला के माध्यम से निजी क्षेत्र में सेवा दी है। 2020 से 2021 तक 869 रोजगार मेला हम लोगों ने लगाया और 1,47,499 लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया है। पिछले कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने 3742 रोजगार मेला अपने नौजवानों

की समस्याओं को दूर करने के लिए लगाने का काम किया था। इन लोगों ने 5 साल में 2785 मेला लगाये है और हमने 3742 मेला लगाये हैं। इन लोगों ने 1,06,975 बेरोजगार लोगों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया और हमारी सरकार ने 5,74,567 लोगों को रोजगार देने का काम किया है और इस बार के कार्यकाल में 2022-23, 2023-24 में 6056 रोजगार मेला हमने लगाया है और 8,69,160 बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हम लोगों ने किया है।

(मंत्री जी के उत्तर से असन्तुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन से वाकआउट कर गये।)

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी आपकी पूरी बात आ गयी है। आप बैठ जाइये। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

## प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बसों का संचालन कराने विषयक योजना का विवरण

***7-श्री अनिल प्रधान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण लोहिया बस की भांति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसों को संचालित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बसें संचालित की जा रही हैं, असेवित गाँवों को परिवहन सेवा से सन्तृप्त करने की दिशा में 89113 गाँवों को परिवहन सेवा से सेवित भी किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए बसों की संख्या में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण अनुबन्ध योजना लागू की गयी है।

लोहिया ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल में निगम द्वारा साधारण बसों के किराये में 25 प्रतिशत कम किराया लिये जाने की व्यवस्था पूर्व से निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**श्री अनिल प्रधान-**

मान्यवर, मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से पूँछना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातों का जिक्र सदन में हो रहा है, हम लोग भी पहली बार चुन कर आए हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

श्री अनिल प्रधान जी आप सीधा प्रश्न पूछिए।

**श्री अनिल प्रधान-**

मान्यवर, 25 तरह की जो बातें सरकार के मंत्रियों द्वारा समय-समय पर की जाती हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

श्री अनिल प्रधान जी आप सीधा प्रश्न पूछिए।

**श्री अनिल प्रधान-**

मान्यवर, चूँकि आप बहुत जल्दी ही नाराज हो जाते हैं। मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि रोज पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि लगातार जो रोडवेज बसें चल रही हैं। उन्हें ड्राइवर कम चलाता है और उसे धक्का मार कर ज्यादा चलाया जाता है। तो मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि उन रोडवेज बसों के रख-रखाव के लिए आपकी क्या योजना हैं ? मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि जो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का भारी भरकम बजट है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली और कर्नाटक की तरह उत्तर प्रदेश की मातृ शक्ति को भी परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा करने का ऐसा कोई प्लान है ? मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब समाजवादी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उन्होंने गाँव से भी लोहिया ग्रामीण बसों को जोड़ने का काम किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी बसें चल रही हैं जो दूरवर्ती गाँव में जाने का काम करती हैं ? एक आखिरी प्रश्न है कि जो परिवहन विभाग में कर्मचारी जो संविदा कर्मी है ड्राइवर और कंडक्टर जिनको हम परिचालक बोलते हैं क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार लाएगी कि उनको नियमित करने का काम करें ? आखिरी यह कि मा0 मंत्री जी का जवाब आया अभी मैं सदन में सुन रहा था कि आपने 2021-2022 का बताया, 2019-2020 का बताया, 2020-2021 का बताया, 2021-2022 का मृत्यु पर बताया कि सड़क दुर्घटना में कितनी मृत्यु हो रही है। तो मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस आधार पर सदन में यह अवगत कराया है कि कितनी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है ?

**श्री अध्यक्ष-**

श्री अनिल प्रधान जी आप बैठ जाइए।

**श्री अनिल प्रधान-**

मान्यवर, आप सदन और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप एफ0आई0आर0 से पता कर लीजिए कि कितनी मौतें सड़क दुर्घटना में हो रही हैं आपने किस आधार पर यह जवाब दिया कि कितनी मौतें हो रही हैं ?

**श्री अध्यक्ष-**

श्री अनिल प्रधान जी आप बैठ जाइए। एक मिनट प्रश्न पढ़ लीजिए और प्रश्न से सन्दर्भित जितने भी अनुपूरक हैं सबका उत्तर दे दीजिए। प्रश्न के बाहर जो है उसका कोई उत्तर मत दीजिएगा। श्री अनिल प्रधान जी आप बैठ जाइए मुझे मालूम है यह कहाँ लिखा हुआ है यह आपने पूछा है कि बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण लोहिया बस की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन सरकार करेगी यह आपने पूछा है। इसमें एक्सिडेंट के बारे में नहीं पूछा है। मा0 मंत्री जी जितना विषय है सिर्फ उतना ही उत्तर दीजिएगा। जो इर्रेलेवेंट प्रश्न है उसका उत्तर नहीं होगा जो उससे सम्बन्धित है आप दो-चार प्रश्न पूछेंगे सबका उत्तर दिया जाएगा। जो इससे सम्बन्धित हो मा0 मांत्री जी उसका उत्तर दीजिए। जो प्रश्न के बाहर आते हैं उसका उत्तर नहीं होगा।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण लोहिया बस की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बसों को संचालित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है। उसमें लोहिया ग्रामीण सेवा अभी भी चल रही है जिसमें 25 प्रतिशत किराया कम लिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और हमने ग्राम बस अनुबन्ध योजना 2022 लागू किया है जिसमें उसी गाँव के रहने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को रखा जाएगा कि गाँव में रात में बस वहीं पर रूकेगी और उसको किफायती दर पर मतलब उसको हम लोग मुहैया करायेंगे। क्योंकि वहाँ से रोजगार का भी सृजन होगा और गाँव से ले करके केवल जिला मुख्यालय तक वह बसें आयेंगी। उसकी दूरी सात किलोमीटर से ले करके नब्बे किलोमीटर से ज्यादा नहीं रहेगी। हर गाँव को जोड़ना हमारा लक्ष्य है उसके माध्यम से उसको हम करेंगे।

## प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को दिये जाने विषयक कानून बनाने की माँग

***8-श्री जियाऊर्रहमान तथा डा0 पल्लवी पटेल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने के सम्बन्ध में वर्तमान में सेवायोजन विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष-**

श्री जियाऊर्रहमान जी नहीं हैं। डॉ0 पल्लवी पटेल जी आप बोलिए।

**डॉ0 पल्लवी पटेल-**

मान्यवर, आपका आभार कि आपने मुझे अपने प्रश्न पर अनुपूरक पूछने की आज्ञा प्रदान की। जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और स्वाभाविक है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के साधन, संसाधन जो स्थापीय हैं और सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त जो उपलब्ध हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के नौजवानों को, यहां के युवाओं को, वरीयता के अनुसार मिलना चाहिए। किन्तु पिछले छह वर्षों में यह दुर्भाग्य है हमारा कि पिछले छह वर्षों में यहाँ पर जो भी स्थानीय साधन-संसाधन उपलब्ध है। उन पर [xxx] लगातार लूटमारी कर रहा है और हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा और नौजवान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है, अपने आपको लुटता देख रहा है और लगातार आपकी तरफ आशाभरी निगाहों से देख रहा है। स्थानीय नौजवानों के प्रति सरकार का यह जो रवैया है और सरकार स्थानीय नौजवानों की जो उपेक्षा कर रही है उसके कारण ही यहाँ का युवा नौजवान आज ठेला तथा खोमचा लगा करके पकौड़े तलने को मजबूर हो रहा है, सिगरेट और बीड़ी बेचने को मजबूर हो रहा है। इसी सन्दर्भ में मैंने अपना प्रश्न पूछा था कि क्या यह सरकार प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर विचार करेगी ? इसका जवाब मिलता है कि ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। यदि नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब आता है कि प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हुये मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि अगर इस बात का प्रश्न नहीं उठेगा तो किस बात का प्रश्न उठेगा ? आपने कहा कि विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष-**

उन्होंने अभी नहीं कहा है, क्योंकि अभी आपने पूछा नहीं है।

**डॉ0 पल्लवी पटेल-**

मा0 मंत्री जी, सरकार की जो चर्चा है उसमें पेट दर्द तो स्वाभाविक है, लेकिन सिरदर्द भी हो रहा है। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप और आपके साथ के अन्य सहयोगी जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं और दलित और पिछड़ों के हक की बात करते हैं, आज जब हकमारी हो रही है तो वह लोग अपनी आवाज बुलन्द क्यों नहीं करते हैं ?

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिये।

---

नोट :-[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

**डॉ0 पल्लवी पटेल-**

मा0 अध्यक्ष जी, हम अपने प्रश्न पर ही आ रहे हैं। मा0 मंत्री जी, मैं आपकी और आपके सभी साथियों की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन कम से कम नैतिकता के आधार पर तो आप और आपके सभी सहयोगी दल न्याय की बात करें, क्योंकि जिनके रोजगार की बात हो रही है वह आपके और हमारे घर के ही बच्चे हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 सदस्य, आप दलों पर कहाँ चली गयीं। आप अपना प्रश्न पूछिये।

**डॉ0 पल्लवी पटेल-**

मा0 अध्यक्ष जी, वह हमारे और आपके घर के ही नौजवान हैं जिनकी हकमारी हो रही है। इसलिये आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है कि निजी कम्पनियाँ जो सरकार से जमीन और बिजली जैसी अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर प्राप्त करती हैं, क्या सरकार उन संस्थानों में हरियाणा सरकार की तरह 70 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने का काम करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि 25 करोड़ की जनसंख्या वाले इस प्रदेश में हर साल 02 करोड़ युवाओं को समायोजित करने के लिये क्या यह सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी, जितना पूछा गया है, केवल उसका उत्तर दे दें।

**श्री अनिल राजभर-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने बहुत सीधा-सा प्रश्न किया है कि जो कम्पनियाँ हैं और जो निजी क्षेत्र है, उसमें हरियाणा सरकार जो हमारी ही सरकार है, वहाँ की सरकार ने जिस तरह से हरियाणा के नौजवानों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की है, क्या उस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी ? मान्यवर, उत्तर प्रदेश निश्चित तौर बहुत बड़ी सम्भावनाओं वाला प्रदेश है और आज हम वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था देश के कई प्रदेशों में है।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा अपने स्थानों पर खड़े होकर बीच में टोकाटाकी करने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 सदस्य, आप लोग मा0 मंत्री जी को बोलने दीजिये। मुझे लगेगा कि वह बाहर बोल रहे हैं तो मैं मा0 मंत्री जी से खुद निवेदन कर लूँगा।

**श्री अनिल राजभर-**

मा0 अध्यक्ष जी, देश के कई प्रदेशों ने इस तरह की व्यवस्था की, लेकिन वह व्यवस्था सफल नहीं हो पायी।

**डॉ0 पल्लवी पटेल-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के बारे में पूँछा है।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी का पूरा जवाब तो आ जाने दीजिये।

**श्री अनिल राजभर-**

मान्यवर, कई प्रदेशों ने इस तरह की व्यवस्था की, लेकिन उनको इस व्यवस्था को वापस लेना पड़ा। उत्तराखण्ड का उदाहरण हमारे सामने है और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो किया, उसके कारण आज कई कम्पनियों को वहाँ मैनपॉवर नहीं मिल रहा है और जिस कारण से आज कई कम्पनियों पलायन कर रही हैं। यह व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में इसलिये नहीं ला सकते कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज देश और दुनिया की जो कम्पनियाँ आ रही हैं।

मा0 योगी जी की सरकार ने जो प्रयास किया है उससे आज दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बना है। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ आ रही हैं उनको स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड कामगार चाहिए और कुशल कामगार चाहिए, इसलिए हम इस व्यवस्था को नहीं ला सकते हैं। दूसरे प्रदेशों में जो हमारे प्रवासी श्रमिक काम करने जाते हैं इनके साथ भी कोई सौतेला व्यवहार न हो, इसलिए भी यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम इस व्यवस्था को नहीं ला सकते हैं।

(डॉ0 पल्लवी पटेल के द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास किया गया)

**श्री अध्यक्ष-**

यह पॉसिबल नहीं है, जो मा0 मंत्री जी ने कहा है वह सही कहा है। अगर कानपुर से, लखनऊ से कोई नोएडा नौकरी करने जाएगा तो वह कहेंगे कि भागो यहाँ से यह सम्भव नहीं है। इसलिए मा0 मंत्री जी ने सही कहा है। पूरे देश भर में जहाँ पर इण्डस्ट्रीज होंगी वहाँ पर कहा जायेगा कि आपको नहीं लेना, तुम लोग बाहर चले जाओ, यह सम्भव नहीं है। आपकी बात पूरी आ गयी है, आप बैठ जाएँ।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, एक शब्द [xxx] आया है उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष-**

हाँ ठीक है, वह शब्द निकाल दिया जाएगा।

---

नोट :-[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

**प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु कार्य योजना बनाए जाने विषयक**

***9-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अपात्रों को राशन कार्ड जारी करने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो 20 मार्च, 2023 तक कितने अपात्र लोगों का राशन कार्ड निरस्त किया गया तथा कितने नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में पारदर्शिता हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, के अन्तर्गत अपात्रों को सूची से विलोपित किये जाने एवं पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है। जो एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट, विस्थापित, मृतक, समर्पण, प्रास्थिति परिवर्तन आदि अपात्रता के कारण एक अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक कुल 10,02,356 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं तथा उनके स्थान पर कुल 9,05,665 पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

जी नहीं।

पूर्व से ही अन्त्योदय हेतु पात्रता की शर्तों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। तद्नुसार ही आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गत किए जाते हैं।

**श्री पंकज कुमार मलिक-**

मा0 अध्यक्ष जी, राशन वितरण प्रणाली पर मेरा प्रश्न था और मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूँछना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी सरकार से और अपने नेताओं से उम्मीद लगाता है कि मुझे राशन मिलेगा, मेरी मदद होगी। क्योंकि यदि गरीब आदमी बहुत सम्पन्न होता तो उसे गरीब न कहते, इसलिए मैं पूँछना चाहता हूँ कि राजनीतिक द्वेष के कारण प्रधान द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जो पात्रता और अपात्रता तय की जाती है इस तरह के कारणों की जाँच कराने की कोई व्यवस्था क्या सरकार करेगी ? आदरणीय मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह प्रदेश की गरीब जनता से जुड़ा हुआ मामला है। हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं यदि कोई मुजफ्फरनगर का गरीब आदमी दूसरी जगह जाकर अपनी गुजर-बसर कर रहा है, तो उसको बड़ी दिक्कत आ रही है। जो उनका टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से राशन कार्ड के लिए या यूनिट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, लेकिन आसानी से कार्ड नहीं बनता है। जहाँ तक मेरी समझ और सोच है, जो जानकारी जनता

से हम लोगों को मिलती है उसके हिसाब से सुविधा शुल्क लोग लेते हैं, क्या इसकी भी जाँच करने का काम किया जाएगा ?

**गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-**

मा0 अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में 15 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को राशन दिया जा रहा है। जहाँ तक यह एक सतत् प्रक्रिया होती है। जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते उनके राशन कार्ड बन्द हो जाते हैं या कुछ लोग सम्पन्न हो जाते हैं तो सरेंडर कर देते हैं। केन्द्र सरकार के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 और शहरी क्षेत्र में 64.43 प्रतिशत के हिसाब से राशन कार्ड बनते हैं। आज पूरी तरह से जितने कार्ड बनने चाहिए उतने कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गये हैं। अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गयी है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके अलावा जो हमारे कोटेदार हैं, उनको हम जनसुविधा केन्द्र बना रहे हैं वहाँ जाकर भी पात्र लाभार्थी अपना राशन कार्ड बनवा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की राजनैतिक द्वेषता की बात नहीं आती है। आज सबको मालूम है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कोविड जैसे महामारी काल में 2 लाख 88 हजार लोगों को तुरन्त ही राशन कार्ड जारी करा दिए थे।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी, जो प्रश्न है उसमें यदि जो अपात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड निरस्त करने पर जवाब दे दीजिए।

**श्री पंकज कुमार मलिक-**

मान्यवर, एक अनुपूरक पूँछ लूँ। इतने आँकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है। हम गरीब की बात करते है। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और जितनी मेरी उम्र है, इससे ज्यादा इन्हें राजनीति करते, समाज सेवा करते, इनका समय बीता है। मान्यवर, मैंने सिर्फ गरीब की बात पूछी थी। आकड़ों की बात नहीं पूँछी। क्या इस तरह की कोई शिकायत आती है और अगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्या गरीब के हित में कार्यवाही करेंगे ? बस मैं इतना पूँछना चाहता हूँ।

**श्री लक्ष्मी नारायण-**

मान्यवर, मैंने यही कहा था कि जहाँ तक गरीब के हित की बात है। दो साल से लगातार गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यदि इस तरह की कोई शिकायत है तो आप बता दें, हम जाँच कराने के लिए तैयार हैं और कार्यवाही करने के लिए भी तैयार हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है, बहुत बढ़िया।

***10-डा0 संग्राम यादव-**

[तारा0प्र0सं0-06 पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

***11-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

[तारा0प्र0सं0-06 पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

**प्रदेश में रोडवेज बसों के सुगम संचालन हेतु बस स्टैंडों को अत्याधुनिक बनाये जाने विषयक**

***12-श्री अखिलेश-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोडवेज बसों के सुगम संचालन हेतु बस स्टैंडों को अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी हाँ।

प्रदेश के 16 जनपदों में परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 मॉडल पर अत्याधुनिक बनाये जाने की योजना है। उक्त योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 5 बस स्टेशनों को विकसित किये जाने हेतु चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इंटेंट (एल0ओ0आई0) निर्गत किये जा चुके हैं तथा शेष 18 बस स्टेशनों के विकास हेतु पुनः बिड आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नही उठता।

**श्री अखिलेश-**

माननीय परिवहन मंत्री जी से मैंने यह जानने का प्रयास किया था, यह सवाल किया था कि प्रदेश के अन्दर रोडवेज की बस यात्रियों के लिए कौन सी सुविधायें बनाई जा रही हैं और आपने कितने बस अड्डों को आधुनिकता प्रदान की है ? मान्यवर, सवाल इसलिए किया क्योंकि चुनाव से पहले सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र में कई मौकों पर माननीय परिवहन मंत्री जी के बयानों में और बजट सत्र में आपके द्वारा बताया गया कि बस यात्रियों की सुविधाओं के लिए 2000 नई बसें खरीदी जायेंगी। शहर से लेकर गाँव तक मेट्रो की तर्ज पर बस स्टेशनों को सृजित और विकसित किया जायेगा। हम जानना चाहते हैं कि इतने दिनों में कितनी नई बसें खरीद कर आपने किन बस अड्डों को और किन जनपदों को दिया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश के अन्दर कौन से ऐसे बस अड्डे हैं जिनको आपने मेट्रो की तर्ज पर विकसित करने का काम किया है ? मेरा तीसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि 2012-2017 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमारी विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में एक बस अड्डा बनाया गया। वह इसलिए बनाया गया था, क्योंकि हमारा विधान सभा क्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र

है। बनारसी साड़ियों के कारोबार के लिए हमारे कस्बे के बुनकर भाइयों को दूसरे शहरों तक जाना पड़ता है। दूसरे शहर के व्यापारियों को मुबारकपुर आना पड़ता है। जैसे गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, लखनऊ जाते हैं। हम आपसे पूँछना चाहते हैं कि हमारे मुबारकपुर बस अड्डे के लिए आप कुछ नई बसें देंगे और उसको विकसित करने के लिए कुछ बजट दे रहे हैं या नहीं ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपका मूल प्रश्न है कि किन बस अड्डों को आप आधुनिक बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 बस अड्डों का एम0ओ0यू0 साइन हो गया है। चूँकि वह हवाई अड्डे की तरह बनाया जा रहा है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी समय दे देंगे तो उसका शिलान्यास किया जायेगा। उसमें गाजियाबाद के कौशाम्बी, पुराना गाजियाबाद, आगरा के आगरा फोर्ट, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और लखनऊ के विभूति खण्ड। इनका एम0ओ0यू0 साइन हो गया है और 8 एम0ओ0यू0 साइन होने के लिए अभी प्रकियाधीन हैं। 18 बस अड्डों का अभी हम टेण्डर करने जा रहे हैं, आज-कल में ही फ्लोट होगा। गाजियाबाद का साहिबाबाद, आगरा का ट्रान्सपोर्ट नगर, आगरा का ईदगाह, मथुरा का मथुरा पुराना, कानपुर नगर का कानपुर सेन्ट्रल जिसको झकरकट्टी बोलते हैं, वाराणसी के कैण्ट, प्रयागराज के जीरो रोड, लखनऊ का अमौसी।

**श्री अध्यक्ष-**

आप इन माननीय सदस्य का बता दें, उसमें मुबारकपुर का है।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने यह पूछा है कि कितने जनपदों में कार्य किया है। जो इन्होंने पूँछा है हम उसका जवाब दे दें कि इन लोगों ने 2012 से 2017 के बीच ऐसी-ऐसी जगह बस अड्डे बना दिये जहाँ बस चलती नहीं है। वहाँ पर भी इन्होंने बस अड्डे बना दिये। लेकिन ये कह रहे हैं तो हम वहाँ पर भी बस चलायेंगे, क्योंकि हम लोग की रिश्तेदारी, नातेदारी वगैरह रहती है। इसलिए वहाँ भी बस चलवाया जायेगा।

**श्री अखिलेश-**

मा0 मंत्री जी, जहाँ पर वह बस अड्डा बनाया गया है। उस कस्बे की आबादी एक लाख है और आपने ओ0डी0ओ0पी0 में भी उस कस्बे को चयनित किया है। आप अगर इस तरह से कहेंगे कि आपने बस अड्डा वहाँ बनाया जहाँ कोई जाने-आने के लिए नहीं है।

**श्री अध्यक्ष-**

बाद में यह भी बोला है कि उसे चलवा देंगे।

**श्री अखिलेश-**

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मंत्री जी मेरी बात को सुन लें मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

मान्यवर, मैं शीघ्र ही संचालित करवा दूँगा और मा0 सदस्य को भी आमंत्रित करूँगा।

**प्रदेश में महिलाओं हेतु राजकीय परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने विषयक**

***13-डॉ0 रागिनी-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं को राजकीय परिवहन बसों में मुफ्त बस यात्रा की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**डॉ0 रागिनी-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। मेरा प्रश्न परिवहन मंत्री जी से है कि महिलाओं को राजकीय परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए क्या मुफ्त में बस सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अध्यक्ष जी, जब मैंने यह सवाल पूँछा और लगाया था तो तब मेरे मन में था कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियाँ हैं उनको आये दिन कालेज आने-जाने में असुविधा महसूस होती है और हमारे ग्रामीण अंचल की जो महिला किसान हैं हमारी प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षिकाएं हैं आशा बहनें है आँगनबाड़ी बहनें हैं और जो महिला सफाई कर्मी हैं और सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर काम करने वाली हमारी महिला बहनें हैं। हमारी महिला बी0एल0ओ0 उन सभी को सोचते हुए मैंने यह सवाल पूछा था और बड़ी निराशा हुई है अध्यक्ष जी, और साथ ही साथ आपके उत्तर से यह भी पता चला कि आपकी सरकार महिलाओं को लेकर बहुत ही असंवेदनशील है क्योंकि आपके उत्तर में यह आया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलायें हैं उन्हें मुफ्त में बस यात्रा के लिए सुविधा दें या ना दें वह विचाराधीन है। अध्यक्ष जी, सात साल हो चुके हैं और सात साल में यह सरकार 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त में बस सुविधा देने का विषय विचाराधीन है और कब तक विचार करेगी ? मा0 मंत्री जी, कृपया यह बता दीजिए कि कब तक आपका विचार पूरा हो जायेगा ? मैंने तो पूरी महिलाओं की बात की थी और आप

60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को भी मुफ्त में यात्रा नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री जी आपने और आपके विभाग ने इलेक्ट्रिकल बसों की बात की थी मैं यह भी जानना चाहूंगी कि उन इललेक्ट्रिकल बसों में कितनी पिंक बसें थीं जो चल रहीं आज पूरे उत्तर प्रदेश में और उन पिंक बसों में क्या महिलाओं को मुफ्त में ट्रैवल करने की कोई योजना बनाई गयी है या बनायी जायेगी या कब तक बनायी जायेगी ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के संकल्प में है और प्रक्रियाधीन है बहुत जल्दी ही मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी की अनुमति मिलने के बाद हम उसकी घोषणा करने वाले हैं।

**डॉ0 रागिनी-**

मान्यवर, सात वर्ष हो चुके हैं मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके इसको जल्दी करा दें साथ ही साथ लोक निर्माण मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं एक आश्वासन चाहूंगी, क्योंकि यह सवाल जनता के संरक्षण के लिए ही है। मैं मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती हूँ तो वहाँ के संरक्षण और परिवहन विभाग के मंत्री जी के संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि लोक निर्माण मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। मछलीशहर-जंघई मार्ग बीस किलोमीटर का मार्ग है और मंत्री जी वह इतना ध्वस्त और बुरी अवस्था में है कि वहाँ पर जो आपकी सरकारी बसें चल रही हैं, तो चल-चलकर उनकी स्थिति और बद से बदतर होती चली जा रही है। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सात साल से सरकार में विचाराधीन है, कृपया करके उनको मुफ्त यात्रा दिलाने का कष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष-**

सड़क की वजह से आपकी बसें टूट रही हैं कृपया करके सड़क को बनवा दें।

**श्री दयाशंकर सिंह-**

आप हमको लिख कर दे दें। जहां-जहाँ आपको बस चलवानी है।

**श्री अध्यक्ष-**

जहाँ-जहाँ आपको बस चलवानी है मंत्री जी कह रहे हैं लिख कर दे दें। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मछलीशहर में जहां-जहाँ बस चलवानी है आप लिखकर दे दीजियेगा वह चलवा देंगे।

**डॉ0 रागिनी-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से वहाँ पर बस डिपो के लिए भी आग्रह किया गया था। वहाँ पर बस डिपो भी बनवा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष-**

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।[†]

**प्रदेश में पात्र दिव्यांगजनों को बी0पी0एल0 श्रेणी में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में**

***14-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र दिव्यांगजनों को बी0पी0एल0 श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, लागू होने के उपरान्त बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड प्रचलन में नहीं हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में दो श्रेणी यथा अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड प्रचलन में हैं। शासनादेश संख्या-2493, दिनांक 19-08-2004 द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों के चयन हेतु लक्ष्यों का विस्तारीकरण करते हुए दिव्यांगजनों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी के चयन हेतु अधिसूचना दिनांक 29-12-2014 में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ऐसे परिवार, जिनके मुखिया दिव्यांग हैं, को इन्क्लूजन क्राइटेरिया के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, से आच्छादित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में पी0डी0एस0 डीलर (कोटेदारों) का कमीशन बढ़ाये जाने तथा कोटेदारों को मानदेय देने विषयक**

***15-श्री त्रिभुवन दत्त-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0डी0एस0 डीलर (कोटेदारों) का कमीशन बढ़ाये जाने तथा कोटेदारों को मानदेय देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-05-2022 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1587/29-6-2022-5-29-6099/2301/2022, दिनांक 08-07-2022 के द्वारा भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उचित दर दुकान के डीलरों की मर्जिन मनी दिनांक 01-04-2022 से रु0 70/-प्रति कुं0 के स्थान पर रु0 90/-प्रति कुं0 की दर से अनुमन्य करा दी गयी है।

---

नोट :-[†] आज की कार्य-सूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-13 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में उचित दर दुकान के डीलरों को मानदेय दिए जाने की कोई व्यवस्था प्राविधानित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

## कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए प्रदेश के श्रमिकों के लिए व्यवसाय हेतु योजना बनाने व उस से लाभान्वित लोगों का विवरण

***16-श्री कमाल अख्तर-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या क्या है ? क्या सरकार बताएगी कि कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने से लेकर दिनांक 28-03-2023 तक कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है ? क्या सरकार ने कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए श्रमिकों के लिए व्यवसाय की कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो इस योजना से वर्तमान तक लाभान्वित लोगों की संख्या सहित उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

राहत आयुक्त कार्यालय से सेवायोजन विभाग को प्राप्त डाटा के अनुसार कोविड-19 के कारण प्रदेश में अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी कामगारों व श्रमिकों की संख्या-37,84,255 है। सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर प्रदेश में दिनांक 01 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि में कुल पंजीकृत जॉब सीकर्स की संख्या 432679 है।

दिनांक 28 मार्च, 2023 तक विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार प्राप्त कुल 10,47,522 श्रमिकों का अंकन सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर किया गया है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष 2021-2022 में 822 रोजगार मेलों के माध्यम से 117430 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन किया गया।

वर्ष 2022-2023 में 1891 रोजगार मेलों के माध्यम से 207428 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन किया गया।

उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग-शासनादेश संख्या-434/36-5-2020-8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

मिशन रोजगार-शासनादेश संख्या-1222/छत्तीस-5-2020, दिनांक 03-12-2020 के द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से 'मिशन रोजगार' अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार

रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस-17,76,25,426 है सेवामित्र-कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति (दिनांक 08 जून, 2023 तक)-

(क) कुशल कामगार-36,013

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या-754

(ग) सेवामित्र की संख्या-3,837

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जारी पाँच करोड़ रुपये के सम्बन्ध में**

*17-**श्री महबूब अली-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत पाँच करोड़ रुपये विधान सभा क्षेत्रवार कब से तथा कितनी विधान सभा क्षेत्रों को विकास हेतु दिया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रों का चयन किस आधार पर किया जाता है ? क्या सरकार सभी विधान सभाओं में उक्त योजना को लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

योजनान्तर्गत पाँच करोड़ रुपये विधान सभा क्षेत्रवार दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग हेतु की गयी घोषणा एवं घोषणा के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा सन्दर्भित प्रस्तावों को त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत मात्र वित्त पोषित किया गया था।

त्वरित आर्थिक विकास योजना पूरे प्रदेश में लागू है। योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त में विधान सभा क्षेत्रों के चयन की पृथक से कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के अवकाश के लिए साप्ताहिक बन्दी का नियमित निरीक्षण कराकर श्रमिकों के शोषण को रोकने विषयक**

***18-श्री राम अवतार सिंह -**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के अवकाश के लिए साप्ताहिक बन्दी का प्राविधान है ? क्या सरकार को जानकारी है कि श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक अवकाश (बन्दी) एवं कार्य अवधि के लिए नियमित निरीक्षण नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण उक्त प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश एवं कार्य के घण्टे निश्चित न होने के कारण शोषण हो रहा है ? क्या सरकार उपरोक्त श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु नियमित निरीक्षण के आदेश जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 तथा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 लागू है तथा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-5 एवं 8 में कार्य अवधि एवं साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान है।

नवीन निरीक्षण प्रणाली सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 28-07-2017 एवं दिनांक 06-02-2019 के द्वारा दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठानों तथा कारखानों में नियमित निरीक्षण न करके श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति से निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त शासनादेशों में किसी भी दुकान एवं प्रतिष्ठान का वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण करने की अनुमति श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से देने की व्यवस्था है। दुर्घटना आदि होने की विशेष परिस्थिति में वर्ष में दोबारा निरीक्षण किया जा सकता है।

साप्ताहिक बन्दी को लागू कराने हेतु समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों की श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों में उनके क्षेत्र में स्थित विभिन्न व्यापार मण्डलों से वार्ता करके साप्ताहिक बन्दी लागू कराने के मौखिक निर्देश दिये जाते रहे हैं।

वर्तमान में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत रात्रि पाली में महिलाओं के कार्य करने हेतु कतिपय शर्तों/सुविधाओं के साथ छूट प्रदान की गयी है तथा अतिकाल के घण्टों में वृद्धि की गयी है तथा कतिपय शर्तों के साथ वर्ष 2006 से निर्धारित शुल्क का 1.5 गुना जमा करने पर साप्ताहिक बन्दी एवं समय पूर्व खोलने एवं समय के पश्चात् बन्दी से छूट प्रदान की गयी।

चूँकि श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से निरीक्षण की पूर्वानुमति के लिये दुकान और वाणिज्य अधिष्ठानों के नाम प्रस्तावित किया जाना आवश्यक होता है और साप्ताहिक बन्दी लागू कराने के लिये दुकान और वाणिज्य अधिष्ठानों के वर्ष में कई बार निरीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिये साप्ताहिक बन्दी को नियमित रूप से कराने हेतु श्रम आयुक्त कार्यालय स्तर पर दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के साप्ताहिक बन्दी कराये जाने के विषय पर निरीक्षण के सम्बन्ध में मन्तव्य स्थिर करने के लिये एक समिति का गठन दिनांक 27-02-2023 को किया गया है। समिति की अनुशंसा श्रम आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर को प्राप्त हो गयी है। उक्त अनुशंसा पर कार्यवाही श्रम आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***19-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

[02-सोमवार के तारांकित प्र0 सं0-08 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश में वर्ष 2021 व 2022 में निरस्त किये गये राशन कार्ड व उनका निराकरण कर पुनः राशन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

*20-**श्री पंकज पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021 व 2022 में कितने राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं व कितने नये बनाये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्ड को निरस्त करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार निरस्त किये गये राशन कार्ड के कारणों का निराकरण कर उक्त धारकों के कार्ड बहाल कर राशन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में वर्ष 2021 व 2022 में डुप्लीकेट, विस्थापित, मृतक, समर्पण व अपात्र इत्यादि कारणों से निरस्त किये गये तथा उसके सापेक्ष पात्र परिवारों को जारी किये गये नये राशन कार्डों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

| वर्ष | निरस्त राशन कार्डों की संख्या | नये जारी राशन कार्डों की संख्या |
|---|---|---|
| 2021 | 7,19,213 | 10,25,810 |
| 2022 | 8,76,686 | 8,34,403 |

विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर राशन कार्डों का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के दौरान राशन कार्डधारकों के विस्थापित होने, मृत्यु एवं स्वयं राशन कार्ड समर्पित करने तथा परिस्थिति परिवर्तन के कारण अपात्र कार्डधारकों के स्थान पर पात्र व्यक्तियों को ही नियमानुसार राशन कार्ड जारी किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्न

### प्रदेश में रोडवेज बस चालक के स्वीकृत पद तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने विषयक

**1-श्री स्वामी ओमउ्वेश-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोडवेज बस चालक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में चालक के 11400 पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल 7339 पद रिक्त हैं।

बस संचालन हेतु आवश्यक चालकों की कमी की पूर्ति संविदा के आधार पर आबद्ध कर की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

### प्रदेश में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लिखित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण एवं भुगतान की नीति के सम्बन्ध में

**2-श्री अभय सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना तथा मृत्यु, विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना के अन्तर्गत लिखित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण एवं भुगतान की कोई नीति है ? यदि हॉ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी हाँ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं हेतु लिखित आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते हैं, अपितु आनलाइन माध्यम से आवेदन किये जाते हैं।

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना-उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आवर्त है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त द्वारा आवेदनों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु 45 दिन की समय-सीमा नियत है।

कन्या विवाह सहायता योजना-उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आवर्त है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा आवेदनों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु 45 दिन की समय-सीमा नियत है।

मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना-उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 से आवर्त है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा आवेदनों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु 60 दिन की समय-सीमा नियत है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

## जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

**3-श्री मोहन वर्मा-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय, कुशीनगर द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (युवाओं व महिलाओं) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है। चयन होने के उपरान्त पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है जहाँ नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु पृथक से कोई योजना संचालित नहीं हैं।

रोजगार मेलों का आयोजन निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

जनपद कुशीनगर में आयोजित रोजगार मेलों व चयनित अभ्यर्थियों का प्रगति विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | 2022-23 | 29 | 2027 |

विधान सभा क्षेत्र हाटा में आयोजित रोजगार मेलों व चयनित अभ्यर्थियों का प्रगति विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | 2022-23 | 01 | 22 |

**कॅरियर काउन्सिलिंग**-प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक् एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

जनपद कुशीनगर में आयोजित कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों व प्रतिभागी अभ्यर्थियों का प्रगति विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0सं0 | वर्ष | कॅरियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या | कॅरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | 2022-23 | 42 | 2624 |

विधान सभा क्षेत्र हाटा में आयोजित कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों व प्रतिभागी अभ्यर्थियों का प्रगति विवरण निम्नवत् है:-

| क्र0सं0 | वर्ष | कॅरियर कॉउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या | कॅरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | 2022-23 | 01 | 64 |

उपरोक्तानुसार।

## जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में स्थाई रोडवेज डिपो बनाने की कार्य योजना का विवरण

**4-श्री अनिल कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में स्थाई रोडवेज डिपो बनाने की कोई कार्य योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

वर्तमान में पुरकाजी कस्बे में परिवहन निगम के स्वामित्व का बस स्टेशन कार्यरत है, जहाँ पर सभी यात्री सुविधायें उपलब्ध हैं तथा सभी निगम बसों का आवागमन यहाँ से होता है। ऐसी स्थिति में पुरकाजी कस्बे में स्थायी डिपो बनाये जाने के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में पुरकाजी कस्बे में क्षेत्रीय जनता की आवश्यकओं की पूर्ति के लिए परिवहन सुविधाओं से युक्त बस स्टेशन स्थापित है।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2021 से 2022 के माह दिसम्बर तक ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित रोजगार मेलों के सम्बन्ध में**

**5-श्री नफीस अहमद-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में वर्ष 2021 से 2022 के माह दिसम्बर तक किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया तथा कितने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिला है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों के आयोजन किये जाते हैं, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। उक्त मेलों में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2022 तक आयोजित 39 रोजगार मेलों के माध्यम से 4841 अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु चयनित कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य प्रक्रिया विवरण पत्र तैयार कराकर उसकी समयबद्ध समीक्षा कराये जाने विषयक**

**6-श्री अभय सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों की कार्य प्रक्रिया में विलम्ब की रोकथाम तथा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कार्यालय में

तैनात लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के प्रतिदिन कार्य का निर्धारित मानक हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ? क्या सरकार अवशेष कार्य का मासिक एवं त्रैमासिक विवरण पत्र तैयार कराकर समयबद्ध समीक्षा कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ--**

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के प्रतिदिन कार्य का मानक निर्धारित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में दैनिक उपयोग एवं आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने विषयक

**7-श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री अखिलेश, डॉ0 संग्राम यादव तथा डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैनिक उपयोग एवं आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि से बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। राज्य सरकार द्वारा 75 जनपदों में 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं यथा 1-चावल, 2-गेहूँ, 3-आटा, 4-चना दाल, 5-तूर/अरहर दाल, 6-उरद दाल, 7-मूंग दाल, 8-मसूर दाल, 9-चीनी, 10-दूध, 11-मूंगफली तेल, 12-सरसों का तेल, 13-वनस्पति, 14-सोया ऑयल, 15-सनफ्लावर ऑयल, 16-पॉम ऑयल, 17-गुड़, 18-चाय की पत्ती, 19-ऑयोडाइज नमक, 20-आलू, 21-प्याज एवं 22-टमाटर के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से की जाती है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। मूल्य में वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम व स्वाभाविक कारणों से होती है। कृत्रिम कारणों से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाती है। यदि बाजार भाव के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि मूल्यों में वृद्धि कृत्रिम कारणों से हुई है या जमाखोरी से हो रही है, तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट आदि अधिरोपित करती है। स्वाभाविक कारणों यथा एम0एस0पी0 में वृद्धि, माँग एवं आपूर्ति में अन्तर, मौसमी कारण जैसे बाढ़-सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल प्रभावित होने पर घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे माँग के अनुरूप आपूर्ति घट जाती है, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है।

आवश्यक वस्तुओं से संबंधित यदि कोई अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। भारत सरकार दवारा निर्गत आदेशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु अद्यतन भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0-2423 (अ), दिनांक 02-06-2023 के माध्यम से तूर व उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट लागू की गयी है, जो दिनांक 31-10-2023 तक प्रभावी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्टाकिस्ट, मिलर, इम्पोर्टर, डीलर द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर दाल स्टॉक की घोषणा साप्ताहिक रूप से करायी जा रही है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

अग्रेतर अधिसूचना संख्या-का0आ0-2566 (अ), दिनांक 12-06-2023 के माध्यम से गेहूँ पर स्टॉक लिमिट लागू की गयी है, जो दिनांक 31-03-2024 तक प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

## प्रदेश में खेत स्वामी की अनुमति के बिना मिट्टी उठाने वाली एजेंसी या ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई कराने का खेत स्वामी को अधिकार विषयक

**8-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेत स्वामी की अनुमति के बिना मिट्टी उठाने वाली एजेंसी या ठेकेदार के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई कराने का खेत स्वामी को अधिकार का प्राविधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

खेत स्वामी की अनुमति के बिना मिट्टी उठाने वाली एजेंसी या ठेकेदार के विरुद्ध खेत स्वामी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में वर्ष 2021 से 2023 तक गेहूँ तथा धान की लक्ष्य से कम खरीद की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई किये जाने की मांग

**9-श्री जियाऊर्रहमान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021 से 2022 तथा वर्ष 2022 से 2023 तक गेहूँ तथा धान की खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित एवं उसके सापेक्ष कितना गेहूँ तथा धान क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य से कम गेहूँ तथा धान की खरीद की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

| वर्ष | गेहूं | | | धान (मात्रा लाख मी0 टन में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्रय लक्ष्य | कुल खरीद | लक्ष्य के सापेक्ष खरीद का प्रतिशत | क्रय लक्ष्य | कुल खरीद | लक्ष्य के सापेक्ष खरीद का प्रतिशत |
| 2020-21 | 55.00 | 35.76 | 65.02 | 55.00 | 66.84 | 121.53 |
| 2021-22 | क्रय लक्ष्य निर्धारित नहीं था | 56.41 | - | 70.00 | 65.53 | 93.61 |
| 2022-23 | 60.00 | 3.36 | 5.59 | 70.00 | 65.50 | 93.57 |
| 2023-24 | 60.00 | 2.19 (दिनांक 07-06-23 तक, गेहूँ क्रय सत्र प्रगतिशील) | 3.65 | - | - | - |

वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 (क्रय सत्र प्रगतिशील) में गेहूँ की तथा वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में धान की खरीद लक्ष्य से कम हुई है, परन्तु वर्ष 2020-21 में धान की खरीद, क्रय लक्ष्य से अधिक हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में निर्धारित क्रय लक्ष्य, कार्यकारी लक्ष्य होता है, जिसका उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप क्रय हेतु वितीय एवं अन्य व्यवस्थायें यथा-बोरा आदि सुनिश्चित कराने के लिए होता है। योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) का लाभ दिलाना होता है। यदि किसानों को खुले बाजार में एम0एस0पी0 से अधिक मूल्य प्राप्त होता है जैसा रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूँ क्रय में हुआ है, तो योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, यद्यपि क्रय लक्ष्य से कम खरीद होती है।

## जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय हाटा में बस स्टेशन (डिपो) बनाने की योजना विषयक

**10-श्री मोहन वर्मा-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय हाटा में बस स्टेशन (डिपो) हेतु परिवहन विभाग की जमीन है ? यदि हाँ,

तो क्या सरकार हाटा तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन (डिपो) बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी हाँ।

जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र संख्या-56/भू0सु0 सहा0/पु0ग्रा0आ0/2022-23, दिनांक 13 मार्च, 2023 द्वारा मिनी बस स्टेशन हाटा के निर्माण हेतु 0.101 हेक्टेयर (1010 वर्गमीटर) भूमि परिवहन विभाग, उ0प्र0 हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहीत की गयी है।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासकीय अंशपूंजी के अन्तर्गत लागत रु0 118.41 लाख से बस स्टेशन हाटा, जनपद कुशीनगर के नव निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु कार्य योजना के विवरण की मांग**

**11-श्री अनिल प्रधान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिजों का परिवहन करने वाले मुख्य मार्गों पर आर्टीफिशियल इन्टेलिजेन्स युक्त चेक गेट्स की स्थापना की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्राम्य बस अनुबन्ध योजना-2022 के परिप्रेक्ष्य में जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ग्रामीणों को परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा चालक द्वारा म्यूजिक चलाना, कंडक्टर व चालक द्वारा अभद्र व्यवहार व गाड़ियों में गन्दगी की समस्याओं को दूर कराने विषयक**

**12-श्री नाहिद हसन-**

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य बस अनुबन्ध योजना-2022 के परिप्रेक्ष्य में जनपद शामली तथा विधान सभा क्षेत्र कैराना के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हाँ, तो शामली-पानीपत वाया कैराना मार्ग पर निगम की संचालित 48 बसों के 116 सिंगल ट्रिप्स का

01 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक का ट्रिप्सवार रेवेन्यू क्या है ? क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय सहारनपुर के कार्य क्षेत्राधिकार में संचालित बसों में विकलांग, महिला, वृद्धजनों के लिए आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्गों को सीट न मिलना, बस में तेज आवाज में चालक द्वारा म्यूजिक चलाना, कंडक्टर व चालक द्वारा अभद्र व्यवहार तथा गाड़ियों में गन्दगी की समस्याओं को दूर करने हेतु कोई उपाय किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

ग्राम्य बस अनुबन्ध योजना-2022 के परिप्रेक्ष्य में जनपद शामली तथा कैराना के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्गों का चयन किया गया है। उक्त के क्रियान्वयन के फलस्वरूप कैराना-शामली-मुजफ्फरनगर-बिजनौर मार्ग पर 01 बस तथा विडौली-शामली-मुजफ्फरनगर-बिजनौर मार्ग पर 01 बस को अनुबन्ध में लाकर संचालित करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त कैराना-शामली-मुजफ्फरनगर-बिजनौर मार्ग पर 04 बसों को, कैराना-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार पर 01 बस हेतु तथा कैराना-मुजफ्फरनगर-बिजनौर मार्ग पर 04 बसों हेतु एल0ओ0आई0 जारी की जा चुकी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुजफ्फरनगर-कैराना-पानीपत मार्ग पर दो अनुबन्धित बस की एल0ओ0आई0 जारी की जा चुकी है।

शामली-पानीपत वाया कैराना मार्ग पर वर्तमान में कुल 48 बसों व 116 सिंगल ट्रिप का संचालन है जिनमें 08 बसों व 16 सिंगल ट्रिप उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा व 40 बसों व 100 सिंगल ट्रिप का संचालन हरियाणा रोडवेज द्वारा किया जाता है। अतः उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा संचालित 08 बसों व 16 सिंगल ट्रिप्स का 01-03-2023 से 31-03-2023 तक ट्रिपवाइज रिवेन्यू का ब्योरा निम्नवत् अंकित है :-

| क्र0सं0 | बस नं0 | ट्रिपों की संख्या | | आय (धनराशि रुपये में) | | लोडफैक्टर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अप | डाउन | अप | डाउन | अप | डाउन |
| 1 | UP77AN 2049 | 31 | 31 | 118694 | 108630 | 65 | 60 |
| 2 | UP11AT 2824 | 31 | 31 | 122710 | 111424 | 67 | 61 |
| 3 | UP78HT 3811 | 31 | 31 | 107203 | 123390 | 59 | 68 |
| 4 | UP78HT 3821 | 31 | 31 | 108680 | 124210 | 60 | 68 |
| 5 | UP11T 8138 | 28 | 28 | 107436 | 109381 | 65 | 66 |
| 6 | UP11T 8178 | 27 | 27 | 102981 | 107291 | 64 | 68 |
| 7 | UP11AT 2824 | 30 | 30 | 105742 | 109624 | 60 | 62 |
| 8 | UP11AT 2824 | 29 | 29 | 99962 | 103827 | 59 | 61 |

क्षेत्रीय प्रबन्धक सहारनपुर के क्षेत्राधिकार में संचालित बसों में नियमानुसार विकलांगजन, महिला, वृद्धजनों के लिए सीटों का आरक्षण है तथा सीटों के पीछे विकलांगजन, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट अंकित है तथा सम्बन्धित यात्रियों के आने पर परिचालक उन्हें सीट उपलब्ध कराते हैं। बसों में चालकों द्वारा लगाये गये म्यूजिक सिस्टम को हटवा दिया गया है। चालकों/परिचालकों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने हेतु हर डिपो में काउन्सिलिग कर बताया जाता है। यात्रियों से यदि कोई परिवाद इस सम्बन्ध में प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित चालक/परिचालक से कड़ी पूछ तांछ होती है और दोषी पाये जाने पर दण्डित भी किया जाता है। सभी बसों की मार्ग पर जाने से पहले कार्यशाला में धुलाई-सफाई अनिवार्य रूप से की जाती है। मार्ग पर बस संचालन के दौरान बस में गन्दगी पाये जाने पर मार्ग के मध्य पड़ने वाले स्टेशनों पर जहाँ लघु सफाई की व्यवस्था रहती है, बसों की लघु-सफाई भी नियमित रूप से करायी जाती है। इस व्यवस्था से बसें साफ-सुथरी रहती है।

**जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के भटनी में बस स्टेशन की स्थापना की मांग**

**13-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के भटनी में बस स्टेशन की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार

भटनी में उ0प्र0 परिवहन निगम के पास भूमि उपलब्ध नहीं है।

**प्रदेश में नीलामी की शर्तें पार कर चुकीं खराब बसों को हटाकर नई बसें संचालित कराने के सम्बन्ध में**

**14-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नीलामी की शर्तें पार कर चुकी खराब बसों के संचालन से दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खराब हो गई बसों को हटाकर नई बसें लाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

माह सितम्बर, 2022 से माह मई, 2023 तक कुल 1784 पुरानी नीलामी की शर्तें पूर्ण करने वाली बसों को फ्लीट से पृथक किया जा चुका है।

925 नई बी0एस0-6 बसों की बॉडी निर्माण की कार्यवाही गतिशील की गई, जिसमें से 725 बसें क्षेत्रों को दी जा चुकी हैं।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के देवरांचल की जनता हेतु हैदराबाद से आजमगढ़ तक बस का संचालन कराने की मांग**

**15-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के देवरांचल की जनता को जिला मुख्यालय तक जाने के लिए हैदराबाद-रौनापार होते हुए आजमगढ़ तक बसों का संचालन नहीं होने से क्षेत्रवासियों को लम्बी दूरी तय करके जिला मुख्यालय जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार देवरांचल के लिए हैदराबाद से आजमगढ़ तक बस का संचालन शुरू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के देवरांचल की जनता को जिला मुख्यालय तक जाने के लिए रौनापार से आजमगढ़ होते हुए वाराणसी तक अनुबन्धित बस संचालन है। हैदराबाद से रौनापार 09 किमी0 मार्ग सिंगल एवं सँकरा होने के कारण बस संचालन सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद फिरोजाबाद में लम्बित 17 हजार गरीब परिवारों का राशन कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में**

**16-श्री सचिन यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में लम्बित 17 हजार गरीब परिवारों के राशन कार्ड बनाने के कार्य को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्रांक-226/जि0पू0अ0-विधान सभा प्रश्न/2023, दिनांक 09-06-2023 के अनुसार जनपद-फिरोजाबाद में नए राशन कार्ड बनाने हेतु नगर क्षेत्र में 3,861 व ग्रामीण क्षेत्र में 4,770 इस प्रकार जनपद में कुल 8,631 आवेदन लम्बित हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय क्षेत्र में 64.43 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र

में 79.56 प्रतिशत आच्छादन की सीमा निर्धारित की गयी है। उक्त निर्धारित सीमा तक जनपद में राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत आच्छादित कार्यों हेतु केन्द्रांश और राज्यांश के प्रतिशत का विवरण**

**17-श्री जगदीश नारायण-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य आच्छादित हैं तथा उक्त कार्यों में केन्द्रांश और राज्यांश के कितने प्रतिशत अंश सम्मिलित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मानक के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्रिया में खाद्यान्न का उठान एवं वितरण के कार्य सम्मिलित हैं। खाद्यान्न के परिवहन एवं हैंडलिंग तथा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश मदों में व्यय पर केन्द्र व राज्य सरकार की समान सहभागिता निहित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में ई-रिक्शा के पंजीकरण हेतु औपचारिकता तथा लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक पत्रों की व्यवस्था से सम्बन्धित गजट/शासनादेश के विवरण के सम्बन्ध में**

**18-श्री नाहिद हसन-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ई-रिक्शा के पंजीकरण हेतु औपचारिकता तथा लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक पत्रों की व्यवस्था का वर्णन किस गजट अथवा शासनादेश के अन्तर्गत किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

प्रदेश में ई-रिक्शा के पंजीकरण हेतु औपचारिकता तथा लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक पत्रों की व्यवस्था का वर्णन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा0का0नि0 709 (अ), दिनांक 08-10-2014 में किया गया है।

भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 08-10-2014 की प्रति संलग्न† है।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में खाद एवं रसद विभाग द्वारा पात्रता श्रेणियां यथा अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी योजना आदि के राशन कार्ड हेतु पात्रता, मापदण्ड व लम्बित आवेदन पत्रों पर राशन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में**

**19-श्री नाहिद हसन-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद एवं रसद विभाग द्वारा कितने श्रेणियों यथा अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी योजना आदि के राशन कार्ड वर्तमान में जारी किये जा रहे हैं एवं उनकी पात्रता, मापदण्ड क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के अन्तर्गत श्रेणीवार उन्हें कितना खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं प्रदान की जाती हैं ? क्य सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद शामली तथा सहारनपुर में विधान सभावार उक्त योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र वर्तमान में लम्बित है ? क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदन-पत्रों पर राशन कार्ड जारी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वर्तमान में प्रदेश में अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी श्रेणियों के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी किये जाते हैं।

शासनादेश सं0-भा0स0-2/29-ख-6-2001-3सा/2001, दिनांक 31-01-2001 में अन्त्योदय राशन कार्ड हेतु निम्न मापदण्ड/आधार निर्धारित हैं-

**ग्रामीण क्षेत्र-**

(क) अपनी जमीन न हो,

(ख) पक्का मकान न हो,

(ग) भैंस/बैल ट्रैक्टर ट्राली आदि न हो,

(घ) कोई निश्चित व्यवसाय न हो,

(ङ) मुर्गी पालन/गौ पालन आदि न हो,

(च) शासन द्वारा कोई वित्तीय सहायता का व्यवसाय न हो और सहायता न प्राप्त हो रही हो।

(छ) विद्युत कनेक्शन न हो।

**शहरी क्षेत्र-**

(क) जिनके पास शहर में अपना पक्का मकान न हो,

---

नोट† देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-345-348 पर।

(घा) फ्रिज, टेलीवीजन, स्कूटर, मोटर साइकिल, कूलर आदि न हो,

(ग) बिजली कनेक्शन/टेलीफोन न हो,

(घ) कुशल बढ़ई, कारीगर, राज मिस्त्री, स्कूटर मकैनिक इत्यादि न हो,

(ङ) कोई निश्चित रोजगार न हो।

शासनादेश सं0-1666/29-ख-6-2001-3सा/2001, दिनांक 24-07-2001 द्वारा नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों को निम्नलिखित सीमा तक शिथिल किया गया है :-

**ग्रामीण क्षेत्रों के लिये**-भैंस, बैल, मुर्गी पालन, गौ-पालन एवं विद्युत कनेक्शन वाले परिवारों को पात्रता की परिधि में माना जायेगा। इन्दिरा आवास योजना, निर्बल आवास योजना अथवा अन्य किसी शासकीय योजना के अन्तर्गत पक्का मकान होने की स्थिति में भी उसे भी पात्रता की परिधि में माना जाये।

**नगरीय क्षेत्रों-में** विद्युत कनेक्शन तथा शासकीय सहायता के अन्तर्गत निर्बल वर्ग रैन बसेरा के अन्तर्गत पक्का मकान होने की परिस्थिति में भी उसे पात्रता की परिधि में माना जाये।

**पात्रगृहस्थी राशनकार्डधारकों हेतु** शासनादेश सं0-2364/29-6-2014-104सा /09टी0सी0-10, दिनांक 07-10-2014 में निर्धारित पात्रता तथा अपात्रता की शर्तों में निर्धारित इन्क्लूजन एवं एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया निम्नवत् है :-

| **चयन सूची से निष्कासन का आधार एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया)** | |
|---|---|
| **शहरी क्षेत्र** | **ग्रामीण क्षेत्र** |
| 1-समस्त आयकर दाता। | 1-समस्त आयकर दाता। |
| 2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिश्नर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो। | 2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिश्नर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो। |
| 3-ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व-अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्व-निर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीस फ्लैट हो। | 3-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी। |

| | |
|---|---|
| 4-ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। | 4-ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रु0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। |
| 5-ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रु0-3,00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। | 5-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र हों। |
| 6-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र हो। | |

| **चयन सूची में इन्क्लूजन क्राइटेरिया (पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित इन्क्लूजन क्राइटेरिया)** | |
|---|---|
| **शहरी क्षेत्र** | **ग्रामीण क्षेत्र** |
| 1-निम्नलिखित व्यक्ति या उनके परिवार :-<br>क-कुष्ठ रोग से प्रभावति/एड्स से पीड़ित,<br>ख-अनाथ/माता-पिता विहीन बच्चे,<br>ग-परित्यक्त महिलाएं,<br>घ-कचरा ढोने वाले स्वच्छकार | 1. निम्नलिखित व्यक्ति या उनके परिवार :-<br>क-भिक्षावृत्ति करने वाले,<br>ख-घरेलू कामकाज करने वाले,<br>ग- जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले,<br>घ-फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि,<br>ङ-कुष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से पीड़ित,<br>च छ-अनाथ/माता-पिता विहीन बच्चे,<br>छ-स्वच्छकार,<br>ज झ-दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार आदि, |
| 2-ऐसे परिवार जिनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत निम्न में से कोई एक है-<br>क-भिक्षावृत्ति,<br>ख-घरेलू कामकाज,<br>ग-जूते-चप्पल की मरम्मत,<br>घ-फेरी लगाने वाले-खोमचे वाले, रिक्शा चालक इत्यादि। | 2-भूमिहीन मजदूरों के परिवार। |

| | |
|---|---|
| 3-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं तत्पश्चात् अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार, जिनके मुखिया दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार इत्यादि हो, | 3-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण-पत्र के आधार पर) |
| 4-गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण-पत्र के आधार पर) | 4-परित्यक्त महिलाएं। |
| 5-ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला या विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है। | 5-ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला या विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है। |
| 6-आवासहीन परिवार। | 6-आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हों, जो उनकी निजी भूमि पर हों तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हों, सम्मिलित माने जायेंगे। |
| 7-ऐसे परिवार, जो ऐसे आवासों में रहते हैं, जिनकी छत पक्की न हो। | 7-ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात् किन्नर), यदि वे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में न आते हों। |
| 8-ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात् किन्नर), यदि वे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में न आते हों। | 8-उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में) |
| 9-उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में) | |

प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति माह प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।

जनपद शामली के विधान सभावार लम्बित प्रार्थना-पत्रों का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | विधान सभा क्षेत्र का नाम | लम्बित आवेदन-पत्र | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पात्र गृहस्थी | अन्त्योदय | योग |
| 1 | शामली | 3,774 | 11 | 3,785 |
| 2 | थानाभवन | 2,784 | 05 | 2,789 |
| 3 | कैराना | 3,594 | 03 | 3,597 |
| | योगः | 10,152 | 19 | 10,171 |

जनपद-सहारनपुर के विधान सभावार लम्बित प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | विधान सभा क्षेत्र का नाम | लम्बित आवेदन-पत्र | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पात्र गृहस्थी | अन्त्योदय | योग |
| 1 | देवबंद | 4,438 | 12 | 4,450 |
| 2 | रामपुर मनिहारान | 1,463 | 15 | 1,478 |
| 3 | गंगोह | 3,692 | 25 | 3,717 |
| 4 | नकुड़ | 5,690 | 0 | 5,690 |
| 5 | सहारनपुर देहात | 4,345 | 0 | 4,345 |
| 6 | बेहट | 3,868 | 0 | 3,868 |
| 7 | नगर निगम सहारनपुर | 4,853 | 0 | 4,853 |
| | योगः | 28,349 | 52 | 28,401 |

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वर्ष 2011 के जनसंख्या के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्ड यूनिटों को शामिल किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में अनुबन्धित बसों का संचालन अन्य राज्य में शुरू कराने विषयक**

**20-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुबन्धित बसों को अन्य राज्य में संचालन शुरू कराने की सरकार की योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी हां।

निम्न योजनाओं में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अनुबन्धित बसों के संचालन का प्रावधान है :-

कुर्सी व शयनयान बस अनुबन्धन योजना-2022,

मिड सिगमेण्ट बस अनुबन्धन योजना-2022,

वातानुकूलित शयनयान बस अनुबन्धन योजना-2022,

हाई एण्ड वातानुकूलित बस अनुबन्धन योजना-2022,

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली की नगर पालिका परिषद् कांधला से बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर रूट पर बसों के संचालन विषयक जानकारी**

**21-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली की नगर पालिका परिषद् कांधला से बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर रूट पर बसों के संचालन की समय-सारणी क्या है तथा वर्तमान में कितनी बसों का संचालन हो रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त जनपद में यात्रियों की संख्या के सापेक्ष बसों का संचालन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

कांधला से बुढ़ाना मार्ग पर वर्तमान में परिवहन निगम की 12 बसों का संचालन हो रहा है, जो अप और डाउन में 30, प्रस्थान समय के आधार पर संचालित होती हैं। बुढ़ाना-कांधला के मध्य संचालित ट्रिपों के दोनों ओर के प्रस्थान समय की तालिका संलग्न† है।

वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार परिवहन निगम की बसों के ट्रिप्स संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरठ वाया शामली से करनाल व करनाल वाया शामली से मेरठ रूट पर बसों के संचालन का विवरण**

**22-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दो राज्यों को जोड़ने वाला मुख्य मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरठ वाया शामली से करनाल व करनाल वाया शामली से मेरठ रूट पर बसों के संचालन की समय-सारणी क्या है ? क्या सरकार यह भी बताएगी की

---

† देखिए नत्थी (ख') आगे पृष्ठ संख्या-349 पर।

उक्त रूट पर रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कितनी बसों का संचालन वर्तमान में हो रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

मेरठ-करनाल मार्ग पर संचालित सेवाओं की समय-सारिणी-

| 1 | 2 | 3 | 4 | गन्तव्य | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 8:00 | 8:45 | 15:45 | प्रस्थान | मेरठ |
| 9:00 | 10:00 | 10:45 | 17:45 | आगमन | शामली |
| 9:15 | 10:15 | 11:00 | 18:00 | प्रस्थान | |
| 11:15 | 12:15 | 12:30 | 19:30 | आगमन | करनाल |

करनाल-मेरठ मार्ग पर संचालित सेवाओं की समय-सारिणी-

| गन्तव्य | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| करनाल | प्रस्थान | 11:30 | 12:30 | 15:00 | 7:00 |
| शामली | आगमन | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 |
| | प्रस्थान | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 08:45 |
| मेरठ | आगमन | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 10:45 |

उक्त रूट पर रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी बस का संचालन वर्तमान में नहीं हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उक्त रूट पर लोड फैक्टर डिपो के लोड फैक्टर से कम है। इस कारण निगम हित में अतिरिक्त बसों को संचालित नहीं किया जाता है।

**जनपद शामली की नगर पालिका परिषद् कांधला में स्थाई बस डिपो बनाये जाने की मांग सम्बन्धी**

**23-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ऐसी नगर पालिका परिषद् जिनसे राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य मार्ग होकर गुजरता है, में स्थाई बस डिपो बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद शामली की नगर पालिका परिषद् कांधला में स्थाई बस डिपो बनाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्यमार्ग पर पड़ने वाली नगर पालिका परिषद् में स्थायी बस डिपो बनाये जाने हेतु वर्तमान में परिवहन निगम की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**01अप्रैल 2017 से 23 मार्च, 2023 तक प्रदेश सरकार द्वारा स्थाई सरकारी नौकरी एवं आउटसोर्सिंग तथा अन्य माध्यमों से सृजित रोजगार के आंकड़ों का विवरण**

**24-डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल 2017 से 23 मार्च, 2023 तक प्रदेश सरकार ने कितने रोजगार सृजित किए ? क्या सरकार स्थाई सरकारी नौकरी प्राप्त एवं आउटसोर्सिंग एवं अन्य माध्यमों से सृजित रोजगार के आंकड़ों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2023 तक | 5633 | 782015 |

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के नगर पंचायत रिछा में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने की मांग विषयक**

**25-श्री अताउर रहमान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के नगर पंचायत रिछा में रोडवेज बस स्टैण्ड न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत हल्द्वानी-बरेली मार्ग पर रिछा रोड नामक स्थान पर फेयर स्टॉपेज है। जहाँ से पूरब दिशा में 04 किमी0 दूर रिछा कस्बा स्थित है। रिछा कस्बे से रिछा रोड स्टापेज तक आने व जाने के लिये प्राइवेट आटो/जीप/ई-रिक्शा संचालित हैं। पीलीभीत से रिछा कस्बा होते हुये रिछा रोड नामक स्थान से बरेली-हल्द्वानी मार्ग से बहेड़ी, किच्छा के रास्ते रामपुर होते हुये दिल्ली के लिए एक सेवा संचालित है।

यात्रियों की उपलब्धता एवं एक बस के सीमित संचालन के दृष्टिगत बस स्टेशन बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में दो पहिया/चार पहिया तथा बड़े वाहन चलाने हेतु लर्निंग तथा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाये जाने के सम्बन्ध में**

**26-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दो पहिया/चार पहिया तथा बड़े वाहन चलाने हेतु लर्निंग तथा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

प्रदेश में दो पहिया वाहन एवं कार चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस तथा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लर्निंग लाइसेंस तथा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण रूप निम्नवत् है :-

**लर्निंग लाइसेंस-**

शासन द्वारा लर्निंग लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया को पूर्व से ही सरलीकृत बनाते हुए आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस प्रणाली का प्रयोग कर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन

लर्निंग लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक को किसी भी स्तर पर परिवहन कार्यालय में आने की आवश्यकता/अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन किये जाने के बाद परिवहन कार्यालय द्वारा स्क्रूटनी करते हुए आवेदक के मोबाइल नम्बर पर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु लिंक प्रदान किया जाता है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में उत्तीर्ण होने के पश्चात् दिनांक 08-05-2023 से लागू नवीन व्यवस्था के अनुसार लर्निंग लाइसेंस ऑटो अप्रूवल हो जाता है, जिसके उपरान्त आवेदक अपना लर्निंग लाइसेंस स्वयं प्रिंट कर प्राप्त कर लेता है।

**स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस-**

स्थायी लाइसेंस के आवेदन सम्बन्धी सेवा की प्रक्रिया भी पूर्णतया ऑनलाइन है, जिसमें आवेदक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करने के उपरान्त ड्राइविंग टेस्ट हेतु टाइम स्लॉट (तिथि व समय) बुक किया जाता है। आवेदक द्वारा ड्राइविंग टेस्ट हेतु बुक टाइम स्लॉट (तिथि व समय) पर भौतिक रूप से कार्यालय में लाइसेन्स सम्बन्धी दक्षता परीक्षण (ड्राइविंग टेस्ट) हेतु लाइसेन्सिंग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होता है। लाइसेन्स सम्बन्धी दक्षता परीक्षण (ड्राइविंग टेस्ट) में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ड्राइविंग लाइसेंस को आवेदक के पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाता है। स्थायी लाइसेन्स हेतु चालन परीक्षण के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक भी जनपदीय मुख्यालय यथा कानपुर एवं बरेली परिवहन कार्यालय में उपलब्ध है। अन्य जनपदीय मुख्यालयों पर स्थायी लाइसेन्स हेतु चालन परीक्षण के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

## प्रदेश की जेलों में बन्दियों को जेल मेन्यू के हिसाब से दिये जाने वाले भोजन का विवरण विषयक

**27-श्री प्रदीप कुमार यादव-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में बन्दियों को जेल मेन्यू के हिसाब से दिये जाने वाले भोजन का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति)-**

जी हाँ, उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध विचाराधीन एवं सिद्धदोष बन्दियों को निर्धारित मात्रा मानक के अनुसार भोजन दिये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के अध्याय-23 में प्राविधानित है।

भोजन में प्रयुक्त सामग्री का मात्रावार प्रति बन्दी प्रतिदिन के आधार पर। मासिक व्यय चार्ट संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

नोट :-† देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-350 पर।

**जनपद जालौन में उरई से पाल सरैनी यमुना पुल से राजपुर तथा कानपुर मार्ग पर बस का संचालन शुरू कराने की मांग विषयक**

**28-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में उरई से पाल सरैनी यमुना पुल से राजपुर तथा कानपुर मार्ग पर संचालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रूट पर बस संचालन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

पाल सरैनी के पास यमुना नदी सेतु का लोकापर्ण नहीं हुआ है, और उक्त मार्ग अभी चालू नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद जालौन में वर्ष 2017 से 23 मार्च, 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये रोजगार मेले तथा उनसे लाभान्वितों का विवरण विषयक**

**29-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2017 से 23 मार्च 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रोजगार मेले लगाये गये तथा उक्त मेले में कितने लोगों को रोजगार मिला ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है, जहाँ नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय, जालौन द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के

इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

जनपद जालौन में आयोजित रोजगार मेलों व चयनित अभ्यर्थियों का प्रगति विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017-2018 | 07 | 366 |
| 2 | 2018-2019 | 06 | 611 |
| 3 | 2019-2020 | 11 | 1913 |
| 4 | 2020-2021 | 18 | 776 |
| 5 | 2021-2022 | 06 | 2304 |
| 6 | 2022-2023 | 17 | 2332 |

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में राशन की दुकानों पर बिकने वाले अनाजों को आपूर्ति करने से पूर्व अनाजों में विषाक्त हानिकारक फंगस की जाँच कराने विषयक**

**30-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन की दुकानों पर बिकने वाले अनाजों को आपूर्ति करने से पूर्व अनाजों में विषाक्त हानिकारक फंगस की कोई जाँच सरकार कराती है ? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में कराई गई उक्त जांचों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनान्तर्गत राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की आपूर्ति केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से की जाती है। भारतीय खाद्य निगम एक निश्चित समयावधि पर खाद्यान्न के नमूनों की जाँच कराती रहती है, जिससे कि राज्य सरकार को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस जाँच में हानिकारक एफ्लाटॉक्सिन (Aflatoxin) एवं यूरिक एसिड (Uric Acid) आदि की जाँच सम्मिलित है। पिछले तीन वर्षों में करायी गयी उक्त जांचों का विवरण निम्नवत् है :-

| वित्तीय वर्ष | परीक्षण किये गये कुल नमूनों की संख्या | एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा पुष्टि किये गये नमूनों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 2020-21 | 937 | 937 |
| 2021-22 | 1200 | 1200 |
| 2022-23 | 1279 | 1279 |

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को चिकित्सा विभाग के चिकित्साधिकारियों के समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एनपीए) विषयक**

**31-श्री विनोद सरोज-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को चिकित्सा विभाग के चिकित्साधिकारियों के समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एनपीए) दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी नहीं।

चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के समान क0रा0बी0 योजनान्तर्गत एलोपैथिक चिकितसा अधिकारियों के प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक है तथा उसके एवज में उन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एनपीए) का भुगतान किया जा रहा है।

राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एनपीए) अनुमन्य नहीं है, इसलिए क0रा0बी0 योजनान्तर्गत होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एनपीए) अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

**जनपद शामली में सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स एक्ट-2016 तथा इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग-2020 में वर्णित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराने की मांग विषयक**

**32-श्री नाहिद हसन-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में वर्तमान में कुल कितने खनन प्वाइंट स्थित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स 2016 तथा इन्फोर्समेंट एंड मानिटरिंग गाइडलाइन्स फार सैंड माइनिंग-2020 में वर्णित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने एवं स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य तथा उनके परिवहन मार्ग को क्षतिग्रस्त करने एवं अवरुद्ध करने तथा उपरोक्त दोनों गाइडलाइन्स के विभिन्न निर्देशों की अवहेलना करने की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उक्त प्रकरणों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

05

प्रश्नगत कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने विषयक**

**33-श्री अभय सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष महंगाई भता अनुमन्य है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार परिवहन विभाग के कर्मचारियों का माह जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों की भांति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों को महंगाई भत्ता अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (Empowered Committee) की संस्तुति अनुसार महंगाई भत्ता प्रभावी करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाता है।

उक्त अधिकृत समिति (Empowered Committee) की बैठक दिनांक 15-03-2023 की संस्तुतियों के क्रम में परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या-02/2023/200/30-2-2023-2(19)/2007 टीसी, दिनांक 06-04-2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान में दिनांक 01-01-2023 से मूल वेतन का 28 प्रतिशत (11 प्रतिशत वृद्धि) की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता से सम्बन्धित विसंगतियों को दूर कराते हुए अवशेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में**

**34-श्री अभय सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को माह जुलाई, 2021 से अनुमन्य 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता उक्त माह से न देकर जनवरी,

2023 से दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर कर परिवहन निगम के कर्मचारियों को जुलाई, 2021 से ही उक्त अनुमन्य महंगाई भत्ता भुगतान कर अवशेष राशि देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह -**

30प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (Empowered Committee) द्वारा देय तिथि निर्धारित करते हुए की गयी संस्तुति अनुसार निगम में मंहगाई भत्ता प्रभावी करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाता है।

अधिकृत समिति (Empowered Committee) की बैठक दिनांक 15-03-2023 की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्या-02/2023/200/30-2-2023-2(19)/2007 टीसी, दिनांक 06-04-2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत नियमित कार्मिको को सातवें वेतनमान में दिनांक 01-01-2023 से मूल वेतन का 28 प्रतिशत (11 प्रतिशत वृद्धि) की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश सोशल मीडिया पिछड़ा मोर्चा, उ0प्र0 भा0ज0पा0 का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 04-01-2023 (पंजीकृत आई0जी0आर0एस0-12194230004291) पर कार्रवाई विषयक**

**35-श्री हाकिम लाल बिन्द-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नीतीश कुमार बिन्द, सदस्य, प्रदेश सोशल मीडिया पिछड़ा मोर्चा, उ0प्र0 भा0ज0पा0 का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 04-01-2023 (पंजीकृत आई0जी0आर0एस0-12194230004291), जो कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सिविल लाइन्स डिपो प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज के भ्रष्टाचार एवं कर्मचारी उत्पीड़न की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी हाँ।

जन-सुनवाई पोर्टल पर दर्ज संदर्भ संख्या-12194230004291, दिनांक 09-01-2023 के साथ श्री नीतीश कुमार बिन्द, मा0 सदस्य, प्रदेश सोशल मीडिया पिछड़ा मोर्चा, उ0प्र0 भा0ज0पा0 का पत्र सं0-23, दिनांक 04-01-2023 उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त हुआ है, जिस पर परिवहन निगम द्वारा जाँच की कार्यवाही संस्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं निर्माण श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक**

**36-श्री अनिल प्रधान-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं निर्माण श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 19/03/2023 तक मातृत्व, शिशु एवं कन्या विवाह योजना एवं निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना में कितने पात्र आवेदन लम्बित है ? क्या सरकार उक्त आवेदनों को विलम्बित किए जाने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

प्रदेश में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत दिनांक 19-03-2023 तक 80,374 मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, 25,333 कन्या विवाह सहायता योजना एवं पुत्री विवाह सहायता योजना तथा 3,781 निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के पात्र आवेदन लम्बित हैं।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ वितरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आवेदनों की जाँच, अनुशंसा, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया सम्मिलित है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सिंगल नोडल एकाउण्ट की व्यवस्था को वितीय वर्ष 2022-23 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही एक साथ की जानी है, नयी भुगतान प्रणाली अपनाये जाने हेतु तकनीकी प्राविधान किये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है। प्रक्रियागत कारणों से हुए विलम्ब हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत समस्त आवेदनों के सापेक्ष हितलाभ प्रदान किया जाता है।

विभिन्न जनपदीय कार्यालयों द्वारा समस्त प्राविधानों को पूर्ण कर यथासमय भुगतान की कार्यवाही की जाती है, जिस कारण भुगतान कब तक होगा, इसका आगणन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश में वर्तमान समय में श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय में शिक्षित बेरोजगार, पंजीकृत महिलाओं/लड़कियों में से सेवायोजितों का विवरण तथा बेरोजगार महिलाओं को पृथक से बेरोजगारी भत्ता देने की मांग**

**37-श्री अनिल प्रधान-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय में शिक्षित बेरोजगार, पंजीकृत महिलाओं/लड़कियों में से कितने को दिनांक

25-03-2023 तक सेवायोजित कर दिया गया है ? क्या सरकार बेरोजगार महिलाओं को पृथक से बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों के आयोजन किये जाते हैं, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (महिलाओं सहित) द्वारा प्रतिभाग किया जाता है एवं उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक सेवायोजन पोर्टल Sewayojan.up.nic.in पर पंजीकृत महिलाओं की संख्या 80,143 है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से माह 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 16,247 महिलाओं का रोजगार हेतु चयन हुआ। चयन होने के उपरान्त पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिघिया बाजार से प्रयागराज वाया मिर्जापुर जाने वाली परिवहन बसों का टिकट दिघिया से पुनः शुरू कराने की मांग विषयक**

**38-श्री संदीप सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिघिया बाजार से प्रयागराज से मिर्जापुर जाने वाली परिवहन बसों का टिकट दिघिया से बनाया जाता था, वर्तमान में बन्द कर दिया गया है ? यदि हों, तो क्या सरकार दिघिया से परिवहन बसों का टिकट बनाया जाना पुनः शुरू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

प्रयागराज से मिर्जापुर तक जाने एवं आने वाली साधारण बसों का दिघिया फेयर स्टॉपेज पूर्व से निर्धारित है एवं टिकट बनाया जाता है। जिसे वर्तमान में बन्द नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में कारागार विहीन जिलों में कारागार का निर्माण कराये जाने की मांग**

**39-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जिले कारागार विहींन है ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक कारागार विहीन जिलों में कारागार निर्माण करने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मवीर प्रजापति-**

जी हाँ, प्रदेश के 11 जनपद यथा अमेठी, महोबा, कुशीनगर, हाथरस, चन्दौली, भदोही, औरैया, हापुड़, सम्भल, अमरोहा एवं शामली कारागार विहीन हैं।

कारागार विहीन जनपदों में कारागार निर्माण हेतु भूमि चयनित की जा चुकी है। आगामी 05 वर्षों में उक्त जनपदों में कारागार निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में सरकारी बसों के किराये में की गयी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी को कम करने विषयक**

**40-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी बसों का किराया पूर्व की अपेक्षा 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार सरकारी बसों के किराये की बढ़ोतरी को कम करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-991/30-4-2012-346/95, दिनांक 07-11-2012 द्वारा अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई में मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों एवं मालयान हेतु अधिकतम किराया की दरें निर्धारित करने के लिए सूत्र का अवधारण किया गया है।

उक्त के क्रम में सरकारी बसों के किरायें में की गयी अद्यतन वृद्धि से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रति किलोमीटर संचालन लागत में वृद्धि के आधार पर मंजिली गाड़ियों के अधिकतम किराये के निर्धारण के सन्दर्भ में प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना संख्या-02/एसटीए/2020-06 एसटीए/13, दिनांक 01-01-2020

के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण मंजिली बसों का किराया रू0 1.05 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित की गयी।

तदोपरान्त निगम की बसों का किराया कोविड-19 संक्रामक बीमारी के कारण उत्पन्न आपदाकाल में नहीं बढ़ाया गया। तत्पश्चात् डीजल दरों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं वेतन भत्तों में वृद्धि के कारण संचालन लागत में निरन्तर हो रही वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु किराया बढ़ाया जाना अपरिहार्य हो गया।

फलस्वरूप अधिसूचना संख्या-152 एसटीए 2023-06 एसटीए/13, दिनांक 06-02-2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण मंजिली बसों के किराये की अधिकतम दर में 25 पैसे प्रति यात्री प्रति किमी0 की वृद्धि करते हुये रूपये 1.30 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यात्री किराये में कुल वृद्धि 23.81 प्रतिशत हुई है।

## प्रदेश में दैनिक एवं आवश्यक उपयोग की वस्तुओं में बेतहाशा हुई मूल्य वृद्धि को रोकने विषयक प्रभावी कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

**41-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैनिक एवं आवश्यक उपयोग की वस्तुओं में बेतहाशा हुई मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

विवरण निम्नवत् है :-

खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। राज्य सरकार द्वारा 75 जनपदों में 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं यथा 1-चावल, 2-गेहूं, 3-आटा, 4-चना दाल, 5-तूर/अरहर दाल, 6-उरद दाल, 7-मूंग दाल, 8-मसूर दाल, 9-चीनी, 10-दूध, 11-मूंगफली तेल, 12-सरसों का तेल, 13-वनस्पति, 14-सोया ऑयल, 15-सनफ्लावर ऑयल, 16-पॉम ऑयल, 17-गुड़, 18-चाय की पत्ती, 19-ऑयोडाइज नमक, 20-आलू, 21-प्याज एवं 22-टमाटर के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से की जाती है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। मूल्य में वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम व स्वाभाविक कारणों से होती है। कृत्रिम कारणों से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाती है। यदि बाजार भाव के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि मूल्यों में वृद्धि कृत्रिम कारणों से हुई है या जमाखोरी हो रही है, तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट आदि अधिरोपित करती है।

स्वाभाविक कारणों यथा एम0एस0पी0 में वृद्धि, माँग एवं आपूर्ति में अन्तर, मौसमी कारण जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल प्रभावित होने पर घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे माँग के अनुरूप आपूर्ति घट जाती है, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है।

आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित यदि कोई अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु अद्यतन भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0 2423(अ), दिनांक 02-06-2023 के माध्यम से तूर व उरद दाल पर स्टॉक लिमिट लागू की गयी है, जो दिनांक 31-10-2023 तक प्रभावी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्टाकिस्ट, मिलर, इम्पोर्टर, डीलर द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर दाल स्टॉक की घोषणा साप्ताहिक रूप से करायी जा रही है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

अग्रेतर अधिसूचना संख्या-का0आ0 2566 (अ), दिनांक 12-06-2023 के माध्यम से गेहूँ पर स्टॉक लिमिट लागू की गयी है, जो दिनांक 31-03-2024 तक प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में अवैध रूप से चलाये जा रहे बस स्टैण्ड को बन्द कराने विषयक

**42-श्री अशरफ अली खान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में निर्मित प्राइवेट बस स्टैण्ड उपलब्ध होने के बाद भी कस्बा जलालाबाद के गंगोह चौराहा पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जलालाबाद से थानाभवन-शामली के लिये सड़क पर ही अवैध बस स्टैंड संचालन एवं टैम्पू, श्री व्हीलर आदि वाहनों से अवैध वसूली कर अवैध रूप से चलवाए जा रहे हैं जिससे सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है ? क्या सरकार अवैध रूप से चलाये जा रहे बस स्टैंड को बंद करायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार नगर पंचायत जलालाबाद के स्वामित्व में नगर पंचायत कार्यालय जलालाबाद के सामने यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैण्ड बनाया गया है तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा पुराने बस स्टैण्ड पर रोडवेज बस स्टैण्ड बनाया गया है। नगर पंचायत जलालाबाद में केवल दो बस स्टैण्ड संचालित हैं। अध्यक्ष, नगर पंचायत, जलालाबाद, शामली के अनुसार जलालाबाद में संचालित दोनो बस स्टैण्ड वैध रूप से संचालित हैं। इस प्रकार जलालाबाद में अवैध रूप से कोई भी स्टैण्ड संचालित नहीं

है। जो भी वाहन संचालित हो रहे हैं, वे नगर पंचायत का शुल्क देकर ही संचालित होते हैं। फलस्वरूप राजस्व की किसी प्रकार हानि नहीं हो रही है। क्षेत्राधिकारी, थाना-शामली की आख्यानुसार टैम्पों, थ्री-व्हीलर से अवैध वसूली कर चलवाये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत अथवा कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

अद्यतन प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत लाइसेंसी कारखानों के श्रमिकों की शिकायतों पर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में**

**43-श्री रामअवतार सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा (विनिगयन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदार ऑन लाइन लाइसेंस प्राप्त कर ऐसे स्थानों पर संविदा श्रमिकों को नियुक्त, जहाँ कारखानों में अधिनियम द्वारा निरुद्ध किया गया है, की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार ऐसे प्रतिष्ठानों में नियोजित संविदा श्रमिकों की जाँच कराने के लिए विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी नहीं।

जी नहीं।

किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत संविदा श्रमिक के वेतन/शिकायत प्राप्त होने पर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति के उपरान्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त की अनुशंसा से जाँच की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश में संचालित बसों के रूट पर स्थित छोटे-छोटे स्टॉपेजों पर यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में**

**44-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित बसों के रूट पर स्थित छोटे-छोटे स्टॉपेजों पर यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

उ0प्र0 परिवहन निगम के अधीन सड़क के किनारे यात्रियों की सुविधा हेतु यात्री सुविधा निधि से राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, ग्राम सभा/नगर पंचायत की सड़कों के किनारे

निर्माण की अनुमति/अनापत्ति उपरान्त निम्न 10 स्थानों पर यात्री शेल्टरों का निर्माण कराया गया है :-

1-रुधौली, जनपद बस्ती।

2-मनकापुर, जनपद गोण्डा।

3-मवई, जनपद अयोध्या।

4-उसहैत, जनपद बदायूँ।

5-उसावों, जनपद बदायूँ।

6-अलापुर, जनपद बदायूँ।

7-कठमुरी मोड (विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़), जनपद आगरा।

8-अयेला चौकी (विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़) जनपद आगरा।

9. सण्डीला, जनपद हरदोई।

10-बुढाना, जनपद सुल्तानपुर।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद शामली में कारागार स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में**

**45-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कारागार से वंचित जनपदों में कारागार स्थापित कराने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद शामली में कारागार स्थापित कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मवीर प्रजापति-**

जी हाँ

जनपद शामली में जिला करागार के निर्माण हेतु नगर पंचायत-बनत, तहसील-शामली, जिला-शामली में कुल 79.81 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है, जिसमें से कृषकों से क्रय हेतु 78.36 हेक्टेयर भूमि की मूल्यांकित लागत रु0 1,02,10,21,187/-में से स्टाम्प शुल्क की देय धनराशि रु0 5,89,70,950/-को घटाते हुए रु0 96,20,50,237/-(रुपया छियान्नवे करोड़ बीस लाख पचास हजार दो सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में संचालित उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस भरवाने हेतु अनुदान दिलाये जाने विषयक

**46-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस भरवाने हेतु अनुदान दिए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल उपलब्ध कराए जाने हेतु बजट के अनुदान संख्या-021 के अन्तर्गत ''3456-सिविल पूर्ति-102-सिविल पूर्ति योजना-03-निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल-42-अन्य व्यय'' में रु0 304748.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के तहसील मुख्यालय से जनपद मुख्यालय तक रोडवेज बस का संचालन शुरू कराने की मांग

**47-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के तहसील मुख्यालय से जनपद मुख्यालय तक रोडवेज बस का संचालन न होने से पेरेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार मधुबन से जनपद मुख्यालय मऊ के लिए बस का संचालन शुरू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं। जनपद के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के तहसील मुख्यालय से मऊ के लिये प्रातः 7:00 बजे तथा मऊ से मधुबन के लिए सायं 05:00 बजे, निगम की बस संचालित है।

निगम बस संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश के औद्योगिक नगरों के श्रमिक बस्ती में अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में**

**48-श्री रामअवतार सिंह-**

क्या एवं श्रम सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक नगर में कुल श्रमिक बस्ती एवं प्रत्येक बस्ती में कितने आवास हैं एवं उक्त में अवैध रूप से कितने आवासों पर कब्जा है ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जेदारों से आवास खाली कराकर बाजार दर से किराये की वसूली करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में 39 श्रमिक बस्तियां स्थापित हैं, जिसमें एक कमरे के 24,777 एवं दो कमरों के 4810 कुल 29587 गृह स्थापित हैं। प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में वैध/अवैध अध्यासियों को चिन्हित किये जाने हेतु वर्ष-2017 में विस्तृत सर्वे कराया गया था, जिसमें तत्समय 74 प्रतिशत अवैध अध्यासी पाये गये थे।

औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के अध्यासियों/अवैध कब्जेदारों की समस्याओं के निदान हेतु शासन द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955 की धारा-8(1) के अन्तर्गत एक 09 सदस्यीय राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार गठित राज्य परामर्शदात्री समिति की आयोजित होने वाली बैठक में श्रमिक बस्तियों की प्रत्येक समस्या पर विचार विमर्श कर निस्तारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कोटा) की दुकानों की चयन प्रक्रिया सम्पादित कराये जाने की मांग**

**49-श्री राम सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कोटा) की कितनी दुकानें 7 माह या इससे अधिक समय से अन्य ग्राम पंचायत में स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सम्बद्ध है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ग्राम ढनेपुर गोपापुर वि0ख0 पट्टी तथा ग्राम रामपुर खागल व छनगढ़ सराय छिवलहा (वि0ख0 बाबा बेलखरनाथ धाम) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की चयन प्रक्रिया सम्पादित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कोटा) की कुल 08 उचित दर दुकानें अन्य उचित दर दुकानों से सम्बद्ध हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-जयसिंह गढ़ 2-पूरेपाण्डेय 3-रामपुर खागल 4-उडैयाडीही 5-गडौरीखुर्द 6-सांगापट्टी 7-बसौली 8-पूरेदलपतशाह

| क्र0-सं0 | ग्राम पंचायत | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | जयसिंह गढ़ | प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। |
| 2 | पूरेपाण्डेय | प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। |
| 3 | रामपुर खागल | प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। |
| 4 | सांगापट्टी | खुली बैठक में प्रस्ताव न होने के कारण, खुली बैठक हेतु दिनांक 18-08-2023 की तिथि निर्धारित है। |
| 5 | उडैयडीही | दिनांक 27-07-2023 को खुली बैठक में प्रस्ताव सम्पन्न। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |
| 6 | गडौरीखुर्द | दिनांक 25-07-2023 को खुली बैठक में प्रस्ताव सम्पन्न। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |
| 7 | बसौली | दिनांक 09-06-2023 को खुली बैठक में प्रस्ताव सम्पन्न। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |
| 8 | पूरेदलपतशाह | प्रस्ताव प्राप्त। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |

1-ठनेपुर गोपापुर वर्तमान में रिक्त नहीं है।

2-रामपुर खागल में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन है।

3-सराय छिवलहा में उचित दर विक्रेता की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**50-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

## प्रदेश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मजदूरों को वर्ष भर रोजगार देने एवं न्यूनतम मजदूरी दिलाने की योजना बनाने विषयक

**51-श्री सर्वेश सिंह-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मजदूरों को वर्ष भर रोजगार देने एवं न्यूनतम मजदूरी दिलाने की कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि हाँ, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

सेवायोजन विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से शासकीय सेवाओं हेतु जेम (Gem) के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार मेले के माध्यम से रैंडमाइजेशन/मेरिट के आधार पर चयन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। चयन होने के उपरान्त पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत हैं :-

आउटसोर्सिग आफ मैनपावर उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग शासनादेश संख्या 434/36-5-2020-8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

मिशन रोजगार-शासनादेश संख्या-1222/छत्तीस-5-2020, दिनांक 03-12-2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से ''मिशन रोजगार'' अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या-40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस-17,76,25,426 हैं।

सेवामित्र-कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल sewamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति (दिनांक 08 जून, 2023 तक)-

(क) कुशल कामगार-36,013

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या-754

(ग) सेवामित्र की संख्या-3,837

रोजगार मेलों का आयोजन :-निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दि0 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक | 3,742 | 5,74,587 |
| 2 | दि0 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2023 तक | 2,000 | 2,15,919 |

कॅरियर काउन्सिलिंग : प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है। आयोजित कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों एवं उनमें सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या निम्नवत है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या | कॅरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दि0 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक | 12,073 | 13,29,402 |
| 2 | दि0 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2023 तक | 3,977 | 3,28,870 |

न्यूनतम मजदूरी दिलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रेणी के मजदूरों हेतु आय/कुल मासिक मजदूरी वर्तमान में निर्धारित मंहगाई की दर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता वर्ष में दो बार यथा 01 अप्रैल से 30 सितम्बर एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक देय

रहता है। वर्तमान में मूल वेतन सहित परिवर्तनीय मंहगाई 01 अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023 तक के लिए जारी है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

| क्र0-सं0 | श्रेणी | कुल मासिक मजदूरी की दर | दैनिक मजदूरी दरें |
|---|---|---|---|
| 1 | अकुशल | 10089 | 388 |
| 2 | अर्द्धकुशल | 11098 | 427 |
| 3 | कुशल | 12432 | 478 |

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र हेतु मनरेगा के समान कृषि एवं अनुषांगिक नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी रुपया 230/-कर दी गयी है, जिसकी अधिसूचना शासन के पत्र संख्या-02/2023/905/36-3-2023-01(अधि0)/2005, दिनांक 26 मई, 2023 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त सेवायोजन पोर्टल पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय दरों का पालन अधिसूचित रिक्तियों के सत्यापन के समय किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश में विभिन्न डिपो की सरकारी बसों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए समान किराया लिये जाने विषयक**

**52-श्री सर्वेश सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न डिपो की सरकारी बसों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक का किराया अलग-अलग डिपो द्वारा अलग-अलग लिया जाता है ? यदि हाँ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सभी डिपो द्वारा समान किराया करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी के आधार पर आगणित होता है।

एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मार्ग परिवर्तन अथवा वैकल्पिक मार्ग के कारण मार्ग की दूरी बढ़ने की स्थिति में मार्ग की दूरी में वृद्धि के सापेक्ष किराया बढ़ जाने की

सम्भावना रहती है। सामान्य परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान का किराया समान रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गयी दूरी के अनुसार लिया जाता है। वर्तमान में निगम की बसों का किराया निम्नानुसार निर्धारित है :-

| सेवा | किराया दरें (पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर) |
|---|---|
| साधारण | 130.00 |
| जनरथ 3X2 | 163.86 |
| जनरथ 2X2 | 193.76 |
| वातानुकूलित स्लीपर | 258.78 |
| हाई एण्ड वोल्वो/स्कैनिया | 286.14 |

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

**राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, मेडिकल कालेज, झांसी में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के उपरान्त देयकों आदि का ब्याज सहित भुगतान कराये जाने विषयक**

**53-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, मेडिकल कालेज, झांसी में सितम्बर, 2019 में कौन-कौन कर्मी किस-किस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनका सेवानिवृत्ति के उपरान्त देयकों आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश सं0 1902 (एस0एस0) 2021, दिनांक 22 जनवरी, 2021 द्वारा भुगतान कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विभाग द्वारा किये गये विलम्ब के लिए देय धनराशि पर ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप मंत्री (श्री अशीष पटेल)-**

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, मेडिकल कालेज, डिपो झांसी से 30 सितम्बर, 2019 को श्री लाखन सिंह चौहान, विक्रेता/लेखालिपिक, निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हुये हैं।

श्री लाखन सिंह चौहान के सेवानिवृत होने के पश्चात् निगम के कार्यालय आदेश संख्या-1230 स्था0/बत्तीस-2019, दिनांक 15-11-2019 द्वारा सेवानिवृत्तिक देयकों रु0 8,44,513.46 का चार त्रैमासिक समान किस्तों में मुख्यालय से तथा बकाया वेतन की धनराशि रू0 86148.00 का भुगतान सम्बन्धित डिपो मेडिकल कालेज डिपो झांसी से किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। श्री चौहान के सेवानिवृत्तिक देयकों में से दिनांक 24-06-2021

तक कुल रु0 4,22,258.46 का भुगतान मुख्यालय द्वारा किया गया है। श्री लाखन सिंह चौहान का दिनांक 01-07-2021 को निधन हो गया। मृत्यु के पश्चात् स्व0 चौहान के वारिसान को दिनांक 08-09-2021 तक कुल रु0 1,40,000.00 का भुगतान किया जा चुका है। निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने तथा निगम में धन की उपलब्धता के आधार पर अवशेष भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

स्व0 श्री लाखन सिंह चौहान के पुत्र श्री अजयेन्द्र सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या-1902 (एस0एस0)/2021 योजित की गयी है। याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 22-1-2021 एवं उक्त आदेश के विरुद्ध उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा दाखिल विशेष अपील संख्या-281/2021 में पारित आदेश दिनांक 17-08-2021 के समादर में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के पत्र सं0-460 स्था0 दिनांक 12-07-2022 द्वारा श्री अजयेन्द्र सिंह का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जा चुका है। उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कार्यरत कार्मिकों के भुगतान का दायित्व निगम का है। वर्तमान में आर्थिक संसाधनों का अभाव है तथा निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के पश्चात् एवं उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में धन की उपलब्धता के आधार पर निगम के अन्य कार्मिकों की भाँति स्व0 लाखन सिंह चौहान के वारिसान को भुगतान के सम्बन्ध में यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में नवनिर्मित बस अड्डे से बसों का संचालन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में

**54-श्री अखिलेश-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में बस अड्डा बनकर तैयार है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बस अड्डे में बसों का संचालन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी हाँ।

बस स्टेशन मुबारकपुर से निगम एवं अनुबन्धित बसें संचालित होती हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

## जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत ग्राम पीपली में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य शुरू कराने की मांग

**55-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत ग्राम पीपली में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हॉं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी हाँ।

प्रदेश के 18 मण्डलों में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शैक्षिक कार्य प्रारम्भ किये जाने के दृष्टिगत प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा-06 हेतु छात्र/छात्राओं का चयन कर लिया गया है।

मुरादाबाद मण्डल के निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण मुरादाबाद मण्डल के कक्षा-06 हेतु चयनित छात्रा/छात्राओं को प्रथम सत्र हेतु मेरठ मण्डल के जनपद बुलन्दशहर में निर्मित अटल आवासीय विद्यालय में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15-06-2023 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में मार्च, 2023 तक 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ नीति के अनुसार बदलवाने विषयक

**56-श्री महबूब अली-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2023 तक कितने सरकारी वाहन 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं ? क्या सरकार ऐसे वाहनों को कबाड़ नीति के अनुसार बदलेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

**श्री दया शंकर सिंह-**

वाहन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रदेश में मार्च, 2023 तक 4590 सरकारी वाहन 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं।

सरकार द्वारा ऐसे वाहनों, जो मार्च, 2023 तक 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, का 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' के प्राविधानानुसार 31 मार्च, 2024 तक स्क्रैप कराया जाना है। उक्त नीति के अन्तर्गत स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों के सापेक्ष नए वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्णय लिया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना का विवरण तथा सकल बेरोजगारी दर के आंकड़े उपलब्ध कराये जाने विषयक

**57-श्री अनिल प्रधान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की कोई योजना संचालित है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार प्रदेश की सकल बेरोजगारी दर के आंकड़ों को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी हाँ।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

सेवायोजन विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से शासकीय संस्थाओं हेतु जेम (Gem) के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिग एजेंसी द्वारा अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार मेले के माध्यम से रैंडमाइजेशन/मेरिट के आधार पर चयन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। चयन होने के उपरान्त पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत हैं :-

आउटसोर्सिग आफ मैनपावर उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग शासनादेश संख्या 434/36-5-2020-8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

मिशन रोजगार शासनादेश संख्या-1222/छत्तीस-5-2020, दिनांक 03-12-2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से मिशन रोजगार अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक अभ्यर्थियों की संख्या 40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस 17,76,25,426 हैं।

सेवामित्र कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल sewamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति (दिनांक 08 जून, 2023 तक)-

(क) कुशल कामगार-36,013

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या-754

(ग) सेवामित्र की संख्या-3,837

**रोजगार मेलों का आयोजन :** निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों सीकर्स को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दि0 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक | 3,742 | 5,74,587 |
| 2 | दि0 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2023 तक | 2,000 | 2,15,919 |

**कॅरियर काउन्सिलिंग** : प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जाब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषत चयन ने सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण

पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है। आयोजित कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों एवं उनमें सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या निम्नवत है :-

| क्र0 सं0 | वर्ष | करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या | करियर मार्ग दर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दि0 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक | 12,073 | 13,29,402 |
| 2 | दि0 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2023 तक | 3,977 | 3,28,870 |

मॉडल करियर सेन्टर भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मीरजापुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, सीतापुर, बिजनौर, बस्ती, गोण्डा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बरेली, हरदोई एवं बहराइच में मॉडल कॅरियर सेन्टर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन केन्द्रों द्वारा वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदेश के 15 अन्य जनपदों में मॉडल कॅरियर सेन्टर खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र :** प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में सामान्य-ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि, हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उक्त कार्य सेवायोजन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में राशन की दुकानों पर एल0पी0जी0 सिलेण्डर बेचने की अनुमति हेतु तय किए गए मानकों की जानकारी के सम्बन्ध में

**58-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन की दुकानों पर एल0पी0जी0 सिलेण्डर बेचने की अनुमति सरकार ने दी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुमति हेतु तय किए गए मानकों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

शासनादेश संख्या-416/29-7-2022, दिनांक 07-10-2022 के द्वारा उचित दर दुकानों के माध्यम से 05 कि0ग्रा0 के एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, जिसके मानक निम्नवत् है :-

1-वर्तमान में 05 कि0ग्रा0 के एफ0टी0एल0 सिलेण्डर बाजार में वितरण हेतु उपलब्ध हैं, जिसका ब्रांड नाम छोटू है. जो सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री किये जायेंगे। एल0पी0जी0 जी वितरकों द्वारा, उचित दर विक्रेताओं से अनुबन्ध करते हुए सम्बन्धित विक्रेता को प्वाइंट ऑफ सेल के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

2-तेल कम्पनी के फील्ड आफिसर द्वारा संस्तुति किये जाने के उपरान्त एल0पी0जी0 के वितरण हेतु गैस वितरकों को उचित दर विक्रेताओं (Point of sale) के साथ टाई-अप करने की अनुमति होगी। एक समय में किसी भी (Point of sale) स्थान पर 100 कि0ग्रा0 से अधिक स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। तेल कम्पनी के फील्ड आफिसर की संस्तुति के उपरान्त दुकान की अवस्थिति, आकार और पहुंच आदि के आधार पर यह मात्रा कम भी की जा सकेगी।

3-उपभोक्ता द्वारा उचित दर विक्रेताओं के यहां से 05 कि0ग्रा0 के एफ0टी0एल0 सिलेण्डर क्रय किये जा सकेंगे अथवा उन्हें रिफिल कराया जा सकेगा।

4-एल0पी0जी0 वितरकों द्वारा उचित दर बिक्रेताओं के साथ लेखागत प्रक्रियाएं (Accounting Procedures) साझा की जायेंगी। उचित दर विक्रेताओं द्वारा 05 कि0ग्रा0 एफ0टी0एल0 सिलेण्डों के सम्बन्ध में आवश्यक नियमों तथा नियंत्रण आदेशों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ऑयल कम्पनियों द्वारा 05 कि0ग्रा0 के एफ0टी0एल0 एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के ब्रांडिंग तथा उनके बिक्री प्रोत्साहन व्यवस्था हेतु आने वाली लागत का वहन किया जायेगा।

5-ओ0एम0सी0 वितरकों द्वारा उचित दर विक्रेता (Point of sale) को सिलेण्डर जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि, उचित दर विक्रेता (Point of sale) को दिया जाने वाला सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरा हुआ, सील्ड, बिना किसी Defect के और नियत वजन का हो। बिक्री के स्थान (पॉस) तक भरे हुए सिलेण्डरों की सुपुर्दगी तथा खाली सिलेण्डरों का उठान, उपयुक्त डिलीवरी बैन द्वारा किया जायेगा। उचित दर विक्रेताओं की सिलेण्डरों की बिक्री हेतु अपने स्तर से यथावश्यकता कार्मिक (Man Power) रखे जाने होने होगे।

6-भण्डारण क्षेत्र किसी भी प्रकार के प्रज्ज्वलन के स्रोत से मुक्त होगा। यथा-ढीली/खुली विद्युत तारें, नग्न लौ, अन्य ज्वलनशील रसायनों जैसे-कैरोसीन, पेन्ट और अन्य खतरनाक

सामग्री का भण्डारण। सिलेण्डरों को पिंजरे (cage) में सुरक्षित रूप में उर्ध्वाधर स्थिति (valve up) में संग्रहित किया जायेगा। सिलेण्डर संग्रहण केज में किसी भी प्रकार की विद्युत फिटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। उचित दर विक्रेता (Point of sale) स्तर पर संग्रहित सिलेण्डर सीधी धूप, बारिश और गर्मी के सम्पर्क में नहीं रहेंगे। सिलेण्डर सदैव उर्ध्वाधर स्थिति/लम्बवत स्थिति में ही रखे जायेंगे। किसी भी समय सिलेण्डर को बैली रोलिंग (belly rolling) नहीं की जायेगी।

7-कम से कम 4.5 कि0ग्रा0 क्षमता के दो डी0सी0पी0 प्रकार के अग्निशामक यंत्र, जो कि विधिवत जाँच किये गये हों और काम करने की स्थिति में हों, को हमेशा एक सुलभ स्थान पर स्थापित किया जायेगा उचित दर विक्रेता द्वारा (Point of sale) सिलेण्डर भण्डारण स्थल पर 'धूम्रपान निषेध' का चिन्ह प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। एल0पी0जी0 के लीक होने की गंध महसूस होने पर, किसी भी प्रकार के बिजली के उपकरण को चालू नहीं किया जायेगा तथा वितरक के मैकेनिक या 'आपातकालीन सम्पर्क नम्बर-1906' में सहायता हेतु सम्पर्क किया जायेगा। उचित दर विक्रेता (Point of sale) को ओ0एम0सी0 वितरकों द्वारा एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का सुरक्षित प्रबंधन, भण्डारण, निरीक्षण और अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) के संचालन का समुचित प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8-वितरण पूर्व जाँच (मात्रा और गुणवत्ता) के दौरान केवल बिक्री स्थल पर (Point of sale) ग्राहक के समक्ष सिलेण्डर की सील खोली जायेगी और ग्राहक को सिलेण्डर जारी करने से पूर्व PDC (pre delivery check) की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वॉल्व पर सेफ्टी कैप लगायी जायेगी। वितरण पूर्व जाँच के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पायी जाती है तो सिलेण्डर वितरक को यथाशीघ्र लौटा दिया जायेगा और वॉल्व पर तत्काल सेफ्टी कैप लगायी जायेगी। उचित दर विक्रेता (Point of sale) किसी भी समय किसी भी प्रकार से सिलेण्डर और उसके बाल्व को ठीक/मरम्मत करने का प्रयास नहीं करेगा। उचित दर विक्रेता (Point of sale) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सिलेण्डर हमेशा सुरक्षा कैप से सुसज्जित हो।

9-मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु ओ0एम0सी0 के फील्ड स्तरीय अधिकारी रैण्डम जाँच करेंगे।

10-सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा एक समझौता ज्ञापन (MOU) किया जायेगा और उसका रिकार्ड फील्ड आफिसर द्वारा रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त तेल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा उचित दर दुकान पर पाँस स्थापित करने की अनुमति देने से पूर्व एल0पी0जी0 वितरकों को उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में निर्देश दिये जायेंगे।

11-उचित दर विक्रेताओं द्वारा Point of Sale (POS) के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुमन्य खुदरा मूल्य (Retail Sale Price) पर Cash And Carry के आधार पर वितरित किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा प्रथम बिक्री (पहली बार सिलेण्डर प्राप्त करते समय) के समय

उचित दर विक्रेता को अपना पहचान पत्र यथा-वोटर आई0डी0, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र आदि में से एक उपलब्ध कराना होगा।

12-सुरक्षित एल0पी0जी इन्स्टॉलेशन हेतु उपभोक्ता को ऑयल कम्पनियों द्वारा आपूर्तित, मानक प्रेशर रेगुलेटर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त रेगुलेटर वितरकों द्वारा नामित ऑयल कम्पनियों के Botteling Plant से प्राप्त कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। उचित दर विक्रेताओं द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य पर उपरोक्त रेगुलेटर की बिक्री की जायेगी। मात्र रेगुलेटर की बिक्री पृथक से नहीं की जायेगी।

13-उचित दर विक्रेताओं द्वारा सिलेण्डर की बिक्री, रिफिल सिलेण्डरी की बिक्री, सिलेण्डरों तथा रेगुलेटर के स्टॉक की स्थिति अद्यतन रखते हुए सम्बन्धित अभिलेख बनाये जायेंगे। उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपने Point of Sale (POS) पर Suraksha LPG Hose की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, ताकि एल0पी0जी0 उपभोक्ताओं की सुरक्षा सम्भव हो सके।

14-उचित दर विक्रेता द्वारा नवीन एल0पी0जी0 कनेक्शन निर्गत करते समय एल0पी0जी0 के सुरक्षित उपयोग के दृष्टिगत एक सेफ्टी कार्ड, जिसमें वथोचित निर्देश होगें, उपभोक्ताओं को अनिवार्य तौर पर दिया जायेगा।

15-उपभोक्ताओं को Buyback की स्थिति में रुपये 500/-की वापसी प्राविधानित है इसी प्रकार उपभोक्ताओं को इन्श्योरेन्स की सुविधा भी अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेता को तेल कपनियों द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी लाभांश के रूप में प्राप्त होगा।

16-यदि कोई अन्य आवश्यक शर्तें/दिशानिर्देश हैं तो उसका निर्धारण खाद्यायुक्त एवं राज्य स्तरीय समन्वयक भारतीय तेल उद्योग उ0प्र0 द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में 1-4-2021 से दि0 30-11-2022 तक आयोजित रोजगार मेलों, तथा उनके माध्यम से कार्य-भार ग्रहण करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

**59-श्री रामअवतार सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1-4-2021 से दि0 30-11-2022 तक कुल कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है तथा कितने बेरोजगार युवक युवतियों का चयन उन रोजगार मेजों के माध्यम से किया गया और वास्तविक

रूप से कितने बेरोजगारों को कार्य-भार ग्रहण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-11-2022 तक कुल 2101 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से 271907 अभ्यर्थी रोजगार हेतु चयनित हुए।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है जहाँ नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्ड जारी करने की प्रक्रिया/व्यवस्था निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में**

**60-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्ड जारी करने की प्रक्रिया/व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश में मार्च, 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 02 श्रेणी-अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। उक्त राशन कार्डों के निर्गमन, निरस्तीकरण एवं संशोधन इत्यादि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3/2021/1651/29-6-2021-109सा/2013, दिनांक 25/09/2021 द्वारा पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया/व्यवस्था के स्थान पर नवीनतम ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू की गयी है। उक्त प्रक्रिया/व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक को पात्र पाये जाने पर निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को भिन्न-भिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया/व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद तथा बुलन्दशहर की जिला कारागार की क्षमता एवं उसके सापेक्ष बन्द कैदी का विवरण**

**61-डॉ मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद तथा बुलन्दशहर की जिला कारागार की क्षमता क्या है एवं उसके सापेक्ष वर्तमान में कितने कैदी बन्द हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मवीर प्रजापति-**

जी हाँ, दिनांक 31-07-2023 की स्थिति के अनुसार जिला कारागार, फिरोजाबाद में बन्दी क्षमता 855 के सापेक्ष 1626 बन्दी तथा जिला कारागार, बुलन्दशहर में बन्दी क्षमता 960 के सापेक्ष 2030 बन्दी निरुद्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार देने हेतु कार्य योजना का विवरण**

**62-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार देने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल sewamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकरण की प्रगति (दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक)

(क) कुशल कामगारों की संख्या 36,257

(ख) सेवाप्रदाताओं की संख्या 767

(ग) सेवामित्रों की संख्या 3,758

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज के सम्बन्ध में**

**63-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों की कितने साल से पेंशन रिवाइज नहीं हुई है ? क्या सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

प्रदेश के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों की पेंशन शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए शासनादेशों के क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा रिवाइज की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर हल्दौर बिजनौर मार्ग व चॉदपुर, पैजनिया, नहटौर मार्ग पर यात्रियों के लिए रोडवेज परिवहन निगम की बसों का संचालन कराये जाने विषयक**

**64-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेने कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर हलदौर बिजनौर मार्ग व चाँदपुर, पैजनिया, नहटौर मार्ग पर यात्रियों के लिए रोडवेज परिवहन निगम की बसों का संचालन न होने के कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यात्रियों की सुगम यात्रा के दृष्टिगत उक्त मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

उक्त मार्ग पर निजी बस संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

मार्ग वर्गीकृत न होने के कारण परिवहन निगम के बसों का संचालन सम्भव नहीं है।

**जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के मुख्य मार्ग चाँदपुर धनौरा-चाँदपुर बिजनौर, चॉदपुर नूरपुर मार्ग पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा नीति लागू कराने की मांग**

**65-श्री स्वामी ओमवेश-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चॉदपुर के मुख्य मार्ग चाँदपुर धनौरा, चाँदपुर बिजनौर, चाँदपुर नूरपुर मार्ग पर बढ़ रही सड़क

दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा नीति सरकार लागू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

शासनादेश संख्या 1575/30-3-2014-32 एम 2013 टीसी, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा प्रदेश में राज्य सड़क सुरक्षा नीति लागू है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**66-श्री अतुल प्रधान-**

[दिनांक 07-08-2023 के अता0 प्र0सं0-203 द्वारा उत्तरित]

**सिविल लाइन्स डिपो प्रयागराज में भ्रष्टाचार व कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न, वसूली आदि की जाँच विषयक जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर कार्रवाई के सम्बन्ध में**

**67-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज संदर्भ संख्या 12194230004291, दिनांक 04-01-2023 प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिविल लाइन्स डिपो प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज के भ्रष्टाचार व कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न, वसूली आदि की जाँच विषयक है, पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज संदर्भ संख्या 12194230004291, दिनांक 09-01-2023 के साथ श्री नीतीश कुमार बिन्द, मा0 सदस्य प्रदेश सोशल मीडिया पिछड़ा मोर्चा, उ0प्र0 भा0ज0पा0 का पत्र सं0-23, दिनांक 04-01-2023 उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त हुआ है, जिस पर परिवहन निगम द्वारा जाँच की कार्यवाही संस्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में गेहूँ क्रय केंद्रों की संख्या तथा अप्रैल, 2023 तक गेहूँ क्रय का विवरण**

**68-श्री पंकज पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में कुल कितने गेहूँ क्रय केंद्र हैं तथा अप्रैल, 2023 तक कितना गेहूँ क्रय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद हेतु जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में कुल 23 (खाद्य विभाग-04,

पी0सी0एफ0-09, पी0सी0यू0-07, मण्डी समिति के अन्तर्गत एफ0पी0ओ0 के 03) गेहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित/संचालित कराये गए हैं।

रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की अवधि दिनांक 01/04/2023 से 15/06/2023 तक निर्धारित थी। दिनांक 30-04-2023 तक जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में 68.65 मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में आदिवासी, कबूतरा, कंजड़, घुमन्तु आदि जनजातियों के लिए राशन कार्ड जारी किये जाने विषयक

**69-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से आदिवासी, कबूतरा, कंजड, धुमन्तु आदि जनजातियों के लिए राशन कार्ड जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें राशन कार्ड जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में वर्णित एक्सक्लूजन एवं इन्क्लूजन क्राइटेरिया व परिवार के सकल वार्षिक आय के आधार पर पात्रता की स्थिति में सत्यापनोपरान्त राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं। जातिगत आधार कर राशन कार्ड निर्गत करने का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में कोई उल्लेख नहीं है और न ही आवेदक में जाति प्रमाण-पत्र लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारकों की जाँच सक्षम अधिकारी से कराकर अपात्र कार्डधारकों एवं कार्ड जारी करने वाले जिम्मेवारों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

**70-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों हेतु निर्धारित लाल कार्डधारक अधिकांश परिवार अपात्र हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपदवार उक्त कार्यधारकों की जाँच सक्षम अधिकारी से कराकर अपात्र कार्डधारकों एवं अपात्रों को कार्ड जारी करने वाले जिम्मेवारों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु मानक निर्धारित हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार चयनित लाभार्थियों की प्रस्थिति (यथा-राज्य में राज्य के बाहर प्रवास, जन्म, मृत्यु, विवाह, समाजिक व आर्थिक स्थिति आदि) में परिवर्तन के दृष्टिगत उनकी पात्रता का समय-समय पर पुनर्विलोकन करते हुए लाभार्थियों की सूची से अपात्र कार्डधारकों का लोप किया जाता है।

**जनपद खीरी के ईसानगर ब्लाक में लखीमपुर से हसनपुर कतौली तक मार्ग पर रोडवेज बस का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में**

**71-श्री विनोद शंकर अवस्थी-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के ईसानगर ब्लाक में लखीमपुर से हसनपुर कतौली तक किसी भी रोडवेज बस का संचालन न होने के कारण निवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर रोडवेज बस का संचालन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

लखीमपुर खीरी के गोला से ईसानगर ब्लाक में हसनपुर कतौली, दुर्गागंज, पड़री तक पूर्व में संचालित सेवा कोरोना काल में यात्रियों के अभाव में बन्द कर दी गयी थी। उक्त सेवा को पुनः पूर्व की भांति संचालित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में निरस्त/नये जरी राशन कार्ड का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में**

**72-श्री पंकज पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कितने राशन कार्ड निरस्त किये गये तथा

कितने नये जारी किये गये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में वर्ष 2021-22 में कुल 713 अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए गए तथा उसके सापेक्ष कुल 971 पात्रों के नए राशन कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2022-23 में कुल 2061 अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए गए तथा उसके सापेक्ष कुल 1,447 पात्रों के नए राशन कार्ड जारी किए गए।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता

## प्रदेश में वर्ष 2021-2023 में धान तथा गेहूँ की खरीद का निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष क्रय का विवरण

**73-श्री महेंद्र नाथ यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021 एवं 2022 तथा 2023 में धान तथा गेहूँ की खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित था एवं उसके सापेक्ष कितना धान तथा गेहूँ दिनांक 11-04-2023 तक क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य से कम धान एवं गेहूँ की खरीद की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताएगी की उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

(मात्रा लाख मी0टन में)

| वर्ष | गेहूँ | | | धान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्रय लक्ष्य | कुल खरीद | लक्ष्य के सापेक्ष खरीद का प्रतिशत | क्रय लक्ष्य | कुल खरीद | लक्ष्य के सापेक्ष खरीद का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020-21 | 55.00 | 35.76 | 65.02 | 55.00 | 66.84 | 121.53 |
| 2021-22 | निर्धारित नहीं था | 56.41 | - | 70.00 | 65.53 | 93.61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 60.00 | 3.36 | 5.59 | 70.00 | 65.50 | 93.57 |
| 2023-24 (दिनांक 11-04-2023 तक) | 60.00 | 1.37 | 0.23 | - | - | - |

वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 में गेहूँ की तथा वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में धान की खरीद लक्ष्य से कम हुई है, परन्तु वर्ष 2020-21 में धान की खरीद क्रय लक्ष्य से अधिक हुई है।

धान/गेहूँ खरीद में बढ़ोत्तरी, तत्समय प्रचलित बाजार भाव व किसानों के पास उपलब्ध सरप्लस उत्पादन पर निर्भर होती है। बाजार भाव समर्थन मूल्य के बराबर अथवा अधिक होने पर सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषक अपनी फसल की विक्री करने में रुचि नहीं लेते हैं, जिससे खरीद कम होती है। वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में गेहूँ का बाजार भाव समर्थन मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक रहा है, जिससे गेहूँ खरीद कम हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग, विकास खण्ड जैतीपुर में स्थित माँ बैठना ब्रिकफील्ड (ईंट भट्ठा) द्वारा खनन विभाग की बिना परमीशन लिए खनन किये जाने की जाँच कराकर कार्रवाई विषयक**

**74-श्री वीर विक्रम सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग, विकास खण्ड जैतीपुर में स्थित माँ बैठना ब्रिकफील्ड (ईंट भट्ठा) द्वारा खनन विभाग की बिना परमीशन लिए खनन करने से राजस्व को हानि हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग, विकास खण्ड जैतीपुर में माँ बैठना ब्रिकफील्ड के नाम से कोई ईंट भट्ठा संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद शाहजहांपुर के श्रम कार्यालय में दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक संचालित योजनाएं तथा उक्त योजनाओं से लाभान्वितों का विवरण**

**75-श्री वीर विक्रम सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के श्रम कार्यालय में दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक संचालित योजनाएं तथा उक्त योजनाओं से लाभान्वित का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

कन्या विवाह सहायता योजना

सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना

निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना

महात्मा गांधी पेंशन योजना

पं0 दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना

दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक की अवधि में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल 99 श्रमिकों को हितलाभ वितरण किया गया है, जिसकी सूची संलग्न† है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा मार्च, 2022 से अगस्त, 2022 तक ब्लॉक फिरोजाबाद में संचालित राशन की दुकानों की जाँच तथा ग्राम पंचायत की दुकानों में अनियमितताएं पाये जाने पर की गई कार्रवाई**

**76-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा मार्च, 2022 से अगस्त, 2022 तक ब्लॉक फिरोजाबाद में संचालित कितनी राशन की दुकानों की जाँच करायी गयी व जाँच में कौन-कौन सी ग्राम पंचायत की दुकानों में अनियमितताएं पायी गयीं व अनियमितता पाये जाने पर राशन की दुकानों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-351-369 पर।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद-फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा मार्च, 2022 से अगस्त, 2022 तक 17 उचित दर दुकानों की जाँच की गयी, जिसमें ग्राम पंचायत इटौरा के 01 उचित दर विक्रेता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, ग्राम पंचायत इटौरा, जलालपुर किशनदासपुरा की कुल 02 उचित दर विक्रेताओं की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित, ग्राम पंचायत मटसैना, इटौरा की 02 उचित दर दुकानों का अनुबन्ध पत्र निरस्त एवं 08 उचित दर विक्रेताओं की रु0 41,000/की प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के कतिपय जनपदों में सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी बसों को हटाकर नई बसों के संचालन के सम्बन्ध में**

**77-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल के जनपद बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर आदि में परिवहन निगम के पास पांच साल पुरानी बसों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी बसों के स्थान पर नई बसों का संचालन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

पाँच साल पुरानी बसों की जनपदवार वांछित सूचना निम्नवत् है :-

1-बलिया 64

2-गाजीपुर 52

3-वाराणसी 123

4-मऊ 53

5-देवरिया 41

6-कुशीनगर 16

7-आजमगढ़ 75

8-जौनपुर 81

9-सोनभद्र 66

10-मिर्जापुर 37

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बलिया के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017 से 13-04-2023 तक सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नौकरी का लाभ पाने वाले बेरोजगारों का विवरण**

**78-श्री जय प्रकाश अंधल-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित नौजवानों के सापेक्ष वितीय वर्ष 2017 से 13-04-2023 तक कितने बेरोजगारों को कितनी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियों का लाभ हुआ है तथा कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति करके उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है। सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। नियमित/स्थायी रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है। सेवायोजन कार्यालय बलिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2017 से 13-04-2023 तक आयोजित कुल 70 रोजगार मेलों के माध्यम से 13546 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया में अपात्रों को चिन्हित कर उनके स्थान पर पात्र परिवारों को अन्त्योदय कार्ड जारी कराये जाने के सम्बन्ध में**

**79-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में बड़ी संख्या में अपात्रों के अन्त्योदय कार्ड बने हुए हैं ? क्या सरकार अपात्रों को चिन्हित कर उनके स्थान पर पात्र परिवारों को अन्त्योदय कार्ड जारी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत हैं। राशन कार्ड निर्गत करते समय लाभार्थियों द्वारा प्रदत्त विवरण में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। चयनित कार्डधारकों/लाभार्थियों की प्रास्थिति (यथा-राज्य में/राज्य के बाहर प्रवास, जन्म, मृत्यु, विवाह, समाजिक व आर्थिक स्थिति आदि) में परिवर्तन के दृष्टिगत उनकी पात्रता का समय-समय पर सत्यापन कराकर पाए गये अपात्र परिवारों के स्थान पर पात्र अन्त्योदय परिवारों को चिन्हित कर राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या तथा सरकार द्वारा मृतकों के परिवारजनों को दिये जाने वाले मुआवजे का विवरण**

**80-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक सड़क दुर्घटना में कुल कितने लोगों की मौत हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि दुर्घटना में मारे गये लोगों के कितने परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया तथा कितने परिवारों को अभी मुआवजा दिया आना शेष है ? क्या सरकार शेष परिवारों को मुआवजा देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

प्रदेश में वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1,33,977 लोगों की मृत्यु हुई।

मार्च, 2017 से मार्च, 2023 तक की अवधि में सार्वजनिक सेवायानों से घटित दुर्घटनाओं में मृतकों/घायलों के आश्रितों को आवंटित सहायता धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | विषयवस्तु | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आलोच्य अवधि में सूचित कुल दुर्घटना प्रकरणों की संख्या | 262 | 294 | 390 | 261 | 252 | 278 |
| 2 | जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण जाँच आख्या प्राप्त होने पर निस्तारित प्रकरणों की संख्या | 58 | 95 | 103 | 108 | 107 | 76 |

| क्र0 सं0 | विषयवस्तु | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | परिवहन आयुक्त स्तर से आवंटित सहायता राशि | रु0 24.00 लाख | रु0 16.50 लाख | रु0 37.50 लाख | रु0 21.60 लाख | रु0 20.85 लाख | रु0 15.60 लाख |
| 4 | जिलाधिकारियों द्वारा वितरित सहायता धनराशि। | | | रु0 33.08 लाख | रु0 20.33 लाख | रु0 18.95 लाख | रु0 14.70 लाख |
| 5 | लाभार्थियों की संख्या | 121 | 120 | 176 (67 मृतक यात्री एवं 109 अन्य) | 164 (19 मृतक यात्री एवं 145 अन्य) | 135 (27 मृतक यात्री एवं 108 अन्य) | 87 (23 मृतक यात्री एवं 64 अन्य) |
| 6 | अंग क्षति से घायलों की संख्या | - | - | 02 | 01 | - | - |

जिलाधिकारी के स्तर से मृतकों/घायलों के सम्बन्ध में जाँच आख्या प्राप्त होने पर ही कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम-30 एवं 31 में उद्धरित सुसंगत प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी को सहायता राशि आवंटित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा से प्रयागराज जंक्शन तक शटल बस सेवा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में**

**81-श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के धना का पूरा, प्रतापगढ़ की सीमा के गाँव से वाया तिलोई बाजार मऊआइमा, सोरांव, मलाक हर-हर होते हुए जिला कचेहरी से होकर प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आने तथा जाने हेतु शटल बस सेवा संचालित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के धना का पूरा, प्रतापगढ़ की सीमा के गाँव के पास स्थित तिलाई (तिलई) बाजार हेतु प्रधान डिपो की एक लोहिया ग्रामीण बस सेवा सिविल लाइन्स बस स्टेशन से कचेहरी, फाफामऊ, मलाक हर-हर, सोरांव, मऊआइमा होते हुए नियमित संचालित हो रही है। तिलाई बाजार में धना का पूरा की दूरी मात्र 200 मीटर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड बहरिया को प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित गाँव दांदूपुर से वाया करनाईपुर, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन तक परिवहन निगम की बस सेवा संचालित कराने की मांग**

**82-श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड बहरिया को प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित गाँव दान्दूपुर से वाया करनाईपुर, बहरिया, सिकन्दरा, कमलानगर, फाफामऊ जिला कचेहरी प्रयागराज होते हुए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जाने-आने के लिए उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवा संचालित नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर शटल बस सेवा संचालित करने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड बहरिया के प्रतापगढ़ सीमा पर स्थित गाँव दान्दूपुर से वाया कचेहरी होते हुए दैनिक रूप से प्रयाग डिपो की एक बस लोहिया ग्रामीण सेवा सिविल लाइन्स बस स्टेशन तक संचालित है।

उपरोक्तानुमार।

उपरोक्तानुमार।

**जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां में वर्ष 2021 तथा 2022 में कुल निरस्त/नये जारी राशन कार्ड का विवरण उपलब्ध कराने की मांग**

**83-श्री प्रेमसागर पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां में वर्ष 2021 तथा 2022 में कुल कितने राशन कार्ड निरस्त किये गये तथा कितने नये जारी किये गये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां में वर्ष 2021 में अपात्र, मृतक, विस्थापित एवं समर्पित कुल 631 राशन कार्ड निरस्त किये गए तथा उसके सापेक्ष 1,853 नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2022 में अपात्र, मृतक, विस्थापित एवं समर्पित कुल 1,233 राशन कार्ड निरस्त किए गए तथा उनके सापेक्ष 1,816 नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में वर्ष 2023 में हुयी बे-मौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से खराब/नष्ट हुए गेहूँ की फसल का उचित मूल्य किसानों को दिलाने हेतु विशेष समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग

**84-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023 में हुयी बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से खराब/नष्ट हुयी गेहूँ की फसल की कम गुणवत्ता के गेहूँ का उचित मूल्य किसानों को दिलाने हेतु विशेष समर्थन मूल्य निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुरूप की जाती है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत प्रदेश में असमय बारिश एवं ओलावृष्टि होने के कारण गेहूँ की फसल प्रभावित होने, गेहूँ दानों की चमक कम होने, गेहूँ दानों के टूटने एवं सिकुड़ने आदि के कारण भारत सरकार से गेहूँ के गुणवत्ता मानकों में डील/छूट देने का अनुरोध किया गया, जिससे असमय बारिश से प्रभावित किसानों की गेहूँ की फसल सुगमतापूर्वक खरीदी जा सके, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-न0-7-4/2023-24 दिनांक 13-04-2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश हेतु गेहूँ के गुणवत्ता मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए वैल्यूकट के आधार पर अधोमानक गेहूँ (यू0आर0एस0) खरीद की अनुमति प्रदान की गयी।

भारत सरकार द्वारा गेहूँ के गुणवत्ता मानकों में प्रदान की गयी शिथिलता/छूट के आधार पर प्रदेश में कम अधोमानक गुणवत्ता वाली गेहूँ उपज की भी खरीद की गयी। भारत सरकार द्वारा गेहूँ के गुणवत्ता मानकों में प्रदान की गयी शिथिलता छूट के अनुपालन में किसानों से कम गुणवत्ता अधोमानक गेहूँ उपज क्रय किये जाने पर अधिकतम कटौती रु0 37.18 प्रति कुं0 की दर से आने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं गेहूँ विक्रय करने वाले कृषकों को उनकी गेहूँ जांच के सापेक्ष शत प्रतिशत

समर्थन मूल्य (रु0 2125 प्रति कुं0, का भुगतान किया गया। इस प्रकार कम गुणवत्ता अधोमानक (यूआरएस श्रेणी) के अन्तर्गत आने वाले गेहूँ की भी खरीद राज्य सरकार द्वारा करायी गयी एवं किसानों को बिना कटौती शत प्रतिशत समर्थन मूल्य का भुगतान, उनके आधारलिंक्ड बैंक खातों में किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में व्यापक अनियमितताओं तथा विधान सभा क्षेत्र कटरा के लेबरों का रजिस्ट्रेशन न करने की जाँच विषयक**

**85-श्री वीर विक्रम सिंह-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-01-2023 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था जनपद शाहजहांपुर के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में व्यापक अनियमितताओं तथा विधान सभा क्षेत्र कटरा के लेबरों के रजिस्ट्रेशन न करने की जाँच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कर्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी हां।

प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 07-02-2023 द्वारा जनपद शाहजहांपुर में श्रमिक पंजीयन, बाल शोषण व महिला श्रमिकों की नियत पारिश्रमिक से कम दिये जाने सम्बन्धी गम्भीर शिकायती प्रकरणों की जाँच कराये जाने व दिनांक 01-04-2019 से 01-01-2023 तक जनपद शाहजहाँपुर में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थी श्रमिकों का विवरण (नाम व पते सहित पूर्ण सूची) मा0 सदस्य, विधान सभा व शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु श्रम आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर को निर्देशित किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-08-2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2023 तक सी0एस0सी0/जन सुविधा केन्द्रों अथवा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट से श्रमिक द्वारा अपना पंजीयन स्वतः कराया गया है, जिसका विवरण विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत निम्नवत् है :-

मदनापुर-710 श्रमिक पंजीयन

खुदागंज-2324 श्रमिक पंजीयन

जैतीपुर-718 श्रमिक पंजीयन

कलान-773 श्रमिक पंजीयन

कुल योग 4525 श्रमिक पंजीयन

अवगत कराया गया है कि कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 की संयुक्त टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गल जून, 2023 मदनापुर में 01, खुदागंज क्षेत्र में 04, कलान में 11 कुल 16 बाल/किशोर श्रमिकों को बाल श्रम से अवमुक्त कराया गया है।

बाल श्रम चिन्हांकर व उन्मूलन कार्य निरन्तर किया जा रहा है। बाल शोषण में महिलाओं को कम मजदूरी मिलने सम्बन्धी कोई शिकायत पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं हुई है। निरीक्षण सम्बधी वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार शिकायत के उपरान्त श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही निरीक्षण किया जा सकता है।

महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी न मिलने की शिकायत के सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त, शाहजहाँपुर द्वारा नियमित तौर पर श्रमिक यूनियनों तथा प्रतिष्ठान स्वामियों की बैठक बुला कर इस संदर्भ में अवगत कराया जा चुका है। कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।

दिनांक 01-04-2019 से 01-01-2023 तक उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा लाभार्थियों की पूर्ण सूची का विवरण उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत मदनापुर खुदागंज, जैतीपुर कलान में 01-04-2021 से 31-03-2023 तक जारी श्रम कार्ड एवं स्वीकृत पेंशन का विवरण**

**86-श्री वीर विक्रम सिंह-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत मदनापुर खुदागंज, जैतीपुर कलान में 01-04-2021 से 31-03-2023 तक कितने श्रम कार्ड विभाग द्वारा कब-कब, किस-किस क्षेत्र में बनाये गये तथा किन-किन व्यक्तियों की कितनी-कितनी पेंशन स्वीकृत की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण को सी0एस0सी0/जन सुविधा केन्द्रों एवं बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से नियोजन प्रमाण-पत्र/स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके आधार पर सी0एस0सी0/जन सुविधा केन्द्रों एवं बोर्ड के पोर्टल से श्रमिकों द्वारा अपना पंजीयन स्वतः

कराया जाता है। दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2023 तक पंजीकृत श्रमिकों का विवरण निम्नवत् है :-

| क्रम सं0 | क्षेत्र का नाग | दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2022 तक | दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक | कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मदनापुर | 525 | 185 | 710 |
| 2 | खुदागंज | 1328 | 996 | 2324 |
| 3 | जैतीपुर | 484 | 234 | 718 |
| 4 | कलान | 388 | 385 | 773 |
| | कुल योग : | 2725 | 1800 | 4525 |

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 22-01-2019 द्वारा ''महात्मा गांधी पेंशन योजना'' की पात्रता हेतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्ववर्ती कम से कम 10 (दस) वर्षों तक लगातार 'लाभार्थी' के रूप में सदस्य बना रहना का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा में किसी भी पंजीकृत श्रमिक द्वारा उक्त पात्रता पूर्ण न होने के कारण आवेदन नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राशन वितरण प्रणाली में चावल की जगह गेहूँ की मात्रा बढ़ाये जाने की मांग

**87-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लोगों के आहार में चावल की अपेक्षा गेहूँ की अधिक खपत के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में राशन वितरण प्रणाली में चावल की जगह गेहूँ की मात्रा बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

## प्रदेश में वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित युवक/युवतियों का विवरण

**88-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक कुल कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है तथा किलने बेरोजगार युवक/युवतियों का चयन उन रोजगार मेलों के माध्यम से किया गया और कितने बेरोजगारों को उक्त के माध्यम से चयनित पदों पर कार्यभार ग्रहण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है जहाँ नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

रोजगार मेलों का आयोजन-निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017-2018 | 633 | 63152 |
| 2 | 2018-2019 | 685 | 103202 |
| 3 | 2019-2020 | 733 | 143304 |
| 4 | 2020-2021 | 869 | 147499 |
| 5 | 2021-2022 | 822 | 117430 |

| क्र0-सं0 | वर्ष | रोजगार मेलों की संख्या | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 6 | 2022-2023 | 1891 | 207428 |
| | **योग** | **5633** | **782015** |

उपरोक्तानुतार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु अत्याधिक पुराने वाहनों को पूर्णतया बन्द करने की मांग**

**89-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु अत्यधिक पुराने एवं खटारा वाहनों को पूर्णतया बन्द करने की सरकार कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु अत्यधिक पुराने एवं खटारा वाहनों को पूर्णतया बन्द करने के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल चलित वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल चलित वाहन का संचालन प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त शासकीय विभागों के सरकारी वाहनों को परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर्स के माध्यम से स्क्रैप कराये जाने की कार्यवाही क्रमिक है। स्क्रैपिंग योग्य वाहनों का पर्यावरण-अनुकूल विधि से स्क्रैप किये जाने हेतु प्रदेश में स्क्रैपिंग सेंटर्स के स्थापन की कार्यवाही अद्यतन संचालित है। वर्तमान में स्क्रैपिंग कार्य हेतु प्रदेश में 31 स्क्रैपिंग सेंटर्स स्थापित हो चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशापुर में खाद्यान्नों का उठान एवं वितरण का ग्राम सभावार विवरण**

**90-श्री पंकज पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशापुर में वर्तमान में कुल कितने खाद्यान्नों का उठान एवं कितना वितरण किया जाता है ? क्या सरकार उक्त का ग्राम सभावार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में वर्तमान में कार्डधारकों को खाद्यान्न के अन्तर्गत 7520.30 कुंतल गेहूँ तथा 11285.73 कुंतल चावल का मासिक आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित गेहूँ एवं चावल का उठान कराकर लाभार्थियों में वितरित कराया जा रहा हैं।

उक्त का ग्राम सभावार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी में बालू खनन के पट्टाधारकों द्वारा बेतवा नदी पर बने पुल के पास अवैध खनन से हुए गहरे गड्ढों में वर्ष 2022 से दिनांक 12-05-2023 तक हुए मौतों की जाँच एवं रोकथाम कराये जाने विषयक**

**91-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बालू खनन के पट्टाधारकों द्वारा बेतवा नदी पर बने पुल के पास अवैध खनन से हुए गहरे गड्ढों में वर्ष 2022 से दिनांक 12-05-2023 तक हुई मौतों की जाँच एवं रोकथाम कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-187584, दिनांक 09 मई, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 09-05-2023 में उल्लिखित पुल के पास 02 खनन के पट्टे स्वीकृत हैं, जो पुल से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। थानाध्यक्ष एरच व पूंछ की आख्या दिनांक 29-07-2023 के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुयी है।

सम्बन्धित खनन पट्टाधारक श्री सत्यम गुप्ता के द्वारा सक्शन मशीन लिफ्टर द्वारा खनन करते पाये जाने पर उनके विरुद्ध थाना-एरच में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10-01-2023 को दर्ज करायी गई तथा पट्टाधारक से नियमानुसार शमन शुल्क की धनराशि जमा कराते हुए खनन पट्टा दिनांक 08-06-2023 को निरस्त कर दिया गया एवं पट्टाधारक मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा सक्शन मशीन लिफ्टर द्वारा खनन करते पाये जाने पर उनके विरुद्ध दिनांक 05-06-2023 को थाना-पूंछ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा पट्टाधारक से नियमानुसार शमन शुल्क की धनराशि जमा करायी गयी है।

इसके अतिरिक्त पुल के पास किसी प्रकार का अवैध खनन होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापा नही गया।

## प्रदेश में वर्तमान समय में कार्यरत होमगार्ड्स तथा वर्ष 2017 से 2022 तक नियमित एवं शेष बचे होमगार्ड्स कर्मचारियों का विवरण

**92-श्री मो0 ताहिर खान-**

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने होमगार्ड्स कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017 से 2022 तक कितने होमगार्ड्स कर्मचारियों को नियमित किया गया और कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मवीर प्रजापति-**

वर्तमान में 79571 होमगार्ड्स स्वयंसेवक कार्यरत हैं।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी है तथा इन्हें नियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में बालू खनन की नयी नीति तथा आम जनता के हितार्थ जनपदों में सस्ती दरों पर बालू, मोरंग और गिट्टी आदि उपलब्ध कराने विषयक

**93-श्री मो0 ताहिर खान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू खनन की कोई नयी नीति बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार आम जनता के हितार्थ जनपदों में सस्ती दरों पर बालू मोरंग और गिट्टी आदि उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हाँ।

खनन नीति-2017

खनन नीति-2017 के अन्तर्गत नदी तल में उपलब्ध बालू/मौरंग तथा ईमारती पत्थर के खनन क्षेत्र ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाती है। जनपदों में पर्याप्त संख्या में खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिससे बाजार में उचित दरों पर बालू, मौरंग, गिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत गेहूँ क्रय केन्द्रों द्वारा क्रय का केन्द्रवार विवरण उपलब्ध कराने की मांग

**94-श्री मो0 ताहिर खान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत कितने गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित हैं और किन-किन क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की खरीद की जा रही है तथा कितने क्रय केन्द्रों पर कितना-कितना गेहूँ की खरीद की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत गेहूँ खरीद वर्ष 2023-24 में कुल 12 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गए। इसौली क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्य विभाग के 4 गेहूँ क्रय केन्द्र (कुडवार, उत्मानपुर कुडवार, बल्दीराय, धनपतगंज) तथा क्रय संस्था पी0सी0एफ0 के 08 गेहूँ क्रय केन्द्र (स0मार्क0यू0 नरही समिति उजागिरगंज, समिति अलियाबाद, संघ कुडवार, समिति धम्मौर, समिति बन्धुआकला, समिति भण्डरापरशुरामपुर, समिति बधौना) पर शासन द्वारा निर्धारित खरीद अवधि दिनांक 15-06-2023 तक कुल 153.70 मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी है। केन्द्रवार गेहूँ खरीद का विवरण निम्नवत् है :-

| संस्था | केन्द्र का नाम | की गयी गेहूँ खरीद (मी0टन में) |
|---|---|---|
| खाद्य विभाग | कुड़वार | 25.85 |
| | उत्मानपुर कुडवार | 4.00 |
| | बल्दीराय | 19.65 |
| | धनपतगंज | 6.15 |
| पी0सी0एफ0 | स0मार्क0यू0 नरही | 32.90 |
| | समिति उजागिरगंज | 7.60 |
| | समिति अलियाबाद | 2.05 |
| | संघ कुड़वार | 2.05 |
| | समिति धम्मौर | 3.50 |
| | समिति बन्धुआकला | 1.55 |
| | समिति भण्डरापरशुरामपुर | 45.70 |
| | समिति बधौना | 2.70 |
| | **कुल योग** | **153.70** |

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलेवार कुशल और अर्द्ध कुशल एवं स्किल इण्डिया के अन्तर्गत रोजगार/प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण**

**95-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलेवार कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा इसमें कुशल और अर्द्ध कुशल रोजगार युवकों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि स्किल इण्डिया के अन्तर्गत जिलेवार कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया गया और उसमें से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन पोर्टल पर जॉब सीकर्स शैक्षिक योग्यतावार पंजीकरण कराते हैं एवं नियोजकों द्वारा शैक्षिक योग्यतानुसार अपनी रिक्तियां पोर्टल पर अधिसूचित की जाती हैं, इन रिक्तियों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थी रोजगार मेलों में प्रतिभाग कर रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 1891 रोजगार मेलों के माध्यम से 2,07,428 (कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल आदि सहित) अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु चयनित कराया गया (जनपदवार सूची संलग्न है।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेवायोजन पोर्टल पर कुल 522985 कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल आदि सहित) अभ्यर्थियों द्वारा रोजगार हेतु पंजीकरण कराया गया (जनपदवार सूची संलग्न है)। भारत सरकार द्वारा स्किल इण्डिया को एक छतरी अवधारणा (अम्ब्रेला कान्सेप्ट) के रूप में संकल्पित किया गया है, जिसके अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु किये जा रहे समस्त प्रयासों, योजनाओं व नवाचारों को सम्मिलित किया गया है। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनायें वर्ष 2022-2023 में संचालित की गई हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक),

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना,

स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्ड (एसएसडीएफ)।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में प्रदेश में कुल 1,12,148 युवा प्रशिक्षित व 54,358 युवा सेवायोजित कराये गये हैं। जनपदार प्रशिक्षित व सेवायोजित युवाओं की संख्या संलग्नक-1[†] पर प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में परिवहन निगम का बस डिपो स्थापित कराकर बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

**96-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में परिवहन निगम का बस डिपो स्थापित न होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सरकारी बस डिपो स्थापित करके बस संचालन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

बलिया से बैरेया मार्ग पर बसों का संचालन होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में बैरिया विधान सभा क्षेत्र हेतु जिला मुख्यालय बलिया से 05 सेवा में प्रतिदिन संचालित होती हैं। तहसील बैरिया जिला मुख्यालय बलिया से मात्र 36 किमी0 दूरी पर स्थित है, बलिया में डिपो स्थापित है।

## जनपद बलिया में राशन के होलसेल कोटेदारों द्वारा सामग्री का उठान व वितरण का तहसीलवार विवरण

**97-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्तमान में कितने राशन के होलसेल कोटेदारों को लाइसेंस देकर सामग्री का उठान व वितरण कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का तहसीलवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

[†] देखिए नत्थी 'ङ ' आगे पृष्ठ संख्या-360-365 पर।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वर्तमान में जनपद बलिया के ग्रामीण क्षेत्र में 1,277 व नगरीय क्षेत्र में 131 कुल 1,408 उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त कराया जा रहा है।

जनपद-बलिया में कार्यरत उचित दर की दुकानों का तहसीलवार विवरण :-

| तहसील | योग |
|---|---|
| सदर बलिया | 428 |
| सिकन्दरपुर | 162 |
| बांसडीह | 228 |
| बैरिया | 161 |
| रसड़ा | 227 |
| तहसील | योग |
| बेल्थरारोड | 202 |
| महायोग | 1408 |

प्रश्न नहीं उठता।

**अलीगढ़ में ट्रकों में सरकारी गेहूँ पकड़ने तथा काला बाजारी में बन्द किये जाने की घटना पर जाँच में हुई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में**

**98-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0एफ0सी0 अलीगढ़ में दिनांक 15-07-2011 को थाना बन्नादेवी के अन्तर्गत अलीगढ़ में दो ट्रकों में सरकारी गेहूँ पकड़ने तथा कालाबाजारी में बन्द किये जाने की घटना की दिनांक 09-06-2017 को राज्य सरकार ने जाँच के आदेश दिये थे ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

दिनांक 15-07-2011 को 2 ट्रकों की कालाबाजारी के प्रकरण में नियमानुसार जांचोपरान्त अन्य के अतिरिक्त जनपद अलीगढ़ में केन्द्र लोधा पर नियुक्त परिवहन ठेकेदार मेसर्स एस0 के0 अग्रवाल को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः दोषी पाया गया। परिवहन ठेकेदार के इस कृत्य के कारण शासकीय क्षति कारित होने एवं राजकीय सम्पत्ति की अमानत में खयानत के लिए दोषी पाये जाने पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा के आदेश संख्या-228/स्वी-वि0का0 दिनांक 18-04-2012 द्वारा उक्त ठेकेदार के

समस्त ठेके निरस्त कर उनको काली सूची में अंकित किया गया। इसके साथ ही जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 19-12-2018 के क्रम में ठेकेदार एस0 के0 अग्रवाल के विरुद्ध जारी आर0सी0 की सम्पूर्ण धनराशि रु0 25,97,883/की वसूली की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला के अन्तर्गत रोडवेज बस अड्डा बनाए जाने विषयक**

**99-श्रीमती अलका सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला के अन्तर्गत रोडवेज बस अड्डा बनाए जाने की सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उक्त बस अड्डे का निर्माण कब तक सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के संडीला से 54 किलोमीटर की दूरी पर हरदोई तथा 56 किलोमीटर की दूरी पर कैसरबाग में पूर्व से ही बस स्टेशन स्थित है तथा तहसील संडीला में यात्री शेल्टर निर्मित है। अतः विधान सभा क्षेत्र संडीला में बस अड्डा बनाये जाने का वर्तमान में समुचित औचित्य नहीं है।

**प्रदेश में संचालित धान क्रय केन्द्रों की संख्या एवं धान खरीद की जानकारी के सम्बन्ध में**

**100-श्री अतुल प्रधान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष में कितने धान क्रय केन्द्र संचालित हुए तथा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना धान क्रय किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ मण्डल में वर्तमान वर्ष में धान के कितने क्रय केन्द्र खोले गए तथा उनमें गत वर्ष के सापेक्ष कुल कितना धान क्रय किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत प्रदेश में धान क्रय हेतु कुल 4431 क्रय केन्द्र संचालित किये गये। प्रदेश में गत वर्ष (वर्ष 2021-22) में कुल 65.53 लाख मी0टन धान तथा इस वर्ष (वर्ष 2022-23) में कुल 65.50 लाख मी0टन धान क्रय किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मेरठ मण्डल में धान क्रय हेतु कुल 44 क्रय केन्द्र संचालित किये गये। मेरठ मण्डल में गत वर्ष (वर्ष 2021-22) में कुल 12077.625 मी0टन

धान क्रय किया गया तथा इस वर्ष (वर्ष 2022-23) में कुल 6945.546 मी0टन धान क्रय किया गया है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2023 में गेहूँ की खरीद का तय लक्ष्य एवं विगत वर्ष में गेहूँ की खरीद का विकासखण्डवार विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में**

**101-श्री सचिन यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2023 में गेहूँ की खरीद का तय लक्ष्य क्या है एवं विगत वर्ष उक्त जनपद में कितने मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई थी ? क्या सरकार उक्त का विकासखण्डवार विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2023 में गेहूँ खरीद का क्रय लक्ष्य 67000 मी0टन था। विगत वर्ष जनपद फिरोजाबाद में कुल 210.90 मी0 टन गेहूँ की खरीद की गयी थी।

जी हाँ।

वर्ष 2023-24 में जनपद फिरोजाबाद में विकासखण्डवार गेहूँ खरीद का विवरण निम्नवत् है-

| क्रमांक | विकास खण्ड का नाम | कुल खरीद (मी0 टन में) |
|---|---|---|
| 1 | अरांव | 2.00 |
| 2 | जसराना | 183.20 |
| 3 | एका | 210.765 |
| 4 | टूंडला | 26.15 |
| 5 | शिकोहाबाद | 153.40 |
| 6 | फिरोजाबाद | 25.40 |
| 7 | नारखी | 17.00 |
| 8 | हाथवंत | 154.30 |
| 9 | सिरसागंज | 3.35 |
| **कुल गेहूँ खरीद** | | **775.565** |

विगत वर्ष 2022-23 में जनपद फिरोजाबाद में विकासखण्डवार गेहूँ खरीद का विवरण निम्नवत है :-

| क्रमांक | विकासखण्ड का नाम | कुल खरीद (मी0 टन में) |
|---|---|---|
| 1 | फिरोजाबाद | 8.65 |
| 2 | नारखी | 2.10 |
| 3 | मदनपुर | 5.25 |
| 4 | अरांव | 4.00 |
| 5 | शिकोहाबाद | 30.45 |
| 6 | टूंडला | 16.250 |
| 7 | जसराना | 55.75 |
| 8 | हाथवंत | 48.85 |
| 9 | एका | 39.60 |
| **कुल गेहूँ खरीद** | | **210.90** |

**जनपद मैनपुरी में दिनांक 14-11-22 से दिनांक 08-12-22 तक जिला कारागार मैनपुरी में कैदियों के दाखिले के विवरण के सम्बन्ध में**

**102-इंजी0 बृजेश कठेरिया-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, जनपद मैनपुरी में दिनांक 14-11-22 से दिनांक 08-12-22 तक जिला कारागार मैनपुरी में प्रतिदिन कितने कैदी किस-किस समय जेल में दाखिल किये गये ? क्या सरकार उक्त अवधि में नवीन कैदियों के दाखिले का विवरण समय सहित उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हाँ, जिला कारागार, मैनपुरी में दिनाँक 14-11-2022 से दिनाँक 08-12-2022 तक कुल 426 नवीन बन्दी दाखिल हुए। उक्त अवधि में कारागार में दाखिल किए गये बन्दियों का तिथि एवं समववार विवरण संलग्न[†] है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापा नहीं गया।

## जनपद बलिया के जेल की क्षमता के सापेक्ष कैदियों का विवरण तथा नये बैरिक की अतिरिक्त व्यवस्था की मांग

**103-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की जेल में कैदियों को रखने की कितनी क्षमता है और क्षमता के सापेक्ष कितने अधिक कैदी वर्तमान में रखे गये हैं ? क्या सरकार कैदियों को रखने के लिए नये वैरिक की अतिरिक्त व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मवीर प्रजापति-**

जी हाँ, दिनांक 30.06.2023 की स्थिति के अनुसार जिला कारागार, बलिया में बन्दी क्षमता 339 के सापेक्ष 675 बन्दी निरुद्ध हैं। क्षमता के सापेक्ष 336 अधिक बंदी कारागार में निरुद्ध हैं।

जिला कारागार बलिया को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु भूमि व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

## त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में घटघटा बाबा से गोधन तक सड़क एवं पुलिया के निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

**104-श्रीमती जय देवी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जारी धनराशि से विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में घटघटा बाबा से गोधन तक सड़क एवं पुलिया का निर्माण का कार्य अधूरा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं पुलिया का अधूरा निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हो, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी, हां।

जी, हां।

इस निर्माण कार्य में लक्षित सड़क एवं पुलिया का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है एप्रोच, रोड का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में उ0प्र0 परिवहन निगम के जर्जर बस स्टैण्डों का पुनर्निर्माण/नव निर्माण कराने की मांग

**105-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, प्रदेश में उ0प्र0 परिवहन निगम के कितने बस स्टैण्ड जर्जर स्थिति है, उनका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त बस स्टैण्डो का पुनर्निर्माण/नवनिर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

उ0प्र0 परिवहन निगम के कुल 45 बस स्टैण्ड जर्जर स्थिति में हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0-सं0 | बस स्टेशन का नाम | जनपद | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | आगरा फोर्ट (बिजली घर) | आगरा | पी0पी0पी0 पद्धति पर प्रथम चरण में निर्मित/विकसित किये जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत एल0ओ0आई0 जारी हो चुकी है। |
| 2 | मथुरा पुराना | मथुरा | पी0पी0पी0 पद्धति पर प्रथम चरण में निर्मित/विकसित किये जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत पुनः बिड आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | देवरिया | देवरिया | पी0पी0पी0 पद्धति पर द्वितीय चरण में निर्मित/विकसित किये जाने की योजना प्रस्तावित है। |
| 4 | शाहगंज | जौनपुर | शासकीय अंशपूंजी से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों जारी की जा चुकी हैं। |
| 5 | सुजानगंज | जौनपुर | उपरोक्तानुसार |
| 6 | पडरौना | कुशीनगर | उपरोक्तानुसार |
| 7 | बिन्दकी | फतेहपुर | उपरोक्तानुसार |
| 8 | ललौली | फतेहपुर | शासकीय अंशपूंजी से पुनः निर्मित किये जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत शासन द्वारा कार्यदायी संस्था नामित की जा चुकी है। |
| 9 | डुमरियागंज | सिद्धार्थनगर | उपरोक्तानुसार |
| 10 | धामपुर | बिजनौर | उपरोक्तानुसार |

| क्र0-सं0 | बस स्टेशन का नाम | जनपद | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 11 | घोसी | मऊ | पुर्ननिर्माण/उच्चीकरण किया जाना विचाराधीन है। |
| 12 | कागारोल | आगरा | पुनर्निर्माण/नवीनीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। |
| 13 | जलेसर | एटा | उपरोक्तानुसार |
| 14 | जगनेर | आगरा | उपरोक्तानुसार |
| 15 | छाता | मथुरा | उपरोक्तानुसार |
| 16 | शेरगढ़ | मथुरा | उपरोक्तानुसार |
| 17 | कोसी | मथुरा | उपरोक्तानुसार |
| 18 | दादरी | गौतमबुद्धनगर | उपरोक्तानुसार |
| 19 | गभाना | अलीगढ़ | उपरोक्तानुसार |
| 20 | खैर | अलीगढ़ | उपरोक्तानुसार |
| 21 | सादबाद | हाथरस | उपरोक्तानुसार |
| 22 | अकराबाद | अलीगढ़ | उपरोक्तानुसार |
| 23 | खंदौली | आगरा | उपरोक्तानुसार |
| 24 | मुरादगंज | औरैया | उपरोक्तानुसार |
| 25 | राजपुर | कानपुर देहात | उपरोक्तानुसार |
| 26 | शमशाबाद | फर्रुखाबाद | उपरोक्तानुसार |
| 27 | घिरोर | मैनपुरी | उपरोक्तानुसार |
| 28 | बरनाहल | मैनपुरी | उपरोक्तानुसार |
| 29 | पुखरायॉ | कानपुर देहात | उपरोक्तानुसार |
| 30 | नवाबगंज | बरेली | उपरोक्तानुसार |
| 31 | सहसवान | बदायूँ | उपरोक्तानुसार |
| 32 | कोरॉव | प्रयागराज | उपरोक्तानुसार |
| 33 | पट्टी | प्रतापगढ़ | उपरोक्तानुसार |
| 34 | कालाकांकर | प्रतापगढ़ | उपरोक्तानुसार |
| 35 | मधुवन | मऊ | उपरोक्तानुसार |

| क्र0-सं0 | बस स्टेशन का नाम | जनपद | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 36 | मर्यादपुर | मऊ | उपरोक्तानुसार |
| 37 | हमीरपुर | हमीरपुर | उपरोक्तानुसार |
| 38 | कुल पहाड़ | महोबा | उपरोक्तानुसार |
| 39 | गौरी बाजार | देवरिया | उपरोक्तानुसार |
| 40 | खलीलाबाद | सन्तकबीर नगर | उपरोक्तानुसार |
| 41 | काशी | वाराणसी | उपरोक्तानुसार |
| 42 | अहरौरा | मिर्जापुर | उपरोक्तानुसार |
| 43 | उजियारघाट | बलिया | उपरोक्तानुसार |
| 44 | ठेकमा | आजमगढ़ | उपरोक्तानुसार |
| 45 | पुराना शमसाबाद | आगरा | अन्य स्थान पर नवीन बस स्टेशन का निर्माण हो चुका है। वर्तमान में यह बस स्टेशन उपयोग में नहीं है। |

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने की मांग**

**106-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु साइकिल सहायता योजना लागू है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में उक्त हेतु कुल कितने धनराशि की व्यवस्था की गयी तथा वर्ष 2023 में कितने श्रमिकों की कितने मूल्यों की साइकिल वितरित की जायेगी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अनिल राजभर-**

जी नहीं।

लागू नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के स्तर से साइकिल सहायता योजना संचालित नहीं होने के कारण प्रश्न ही नहीं उठता है।

**जनपद बलिया में विगत दो वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल अथवा मृतक के परिवारों को एम0वी0 एक्ट में प्राविधानित धाराओं के अन्तर्गत मुआवजा दिलाने विषयक जानकारी**

**107-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में विगत दो वर्षों में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं तथा उपरोक्त सड़क दुर्घटना में घायल अथवा मृतक के कितने परिवारों को एम0वी0 एक्ट में प्राविधानित धाराओं के अन्तर्गत मुआवजा दिलाने की कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार शेष परिवारों को मुआवजा राशि दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जनपद बलिया में पिछले दो वर्षों में घटित कुल 636 सड़क दुर्घटनाओं में 438 लोगों की मृत्यु हुई तथा 428 लोग घायल हुये।

परिवहन विभाग द्वारा केवल सार्वजनिक सेवायानों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं में मृतकों/घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम-30 एवं 31 में उद्धरित सुसंगत प्राविधानों के अनुसार जिला अधिकारी के स्तर से मृतकों/घायलों के सम्बन्ध में जाँच आख्या प्राप्त होने पर सहायता धनराशि आवंटित की जाती है।

विगत दो वर्षों में सार्वजनिक सेवायानों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से जनपद बलिया में 02 दुर्घटनाओं से संबन्धित सूचना प्राप्त हुई।

जिलाधिकारी, बलिया से प्राप्त जाँच आख्या के क्रम में परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी, बलिया को पीड़ित परिवारों को सहायता राशि आवंटित करते हुए, पत्र दिनांक 04-08-2023 निर्गत कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## वर्ष 2022-23 में लगाई गई नई बसों और जर्जर बसों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

**108-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2022-23 में कुल कितनी नई बसें लगाई गई और कितनी जर्जर बसों को संचालन से हटाया गया? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

वर्ष 2022-2023 में उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा 582 नयी डीजल बसें बीएस-6 मॉडल क्रय की जा चुकी हैं तथा निगम के बस बेड़े में सम्मिलित की गई हैं। 1489 जर्जर बसे संचालन से हटायी गयी हैं।

वर्ष 2023-2024 में उ0प्र0 परिवहन निगम में 443 बसें सम्मिलित की गई हैं एवं 650 बसों का क्रयादेश निर्गत करके बस बॉडी बनाने की कार्यवाही गतिशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया को बिहार प्रान्त के जनपदों से जोड़ने के लिए अन्तर्राज्यीय बस डिपो की स्थापना कराने की मांग

**109-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया को बिहार प्रान्त के सिवान-छपरा और आरा जनपद से जोड़ने के लिए अन्तर्राज्यीय बस डिपो की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी नहीं।

बैरिया विधान सभा क्षेत्र में बैरिया कस्बा है, जहाँ से 36 किमी0 की दूरी पर परिवहन निगम बलिया डिपो/बस स्टेशन स्थापित है।

बैरिया से 16 किमी0 की दूरी पर बिहार राज्य की सीमा प्रारम्भ होती है। बैरिया से लखनऊ-कानपुर हेतु बलिया डिपो की बसें संचालित हैं, बैरिया में यात्रियों की उपलब्धता भी कम है इस परिस्थितियों में अन्तर्राज्यीय बस डिपो स्थापित कराये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश के अवैध संचालित बस अड्डों को बन्द कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में**

**110-श्री वीर विक्रम सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अवैध संचालित बस अड्डों को हटाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर स्थित बरेली मोड़ पर तथा तिलहर पेट्रोल पम्प के सामने दिल्ली जाने के लिए अवैध बस अड्डा संचालित है ? क्या सरकार उक्त अवैध बस अड्डों को बन्द कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दयाशंकर सिंह-**

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 24-05-2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त टीम के माध्यम से जनपद में संचालित समस्त वैध एवं अवैध टैक्सी एवं बस अड्डों का सर्वेक्षण कराया गया तथा पाये गये समस्त अवैध संचालित अड्डों को हटा दिया गया है। वर्तमान में कोई भी अवैध बस अड्डा जनपद शाहजहांपुर में संचालित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

**जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज मदनापुर में कोटेदारों को कम राशन देने एवं घटतौली करने पर कार्रवाई विषयक**

**111-श्री वीर विक्रम सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 30-05-23 आई0जी0आर0एस0 सं0 18152230092019, जो ब्लाक खुदागंज मदनापुर में कोटेदारों को कम राशन देने एवं घटतौली के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज मदनापुर में कोटेदारों को कम राशन देने एवं घटतौली के सम्बन्ध में मा0 सदस्य का आई0जी0आर0एस0 सं0-18152230092019 व दिनांक 30-05-2023 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि उक्त विषय से सम्बंधित मा0 सदस्य क्व पत्र दिनांक 08-06-2023 (आई0जी0आर0एस0 सं0-18152230100668) प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य के संदर्भित पत्र दिनांक 08-06-2023 में की गयी शिकायतों की जाँच करायी गयी और जांचोपरांत कतिपय बिन्दुओं पर शासन के पत्र दिनांक 13-07-2023 द्वारा कार्यवाही हेतु आयुक्त, खाद्य एवं रसद को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश के किसानों को गेहूँ खरीद समर्थन मूल्य में प्रति कुन्तल तौलाई, ढुलाई, छनाई एवं पल्लेदारी आदि के लिए निर्धारित 20/- रुपये के स्थान पर 40/-रुपये प्रति कुन्तल कराने की मांग

**112-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, प्रदेश के किसानों को गेहूँ खरीद समर्थन मूल्य में प्रति कुन्तल तौलाई, ढुलाई, छनाई एवं पल्लेदारी आदि के लिए निर्धारित 20 रुपये के स्थान पर 40/-रुपये प्रति कुन्तल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

किसानों से गेहूँ धान खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाती है। शासन द्वारा जारी गेहूँ क्रय नीति में यह व्यवस्था दी गयी है कि कृषक का गेहूँ निर्धारित मानक के अनुरूप न होने पर, यदि गेहूँ की छनाई एवं सफाई की आवश्यकता समझी जाती है तो गेहूँ की उतराई, उन्नाई एवं सफाई का कार्य कृषक स्वयं कर सकेंगे। यदि क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य केन्द्र पर उपलब्ध श्रमिकों द्वारा किया जाता है तो कृषक द्वारा श्रमिकों से कराने पर वास्तविक व्यय के आधार पर वार्ता कर समझौतों के अनुरूप अथवा अधिकतम रु0 20 प्रति कुं0 की दर से भुगतान किया जायेगा।

स्पष्ट है कि उतराई एवं छनाई के सम्बन्ध में कृषक द्वारा स्वयं भुगतान किया जाता है। जहाँ तक तौलाई, ढुलाई, छनाई एवं पल्लेदारी आदि के लिए निर्धारित रु0 20 प्रति कुं0 के स्थान पर रु0 40 प्रति कुं0 किये जाने का प्रश्न है, अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि रु0 20 प्रति कुं0 किसानों द्वारा ही व्यय किया जाता है, इसे बढ़ाने पर किसानों पर अधिक व्ययभार पड़ेगा।

## हरगोविन्द पुत्र श्री वृन्दावन, निवासी जनपद-झांसी को जबरन रिटायर किये जाने के सम्बन्ध में

**113-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरगोविन्द पुत्र श्री वृन्दावन निवासी-ग्राम धीरका, झांसी, चिरगाँव खुर्द, जनपद-झांसी को कार्यालय डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, कानपुर कार्यालय अभिलेख (नामिनल रोल साफ्टवेयर डाटा) के अनुसार जन्म वर्ष 1969 को न मानकर 1963 मानकर जबरन रिटायर किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-7 199924, दिनांक 28 जून, 2023 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मवीर प्रजापति-**

जी हाँ।

जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, झांसी के पत्र संख्या-370/अवै0 स्था0-पत्रा/2022, दिनांक 28-06-2023 (प्रति संलग्न), जो कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स को सम्बोधित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री हरगोविन्द पुत्र श्री वृन्दावन की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 1987 के प्रमाण-पत्र को माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज से सत्यापित कराया गया। उक्त प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि 02-06-1963 को माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा सत्यापित किया गया है। उक्त सत्यापित जन्मतिथि के अनुसार श्री हरगोविन्द दिनांक 30-06-2023 को 60 वर्ष की अधिवर्षला आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवक की पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी सेवाओं से विरत किये जा चुके हैं। जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, झाँसी का उक्त पत्र[†] दिनांक 28-06-2023 मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को भी पृष्ठांकित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## [12:20] मा0 जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री दिनेश कुमार) को जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई

**श्री अध्यक्ष-**

आज दिनांक 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री दिनेश कुमार, निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर, जिला मेरठ का जन्मदिन है। आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा चुनाव में द्वितीय बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम श्री देवेन्द्र कुमार है। आपका जन्म दिनांक 11 अगस्त, 1977 को कस्बा फलावदा, जनपद मेरठ में हुआ था। आपने कक्षा 9 तक की शिक्षा ग्रहण की है। आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

(सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी अपनी मेज थपथपाकर श्री दिनेश कुमार, सदस्य विधान सभा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं)

## तारांकित प्रश्न सं0-2 के स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***डॉ आर0 के0 वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न पूरे सदन और व्यवस्थापिका की गरिमा से जुड़ा हुआ है। आज की कार्य सूची के नत्थी-क के तारांकित प्रश्न संख्या-2 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था कि क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार की अनुदानित लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने की कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो

---

[†] देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या-366-367 पर।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या सरकार उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, इस प्रश्न को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अन्तर्गत दूसरे गुरूवार के तारांकित प्रश्न संख्या-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। मान्यवर, कृपया मेरे प्रश्न की शब्दावली का अवलोकन किया जाये, जिसमें मेरे द्वारा स्पष्ट लिखा गया है, कि बेरोजगारों को रोजगार देने में क्या आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जायेगा ? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग अगर किसी को लघु और कुटीर उद्योग के अन्तर्गत सरकार की अनुदानित योजना का लाभ देता है, तो उसका मानक बेरोजगारी नहीं होता है। बेरोजगारी की व्याख्या श्रम और सेवायोजन विभाग करता है। बेरोजगारों की संख्या और बेरोजगारी का मानक और बेरोजगारी की परिभाषा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग परिभाषित नहीं करता है। मान्यवर, यहां पर पूरी सरकार बैठी है। अगर यह प्रश्न दूसरे विभाग से भी संबन्धित है तब भी माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा मेरा प्रश्न था कि, बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से अगर कार्य योजना नहीं बनी है, तो भी मा0 मंत्री जी द्वारा जबाव दिया जाना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है। इसको में दिखवा लूंगा।

**डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, इसी विभाग पर शुक्रवार को 22-03-2023 को मेरा दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न लगा है।

**श्री अध्यक्ष-**

डॉ0 वर्मा, कृपया आप मेरा निवेदन सुन लीजिये। आपने जो पहली बात प्रश्न से संबन्धित बताई है मैंने उसका संज्ञान ले लिया है और मैं उसे जरूर दिखला लूंगा। बाकी जो दूसरी डेट आप बता रहे हैं वह मेरे सामने नहीं है। आप मुझे लिखकर दे दीजियेगा मैं दिखवा लूँगा।

## [12:24] प्रदेश में मानसून के विलम्ब से आने, सूखा, बाढ़, बादल फटने आदि से फसलों के आच्छादन में हुए विलम्ब पर उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा

**डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

ठीक है, मान्यवर।

**श्री अध्यक्ष-**

अब श्री अखिलेश यादव, माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे।

***नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मुझे इस सत्र में बोलने का मौका दिया। मैं आपको हर सत्र में बधाई देता हूँ और एक बार फिर बधाई देता हूँ कि जब भी हम लोग विधान सभा सत्र में आते हैं तो कोई-न-कोई नया परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी टेबल पर आधुनिक चीजें लग जाती हैं, टेक्नोलॉजी का साथ लेकर कैसे सहूलियत मिलती है और लगातार आप विधान सभा में कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इधर सुना है कि बहुत शानदार गैलरी बनायी है।

**श्री अध्यक्ष-**

आपने देखी नहीं है।

**श्री अखिलेश यादव-**

अध्यक्ष जी, मैं आप ही के साथ देखूंगा और मैने कहा था कि आप राइट की तरफ कम देखें लेफ्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि गैलरी में आपने वह बैलेंस बनाया होगा। हालांकि अध्यक्ष जी हमेशा खुश रहते हैं। कभी-कभी कुछ मा0 सदस्य इमोशन में आकर अपनी बात रखने की वजह से आपको नाराज कर देते हैं लेकिन किसी भी सदस्य को आपके प्रति खराब भावना नहीं है। सब आपको अच्छा ही मानते हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

मैं सभी का सम्मान करता हूँ।

**श्री अखिलेश यादव-**

मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार के लगभग साढ़े छः साल पूरे हो गये है। एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सरकार आज सत्ता में है। पहले यह दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा और अब इन चार से पहचाने जाते हैं भाजपाई, वह है नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई। हमारे नेता सदन बहुत समझदार हैं और इतने समझदार हैं कि जो चीज कोई न जान पाये, ऐसी जगह कही जाये। मा0 सदस्य लोग न पढ़ पायें उस अखबार में जरूर इंटरव्यू देना चाहिए। सदन शुरू होने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू एक अंग्रेजी अखबार में दिया गया और कहा गया कि हमारा गोल है कि वन ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक बन जायेगी। यह बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी जब सदन में हम लोगों को बजट पर बोलने का मौका मिला था। यह इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि वन ट्रिलियन इकोनॉमी हो जायेगी। यह वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे सम्भव है। बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किये हुये कैसे सम्भव है। जब मैं इंटरव्यू को देखता हूँ तो मुझे यह लगता है कि इसमें बोला कम गया है लिखकर ज्यादा दिया गया है। यह बोलने वाला इंटरव्यू नहीं है। चाय पीकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिर्फ इंटरव्यू छप गया है। हमारे नेता सदन कहते हैं कि सेक्टर विच यू0पी0 इज दुइंग बेल। तो पूछा गया है कि कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है। जवाब मिलता है इन्फास्ट्रक्चर, रोड्स, एक्सप्रेस-वेज, एयर एण्ड वाटरवेज। अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पिछली बार किये गये थे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन यह बतायेंगे कि, जहाँ इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। यह वाटरवेज कहाँ चल रहा है, वाटरवेज में आप कहाँ व्यवस्था बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके पास वाटरवेज कहाँ हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यह मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है।

मान्यवर, फ्रेट कॉरीडोर, अगर मा0 नेता सदन आपने यह फ्रेट कॉरीडोर बनाया होता तो फिर यह गोरखपुर होकर क्यों नहीं जा रहा है, यह गोरखपुर होकर भी जाता और फिर जितना पुरानी सरकारों का फ्रेट कॉरीडोर का काम था वही चल रहा है कोई नया फ्रेट कॉरीडोर हुआ है। हालांकि अंग्रेजी में एक कहावत है, क्योंकि आपने अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू दिया है कि 'चौरिटी बिगेन्स ऐट होम'। आप उसको किस रूप में कह रहे हैं वह भी एक इंटरप्रिटेशन है। मा0 नेता सदन आप प्रदेश को तो बाद में ठीक करें, गोरखपुर की कोई गली ऐसी बता दो जिसमे आज पानी न भरा हो, कोई सड़क ऐसी है जहाँ जल भराव न हुआ हो। मा0 नेता सदन साढ़े छः साल से मुख्य मंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ पर नियंत्रण हो जायेगा और सूखे में भी पानी मिल जायेगा। जो लोग अपना घर ठीक नहीं कर सकते हैं वह दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे। कहा गया था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किस फसल की आय दोगुनी हो गयी है। मा0 नेता सदन बतायें कि पूरे प्रदेश में और सभी मा0 सदस्य सदन में बैठे हैं अगर इन साढ़े छः सालों में एक भी नयी मण्डी बनायी हो और मण्डी के साथ-साथ जिन फसलों की कीमत सरकार को देनी चाहिए थी, क्या सरकार फसलों की कीमत दे रही है जिससे हम यह कह सकें कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गयी है। मुझे याद है कि जिस समय आलू की फसल थी, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आलू की शिकायत कोने-कोने से न आ रही हो।

सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे और बजट में आलू खरीदने के लिए हेड खोला गया। आज मा0 नेता सदन बतायेंगे कि कितना आलू सरकार ने खरीदा है और अब क्षेत्रों में निकलने का समय है। हमारे मा0 सदस्य क्षेत्र में जाते होंगे, आलू का क्या भाव मिल रहा है, क्या आलू का भाव किसी को मिलने लगा है और अगर अभी कोल्ड स्टोर से आलू नहीं निकलेगा, बाजार में भाव नहीं मिलेगा तो मा0 नेता सदन यह भी बतायें कि कितने दिनों बाद दूसरी फसल आ जायेगी। अभी मक्का का सीजन था, क्या सरकार ने मक्का खरीदी है ? जिन किसानों की मक्का सड़ गयी तो क्या सरकार ने उन किसानों की मदद की है ? सरकार के पास धान को लेकर क्या तैयारी है कि, अगर सरकार को धान की खरीद करनी पड़ेगी तो उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, क्योकि हम लोगों ने पिछली धान खरीद की तैयारी को

देखा है। जिन क्षेत्रों में गन्ना है, हमारे आर0एल0डी0 के मा0 सदस्य जानते होंगे और यहां पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, क्या आपके यहाँ पर गन्ने का पेमेण्ट हो गया है ? [समाजवादी पार्टी एवं आर0एल0डी0 के मा0 सदस्यों ने कहा कि नहीं मिला है, नहीं मिला है] मा0 सदस्य श्री पंकज मलिक जी बैठे हैं। मान्यवर, यही शिकायत रहती है और मेरी शिकायत नहीं है यह शिकायत इन सभी मा0 सदस्यों की है। सरकार कहती है कि हमने इतना पेमेण्ट किया है लेकिन सरकार यह भी तो बतायें कि हमारा इतना बकाया है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या सरकार उस हिसाब से गन्ने की कीमत दे रही है ? गन्ना किसानों का कितना बकाया है ? यह तो कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे क्या आपने आलू का एक्सपोर्ट किया ? आपने कहा कि हमने इधर एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, हो सकता है कि कुछ चीजों का एक्सपोर्ट हुआ हो और ऐसा नहीं है कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने चावल का एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन में टक्कर हो रही है। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि चावल का एक्सपोर्ट कब से बंद है ? आपने आम भेजा है, आम तो पहले भी जाता था। जिन लोगों ने सरकारों में मंडियां सम्भाली होंगी वे जानते होंगे बहुत-सी चीजें पहले भी एक्सपोर्ट होती रही हैं। हमें बताएं कि आपका आलू कितना एक्सपोर्ट हो गया ? चावल कितना एक्सपोर्ट हो गया ? और सुना है कि अब तो यहां से लंदन तक आम जा रहा है, वैजीटेबल्स मिर्जापुर और बलिया से जा रही हैं। आपने टमाटर का रंग नहीं देखा, आप तो टमाटर पर बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि टमाटर की कीमतों ने आपके चेहरे को लाल कर दिया।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाईं)

अध्यक्ष महोदय, दुनिया में यह नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी हो और उसे जेल भेज दिया गया हो। लोकतंत्र में यह अधिकार है कि हम लोगों को जागरूक करें, संदेश दें। एक ओर उसने रास्ता निकाला कि हम टमाटर की दुकान खोलकर लोगों को जागरुक करें। कैसा लोकतंत्र है जिसने टमाटर पर जगाया, आपने उस दुकानदार के न केवल बेटे को बल्कि उसके पिता को भी जेल भेज दिया।

(विपक्ष के मा0 सदस्य शेम-शेम कहने लगे)

क्या यही लोकतंत्र है कि आपने उन दोनों को जेल भेज दिया ? और टमाटर के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी वह भी इसलिए क्योंकि समाजवादियों ने यह बात कह दी कि हो सकता है कि टमाटर को जेड प्लस की सुरक्षा देनी पड़े, सिक्योरिटी देनी पड़े क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह से खबरें आ रही थीं कि टमाटर आया और चोरी हो गया, ट्रक से लदा हुआ टमाटर ले गये। सरकार तब जागी, जब बनारस में दुकान लगाई और जागरूक किया तब सरकार जागी। सरकार यह बताये कि टमाटर की कीमत क्या थी ? क्यों आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ी ? नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े-बड़े शहरों में टमाटर की दुकानें लगानी पड़ीं।

सपना आज दिखा है कि एक ट्रिलियन इकोनॉमी का और आप टमाटर के ठेले लगवा रहे हैं। ये लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर हमारे किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। डेयरी सेक्टर के लिए आपने क्या किया, मुझे याद है कि जिस समय पराग को बजट दिया जा रहा था, उस समय अधिकारियों ने कहा कि कभी पराग को इतना बजट नहीं दिया गया। बजट देकर कैसे उत्तर प्रदेश की अपनी संस्था, जिसका प्राइवेट बाजार में सबसे ज्यादा दबदबा है उसके बराबर खड़ी हो, उसके लिए सरकार ने लगातार मदद की और उसी दौरान कॉऊ मिल्क प्लांट लगाया गया। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में बेहतर, आज के समय के हिसाब से एक कॉऊ मिल्क प्लांट लगा। किसान गाय का दूध देने लगे लेकिन इस सरकार ने कहा कि गाय का दूध देने की क्या जरूरत है आप भैस का दूध दें हम मिल्क्स प्रोडेक्ट बनाएंगे और सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी आ गयी कि काऊ मिल्क प्लांट बंद है, केवल वही बंद नहीं है। ये मेरठ के हमारे मा0 सदस्य भी जानते होंगे,

माननीय सदस्य जो मेरठ से आते होंगे, 256 करोड़ रुपये दिए गए थे, डेयरी के उच्चीकरण के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, क्या आपके उत्तर प्रदेश के सभी डेयरी प्लान्ट चल रहे हैं ? क्या डेयरी प्लान्ट सब चल रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है, इसलिए प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में डेयरी ? जहाँ समाजवादी सरकार ने अमूल या प्राइवेट लोगों के बराबर खड़ा करने के लिए काम किया। यह डेयरी को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रहे हैं, तो आप किसानों का भला कैसे करेंगे ? समाजवादियों ने उस समय भी कहा और मैं फिर कहता हूँ, इस मौके पर कि काऊ मिल्क प्लान्ट के लिए कहा गया था कि, अगर हमें फैट कन्टेन्ट के हिसाब से भैंस के दूध से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन बन्द नहीं होने देंगे। यह सरकार तो बन्द कर रही है। आपका मेरठ का बन्द हो गया। जो हमारी सरकार में कुक्कुट योजना शुरू हुई थी, कुक्कुट विकास के लिए, आपका स्टेट कन्ज्यूमर स्टेट है। अब नेता सदन यह न कहें कि वेज-नॉनवेज और न जाने किस दिशा में चले जायें। नेता सदन बतायें कि, उत्तर प्रदेश में अण्डों का मार्केट क्या है ? इस विपक्ष के लोग सरकार में नहीं हैं, यह सरकार बताये कि आपके उत्तर प्रदेश के अण्डे का मार्केट क्या है और कितना आपका बाहर से अण्डा आता है ? समाजवादी सरकार ने शुरू किया था कि, इसी प्रदेश में यह योजना हो, जिससे हम अण्डों को बढ़ा सकें। वह सीधा-सीधा हमारे फार्मर्स की मदद करता, उसकी आय बढ़ाने में मदद करता। आप इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो थोड़ा इधर भी ध्यान देंगे।

अध्यक्ष जी, यह जो जानें जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से या कुत्तों से और कभी साँड़ से। नेता सदन, आप साँड़ का नाम आते ही मुस्कराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, जो उस क्षेत्र से आते है, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे, विपक्ष की न मानें, नेता सदन, आप अपने सदस्यों की मानें, 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की

जान जा चुकी है। लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गयी है जान, गाजीपुर में गयी है, केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूँ, साँड़ की तो बाद में लम्बी सूची है। सोचिए, गुलदार, लैपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, किसान जा नहीं पा रहे है। टाइगर आपके खेतों में, सूची और लम्बी है। बिजनौर के हमारे माननीय सदस्यों ने सूची पढ़ी होगी कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई एक दिन, दो दिन की बात नहीं है, यह सात-आठ महीने से चल रहा है। सात-आठ महीने से लोगों की जान जा रही है, खेत में नहीं जा पा रहे हैं, पैदावार कैसे बढ़ायेंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवनयापन कैसे करेंगे और क्या सरकार उनकी मदद कर रही है ? इतना बड़ा विभाग और विभाग का काम क्या है, किसानों को उनके हालात पर छोड़ दिया। कोई दिन, हफ्ता नहीं जाता, जिस दिन किसान की जान न जा रही हो। हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गयी एक जान, तो सरकार कर क्या रही है ? यह लम्बी सूची है, जिनकी जान गई है, बिजनौर में या अन्य जिलों में पीलीभीत में लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या सरकार उनकी मदद कर रही है, क्या सरकार के पास कोई योजना है, सुनने में आ रहा है कि सरकार कोई नई गन खरीद रही है तो इतने महीनों से सरकार क्या कर रही थी ? यह हमारे पास सूची है बलरामपुर, श्रावस्ती के इलाकों की जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और लोग घायल हुए हैं। घरों में जानवर घुस गया, गाँव में जानवर घुस गया लोग सो नहीं पा रहे हैं और लोग खौफ में जी रहे है, सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार भी सो रही है या सरकार अपनी आंख बंद कर के बैठी हुई है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा। पीलीभीत टाईगर रिजर्व में लगभग 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लोग खेतों में जा नहीं पा रहे है, खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहे यह सरकार क्या कर रही है ? मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में अगर कोई घटना हुई होगी तो न केवल किसान दुर्घटना बीमा से, बल्कि मुख्य मंत्री कोष से भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया है, उन परिवारों को दस-पन्द्रह लाख रुपए देने का काम किया है, क्या नेता सदन बताएंगे कि उन परिवारों की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मदद कर दी, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है, कम से कम जितनी समाजवादी सरकार में मदद होती थी, उससे ज्यादा मदद करने का काम यह सरकार करेगी।

इस सरकार का प्रिय जानवर सांड़ है, हमारे साथ बहुत ही सीनियर मा0 सदस्य अवधेश प्रसाद जी हैं, पिछली बार सदन में हम लोगों ने यह बात रखी थी और एक लम्बी सूची दी थी, इस विषय पर मा0 अवधेश जी का आखिरी में उपाय जरूर सुन लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा इश्यू नहीं है, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह किसान से और गरीब से जुड़ा हुआ मसला नहीं है जो भी लोग सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए डेंनजरस है, कब कोई गाड़ी सामने आ जाए और कोई टकरा जाए और जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी जिसकी वजह से जान चली गई थी। मुख्य मंत्री कार्यालय में काम करने

वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर के टकराने से, अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो आम जनता के लिए क्या सुरक्षा है ? हम आए दिन सोशल मीडिया पर या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड़ ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठाकर के फेंक दिया क्या यही ट्रिलियन डॉलर की एकोनॉमी का सपना है, क्या यही नेता सदन के बगल में बैठकर के अमेरिका में देखकर के आए थे, यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड़ सड़कों पर घूम रहे हैं। आप इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, इसमें कौन-सा वित्त मंत्री का पैसा खर्च हुआ जा रहा है। आप अपने ही जिले में एक सांड़ सफारी बना लो, आपको किसने रोका है। हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाईगर सफारी बना रहे हैं, लॉयन सफारी बना रहे हैं, इनको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि, बात डायवर्ट होती जा रही है। लायन सफारी और एनिमल सफारी जो इटावा में बनी वह हमारे लिए नहीं बनी थी वह ब्रिटिश टाईम का था बस उस जगह को इस्तेमाल किया गया और वर्ल्ड मैप पर कैसे आया उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। जब आपका शेर वहाँ रह सकता है, क्या आपका शेर वहाँ नहीं रह रहा था जो गोरखपुर गया, किसने खिलाया खाना वहाँ पर ? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड मैप पर खड़ा कर दे। उसको खत्म कर रहे हैं आप लोगों ने दुर्दशा कर दी उसकी । अभी वहाँ पर पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है, बरेली की आई0बी0आर0आई0 ने रिपोर्ट दी कि शेरनी प्रगनेन्ट है लेकिन किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। जब गर्भवती शेरनी के शावक पैदा हुए तो एक पैदा हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए तथा 5 हुये लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि, सरकार ऐसी है कि 5 में से 4 की जान चली गई। अगर पाँचों के पाँच शावक जिंदा होते तो मैं जानता हूँ, मा0 अध्यक्ष महोदय कि यही सरकार फाइल मंगवाती और उन शावकों के नाम खुद देती, क्योंकि पहले भी इन्होंने फाइल पर नाम दिये हैं। आई0बी0आर0आई0 की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई चीज यदि पुरानी सरकार ने ऐसी बनाई है जो स्टेट को वर्ल्ड मैप में ला सकती है, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं। किस अधिकारी को कहाँ पोस्ट किया गया है ? एक-एक अधिकारी को दो-दो चार्ज दे रहे हैं, अगर कोई जानकारी दे दे तो उससे कहेंगे कि आपको यहाँ से टरमिनेट कर देंगे, यह है सरकार का काम करने का तरीका। इसलिए लायन सफारी को आप नहीं सम्भाल पा रहे हैं, और न एनिमल सफारी को सम्भाल पा रहे हैं तो कम से कम साँड़ सफारी बनाकर साँड़ों को तो सम्भालो, जिनसे लोगों की जान न जाये। कौन-सा जिला बचा है जिसमें साँड़ से जान न गई हो। सम्भल में साँड़ के हमले से गई किसान की जान, गोरखपुर में साँड़ के हमले से टहलने निकले शिक्षक की मृत्यु, नेता सदन इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे। क्या आपने इसकी मदद की। शिक्षक को साँड़ ने टक्कर मारी मर गया, जान चली गई। चन्दौसी हाई-वे पर साँड़ की टक्कर से बाइक सवार घायल, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, बस्ती, सीतापुर, जानसउ, सहपऊ, बाराबंकी, मोहम्मदी, सीतापुर,

शामली, मैनपुरी, हसनपुर किस जगह का, मैं आपको बताऊँ उत्तर प्रदेश में इतनी लम्बी सूची है और यहाँ जितने मा0 सदस्य बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि उनके जिले में साँड़ से कोई गाड़ी न टकराई हो और उससे किसी की जान न गई हो। यह हालत है उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप वन ट्रिलियन डॉलर का इन्टरव्यू दे रहे हैं और साँड़ सम्भाले नहीं जा रहे हैं आपसे, तो क्या वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आप बनाएंगे। [मेजों की थपथपाहट] मा0 अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से नेता सदन से माँग कर सकता हूँ कि, पिछली बार भी मैंने सूची दी थी, कोई मदद नहीं की गयी उन परिवारों की और यह सब गरीब हैं, किसान हैं, कोई अमीर नहीं है, इसमें से और हमारे बगल में बैठे हुए मा0 सदस्य के पास तो बहुत लम्बी सूची है। पता नहीं कहाँ से सबसे ज्यादा आपके ही जिले में आ रहे हैं और आपके ही विधान सभा क्षेत्र में आ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

वह उपाय कर लेते ना तो सब ठीक हो जाता।

**श्री अवधेश प्रसाद-**

मान्यवर, पिछले 6 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

जो उपाय आप वहाँ बताना चाहते हैं यदि वहीं बता देते तो यह घटना ही नहीं होती।

**श्री अवधेश प्रसाद-**

मान्यवर, मा0 नेता जी के बाद हम बताएंगे।

**श्री अखिलेश यादव-**

सोचिए इनकी एक लम्बी सूची है, मा0 अध्यक्ष महोदय पिछली बार भी मैने सूची टेबिल की थी। अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इन परिवारों की मदद करें और कोई ऐसा इंतजाम करें जिससे सड़कों पर जानवर/साँड़ न घूमें, आपकी ट्रैफिक तथा लोगों की जानें बच सकें, खासकर किसानों की जान बच सके। वैसे तो यह सरकार बहुत तैयारी करती है और सालों साल इंतजार करती है कि इस आयोजन को करने का कैसे मौका मिले, किसी को शिकायत नहीं है। कोई भी आयोजन हो उस आयोजन में सरकार की यदि जिम्मेदारी है, सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की तो सरकार को उसे करना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी भी है। आप फूल बरसाते हैं, हेलिकॉप्टर किराये पर लाते हैं या सरकार का हेलिकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते है और कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं कोई त्यौहार मनाता हूँ लेकिन मैं समाजवादी हूँ तो मै अपने घर में मनाता हूँ, उसमें कोई प्रचार नहीं करता हूँ। अगर मुख्य मंत्री जी जाते हैं, फूल बरसाते हैं और सम्मान करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मैं यह आपके माध्यम से

जानना चाहता हूँ, नेता सदन से कि जिन लोगों की जान गई, आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो और मैं तो वह हूँ और हम समाजवादी वह लोग हैं जिन पर आरोप लगता था कि, हम लोग मदद में भेद-भाव करते थे। मुझे याद है, मैंने अखबारों में पढ़ा और लोगों से सुना है कि कुछ लोग यह कहते थे कि, लोगों को दाढ़ी के हिसाब से मदद मिलती है. छोटी दाढ़ी है तो कम मदद मिलती है, बड़ी दाढ़ी है तो ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह की बातें केवल इसलिए की जाती थीं कि समाज में नफरत फैले और झूठे-झूठे आरोप लगते थे। अध्यक्ष महोदय, जिन कावड़ियों की जान गयी है मैं उन परिवारों से मिला हूँ, मैं उन परिवारों के बीच में जा करके बैठा हूँ, सब किसान हैं, गरीब हैं। वहाँ के जिले के और आस-पास के जिले के हमारे माननीय सदस्य भी उनसे मिलने गये हैं। क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए ? मैं सदन में मांग करता हूँ और मैंने पिछली बार भी मांग की थी जब बलवन्त सिंह की कस्टोडियन डेथ हुई थी तो मैंने कहा था कि वह हमें वोट नहीं देता है वह आपको ही वोट देता है। आपके लोगों ने कहा कि हम 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की मदद करेंगे, सरकारी नौकरी दिलायेंगे। आप पीछे हट गये। आपका बुलडोजर अधिकारी ले करके गये, एक मां-बेटी को जिंदा मार दिया, जला दिया। वह हमारे वोटर नहीं थे, हमने मांग की थी कि उनकी मदद करो, सरकारी नौकरी दो, मैं आज फिर मांग करता हूँ कि जो कांवड़ियों की जान गयीं है और साथ-ही-साथ ताजिया लेकर जो निकले थे, उन लोगों की जान गयी है, उनको परिवारों में अभी भी लोग घायल हैं, सरकार उन परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये से मदद करे। चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुस्लिम हो, अपने आयोजन में अगर कोई गया है तो सरकार उसकी मदद करे, एक-एक करोड़ रुपये दे और उन परिवारों को सरकारी नौकरी दे और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपकी हर बात झूठी है। फूल बरसाना, उनके पैर धोना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, डी0जी0पी0 को भेजना ये सब फर्जी है, अगर आप एक करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो चाहे वह कांवड़िया हो, चाहे वह ताजिया उठाने वाले हमारे किसी भी धर्म के लोग हों, हमारे लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सब एक हैं, सब भाई-भाई हैं। हमारे अन्दर कोई भेद-भाव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता सदन को याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे याद है कि बांदा की एक खबर अखवार में निकली थी, कि एक किसान ने सूखे में आत्महत्या कर ली, उसकी जान चली गयी। अध्यक्ष जी मुझे याद है कि उस समय आप भी सदस्य थे और आपने भी सवाल उठाया था और लोगों ने भी सवाल उठाया था कि सरकार उनको मदद करे। किसान दुर्घटना बीमा उनकी योजना वो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, के तहत मण्डी से मदद उनकी मदद और मुख्य मंत्री कोष से मदद की गयी। उन परिवारों को 10 लाख रुपये से ज्यादा, कुछ लोगों को 12 और कुछ लोगों को 15 लाख रुपये देने का काम उस सरकार में हुआ था, उस समय। बाद में मुझे पता लगा, अधिकारियों ने कहा कि 10-12 लोगों के मरने की जो खबर थी उसमें से एक की खबर गलत है. वह किसान नहीं था, वह मैकेनिक

था बांदा का, तो मैंने कहा कि अगर सरकार से उसकी मदद हो गयी है और हमारे पत्रकार साथी ने अगर किसान लिख दिया है तो उससे पैसा वापस नहीं होगा। समाजवादी सरकार ने मदद कर दी तो मदद कर दी। आयें सामने, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं आप। जहाँ किसान के लिए आप एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल रहे हैं तो आपका एक्सपोर्ट है कहां और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप ? केन्द्र सरकार ने 20 जुलाई को बड़ा फैसला लेते हुए गैर बासमती चावल के निर्यात पर वैन लगा दिया है और आप हमें सपना दिखा रहे है कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। गन्ने का भुगतान अभी भी बड़े पैमाने पर बकाया है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार बतायेगी कि कितना भुगतान अभी होना है। इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गरीब को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये केवल इनका एक नारा है कि हम आय दोगुनी करेंगे। जब आय किसानों की जमीन छीन लेंगे तो किसान आखिरकार जीवन-यापन किस पर करेगा और अगर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। मुझे याद है हमारी पार्टी का एक डेलिगेशन गया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लगभग 55 गाँवों के किसान पिछले कई महीनों से वहाँ पर आन्दोलन करते रहे और धरने पर बैठे रहे। कई बार समझौता हुआ, बातचीत हुई। लेकिन बातचीत होने के बाद, आश्वासन के बाद सरकार पीछे हट रही है और जानबूझ करके उन पर गम्भीर धारायें लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। अगर किसान अपनी जमीन दे रहा है और आप उस पर मुनाफा कमायेंगे, आप बिजनेस करेंगे। यह नोएडा या ग्रेटर नोएडा में जो जमीन ली जा रही है, वह जमीन कोई पेड़ लगाने के लिए नहीं ली जा रही है। इण्ड ऑफ डे आप उस पर बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमायेंगे तो आप किसानों की जेब क्यों नहीं भर रहे हैं, किसानों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं ? समाजवादी सरकार में कई ऐसे मौके आये, जब हम लोगों ने सर्किल रेट बढ़ा करके किसानों की जमीन एक्वायर की थी। क्या आपको फर्क पड़ता है, अगर सर्किल रेट बढ़ जाये, क्या आपके खजाने से जा रहा है। खजाना फिर भर जायेगा। जितना खजाने से पैसा जनता को देंगे, गरीब को देंगे, उतना खजाना वापस आ जायेगा।

समय-समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग और किसान मिले, वह निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हैं एवं हमारे समाज के भी लोग हैं। कमाल तो यह है परिक्रमा का एलाइनमेंट बदल रहे हैं। जो परिक्रमा सदियों से, पौराणिक तौर पर होती थी। हमारी जमीन की कीमत बढ़ जाये, उसकी जमीन चली जाये। सर्किल रेट वही, मार्केट वैल्यू से न जाने कहाँ किसान का सर्किल रेट। मुझे उम्मीद है कि आप एक पुण्य काम के लिए जमीन ले रहे हैं, उनका सर्किल रेट जरूर बढ़ायेंगे। वह गरीब है, वह निषाद समाज के हैं, यादव समाज के हैं और भी पिछड़े समाज के हैं, कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए है तथा वह हिस्टोरिकल हैं और पौराणिक महत्व के हैं, जिनकी कोई न कोई विशेषता है, ऐसे पेड़ लगे हुए है, सब काटे जा रहे है। शायद नेता सदन को यह न पता हो, हालाँकि मैं यह बात नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं एक सुझाव के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप उनको ट्रान्सलोकेट कर सकें,

निकाल करके दूसरी जगह लगा सकें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। आप कागज पर बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं, बोले इस साल, इतने करोड़, बोले इस साल इतने करोड़, इस साल इतने करोड़ और शायद नेता सदन अभी तक 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहाँ लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि चोरी छिपे कहीं टमाटर के पौधे लगा दिये हों। 133 करोड़ पेड़ कहां पर लग रहे हैं, ये सब कागज पर लग रहे हैं, कहीं नहीं लगाये जा रहे हैं और अगर पेड़ लगे भी होते तो शायद जंगल दिखायी देता।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय नेता विरोधी दल, कुछ संक्षेप कर लें।

**श्री अखिलेश यादव-**

अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कितना समय देंगे ?

**श्री अध्यक्ष-**

जितना आपने माँगा था, उससे ज्यादा हो गया।

**श्री अखिलेश यादव-**

अध्यक्ष जी, अब माँगने को तो हमने कम माँगा था। मैं बहुत जल्दी रैप अप कर दूँगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष-**

नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जितना आपने कहा था।

**श्री अखिलेश यादव-**

मान्यवर, ठीक है, रैप अप कर देता हूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

आगे आप बताइये।

**श्री अखिलेश यादव-**

मान्यवर, फार्मर्स की डबल इनकम कैसे होगी, कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है, जिसने सूखा पर और बाढ़ पर चिन्ता व्यक्त न की हो। कोई ऐसा सदस्य नहीं है, जिसने सूखा और बाढ़ पर अपनी बात न रखी हो, क्योंकि जब वह क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ की समस्या बहुत है, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में सूखा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है ? अगर आप सूखा और बाढ़ पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और सरकार के पास कोई लाँग टर्म प्रोग्राम नहीं होगा तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट का पैटर्न बदल रहा है और जिस तरीके से बरसात हो रही है, हमने और आपने हिमाचल की बरसात को देखा। यह पहले नहीं होता था कि क्लाउड बर्स्ट हो जाये, अब तो नई चीज हो गई कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, एकदम पानी गिरता है।

मान्यवर, हमारी नदियों की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि हम पानी ट्रेंड कर सकें, हमारे नालों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पानी को ट्रेंड कर सकें। उसका परिणाम क्या वहाँ के आस-पास का नुकसान बड़े पैमाने पर नहीं हुआ ? हिमाचल की जो तस्वीर देखो। हिमाचल से जो शुरुआत हुई बाढ़ की, वह हमारे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के इलाके में चली गयी और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में बाढ़ आ गई। वहाँ पर नदियों में बाढ़ आने से नुकसान हुआ। यह जो सरकार कहती है।

**श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

मान्यवर,.....

**श्री अध्यक्ष-**

स्वामी जी, आप बैठिये आपके नेता बोल रहे हैं।

**श्री अखिलेश यादव-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यह सदस्य पर्सनाल्टी में बहुत अच्छे हैं। इनसे अच्छी पर्सनाल्टी किसी की नहीं है।

[सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य ने स्टाफ शब्द का प्रयोग किया]

वैसे यह समाजवादी है, रंग से ही स्टाफ है। तो हमें उम्मीद है कि इन्होंने अपना सिगरेट उधर दे दिया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम उसका क्या हुआ। कब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से हम किसान की मदद करेंगे। छोड़िये हमारे साथ के सदस्यों का यहाँ जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं, बताओं क्रॉप इंश्योरेंस में कितने किसानों की आप मदद करा पायें हैं। कह रहे थे कि ई-प्लेटफार्म बनायेंगे, फार्मर को मार्केट देंगे। आपने सस्टेनेबुल गोल्स पर एक बहस की थी पूरी रात भर जग करके। कहते थे हम तो उनकी जेब भर देंगे। बिजली पर तो अभी बोला ही नहीं है। बिजली की हालत क्या है। मान्यवर, इसमें मंत्री जी दोषी नहीं हैं। यह तो मंत्री अभी बने हैं। नेता सदन आपको मुख्य मंत्री रहते हुये साढ़े 6 साल से ज्यादा हो गये है। आपने बिजली विभाग का क्या सत्यानाश किया है। इतनी ट्रिपिंग, ट्रांसफर्मर बर्बाद, जैसे रखो फुंक गया। आप यह ट्रांसफर्मर कहां से बनवा रहे हैं। गोरखपुर की खबर मैंने पढ़ी सबसे ज्यादा गोरखपुर में ट्रांसफर्मर फुंक गये। क्या हो रहा है गोरखपुर में, आप तो दावा कर रहे थे कि कुछ जिले वी0आई0पी0 थे। अगर कुछ जिले वी0आई0पी0 थे नेता सदन तो आज सदन में बताओ। आज आपको बताना चाहिए कि पिछले साढ़े 6 साल में आपने अपनी तरफ से कौन-सा पावर प्लांट बनवाया है, जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है। बताइये आप, अब तो नाम लेना मैंने भी बन्द कर दिया है। जब नेता सदन नाम नहीं लेते तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ दें। वही तो प्लांट बन रहे है कोई नया प्लांट नहीं बन रहा है। मुझे याद है वह धरना जिसमें स्व0 लालजी टण्डन जी और बनारस के श्याम देव राय चौधरी जी यह धरने पर बैठे थे। मैंने उनसे यही कहा था कि

उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देना। कैसी डबल इंजन की सरकार है। आप कैसी ट्रिपल इंजन लिये घूम रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोरा बढ़ा पाये। नेता सदन जब आप अपनी मर्जी का डी0जी0पी0 नहीं बना पा रहे हैं तो क्या बिजली का कोटा बढ़ायेंगे। ये लगा न कि ट्रांसफर्मर फूंक गया। क्या है यह झगड़ा, हमें नहीं पता हम तो विपक्ष के लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मंत्री जी का दोष नहीं है, नेता सदन आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप मुख्य मंत्री है और आपके बगल में वित्त मंत्री बैठते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफर्मर ठीक होंगे, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कैसे ट्रांसमिशन ठीक होंगे। यह माननीय सदस्य बोले या न बोलें लगता है आपने उन्हें भी डरा के रखा हुआ है। वह जानते हैं कि क्या हालत है।

चैरिटी बिगिन्स ऐट होम, बीजेपी कहती है परिवारवाद, परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की। आप मुझसे पहले लोक सभा में सांसद थे तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी आप बन गये, मालिक भी आप ही बने तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों में से किसी को नहीं मिला है। तो परिवारवाद की अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने की है। मैंने जो बात कही 'चैरिटी बिगिन्स ऐट डोम', वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में, हम लोगों ने यह वीडियो देखा क्या ऐसे सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में बाइस चांसलर का,। और जब वह छूट करके आये तो जो जेल गये थे उनका सम्मान हुआ, सोचिये आप। आप वाइस चांसलर का ऐसे सम्मान करा रहे हैं, और फिर शिक्षकों की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी की नियुक्ति, आप 56 बता गये 46 की। कम से कम जो हो रहा था इसमें पीडीए कहां है, कहां है पीडीए और फिर हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑरबिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारे साथ थे, अब ऑरबिट बदल गई आपकी, आप यही तो बताते थे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा युनिवर्सिटी की भर्ती, सब भूल गये आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खड़े हो रहे हैं, मैं बैठ जाऊँगा, अध्यक्ष महोदय ये जितने लोग थे उन्होंने एक गाना सुना था और जब मैं मंच पर उनके साथ रहता था तो एक गाना हमेसा गाते थे ''चल सन्यासी मन्दिर में'', मैं बैठ जाऊंगा, आप खड़े हो जाएँ। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूँ, पहली लाइन जो इन्होंने गा दी उसकी दूसरी लाइन गा दें, मैं बैठ जाऊंगा।

**श्री ओम प्रकाश राजभर-**

मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।

**श्री अखिलेश यादव-**

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गये थे और नेता सदन ने गाकर सुनाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि यह गाना बड़ा फेवरेट

है लोगों का, लेकिन आप सोचिये। मैंने कहा कि गोरखपुर युनिवर्सिटी में पीडीए कहां है। यह 69 थाउजेंड शिक्षक, यहाँ कोई माननीय सदस्य इधर का, उधर का नहीं है, जिससे ये शिक्षक न मिले हों। नेता सदन अपने माननीय सदस्य से पूछिये कि ये लोग उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। कोई नेता स्पष्टतः नहीं कह सकता है कि वह शिक्षक उनसे मिलने न आये हों।.....

कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता है कि वह शिक्षक उनसे नहीं मिलने आये हों। हमारे मा0 सदस्य लालजी वर्मा बैठे हैं, उन्होंने यह भी उठाया तथा आपसे भी बताया होगा कि हम अपने लोगों से मिलकर आये हैं। लेकिन इनके साथ भेद-भाव इसलिए है, क्योंकि यह पी0डी0ए0 है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ, बिजली विभाग के बारे में, मा0 सदस्य बोलें या न बोलें, लेकिन सभी चिंतित हैं। क्योंकि आये दिन जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जैसे ही बिजली आती है वह ट्रांसफार्मर फुंक जाता है। क्या नेता सदन बतायेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर के लिए आप बजट देंगे ? आप निधि से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी निधि से ट्रांसफार्मर लगा दें वहाँ पर, तो फिर यह सरकार क्या कर रही है, वित्त विभाग क्या कर रहा है और इतने सालों से आप बिजली सम्भाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर फुकने का, ट्रांसमिशन लाइन का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह नेता सदन आप हैं, और इनको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुना है कि यह अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं और लग यह रहा है कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला रहे है। यह इसलिए अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि इनको अस्पताल प्राइवेट हाथों में देना है। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पी0पी0पी0 पे दे देंगे और पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज को पी0पी0पी0 में देने की तैयारी है। अब 15 सी0एस0सी0 को प्राइवेट में देने जा रहे हैं और यह तो हमारे छापामार मंत्री जी बनकर रह गये हैं। अरे आप डिप्टी सी0एम0 हैं, क्यों अपने आपको अंडर स्टीमेट करते हैं, इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज्यादा है, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से आप कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते, हो अगर कहीं शादी में भी गये होंगे, सबसे पहले उसकी फोटो लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पताल दिखायी नहीं दे रहे हैं। यह देखिये इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा सांड़, जान बचा करके भागे तीमारदार, यू0पी0 के बहराइच में घुसा आवारा सांड, यह हालत है, यू0पी0 के अस्पताल में, कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, मान्यवर, यह हालत है अस्पतालों की और आवारा कुत्तों का कहर अस्पतालों में, क्या हालत कर दी है आपने सरकारी अस्पतालों में। श्रावस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, यह हालत है आपके अस्पतालों की, मान्यवर, मैं किस जिले का बताऊं हरदोई का बताऊं या किस जिले का न बताऊं और जिला अस्पताल हुआ मरीजों से हाउसफुल, 66 मरीज इतने हैं कि आपके अस्पताल में बेड नहीं है और मरीज अगर जाता है तो दवाई नहीं मिलती है, इलाज नहीं और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता, कब ऑपरेशन होगा पता ही नहीं है। जो मदद मिलनी चाहिए वह पूरी नहीं। आप कहते हो मेडिकल कॉलेज, आप दिल्ली जायें, मुम्बई जायें जाने कहाँ-कहाँ जाते हैं वहाँ इतने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वह किस बात के लिए

मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मैंने पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था, मैंने उसके बारे में बताया था, आज तक उसमें प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ कुछ है ही नहीं। नेता सदन आप क्या साड़े 6 साल से कर रहे हैं, बिस्तरों पर कुत्ते घूम रहे हैं, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, कोई इन्तजाम नहीं, यह है आपका उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन इकोनामी का। क्या आपको अपने वित्त विभाग पर भरोसा नहीं है, क्या आपको अपने आई0ए0एस0 अधिकारी पर भरोसा नहीं है, आपने बस एक कम्पनी हायर कर ली और बस वही बतायेगी की वन ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। इसका मतलब आपके सब विभाग खराब हैं, यह हालत है और जब मैं कल सदन में था, हालांकि सदन में फोन ऑन नहीं करना चाहिए, परन्तु हो गया।

अध्यक्ष महोदय, तभी सूचना मिली की अपराधियों ने व्यापारी जैन परिवार के बेडरूम में घुसकर उनकी हत्या कर दी। आप कानून व्यवस्था के लिए 'जीरो टॉलरेन्स' करते हैं और अपराधी बेडरूम में घुसकर हत्या कर दे रहा है। ये कल की मेरठ की घटना है, जो दिल्ली से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की यह केवल एक घटना नहीं है। आप कल एन0सी0आर0बी0 का आंकड़ा बता रहे थे कि यह सदन में रखा जाता है। यह सरकार तो वो है, जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडीकेटर्स देता है, तो उसे हटा दिया जाता है। दिल्ली के एक अधिकारी ने सही इंडीकेटर्स दिया, तो उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहाँ अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा, तो उस अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था पर ''जीरो टॉलरेन्स'' की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं ? उत्तर प्रदेश में इस तरह की कितनी घटनाएं हैं ? आप एन0सी0आर0बी0 का आंकड़ा देख लीजिए, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखायी दे रहा है ? दलितों और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। साइबर क्राइम में और कस्टोडियन डेथ में सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपसे न्याय की तम्मीद कैसे करें ? मणिपुर जैसी घटना आपकी सरकार में हो जाए। मणिपुर की जो घटना हुई, उसको कोई सामान्य घटना से तुलना नहीं कर सकता है, जो विधान सभा में न उठे।

**श्री अध्यक्ष-**

वह आप उठा चुके हैं।

**श्री अखिलेश यादव-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, वह इसीलिए उठायी थी, क्योंकि हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं। क्या स्टार प्रचारक का यह कर्तव्य नहीं बनता कि इस तरह की कहीं घटना हो, तो वह वहाँ जाएं, उनके दुख-दर्द में शामिल हों और फिर दुनिया ने हमें क्या कहा है ? जो लॉ एण्ड ऑर्डर

पर ''जीरो टॉलरेंस'' की बात कर रहे हो, उनके डी0जी0पी0 परमानेंट न हों। डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद कर दिया हो और कोई जिला या जगह ऐसी नहीं बची, जहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित न महसूस कर रही हों।

मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार में कुल एनकाउन्टर 10 हजार, घायल 5 हजार। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस दिए हैं और नोटिस में क्या निकल कर आता है कि एनकाउन्टर में ज्यादातर लोगों के टांग में गोली मारी गयी है ? बहुत अच्छा निशाना है कि केवल टांग में गोली लगती है। एनकाउन्टर में अभी तक 13 पुलिस कर्मी शहीद हुए, जिनमें से अकेले विकास दुबे मामले में 8 पुलिस कर्मी शहीद हो गये। देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ाते हुए व्यक्ति की टांग में गोली मार रही है, पुलिस इतनी निशानेबाज है। अन्य घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि घटनाओं की एक लम्बी सूची है। मुझे याद आ रहा है कि चंदन गुप्ता। यहाँ नेता सदन से लेकर सब लोग याद कर रहे होंगे। कासगंज की घटना है। आपने क्या आश्वासन दिया था ? दोषियों को सजा मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आपके ही लोग आश्वासन देकर आए थे, वह सरकारी नौकरी कहाँ है ?

**श्री अध्यक्ष-**

आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया।

**श्री अखिलेश यादव-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि ये जो वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना है, इस पर मुख्य मंत्री जी जरूर बोलें। वे कहते हैं कि 96 लाख एम0एस0एम0ई0 यूनिट हमारे यहाँ है, लेकिन केवल 14 हजार रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार उन्हें डर किस बात का है। वे रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं ?

क्या उनको इंस्पेक्टर राज से डर है ? आपके लखनऊ का सबसे बड़ा इंडिस्ट्रयल एरिया सरोजनीनगर है, क्या वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों की समस्या का समाधान हुआ ? अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वन-ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के पास भी आप पहुँच पायेंगे। आप कहते हैं सिंगल विंडो क्लीयरेंस, यह आपका सिंगल विंडो क्लीयरेंस क्या है ? जहाँ पर अधिकारियों को उद्योगपति को मिल ही नहीं पा रहे हो। कल मैं भाषण सुन रहा था, दिल्ली से बात आयी कि उन्होंने 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया और इस इण्टरव्यू में मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में 05 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया। जो देश का आँकड़ा 13 करोड़ का दिया जा रहा है, अगर 13 करोड़ वहाँ का मानें और 05 करोड़ उत्तर प्रदेश का मानें तो सबसे ज्यादा यहीं से गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। लेकिन अभी भी पी0डी0एस0

सिस्टम चल रहा है और जो तेल दिया जा रहा था वह बंद हो गया। बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं अपनी बात रखना चाहता था।

**श्री अध्यक्ष**

धन्यवाद।

**श्री अखिलेश यादव-**

फिल्म सिटी की बात आयी, पता नहीं फिल्म सिटी कब बनेगी ? फिल्म सिटी की जरूरत ही क्या है ? जो शिकायतें या जो बातें आयी थीं, हालांकि बेरोजगारी पर हमारे मुख्य मंत्री जी के पास एक आंकड़ा है, वही आँकड़ा वह हमेशा दे देते हैं। यहाँ जितने बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, अगर वह आपका आंकड़ा सही मान लें तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है ही नहीं। क्या कोई माननीय सदस्य यह कहने को तैयार है कि बेरोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार न बैठे हों और उनके हाथों में कोई काम नहीं है। हालांकि सरकार में जो लोग हैं वह समाज बाँटकर ही काम करते हैं, जब तक दरार नहीं पैदा करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। केवल समाज में दरारजीवी लोग दरार डालकर राजनीति का अपना उल्लू सीधा करते हैं। जो घटनाये हुई हैं मणिपुर में, हरियाणा में उसे जनता ने नकार दिया है। कोई घटना कहीं हो उसकी निंदा होनी चाहिए और खासकर अगर बेटी या महिलाओं के साथ हो, कहीं की भी हो उसकी हम निंदा करते हैं और जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जातीय जनगणना की बात इसलिए भी करना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तभी आयेगा जब गैर बराबरी खत्म हो जायेगी। गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय है। जैसा मैंने कहा कि charity begins At home. गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियाँ हुई है या जो आपने 46 में 56 बोला, कम से कम आज तो नेता सदन सूची ले करके आये होंगे। इसलिए नेता सदन वह सूची जरूर ले करके आयें। अध्यक्ष महोदय, मैं बात खत्म कर रहा था, लेकिन फिर आप राइट हो गये।

**श्री अध्यक्ष-**

मैं आपकी तरफ ही हूँ।

**श्री अखिलेश यादव-**

मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, चाहे बिजली, सूखा, किसान या गरीबों को ले करके, माताओं-बहिनों को ले करके या उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस है, चाहे वह करप्शन हो या लॉ एण्ड ऑर्डर हो, उन सब पर अपनी बातों को रखा है। मुझे उम्मीद है कि नेता सदन उन पर कुछ विचार करेंगे और जो हम लोगों ने माँग की है कि कहीं भी मदद में भेद-भाव न हो, तो भेद-भाव से ऊपर उठकर नेता सदन

मदद करें। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद है कम से कम नेता सदन इस बार सत्य बोलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अवधेश प्रसाद जी के खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय अवधेश जी कृपया बैठिये, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है।

**मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस माननीय सदन में, इस मानसून सत्र में देश के अन्नदाता किसानों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने तीन दिवसीय इस चर्चा को इस सदन में करवाया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष को लेकर कुल 33 सदस्यों ने अब तक इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सभी मा0 सदस्यों और दलीय नेताओं को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बाढ़ और सूखा जैसे इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अपने अमूल्य विचार यहां पर रखे हैं और सुझाव भी दिये हैं। पिछले 1 घण्टे से नेता विरोधी दल के विचारों को मैं सुन रहा था, पूरा सदन भी सुन रहा था और 1 घण्टे के भाषण में बाढ़ और सूखे से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया बाकी और कुछ भी याद नहीं आया। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देखकर यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है, वह जनता ने वैसे ही नहीं दिया है। दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ''तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं''। उन्हें जमीनी हकीकतो की कोई जानकारी नहीं है और तुलसीदास जी ने यह बात कही भी कि 'समरथ को नहिं दोष गोसाईं'। ऐसे ही लोगों पर बातें अक्षरशः सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वह गरीब की समस्या को क्या समझोंगे, गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, दलित को पीड़ा को क्या समझेंगे। अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह तो पूरा देश और प्रदेश जानता है। महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखण्ड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखण्ड में आत्महत्या नहीं की होती।

मान्यवर, मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बातों के साथ ही महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और देश के अन्नदाता के लिए समर्पित पंक्तियां हैं कि हे ग्राम देवता नमस्कार है, ग्राम देवता नमस्कार सोने चाँदी से नहीं, किन्तु तुमने मिट्टी से किया प्यार हे ग्राम देवता नमस्कार। यह उसी किसान के लिए है। क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता

किसान के महत्व को नहीं समझेंगे। उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयान्तर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है, और जिस सांड़ को आप बाता कर रहे हैं यह सांड़ भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में यह बूचड़ खानों के हवाले होता था हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। इसलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए उस पेपर की कटिंग भी लगता है कि होम वर्क करते समय शिवपाल सिंह जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच-बीच में रखवा दी। क्योंकि यह तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो आगे आएंगी और पुराने अनुभवी नेता हैं शिवपाल सिंह जी तो इतना पापड़ बेले हैं तो कुछ तो सामने आएगा। कुछ तो परिणाम सामने आना चाहिए। शिवपाल सिंह जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूत्ति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं और इसलिए आपके साथ यह लोग कभी भी न्याय नहीं करेंगे। आपकी कीमत को नहीं समझेंगे। दोनों की तो मित्रता है ही। मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा जो नेता विरोधी दल ने बातें रखी हैं, उन सब पर मैं चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति पर जो मा0 सदस्यों ने यहां पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। उन सब पर एक-एक करके अगर हम चर्चा करें और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा जो नेता विरोधी दल ने यहां पर रख थे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष प्रारम्भिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है यह प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। खासतौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है, जिस जगह पर काफी कम बारिश हुई है। सामान्य से भी इसकी स्थित्ति काफी कम है, कमजोर है।

उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है। अगर हम देखेंगे तो पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आयी है, लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह जो स्थितियाँ है, हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिये हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक करके अपनी एक रणनीति बनायी। प्रारम्भिक समय में उत्तराखण्ड, हिमांचल और हरियाणा के अन्दर एक साइक्लोन के कारण, जो मानसून उस क्षेत्र में देखने को मिला था और हिमालयन नदियों से उस क्षेत्र में बाढ़ की सी स्थिति पैदा हो गयी थी। बाढ़ के कारण वहाँ पर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। उसके आकलन के आदेश भी दिये गये है और शासन स्तर पर उस

पर कार्यवाही आगे बढ़ रही है। इस सबके बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जो स्थिति है वह देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। महोदय, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश देश का और सम्भवतः दुनिया का पहला ऐसा भू-भाग है वहाँ पर 86 से 90 फीसदी भू-भाग की कृषि योग्य भूमि सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से तथा निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित किया गया है और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो डाटा है, उसके अनुसार कृषि बोआई का जो सामान्य प्रतिशत है, उसके अन्तर्गत लगभग 88 फीसदी फसलों की किसानों ने बोआई की है और धान की लगभग 100 फीसदी नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा, उस पर सरकार की कार्यवाही अपने स्तर पर आगे बढ़ रही है।

महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है, वह इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है। देश की कृषि योग्य जो कुल भूमि है उसकी 11 फीसदी भूमि उत्तर प्रदेश के अन्दर है। देश की कुल आबादी की 16 फीसदी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन है, उत्तर प्रदेश में उसका 20 फीसदी उत्पादन होता है यानी 11 फीसदी कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20 फीसदी अन्न उत्पादन करता है और 20 फीसदी अन्न उत्पादन यह दिखाता है, कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरूषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सके और इस दिशा में सरकार के स्तर पर अब तक जो प्रयास प्रारम्भ हुये हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से सम्बन्धित बात करें तो गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष प्रदेश में उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है, जो पहले चरण में आपदा की चपेट में आये हैं और सरकार ने उन्हें मुआवजा देने की कार्यवाही प्रारम्भ भी कर दी है और यह सरकार वर्ष 2017 से लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है।

अगर हम देखेंगे तो 2017 में 61 हजार 320 किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपये का मुआवजा यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उन किसानों को मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 3 लाख 84 हजार 113 किसानों को 212 करोड़ रूपये से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया इसमें ज्यादातर जो मुआवजा था, वह सूखा से संबन्धित था, सूखे से पीड़ित जो किसान थे उन लोगों को यह मुआवजा उपलब्ध करवाया गया था। प्रदेश सरकार जब 2019-20 में थी तो 64 करोड़ 32 लाख का मुआवजा अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। बाढ़ से पीड़ित जो किसान थे, उन लोगों को 2020-21 में भी प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ का मुआवजा

किसानों को उपलब्ध करवाया था। यद्यपि 3 लाख 62 हजार 600 से अधिक किसानों को बाढ़ से, जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था उन किसानों को उपलब्ध कराया गया। 2021-22 में भी प्रदेश सरकार ने 475 करोड़ रुपये 13 लाख 94 हजार 900 से अधिक किसानों को बाढ़ के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो उनकी फसल को नुकसान हुआ था उसके लिए उन्हें कम्पनसेशन दिया गया। 2022-23 में भी प्रदेश सरकार ने 427 करोड़ रुपये प्रदेश के 12 लाख 14 हजार से अधिक किसानों को मुआवजे के रूप में वित्तरित किए है। जिनमें बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उनको कम्पनसेशन दिया और अब तक 8 हजार 400 से अधिक किसानों को प्रदेश सरकार बाढ़ को कारण जो क्षति हुई है उनको कम्पनसेशन उपलब्ध करवा चुकी है।

महोदय, अगर आप देखेंगे तो प्रदेश सरकार में बाढ़ और सूखे के साथ-साथ इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं और कैसे इनसे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में इस बार भी देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई लेकिन 40 से अधिक जनपद ऐसे थे जहाँ पर सूखे की चपेट में प्रदेश था। काफी बड़े भू-भाग में किसान बारिश के लिए इन्तजार करता रहा लेकिन बाद में बहुत सारी जगह सिंचाई विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किए, पावर कॉरपोरेशन ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने की कार्यवाही प्रारम्भ की, इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर बैठकों का दौर प्रारम्भ हुआ, नोडल अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने जनपदों के दौरे प्रारम्भ किए और धीरे-धीरे करके यह प्रक्रिया आगे बढ़ती गयी और आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारम्भ किए उस दिशा में जो कार्य प्रदेश सरकार ने किए, बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए जो कार्य किए गये, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई उसके परिणाम आज सबके सामने हैं, यह पहली बार हुआ है। मुझे याद है कि 2017 में जब मैं लखीमपुर खीरी के एक गाँव में और सीतापुर के एक गाँव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गया तो बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए उस समय तक केवल सूखे ब्रेड उपलब्ध कराये जाते थे, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। आपदा राहत कोष के पैसे का बंदरबाट ज्यादा हो जाता था। मैने उसी दिन पूछा कि राहत में क्या केवल सूखा ब्रेड उपलब्ध कराया जाता है ? मैंने स्वयं उसी दिन सायंकाल को एक बैठक ली और उस बैठक में हम लोगों ने एक राहत किट तैयार करना तय किया जिसमे हर बाढ़ पीड़ित को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, मिर्च-मसाले, दियासलाई, बरसाती, मोमबत्ती एवं केरोसीन आदि चीजें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गयी। महिलाओं के लिए डिगनिटी किट की व्यवस्था भी प्रारम्भ की। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में 26 हजार 964 ड्राई राशन किट उपलब्ध कराई गयी। 2550 डिगनिटी किट उपलब्ध करवाई गयी। 909 बाढ़ शरणालय बनाये गये। पीड़ित परिवारों के पशुओं के चारे की व्यवस्था भी करवाई गयी। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैम्प लगाने के साथ-साथ पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था भी की गयी। बाढ़ बचाव के लिए अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था की गयी। अगर हम देखें तो उन सभी क्षेत्रों में जो स्थिति थी वह प्रशासन

की कार्यवाही से और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से जनता में आपदा के बाद भी सन्तुष्टि का भाव देखने को मिला था। मैं स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा करने गया था। हमारे मंत्रीगण भी गये थे। मंत्रियों ने वहाँ कैम्प किया और पब्लिक में एक सन्तुष्टि का भाव देखने को मिला। प्रदेश में सामान्यतः जब हम बरसात के एवरेज को देखते है। यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में 430 एम0एम0 बरसात होनी है। महोदय, आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि जब मौसम चक्र में किसी प्रकार की कोई विसंगति आती है। चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण आती हो या किसी भी अन्य कारणों से उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक किसी पर पड़ता है तो वह अन्नदाता किसान पर। अन्नदाता किसान उससे किस रूप में प्रभावित होता है ? 401 से 430 एम0एम0 की बारिश का जो एवरेज है, जून माह से अब तक हम लोगों ने देखा कि 353 एम0एम0 की बारिश तो हुई लेकिन वह एक साथ एक जगह पर मूसलाधार, रात्रिभर। मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल को इन्हें गोरखपुर की चिन्ता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश हुई। रात्रि भर बारिश हुई। 133 एम0एम0 की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर सिटी में हुई है। गोरखपुर सिटी के लोग मौज में है, मस्ती में हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल-जमाव अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल गरीबों की बात कर रहे थे। इन्सेफलाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50 हजार बच्चों की मौत हुई थी। चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 90 फीसदी बच्चे असमय काल-कवलित थे। वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पी0डी0ए0 नहीं था ? चार बार मुख्य मंत्री बनने के बाद भी आप क्या कर रहे थे, आप उसका समाधान नहीं निकाल पाये ? आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इन्सेफलाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज आप कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, सन्त कबीरनगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सहारनपुर तक आप चले जायें।

मान्यवर, इन्सेफेलाइटिस समाप्त होने की बस घोषणा होनी बाकी है। आप क्या कर रहे थे, उस समय आपने जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं दी थीं। आज नेता विरोधी दल हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी हास्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा अच्छी मिल रही है। उसे अच्छे डाक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में न डाक्टर थे न ही दवा थी। अपनी विफलता को छुपाने के लिए आपको वहाँ पर किसी गरीब का आना और गरीब को आयुष्मान सुविधा में पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना भी इनको बुरा लगता है। क्या यह आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा जो प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्राप्त हो रही है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ही लोग है। आपके लिए जाति हो सकती है, आपके लिए वोट बैंक का मुद्दा हो सकता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक एक परिवार है और हम परिवार भाव के साथ कार्य करते हैं। इसलिए हर हॉस्पिटल की व्यवस्था को चूंकि विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, इसलिए उस

व्यवस्था को ठीक करने में, दुरस्त करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको लाइनअप करने में जो वक्त लगे लेकिन उमड़ती भीड़ इस बात को प्रदर्शित करती है कि पहले से सुविधा बेहतर हुई है, इसलिए लोग विश्वास के साथ वहाँ आते हैं, अगर विश्वास न हो तो क्यों लोग आयेंगे अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों वोट दिया। दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने आपको फिर से नकार दिया वर्ष 2014,2017,2019,2022 और फिर चिंता मत करो वर्ष 2024 में खाता भी नहीं खुलने वाला है।

**श्री अखिलेश यादव-**

इस बार डबल इंजन की सरकार दोनों जगह से खत्म होगी।

**श्री योगी आदित्यनाथ -**

वर्ष 2024 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी और मैं इस बात को कहता हूँ कि चाचा जी, आप भी अभी से रास्ता तय कर लो देखो, यह आपके साथ न्याय नहीं करेंगे जब भी आपका नम्बर आता है, तो आपको इनके द्वारा चुपचाप काट दिया जाता है आपकी भलमनसाहत को ध्यान में रखकर के आपके संघर्षों को कोई ध्यान में नहीं रखता है और कुछ तो आपको अपने मित्र से सीखना चाहिए।

**श्री अखिलेश यादव-**

दरार-दरार।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

नहीं-नहीं यह दरार नहीं है। महोदय, यह सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में दो अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये थे, एक वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना यह हमारी सरकार ने पहले कार्यकाल में उठाया और कोई भी व्यक्ति वह सर्पदंश से मरे आपके पसंदीदा सांड से मरे।

**श्री अखिलेश यादव-**

वह तो आपका पसंदीदा है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

हमारे लिए तो प्रिय है ही हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं, सांड़ की हम तो करते ही है शिवपाल जी क्या आप नहीं करते है क्या।

**श्री शिवपाल यादव-**

हां करते हैं।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

करते हो तो कुछ तो समझाया करो इनको।

सर्पदंश, वन्य जीव और सांड़ के मारने को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, लेकिन इनको यह करने का अवसर नहीं मिल पाया। जनता ने आपको इस लायक नहीं समझा और कहा कि आप नहीं कर सकते इसलिये आप बाहर जाईये। इसीलिये हमारी डबल इंजन की सरकार आई और डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में यह कदम उठाया। नेता विरोधी दल बिजनौर की चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर 20 तेंदुओं को निकालकर रेस्क्यू किया गया है और वहाँ छह टीमें कैम्प कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपका वन्य जीवों के प्रति यह भाव चिंता पैदा करता है। हम किसान को सुरक्षा देंगे लेकिन हमारी सरकार द्वारा इसी के साथ रेस्क्यू के माध्यम से वन्य जीवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। सरकार उसके प्रति बहुत चिंतित है और वहाँ पर वन विभाग के लोग और विशेषज्ञ कैम्प करके लगातार कार्य कर रहे हैं। महोदय, मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रधानमंत्री आवास योजना से जो 55 लाख लोग लाभान्वित हुये हैं, क्या वह पी0डी0ए0 के पार्ट नहीं हैं। इससे पहले 55 लाख लोगों को आवास क्यों नहीं मिला था। आपने उनको आवास इसलिये नहीं दिया था कि क्योंकि वह दलित थे और गरीब थे। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2017 से लेकर अब तक 55 लाख लोगों को आवास दिलाये गये हैं।

**श्री अखिलेश यादव-**

आपने पहले से चल रही इन्दिरा आवास योजना का ही नाम बदलकर तो प्रधानमंत्री आवास योजना किया है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

इन्दिरा आवास योजना में कितना पैसा मिलता था ?

**श्री अखिलेश यादव-**

हमारी लोहिया आवास योजना में कितना पैसा मिलता था ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आप लोहिया आवास किसको देते थे ? समाजवादी पार्टी के कैडर को। यही सच्चाई है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था कि समाजवादी पार्टी के कैडर में किसको आवास मिलना है। मोदी जी के नेतृत्व में यह पहली सरकार है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई। उस समय ना तो सेण्ट्रल और ना ही उत्तर प्रदेश में बी0जे0पी0 की सरकार थी लेकिन हम लोगों ने उस समय की सेस सूची को इसमें आधार बनाया है। जब केन्द्र में कांग्रेस को यू0पी0ए0 की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, उस समय जो सेस सूची आई थी हमने उसी सेस सूची को स्वीकार किया और उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किये। क्या आपने उस समय उनको पी0डी0ए0 का पार्ट नहीं माना था, जिस समय लाभान्वित करना था। भारत सरकार लिखती थी कि गरीबों के लिए आवास ले लीजिये तो यह कहते थे कि नहीं,

नहीं दलित हमारा वोट नहीं है। यह लोग दलितों को आवास देते ही नहीं थे। केन्द्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग ढाई वर्ष तक यह लोग सरकार में रहे। जब योजना लागू हुई तो भारत सरकार लिखती थी लेकिन इन्होंने नहीं दिया। वर्ष 2017 में जब डबल इंजन की सरकार आई तो 55,20,000 लोगों को एक-एक आवास मिला।

जिसमें से 44 लाख 93 हजार आवास अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। यह लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। महोदय, डबल इंजन की सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भू-माफिया की जमीन को मुक्त कराकर 76 गरीबों को वहाँ भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पर हम आ जाते हैं जिसको कह रहे है कि क्या किया हैं। मैं सिंचाई की बात करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वहाँ 2012-17 के बीच में चाचा-भतीजे के बीच में द्वन्द का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे हैं। यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं चाचा हावी न हो जायें इसलिए पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था कि सिंचाई की 2012-17 के बीच में 08 परियोजनायें पूर्ण हो पायी थी और 2017-22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 2012-17 के बीच में 01 लाख 95 हजार 900 हे0 और 2017-22 के बीच में 23 लाख 17 हजार हे0 भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुयी है। जिससे 44 लाख किसान सीधे-सीधे लाभान्वित हुये हैं। सच्चाई हमेशा थोड़ी कड़वी होती है और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। महोदय, प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप काफी बड़े पैमाने पर हैं। यद्यपि जहाँ पर नहरें नहीं हैं, यानी कि नहरें नहीं जा पायो, रजवाहा नहीं जा पाये, पूल नहीं जा पाये। उसके अनुक्रम में वहाँ पर किसानों ने पहले से ही काफी परिश्रम किया है। चूंकि प्रगतिशील किसान रहा है, खेतीबाड़ी प्राचीन काल से ही माँ गंगा की इतनी कृपा रही कि यहाँ की जो भूमि थी वह अत्यन्त उर्वरा थी। लोग खेती-बाड़ी में विश्वास करते थे। परिश्रम पर विश्वास करते थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखण्ड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था और यहाँ पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया। प्रदेश के अन्दर कुल निजी नलकूप 14 लाख 65 हजार 600 से अधिक हैं। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अन्दर गतवर्ष हमने विद्युत बिल में 50 फीसदी की छूट दी है। उत्तर प्रदेश में किसानों की पहली बार यह सुविधा प्राप्त हुयी है। यह लोग क्या कर रहे थे। इन लोगों के पास किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ करना भी नहीं चाहते थे।

(श्री लालजी वर्मा के बीच में टोकने करने पर।)

आप तो इससे पहले वहाँ से बोलते थे। चलिये, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें।

मान्यवर, वर्ष 2023-24 के लिए हम फीडर को अलग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने बाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हम 1500 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान कर चुके हैं, फीडर के सेन्रेशन की कार्यवाही चल रही है और यह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर, इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो अन्य तमाम कार्यक्रम किये गये हैं, इसमें नलकूपों को सोलर पम्प के द्वारा सोलराइज करने की कार्यवाही की गयी है। अब तक हम लोगों ने इससे 45,342 किसानों को आच्छादित किया है और वर्ष 2023-24 में इससे 30,000 किसानों को जोड़ने के लिए कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्यवाही भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैने पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस दौरान खास तौर पर 1546 चेक डैम का निर्माण किया गया है, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 1234 तालाब बनाये गये और प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा भी अलग-अलग समय में तालाब बनाये गये हैं। अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया है. 30,642 तालाब बनाये गये हैं। भू-गर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाये गये हैं और इसमें अन्य विभागों के द्वारा भी सहयोग किया गया है जिसके माध्यम से 13,066 अमृत सरोवर के निर्माण की कार्यवाही को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, अभी तक 34.974 कार्य पूरे किये गये हैं। रि-यूज एण्ड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किये गये हैं और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी की शक्ल में थीं, बाद में एक समय के साथ वह समाप्त सी हो गयी थीं, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्यवाही, अब तक नौ नदियों को पुनर्जीवित किया गया है और वर्तमान समय में 66 नदियों पर कार्य चल रहा है और हम उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। भू-गर्भीय जल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं और इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है।

वर्ष 2017 से पहले एवं वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में विद्युत की क्या आपूर्ति थी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पर और वह भी वी0आई0पी0 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे यानी डिस्ट्रिक्ट भी वी0आई0पी0 हुआ करते थे। उन जिलों में बिजली मिलती थी लेकिन शेष जिले बिजली से वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और जिला मुख्यालयों पर 23-24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 20-22 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18-19 घण्टे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल, 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मजरों के विद्युतीकरण की

कार्यवाही, 01 लाख 21 हजार से अधिक मजरों की विद्युतीकरण से युक्त किया गया है। प्रदेश के अंदर 33/11 के0वी0ए0 के 1528 सब-स्टेशन की स्थापना की गयी है। प्रदेश के अन्दर 1 करोड़ 58 लाख घरों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है और 03 लाख 99 हजार 800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी अन्य कई प्रकार को कार्य हुए हैं, उसका इसी से अनुमान लगा सकते हैं। वर्ष 2015-16 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार में इनका पावर का पीक डिमाण्ड आवर था, उस समय 12,300 मेगावाट थी और अब हम लोगों के समय वर्ष 2023 में पीक डिमाण्ड 28,284 मेगावाट है। यानी यह दिखाता है कि पिछली सरकार में विकास का कोई एजेण्डा नहीं था, अपना व्यक्तिगत एजेण्डा था। व्यक्तिगत एजेण्डा परिवार का एजेण्डा था।

महोदय, इसके अलावा प्रदेश के अन्दर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था उसे भी काफी कम किया गया है यानी वर्ष 2017 के पहले यह करीब 22 फीसदी था और आज वर्ष 2023 में जब हम लोग आये हैं यह करीब 17 फीसदी के आस-पास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफार्म भी हो रहे हैं और कार्यवाही आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की व्यवस्था देखेंगे तो वर्ष 2017 के पहले 01 करोड़ 08 लाख विद्युत के मीटर थे, आज 03 करोड़ 27 लाख से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किये गये हैं और उनकी कार्यवाही आगे बढ़ रही है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर इस कार्यवाही को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वर्ष 2012 से 2017 के बीच में 4,839 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी और इस समय हम लोगों ने 5,820 मेगावाट उत्पादन क्षमता अर्जित की है और साथ-साथ 1600 मेगावाट ओबरा तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्यवाही को भी एन0टी0पी0सी0 के साथ प्रारम्भ किया है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी। ये प्रदेश के अन्नदाता किसानों की चर्चा कर रहे थे। महोदय, अन्नदाता किसान की जो स्थिति है, मुझे आश्चर्य होता है कि एम0एस0पी0 क्या होता है शायद नेता विरोधी दल को मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए। शिवपाल जी थोड़ा बताना चाहिए। धान, जो यह कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है और उस समय की स्थिति क्या थी, वर्ष 2014-15 में ही मैं देखता हूँ कि धान की एम0एस0पी0 थी, वह 1360 रुपये थी, शिवपाल जी आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज उसी धान की एम0एस0पी0 वर्ष 2023-24 में सरकार ने 1360 की बजाय 2183 रुपये सीधे किसानों को दिया गया है।

**श्री शिवपाल सिंह यादव-**

अध्यक्ष जी, किसी किसान का धान कहीं खरीदा नहीं गया, केवल बिचौलियों से खरीदा गया।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

धान ग्रेड-ए की 1400/- एम0एस0पी0 थी और वर्तमान में 2203/- रुपया दी जा रही है। ज्वार (हाइब्रिड) 1530/- वर्मा जी नोट करिए, 1530/- का 3180/- रुपया। ज्वार 1550/- रुपया, यह मूल्य जो है, यह 2014-15 में था, आज इसका एम0एस0पी0 दिया जा रहा है 3225/- रूपया। बाजरा खायेंगे, सेहत ठीक होगी। 1250/- इसका एम0एस0पी0 यह आज पैसा दिया जा रहा है 2500/- रुपया, यह दोगुना नहीं है क्या ? इनके समय में मक्का प्रक्योर नहीं किया जाता था। मक्का का प्रक्योरमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रारम्भ किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं। उस समय एम0एस0पी0 थी 1310/- और इस समय दिया जा रहा है 2090/- रुपया। उड़द 4350/- या और आज मिल रहा है 6950/-, अरहर 4350/- आपके समय में और वर्तमान में 7000/- रुपया। तिल का समाजवादी सरकार में दिया जाता था 4600/- रूपया और आज दिया जा रहा है 8635/- रूपया और ऐसे ही में रबी को फसल के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि एम0एस0पी0 कितना बढ़ा है। सम्भवतः नेता विरोधी दल को रबी और खरीफ का अन्तर महसूस नहीं होता होगा।

**श्री अखिलेश यादव-**

मक्का कहीं खरीदा भी है ? बिजली का प्लांट एक भी नहीं बनाया, शायद बता देंगे, एक भी नहीं बनाया इन्होंने। एक मण्डी बनायी हो तो बता दें।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

मैं उस पर भी आ रहा हूँ आप चिन्ता मत करो। मैं आपकी सभी शंकाओं को अभी दूर करूंगा। गेहूँ समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1450/- रुपये और आज 2125/- रुपये।

**श्री अखिलेश यादव-**

गेहूँ तो पाँच कम्पनियों ने खरीद लिया, लेकिन उससे किसान को क्या मिला ?

**श्री अध्यक्ष-**

नेता प्रतिपक्ष, जब आप बोल रहे थे, तब सब लोग शान्त थे।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

अध्यक्ष महोदय, सुनने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। मसूर के 3075/- रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रेट किसानों को मिल रहे थे, आज किसानों को रेट मिल रहे हैं, 6000/- रुपया। लाही/सरसों 3100/- रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार के समय और आज दाम मिल रहे है, 5450/- रुपया और महोदय, अगर हम इनको बतायें कि कितना प्रोक्योरमेण्ट हम लोगों ने कब किया है और सम्भवतः इनकी आंखों को खोलने के लिए यह आंकड़ें भी अच्छे होंगे। वर्ष 2012-13 में जो धान और गेहूँ का प्रोक्यूरमेण्ट हुआ था, धान को वर्ष 2012-13 में 25 लाख टन खरीद कर अलग से ही रखा गया था और एक भी किसान से

नहीं खरीदा गया था, सभी आढ़तियों के माध्यम से खरीदा गया था। वर्ष 2017 के पहले कहीं भी प्रोक्यूरमेण्ट सेण्टर नहीं लगते थे, अंतिम प्रोक्यूरमेण्ट सेण्टर स्थापित हुए थे जब मा0 राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने किसानों से सीधे खरीदने की व्यवस्था की थी और उसके बाद से यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। आज प्रदेश के अंदर धान के लिए भी, गेहूँ के लिए भी, मकई के लिए भी, बाजरा के लिए भी बकायदा प्रोक्यूरमेण्ट सेण्टर स्थापित होते हैं। एम0एस0पी0 का दाम दिया जाता है, मण्डी शुल्क को दो प्रतिशत से एक प्रतिशत भी हम लोगों ने किया है और यही नहीं किया सरकार ने इससे भी आगे जाकर के व्यवस्था बनाई कि अगर किसान की उपज का दाम मार्केट में ज्यादा है तो किसान को मार्केट में अपनी उपज को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं होनी चाहिए। किसान के हित के लिए सरकार के द्वारा यह उठाया गया कदम है।

वर्ष 2017 में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के गेहूँ के उसमें 36 लाख 99 हजार मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेण्ट किया था, जिसके माध्यम से 8 लाख 6 सौ 46 किसानों को 6 हजार 11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 में 52 लाख 92 हजार मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेण्ट किया गया। 9 हजार 2 सौ 31 रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किए गए। 11 लाख 27 हजार 1 सौ 95 किसानों को इसका भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 में 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूँ क्रय किया गया। 7 लाख 53 हजार 4 सौ 14 किसानों को 6 हजार 8 सौ 89 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से दी गई। वर्ष 2021-22 में 56 लाख 41 हजार मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेण्ट किया गया, जिसमें से 13 लाख 1 हजार 7 सौ. 53 किसानों को 11 हजार 1 सौ 41 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की गई और अगर आप पिछले 6-7 वर्षों का देखेंगे तो 2 सौ 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक का प्रोक्यूरमेण्ट गेहूँ का अन्नदाता किसानों से किया गया और जिसके माध्यम से 41 हजार दो सौ 99 करोड़ रूपए का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे-सीधे किसानों के खाते में किया गया, महोदय यही नहीं ऐसे प्रदेश के अंदर अन्य सभी नगदी फसलों के साथ ही अन्नदाता किसान से सीधे प्रोक्यूरमेण्ट की कार्यवाही प्रदेश सरकार के द्वारा की गई और प्रदेश सरकार लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी स्थिति में अन्नदाता किसान की उपेक्षा न हो, किसान के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं। खास तौर पर प्रदेश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिणाम आज हम सबके सामने है। वर्ष 2017 से वर्ष 2022-2023 के बीच अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभार्थी किसानों की संख्या देखें कि आपदा के कारण जिन किसानों को नुकसान होता है, उन किसानों की संख्या देखे तो लगभग 50 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुये हैं। इस दौरान

4228 करोड़ रूपये डी0बी0टी0 के माध्यम से उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुँचाने का कार्य हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर किसानों को अलग-अलग समय में जो लाभार्थी किसान हैं यानि चाहे उनकी रवी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, सभी फसलों में इस सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में भी जिन किसानों की दुःखद मौत हुई, जनहानि हुई वहाँ पर सरकार ने अनेक रिफार्म किए हैं और अब तक वर्ष 2023-2024 में प्रदेश सरकार ने 7500 करोड़ रुपये केवल इसी के लिए बजट रखा और इसमें 9,710 किसानों को अब तक 435 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण भी किया गया है। यह किसानों के हित में है और अब किसान ही नहीं, किसी भी किसान परिवार का कोई भी किसान है अगर उस किसान के परिवार का कोई सदस्य इस आपदा की चपेट में आता है, खासतौर पर जब लाइटनिंग का मामला होता है। आकाशीय बिजली से जो मौतें होती हैं उसकी चपेट में आ रहे हों, आपदा को श्रेणी में भी आते हैं लेकिन किसी भी अन्य दुर्घटना के कारण यदि मौत होती है तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत उसे आच्छादित करते हुए सरकार उन्हें दे रही है और उन किसानों को ही नहीं, किसान के अलावा, किसान के साथ जो सहयोगी किसान हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने की कार्यवाही हमारी सरकार ने की है और इसके माध्यम से किसान इससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 2 करोड़ 61 लाख किसान प्राप्त कर रहे हैं और अब तक 59,105 करोड़ रुपये डी0बी0टी0 के माध्यम से 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खाते में अब तक गये हैं। महोदय, इसके साथ ही, जो बड़ी डींगे हाँक रहे थे, नेता विरोधी दल ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रदेश में इन्होंने कोई कुबेर का खजाना खोला था। अब इनके कुबेर के खजाने को देख लें। मुख्य मंत्री राहत कोष से वर्ष 2012 से 2017 के बीच में, नोट कर लें कि इनके कुबेर का खजाना क्या था ? कुल 552 करोड़ रुपये प्रदेश के गरीबों को वितरित हो पाए और वर्ष 2017 से 2023 के बीच में इसी दौरान लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 1 लाख 37 हजार 990 है और जो राशि है वह 552 करोड़ की तुलना में 2325 करोड़ रुपये वितरित हुई है

[मेजों की थपथपाहट]

यानि इन लोगों ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर स्थिति उत्पन्न की थी। मैंने लोहिया आवास की सच्चाई आपके सामने रखी और अब इनके कुबेर के खजाने की सच्चाई भी सामने रख दी है। कह रहे थे कि हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि किसान आत्महत्या कर रहा था, यही सच्चाई थी कि किसान आत्महत्या कर रहा था। और अपनी विफलता को छिपाने के लिए आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति की एक स्थिति होती है, कभी चाचा को थोखा दे दो, कभी बहन जी को धोखा दे दो, कभी भाई साहब को धोखा दे दो, कभी किसी को दे दो, यह प्रवृत्ति हमेशा होती है और वही स्थिति आज भी है। जब असत्य ही बोलना है, असत्य वाचन ही करना है, लगातार इस प्रकार की चीजें चलती हैं और उन्ही

स्थितियों को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अन्नदाता किसानों के लिए कार्रवाई की। आप देखें कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच में गेहूँ क्रय की स्थिति क्या है ? मैने पहले भी आपको बताया था कि आपके समय में कोई केन्द्र स्थापित नहीं होते थे। प्रोक्योरमेण्ट सेंटर वर्ष, 2017 में हम लोगों ने लगाये थे। बिचौलियों और अढ़ातियों के माध्यम से होता था, सेण्टर नहीं लगता था, पैसा सीधे किसान लेता था।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

**श्री अखिलेश यादव-**

सेंटर बनते थे, हमने डी0बी0टी0 भी शुरू करवाई है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आपको जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूँ। चलिये बनते थे, लेकिन आप पर अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था और परिणाम क्या है, देख लीजिये।

***श्री शिवपाल सिंह यादव-**

मैने उस समय ऐसा कर दिया था कि मण्डी में जितना अनाज क्रय केन्द्र पर निर्धारण किया जाता था, मण्डी में 5 से 10 रूपये अधिक करा दिया था, सीधा किसान मण्डी में चला जाता था। आप अगर आदेश आज दे देंगे तो किसान तभी क्रय केन्द्र पर जायेगा ही नहीं वह सीधा मण्डी में चला जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे साथी को जल्दी शपथ दिला देना नहीं तो मेरे साथ आ जायेंगे।

(सदन में हंसी)

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

शिवपाल जी अगर आपने यह इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता तो सम्भवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता लेकिन भतीजा है कि आपकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है।

**श्री शिवपाल सिंह यादव-**

हमने पढ़ाई-लिखाई करायी पहले इंजीनियर हो गये, फिर मुख्य मंत्री हो गये।

(सदन में हंसी)

**श्री अखिलेश यादव-**

मुख्य मंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वर्ष, 2012 से 2017 के बीच में, 19,2000 किसानों से 24 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद हुई थी और 12,800 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। यह भुगतान नकद किया गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, इसमें डी0बी0टी0 को भी नहीं अपनाया गया था क्योंकि आढ़ती और बिचौलिये बीच में थे। आप 2012 से 2017 के बीच में 19,2000 किसानों से 94 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदते हैं और हम वर्ष 2017 से 2023 के बीच में 47,89,000 किसानों से 225 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाता है और 41299 करोड़ रूपये का डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा जाता है। 14,87,000 किसानों से वर्ष, 2012 से 2017 के बीच में धान खरीदा गया।

**श्री शिवपाल सिंह यादव-**

टोटल भ्रष्टाचार है धान खरीद में।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वर्ष, 2012 से 2017 के बीच में 14,87,000 किसानों से धान खरीदा गया और वर्ष, 2017 से 2023 के बीच में 53,68,600 से अधिक किसानों से खरीदा गया। इसके अलावा आपके समय 123 लाख मीट्रिक टन धान का प्राक्योरमेण्ट होता था और हमारे समय में 345 लाख मीट्रिक टन का प्रक्योरमेण्ट होता है। आप 17,190 करोड़ रुपये का भुगतान करते है और 63,936 करोड़ रुपये का भुगतान हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अन्नदाता किसानों को किया गया। महोदय, अगर हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की ही बात करें। मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुँह से नेता विरोधी दल यहाँ पर किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं, यह झेलना ही है। चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि, छपरौली के हमारे माननीय विधायक मेरे पास आये थे और बता रहे थे, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि उस चीनी मिल का पुनरूद्धार होना चाहिए। 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन नहीं कर पाई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को हमारी सरकार ने साकार किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज छपरौली की चीनी मिल चल रही है।

**श्री अजय कुमार**

मान्यवर, लेकिन वह घाटे में चल रही है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वह मुनाफा भी कमा लेगी।

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

मान्यवर, पेमेंट नहीं हो रहा है। आप पेमेंट करा दें।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

मान्यवर, अब देखिये, आप पेमेंट की बात कर रहे हैं। 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कुल 95,200 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। हमारी

सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रूपये का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है।

[सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई]

क्या यह भुगतान नहीं है। बालियान साहब आप इतने बुजुर्ग हैं।

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

मान्यवर, मैं बाकी का कह रहा हूँ।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

मै बाकी पर भी आ रहा हूँ। अभी तो मैंने शुरूआत ही की है। अभी मै प्रयास कर ही रहा हूँ कि आप अभी से कहने लग गये। मैं पहले इनकी असलियत तो आपको बताऊँ। इनके एजेंडे में कभी किसान था ही नहीं।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, केवल 25 रुपया रेट बढ़ा है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आपसे ज्यादा वह जानते हैं। बालियान साहब बता दीजिए कि कितना बढ़ा है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, हम भी किसान हैं।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आपको पता ही नहीं, आप तो बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है, इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ रह गये हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। अगर पता होता तो आप सम्भवतः बगल में ही बालियान जी से ही बात कर लेते।

[विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा ''खेती वाली जाति के हैं'' बोलने पर]

जाति की बात अलग है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है, उसी के पास ही सरकार की योजना का लाभ भी पहुँच रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत का हर व्यक्ति किसान है। यहाँ किसान जाति में नहीं बंटा है। किसान की एक ही जाति है कि वह किसान है।

[सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई]

उसकी न जाति है, उसका न मत है, उसका न मजहब है, वह केवल किसान है। इसीलिए उस किसान के स्वावलम्बन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जारी की, किसान के सम्मान के लिए, वह जाति के लिए नहीं की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वायल हेल्थ कार्ड उन्हीं अन्नदाता किसानों के लिए जारी किया है।

मान्यवर, एम0एस0पी0, पहली बार लागत का डेढ़ गुना दाम मिले, यह उन्हीं किसानों के लिए जारी किया गया है। सारी कथा सुनते-सुनते अन्त में आप क्या फिर से उल्टा बोल रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है। चच्चु कुछ तो सिखाया करो इस समय तो फुर्सत होगी। थोड़ा समय का उपयोग कर लो। अभी आपके पास पूरी फुर्सत है। अभी वर्ष 2023 से 2027 चल रहा है और वर्ष 2027 से ले करके 2032 में भी यही रिपीट होने वाला है। यह तय है कि अगर चच्चू आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो वर्ष 2027 में सबसे पहले क्लीन बोल्ड आप ही होने वाले हैं। लोकदल से जुड़े हुये हमारे जो माननीय सदस्य हैं, थोड़ा वह आकड़े सुने। हमने नई चीनी मिलें भी दी, बन्द चीनी मिलों को भी चलाया और आप यह भी जानते हैं कि कोरोना काल खण्ड में जब नेता विरोधी दल घर के अन्दर दुबके हुये थे तब हम लोग चीनी मिलों को चला रहे थे। अब आप सोचिये कि उस समय जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं थी, प्रदेश के बारे में यह भी नहीं था कि सरकार से पूछे क्या हालचाल है हमारे सहयोग की कहां आवश्यकता है, वह नहीं थी। वह तो उल्टा वैक्सीन का विरोध करने के लिए चल दिये। आज दुनियां कह रही है, भारत दुनियां में पहला देश है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को दी है। दुनियां के अन्दर 100 से अधिक देशों को फ्री में वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई है। वैक्सीन दुनियां के लिए मित्रता का एक रास्ता खोलने का माध्यम भी बना। जब दुनियां संकट में थी, तब भारत के विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के गरीबों के लिए योजनायें अमल कर रहे थे और दूसरी तरफ हर नागरिक की जान को बचाने के लिए भी अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे थे। भारत की दोनों वैक्सीन दुनियां में सबसे प्रभावी मानी गई। आपने देखा होगा अभी फोर्थ वेब आ रही थी, वह भारत के बॉर्डर से वापस चली गई। चीन के अन्दर महीनों-महीनों तक बाजार बन्द थे, यूरोप के बाजार बन्द थे, यूरोप बन्द था। चीन महीनों महीनों तक बन्द था लेकिन भारत की वैक्सीन इतनी प्रभावी थी कि फोर्थ वेव को फिर से आने नहीं दिया गया। यह वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। शिवपाल जी अस्ट्रेलिया से यह यही पढ़ के आये हैं क्या। यह पड़े थे कि हम वैज्ञानिक सोच की बजाय, हम लोगों को प्रगतिशील सोच की बजाय उन्हें मौत की तरफ ढकेले। बोले वैक्सीन मत लगाओ। हमारी सरकार में चीनी मिलें बन्द नहीं हुईं, हमने नई बन्द चीनी मिलों को चलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में और उससे पहले की सरकारों के समय में चीनी मिलें बन्द करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम हुआ था। अनेक इस प्रकार के प्रयास किये जो किसान विरोधी थे। क्या यह सच नहीं है कि अन्नदाता किसानों को गोलियां मारी जाती थीं। पिछली सरकारों के समय क्या यह सच नहीं है। किसानों को मुआवजा सही नहीं दिया जाता था।

महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार 2012 से 2017 के बीच में केवल 14 हजार 725 टीसीडी और 2017 से 2022 के बीच में 78 हजार 900 टीसीडी क्षमता का विस्तार होता है। गन्ना पेराई 3 हजार 734 लाख मीट्रिक टन 2012 से 2017 के बीच में हुआ और 2017

से 2023 के बीच में 6 हजार 404 लाख मीट्रिक टन की पेराई हुई। चीनी उत्पादन 368 लाख मीट्रिक टन 2012 से 2017 के बीच और 2017 से 2023 के बीच में 682 लाख 44 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। 2012 से 2017 के बीच में जो किसान की औसत उपज थी वह थीं 63.63 टन प्रति हेक्टेयर और आज जब हम 2022-23 में हैं तो किसानों को नई तकनीक देने का परिणाम है कि उसी किसान के खेत में 83.95 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अब तक गन्ना मूल्य का, महोदय, हम लोगों ने 2022-23 का भी 38 हजार 51 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है जो लगभग 87 फीसदी के आस-पास है, 86-87 फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, प्रदेश भर के गन्ना किसानों को आश्वस्त करता हूँ कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कोई अन्याय किसानों के साथ नहीं होगा। प्रदेश ने इस दिशा में और भी प्रयास प्रारम्भ किये हैं जैसे इथेनॉल उत्पादन है। इथेनॉल उत्पादन में 2012 से 2017 के बीच में कुल 42 करोड़ लीटर का उत्पादन हुआ था और आज हम अकेले एक वर्ष में 153.71 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन करके देश के अन्दर नम्बर-1 पर हैं। प्रदेश चीनी उत्पादन में भी नम्बर एक पर है और इथेनॉल उत्पादन में भी नम्बर एक पर है। अभी हम लोगों ने छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स की परमीशन दी है। देवरिया में भी बेतालपुर के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है और जैसे ही हमें परमीशन मिलेगी एक इंटीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स के निर्माण की कार्रवाई हम लोग यहां भी करने जा रहे हैं। अन्य जगहों पर भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ायेंगे, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर ये सभी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं और सरकार अन्नदाता किसानों के हित के लिए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने 2017 में आते ही सबसे पहला काम ही यही किया था अन्नदाता किसानों की कर्जमाफी का। सपा के कुशासन से त्रस्त वह किसान, जो आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दब चुके थे, उन सभी को कर्ज से मुक्त करने के लिए उस समय प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों की कर्जमाफी की कार्रवाई को आगे चढ़ाया था और सरकार उस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व करने की बजाय, नेता विरोधी दल प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और कम से कम इनको प्रदेश की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सरकार में सत्तापक्ष के लोग हैं लेकिन विपक्ष भी तो प्रकिया का एक हिस्सा है। हमें तो समय-समय पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा करनी थी, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गरीबी हटाओ के लिए था, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में।

पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं, क्या हमें करना है किसे अचीव करना है, इस दिशा में हमारे क्या प्रयास होने चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इस मा0 सदन ने 36 घंटे से अधिक समय तक इस पर चर्चा की और

कुछ निष्कर्ष पर वह लोग पहुंचे थे। सदन ने देश के सामने एक नजीर प्रस्तुत की थी, देश और विरोधी दलों ने इसको सराहा था, लेकिन मुख्य विरोधी दल वाक आउट कर गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि तब भी चाचा जी ने हिम्मत की थी, उस समय आने को, आप आये थे ना ? आपने चर्चा में भाग लिया था और यह दिखाता है कि आपके मन में कुछ करने की इच्छा होती है, परन्तु थोड़ी हिम्मत नहीं कर पाते।

**श्री लालजी वर्मा-**

कितनी नफरत फैलाएंगे।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

अरे हम सच्चाई की बात करते हैं तो आप नफरत की बात करते हैं। वह आपकी बगल में बैठे हैं, अगर आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा कम से कम उनको तो सही दिशा में चलने दो।

**श्री अखिलेश यादव-**

क्या दरार डाल रहे हैं।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

महोदय, अब वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो ड्राइव प्रारम्भ किया गया है, उनके चैकडैम अच्छे नहीं लगते, अमृत सरोवर की कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। कितना अच्छा होता कि नेता विरोधी दल भी जाते किसी सरोवर में खड़े होकर सेल्फी ले करके अपलोड कर लेते।

**श्री अखिलेश यादव-**

आपका डिजाइन गलत है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आप भी अपना एक डिजाइन मॉडल बनाकर सैफई में तैयार कर दीजिए। वही हम कह रहे हैं कि अपने स्तर पर करना कुछ नहीं, हर एक चीज के लिए इनके पास अलग-अलग मुद्दे होते हैं और इनके पास अपने बहाने भी होते हैं। महोदय इसीलिए वृक्षारोपण के इस महान अभियान के साथ सरकार जुड़ी हुयी है। सर्वत्र सराहना हो रही है, दुनिया इसे बहुत पॉजिटिव वे में लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो राज्य है, वह दुनिया के लिए कार्बन एमिशंस में कितना बड़ा योगदान दे रहा है, यह जानने की एक रुचि है। लेकिन नेता विरोधी दल को लगता है कि यह सब फालतू है, यह सब कागजों में है। कागज कौन थे, जो कागजों में थे और जिनके कारनामे केवल नारों में बोलते थे, उन्हें तो जनता पहले ही ठुकरा चुकी है, यह तो 1 या 2 बार नहीं 4-4 बार उनको जवाब जनता दे चुकी है और उसके बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी भी यह सब आपको कागजी लगते हैं। इतना बड़ा अभियान कि स्कूली बच्चे

इसके साथ जुड़े हों, हर ग्राम पंचायत इसके साथ जुड़ी, हर नगर निकाय वार्ड जुड़े, हर स्तर का जनप्रतिनिधि जुड़ा, ग्राम पंचायत सदस्य से ले करके और संसद सदस्य तक इस अभियान का हिस्सा बना और यह इन्हें कागजी दिखायी देता है।

**श्री अखिलेश यादव-**

पेड़ कहां पर हैं ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

आप कभी अपने आवास के बाहर निकलें तो आपको पेड़ दिखायी दे और महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में वर्ष 2017 से वर्ष 2023 के बीच में 162 करोड़ से अधिक पेड़ प्रदेश के अन्दर लगाये हैं। जिससे 12 लाख 80 हजार हेक्टेयर लैंड आच्छादित हुयी है और जो वन आच्छादन बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। महोदय, अगर एफ0आर0आई0 देहरादून को स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के बीच में, यानि उस दौरान जब प्रदेश के अन्दर 41 हजार 700 हेक्टेयर में वृद्धि को उन्होंने इस दौरान दिखाया था और उन्होंने इस बात को कहा था।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था पर्यावरण तथा वृक्षारोपण में लगभग 80 हजार हेक्टेयर की वृद्धि इस दौरान दर्ज की गयी है। प्रदेश के अन्दर वर्ष 2017 से लगातार इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2022 तक, यानी गत वर्ष तक हम लोगों ने 131 करोड़ 98 लाख पौधों का रोपण किया है, जिससे 54 लाख मीट्रिक टन कार्बन अवशोषण में भी मदद मिली है और प्रदेश सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कि जब उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डालर की इकनॉमी बनेगा, उस समय तक प्रदेश के वन आच्छादन को, 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी तक ले जाने का काम भी करेंगे। 15 प्रतिशत तक वन आच्छादन का मतलब 22 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड के अवशोषण के लिए हम लोग एक मकैनिज्म प्राकृतिक रूप से प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और मैं उन सभी नागरिकों का, उन सभी लोगों का, जिन लोगों ने वृक्षारोपण महाभियान में भाग ले करके इसे सफलता की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में योगदान दिया। महोदय, अकेले एक दिन 22 जुलाई की तिथि में 30 करोड़ वृक्ष प्रदेश के अन्दर लगे हैं। मैं स्वयं बिजनौर और मुजफ्फरनगर गया था। बिजनौर में 'बिदुर कुटी' में और मुजफ्फरनगर में जो 'भागवत भूमि' है, 'सुकतीर्थ' में, इन दोनों जगहों पर मुझे इस महा अभियान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और अभी 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान को फिर वन विभाग को नोडल विभाग बनाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे, जिसमें हर प्रमुख स्तर पर भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के वीर शहीदों और अमर जवानों के लिए, उनकी स्मृति में 'अमृत बाटिका' का रोपड़ भी होगा। हर एक ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में और हर प्रमुख स्थल पर इस प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से

आभारी हूँ, जो इस अभियान के साथ जुड़े थे और जुड़ रहे हैं। महोदय, नेता प्रतिपक्ष के मुख से महंगाई के बारे में सुनकर मुझे अच्छा लगा कि चलिए महँगाई का उनको अहसास तो नहीं होगा, लेकिन महँगाई के बारे में उन्होंने कुछ तो बोला। महंगाई के लिए बोलना तो आसान है। आश्चर्य होता है कि जब अन्नदाता किसान को टमाटर का दाम अच्छा मिलता है, तो इनको बुरा लगता है।

**डा0 संग्राम यादव-**

किसान को कहाँ मिल रहा है, वो तो बिचौलियों को मिल रहा है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

यानी किसान आपको बिचौलिया लगता है।

**श्री अखिलेश यादव-**

उत्तर प्रदेश में किसको मिला ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

यदि कल गन्ना अच्छे दाम में बिकने लग जाये, तो आप बोलेंगे कि साहब ये दाम बिचौलियों को मिल रहा है, ये आपकी भाषा है। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा उन्हीं का सहारा लिया है। बिचौलियों का सहारा लेकर वहाँ पहुँचे हैं। अगर यही प्रवृत्ति रही, तो वर्ष 2027 में वहाँ भी बैठने लायक नहीं बचेंगे।

**श्री अवधेश प्रसाद-**

मान्यवर, पहले वर्ष 2024 देख लीजिए।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

वर्ष 2024 तो आ ही गया है। वर्ष 2024 के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया है कि कल जनता संसद में फैसला कर चुकी है

[सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं]

क्या होना है, ये फैसला हो चुका है।

महोदय, डीजल-पेट्रोल। वे लोग महँगाई की बात कर रहे थे। अन्नदाता किसानों के प्रति और प्रदेश के नागरिकों के प्रति इनका व्यवहार क्या रहता था ? अपने कुरीतियों पर लगाम लगाना नहीं था अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना नहीं था।

अपने फिजूलखर्ची को रोकना नहीं था। जून, 2014 में वैट की दर को 26.55 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.80 प्रतिशत तथा डीजल पर वैट 17.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 17.48 प्रतिशत कर दिया गया था। इनके समय वैट ड्यूटी यू0पी0 के अन्दर बढ़ायी गयी थी।

(श्री लालजी वर्मा द्वारा अपने आसन पर बैठे हुए टोका-टाकी करने पर कि उस समय डीजल का दाम क्या था ?)

वैसे आपने (श्री लालजी वर्मा) उस समय इसका विरोध किया होगा, भूलिये मत। यह अलग बात है कि आप लोग समय के अनुरूप पाला बदल लेते हैं, वैसे उस समय इसका विरोध किये होंगे। 2017 से 2023 के बीच में पेट्रोल पर वैट 19.36 प्रतिशत तथा डीजल पर 17.08 प्रतिशत वर्तमान में वैट ड्यूटी है, यानी 26.80 प्रतिशत से हम लोगों ने इसको कम करने का काम किया है। 04 नवम्बर, 2021 को पेट्रोल पर 05 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी भी भारत सरकार के द्वारा कम की गयी। इस कमी का 12 रुपये प्रति लीटर का लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी डीजल पर 02 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 07 रुपये प्रति लीटर की कमी प्रदेश में की गयी। (मेजों की यपथपाहट)

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा अपने आसन पर बैठे हुए कहा गया कि तेल के दाम हिन्दुस्तान में सबसे सस्ता उत्तर प्रदेश में है।)

[नेता विरोधी दल ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि मुझे पता है।]

नेता विरोधी दल को सच्चाई पता है, लेकिन बोलेंगे नहीं। महोदय, अगर मैं इसी की बात करता हूँ कि आज की जो स्थिति है। अब देखें इस समय इनके सहयोगियों के यहाँ दाम क्या है ? सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलते हैं- 106.01 रुपये, बिहार में 107.22 रुपये, राजस्थान में 108.46 रुपये और उत्तर प्रदेश में 96.55 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है। [मेजों को थपथपाहट] अगर पेट्रोल के दाम की तुलना अन्य राज्यों से भी करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो वैट है वह 15.01 प्रतिशत, राजस्थान में 26.84 प्रतिशत, बिहार में 24.32 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 23.68 प्रतिशत और आन्ध्र प्रदेश में 29.25 प्रतिशत है। [नेता विरोधी दल ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ, क्रूड ऑयल की क्या कीमत है ?] आप इसलिए नहीं सहमत हैं क्योंकि आप सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। डीजल, पश्चिम बंगाल में 92.74 रुपये, बिहार में 94.02 रुपये, राजस्थान में 93.70 रुपये प्रति लीटर और उत्तर प्रदेश में 89.74 रुपये प्रति लीटर है।

**श्री अखिलेश यादव-**

सब दिल्ली का रेट बढ़ाया हुआ है, उसकी तुलना स्टेट से क्यों किया जा रहा है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

मा0 अध्यक्ष जी, अगर मैं आंकड़ों को उस रूप में लूं तो उत्तर प्रदेश में डीजल पर वैट की दर 12.76 रु0 प्रति लीटर है, राजस्थान में 16.63 रु0 प्रति लीटर है, बिहार में 16.10 रु0 प्रति लीटर है और पश्चिम बंगाल में 15.33 रु0 प्रति लीटर है। यह महंगाई की बात कर रहे हैं। यह तो बिन मांगे समर्थन देने वाले लोग हैं, कोई नहीं मांगे तो भी देंगे, वैसे खैर अब तो उस गठबंधन के स्वयं हिस्से बने हुए हैं। प्रदेश के अन्दर प्रदेश के उपभोक्ताओं के

हित के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। यह सरकार पहली ऐसी सरकार है जब कोरोना आया था तो आप लोगों का पता नहीं था, यह तो हर व्यक्ति जानता है कि आप कहां थे। पता नहीं उस समय क्या सच्चाई थी यह मैं भी नहीं जानता था, लेकिन एक समय के लिए तो ऐसा लगा था कि जैसे नेता विरोधी दल कहीं भारत न छोड़ जायें या कहीं और जगह की यात्रा पर न निकल जायें, आपको रहना चाहिए था। कैसे उस समय की स्थिति थी, उस समय डबल इंजन की सरकार थी, जो देश के अन्दर बिना भेद-भाव के 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही थी। फ्री में राशन की व्यवस्था हो, जनधन एकाउन्टधारी जितनी भी माताये थी, उनके एकाउन्ट में धनराशि देने की बात रही हो या फिर जितने भी उज्जवला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेण्डर उपलब्ध करवाने की कार्यवाही रही हो, पटरी व्यावसायी स्ट्रीट वेण्डर के लिए पी0एम0 स्वनिधि योजना लागू करने की कार्यवाही रही हो या फिर जितने भी श्रमिक थे, उनको भरण-पोषण भत्ता देने की कार्यवाही रही हो। डबल इंजन की सरकार थी तो इसकी डबल डोज भी उपलब्ध हो रही थी। हर एक गरीब को डी0बी0टी0 के माध्यम से उस स्कीम तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा था। यह लोग तो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।

जब कोरोना कालखण्ड में उत्तर प्रदेश के लगभग 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आये थे तब भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक सड़कों पर उनकी सेवा के लिए, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद कर रहे थे। कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, एक भी जगह इनकी शक्ल नहीं दिखी। इनको सामान्य दिनों में सांड़ नजर आते हैं, लेकिन जो 40 लाख कामगार और श्रमिक अपने घरों के लिए आ रहे थे, वह नजर नहीं आए। यह डबल इंजन सरकार की ताकत है, इसने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को जागृत किया, उत्तर प्रदेश के परम्परागत उद्यम को आगे बढ़ाया और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। नई ऊंचाई देने का ही परिणाम था कि जितने कामगार और श्रमिक आए थे, वह सभी वापस जहां-जहाँ उनको कार्य मिल सकता था, अपने गांव, अपने जनपद में ही उनको कार्य मिला और वह आज भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी मण्डी की बात करती है, क्या एक भी पैक हाउस इन लोगों ने बनाए थे ? इनको फुर्सत ही नहीं थी। मलिहाबाद में जाकर देख लेना। हमें इसमें भेद-भाव नहीं करना चाहिए और यह किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किया गया है।

मान्यवर, आम की मण्डी के लिए पैक हाउस बनाये गए हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए उसको एक स्पेस चाहिए था और इसलिए हम लोगों ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट होता है छियासी हजार करोड़ रुपये से आज लगभग दो लाख करोड़ रुपये के ऑकड़े को उत्तर प्रदेश छू रहा है, लेकिन नेता विराधी दल को यह पसंद नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का हब बने। उनको लगता है नेता विरोधी दल मुझसे पूछ रहे थे मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक राजनीतिक दल के नेता के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किया जा रहा है और

प्रश्न भी किस प्रकार का था कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या वन ट्रिलियन डॉलर की हो पाएगी। उन्हें इसलिए शक है क्योंकि 1947 से ले करके 2016, 2017 तक इन लोगों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। उस प्रकार का विजन भी नहीं था। मैं आपकी बात कर रहा हूँ जी, ई0सी0पी0 को पूरा टेन्योर कभी नहीं मिला। पहली बार हुआ। हर उत्तर प्रदेश वासी की यह तमन्ना होनी चाहिए चाहे वह इस पक्ष के हों, या उस पक्ष के हों, लेकिन मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत पांच वर्ष में डबल इंजन की सरकार के कार्यों का परिणाम है उत्तर प्रदेश की इकॉनोमी को हमे दुगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। पर कैपिटा इनकम को दुगना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। यह हम लोगों के प्रदेश के हर नागरिक के परिश्रम का, यहां के किसानों का, यहां के कामकारों का, यहां श्रमिको का, यहां के युवाओं का, यहां की माताओं का, यहां की बहनों का, सबका संयुक्त परिश्रम है कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी होती है प्रदेश की जी0डी0पी0 दुगुनी होती है, और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होता है, लेकिन उन्हें अगले पांच वर्ष में वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने यह अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं कि वॉटर-वे कहां है। परिवहन मंत्री पता नहीं यहां पर हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो कम से कम खन्ना जी आप ही नेता विरोधी दल को एक बार वाराणसी से बलिया के बीच में वॉटर-वे से लेकर जाइए और ओम प्रकाश जी आप ही लेकर चले जाइए आपके गाजीपुर में तो एक फ्लोटिंग जेट्टी भी स्थापित हो रही है मैंने आपका नाम बोल दिया लेकिन अब आप उनके टार्गेट में आ जायेंगे। आप बैठिये।

बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, होते हुए और बलिया तक लेकर चले जायेंगे तो कम से कम देखेंगे कि वॉटर-वे चालू हो रहा है। वॉटर-वे का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसी सम्भावना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इसी पोटेन्शियल को आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने वॉटर-वे एथॉरिटी के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़या है। वॉटर-वे एथॉरिटी का निर्माण हो, इसकी कार्यवाही को आगे बढ़या है। प्रदेश के अन्दर अन्य जो कार्य हो रहे है। इनको अच्छे नहीं लगते हैं मुझे आश्चर्य होता है नेता विरोधी दल कहते है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर फ्रन्ट कॉरिडोर है। डेडिकेटेड फ्रन्ट कॉरिडोर। मुझे आश्चर्य होता है। आपके इस जनरल नॉलेज के लिए मुझे आप पर सच में तरस आती है। दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रन्ट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर जा रहे है। डेडिकेटेड फ्रन्ट कॉरिडोर जिस पर कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिए थी और इस पर तेजी लाने का काम कोई किया है तो यह मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उसके पहले सेंक्शन को आगे बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार सेन्टर में थी ही नही आप लायें कहां से इससे ज्यादा और कोरा झूठ और क्या हो सकता है। और यह भी उत्तर प्रदेश के कि दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अन्दर ही है। प्रदेश के अन्दर दादरी तथा बोड़ाकी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब तथा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की कार्यवाही भी प्रदेश सरकार कर रही है। वाराणसी में मल्टीमॉडल फेट विलेज के निर्माण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। लोकतंत्र में जनता को जनार्दन वैसे ही नहीं बोला गया है, बल्कि इसके पीछे कारण है। जनता हर नेता की

नब्ज को जानती है और वह जानती है कि यह लोग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं और इसीलिये जनता ने हमेशा इनको इस बात का जवाब दिया है और लगातार जवाब दे रही है।

महोदय, आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में रुचि नहीं ली और यह इन लोगों के लिये रुचि का विषय भी नहीं है, क्योंकि इनके लिये विकास का मतलब तो व्यक्तिगत विकास होता है। प्रदेश इनके विजन का हिस्सा कहाँ था। एजेण्डे का हिस्सा कहाँ था। गाँव, किसान, नौजवान इनके एजेण्डे का हिस्सा कहाँ था। प्रदेश के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ही कहाँ होती थी, इसकी कौन बात करता था। यह सभी चीजें अगर इन लोगों के विजन का हिस्सा होती तो उत्तर प्रदेश आज देश की नम्बर एक की इकोनॉमी होती। हम लोग जब 2017 में आये थे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उस समय उत्तर प्रदेश इसमें 14वें नम्बर पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नम्बर दो पर है। पूरी दुनिया आज निवेश करने के लिये उत्तर प्रदेश में आ रही है और उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट के एक नये हब के रूप में स्थापित हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं आपको एन0सी0आर0बी0 के ही आँकड़े बता रहा हूँ। डकैती में लगभग 80 फीसदी की कमी आयी है। लूट में लगभग 69 प्रतिशत की कमी आयी है। हत्या में लगभग 40 फीसदी की कमी आयी है। मैं आपको एन0सी0आर0बी0 के आँकड़े बता रहा हूँ। अभी आपने जो मेरठ की बात की है मैं उस पर भी आ रहा हूँ। बलवा में लगभग 61 फीसदी की कमी आयी है और रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत की कमी आयी है। फिरौती के लिये अपहरण में लगभग 70 फीसदी की कमी आयी है। यह एन0सी0आर0बी0 का डाटा है।

**श्री अखिलेश यादव-**

आपके पास तो परमानेंट डी0जी0पी0 तक नहीं है।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

हमारे पास सबकुछ परमानेंट है। हमारे यहाँ जो एक बार बनता है वह अपना कार्यकाल पूरा करता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके समय में डी0जी0पी0 का कार्यकाल और एक सामान्य प्रशासन की स्थिति क्या थी ? देखिये, प्रशासन में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आयेगी तब तक आप विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके जानने के लिये यह पर्याप्त है कि आपके समय में 06 महीने थी, लेकिन आज एवरेज 18 महीने है और अगर एवरेज के नियम को भी जानना है तो एक बार चच्चू के पास थोड़ा बैठिये तो वह और अच्छा गणित समझा देंगे। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा से भी नेता विरोधी दल को थोड़ा परेशानी हो गयी। आपने तो कांवड़ यात्रा को बैन ही कर दिया था, लेकिन हमने तो चालू कर दिया। हमारी सरकार हर एक को सुरक्षा दे रही है

और किसी के साथ भेद-भाव नहीं कर रही है। यही सरकार है जो केवल संवाद बनाती है और सड़कों पर कोई नमाज नहीं होती है।

सड़कें आवागमन के लिए हैं। जन्माष्टमी मनाने से भी आप लोगों ने रोक दिया था, इन्होंने जन्माष्टमी मनाना ही बैन कर दिया था। जब मैं सरकार में आया और पूछा कि जन्माष्टमी क्यों नहीं मनायी जा रही है तो कहा गया कि साहब सरकार ने बैन कर रखा है। मैंने कहा क्यों ? तो कहा गया कि इससे वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसको मत करना। मैंने कहा कि हर थाने में, हर पुलिस लाइन में और हर जेल में जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाना है। मुझे प्रसन्नता है कि कांवड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर मैंने उस दृश्य को देखा था जहाँ पर भक्तिभाव के साथ 4 करोड़ कांवड़ यात्री, श्रद्धालुजन हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और गाजियाबाद के बीच में 4 करोड़ लोग रहते हैं यहां पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होती है। कांवड़ यात्री शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्ति में लीन होकर सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे उसमें तो उनकी किसी ने जाति नहीं देखी वह तो हर जाति के लोग थे, हर तबके के लोग थे, बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन नेता विरोधी दल को इन सब चीजों में परेशानी है कि यह पुष्प वर्षा क्यों हो रही है ? पुष्प वर्षा से इनको परेशानी है। परेशानी किसी और चीज से नहीं है परेशानी इसी चीज से है क्योंकि उनके समय में यह सब बैन हो गया था। लेकिन यहां सब कुछ खुल चुका है और हर त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाये जा रहे हैं। प्रदेश में शांति और सौहार्द है और कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है, किसी समुदाय को नहीं है। उनकी परेशानी सांड़ से नहीं उनकी परेशानी इल्लीगल स्लाटर हाउसेज के बन्द होने से है। क्योंकि इल्लीगल स्लॉटरिंग जनस्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था और यह अन्नदाता के, किसानों के पेट पर लात मारने जैसे स्थिति थी। यह उन किसानों के साथ अन्याय था, लेकिन इन लोगों को इससे भी परेशानी होती है। डेजिंग के लिए भी प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है इनको उससे भी परेशानी है, क्योंकि नदियों में पहले बाढ़ आती थी तो इनके लिए कमाई का जरिया बनता था। हमारी सरकार में अन्नदाता किसानों को उसका भुगतान हर बार, हर वर्ष हम लोगों ने पूरा भुगतान किया है। हर प्रकार से किसानों को मुआवजा दिया गया है और इस बार फिर से सर्वे के आदेश दिए गये हैं। बाढ़ से या सूखे से इसमें और भी विकल्प रखे गये हैं कि अगर बारिश कम होती है तो श्रीअन्न यानी मोटा अनाज देने के लिए अभी से कृषि विभाग के द्वारा उसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। अगर फिर भी एवरेज से कम बारिश होगी तो सरकार वहाँ पर किसानों को फिर से बीज के किट उपलब्ध कराएगी जिससे किसान के खेत खाली न रह जाएं और उसकी आमदनी पर असर न पड़े। कम्पनसेशन एक सपोर्ट होता है लेकिन सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारम्भ किए गये हैं उसको यह लोग एप्रीसियेट नहीं करेंगे उसके बारे में इनको परेशानी होती है और इसीलिए जब आज यहां पर हम लोग इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार को जहाँ पर मदद करनी थी,

सरकार और मदद कर रही है। जहाँ आप मेरठ में गए थे वहाँ पर 5-5 लाख रुपये की मदद सरकार पहले ही कर चुकी है और सरकार के द्वारा पिक एण्ड चूज नहीं होता है, सरकार की पॉलिसी बनी है और उस पॉलिसी के अन्तर्गत हर पीड़ित को ससमय मेरे कहने से पहले ही उसके खाते में मुआवजा पहुँच चुका होता है, हमारे मा0 जनप्रतिनिधि अपने हाथों से उसको मुआवजा देते हैं, उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसका मत और मजहब नहीं देखा जाता है।

**श्री अखिलेश यादव-**

आप सरकारी नौकरी देंगे या नहीं देंगे ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

उसकी क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाती है। पैसा सीधे उसके खाते में जाता है और यही नहीं डबल इंजन की यही सरकार है जिस सरकार ने शहीद सैनिक परिवारों को आश्रय देने की दृष्टि से उनके परिवार के एक आश्रित को नौकरी देने की कार्यवाही की है।

आपने 2017 के पहले क्यों नहीं की ? आप तो हर मुद्दे पर भेद-भाव करते थे। आप कह रहे हैं कि वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कहां से बन गयी है। क्या इस नये उत्तर प्रदेश के दर्शन आपको नहीं दिखाई देते। क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर और सब चीजें आपको दिखाई नहीं दे रहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाए बदली हैं। हो सकता है आपको यह सुनकर बुरा लगता हो। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बिगाड़ने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक, किसी भी दल का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति, मजहब का हो, अगर वह उत्तर प्रदेश के बाहर जायेगा तो उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। लोग उसको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश का परसेप्शन है। नये भारत का नया उत्तर प्रदेश। जिसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिसके लिए परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। जिसके लिए शासन की योजनाओं को बिना भेद-भाव के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा बनाते हैं। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आना चाहते है। इससे पहले जो था वह भी बाइण्ड अप होकर भाग रहा था। हर व्यक्ति के सामने स्वयं की जान के लाले पड़े हुए थे। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था। आज हम लोग कार्य कर रहे हैं तो परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज जब नेता विरोधी दल अपना भाषण कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था भाषण के दौरान बाद और सूखा पर बोलने के बजाय सब कुछ बोल रहे थे। यानी मुद्दे के बजाये अन्य मुद्दों को छू रहे थे। मैं सोच रहा था कि वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर एक बार हम सदन में चर्चा करायेंगे।

मैं कह रहा हूँ कि एक बार 36 घण्टे की चर्चा इस पर हो ही जाये और सस्टेनेबिल डेवलेपमेन्ट गोल की तरह चर्चा हो।

**श्री अखिलेश यादव-**

हम सहमत हैं, आप चर्चा करा दीजिए।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

ये लोग गरीबों की बात करते हैं। सस्टेनेबिल डेवलेपमेन्ट गोल पर चर्चा के दौरान वे लोग भाग गये थे। इन लोगों ने उस दौरान यहां चर्चा मुनासिब नहीं समझी। पलायन कर गये, भाग गये। आज प्रदेश सरकार जब उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है तो अब इनको परेशानी हो रही है। इनको परेशानी हो रही है कि अन्नदाता किसानों की आमदनी कैसे बढ़ रही है। यहां पर एम0एस0एम0ई0 सेक्टर कैसे आगे बढ़ रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जो ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गयी है, टूल किट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कैसे हो रहा है। यह इनकी परेशानी है। इसीलिए अपनी इस परेशानी को छिपाने के लिए इनके द्वारा लगातार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब प्रदेश के तीन करोड़ किसानों के 15 करोड़ सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुन रहे होंगे। उन्होंने जब नेता विरोधी दल के भाषण को सुना होगा तो उसको जरूर निराशा हुई होगी। क्योंकि अन्नदाता किसानों के बारे में एक भी शब्द इनके पास नहीं थे। बाढ़ और सूखा के बारे में एक भी शब्द नहीं था। उस पर कहने के लिए कुछ नहीं था। वह इसलिए नहीं था, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल जायेगा। वास्तव में अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जायेगा। जब आप समाधान नहीं समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। आप न समस्या रख पाये और न समाधान की बात ही कर पाये। यहां तो सरकार ने समस्या को भी स्वीकारा था और समाधान के रास्ते भी निकाले हैं। लगातार समस्या का समाधान कर रही है। महोदय इस बात को आश्वस्त करने के लिए मैं आज यहां पर आया हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है।

मान्यवर, किसी भी किसान का बाढ़ से या सूखे से अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी उसको हर स्तर पर मदद करेगी और यह पहली बार हुआ कि अन्नदाता किसान के साथ सरकार पिछले 6 वर्ष के अन्दर किसी भी किसान को अपने खेत में गन्ना नहीं जलाना पड़ा है। किसी किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, किसी किसान को प्रदेश के अन्दर से पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा है। प्रदेश के अन्दर किसी भी किसान को बड़ा आन्दोलन करने की नौबत नहीं आयी है। क्योंकि सरकार उसके साथ खड़ी है तो उसके साथ इस प्रकार की नौबत नहीं आ सकती है और महोदय, मैं अन्त में केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के पास वास्तव में प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा न पहले था न आज है और जनता उसको इसलिए बार-बार अपना जबाव दे रही है और मैं इसलिए आज के इस अवसर पर आपका हृदय से

आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी वक्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लोकभवन में एक महीने में जितने दिन बैठा हूँ उतने पांच वर्ष में मुख्य मंत्री कार्यालय में नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री रहते हुए मुख्य मंत्री के रूप में नहीं बैठे होंगे और मैं कह सकता हूँ, इसलिए ही जनता ने उन्हें वहाँ भेज दिया है। अच्छा काम किया इसलिए आपको वहाँ भेज दिया है और अगली बार अभी भी अपना रवैया सही नहीं करेंगे तो पता नहीं जनता कहां भेजे उसकी आप तैयारी कर लीजिए।

**श्री अखिलेश यादव-**

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी काम किया हमने भी काम किया है। इन्होंने भी एक्सप्रेस-वे बनाया है और हमने भी एक्सप्रेस-वे बनाया है। यहीं पर तय हो जाये कि किसका एक्सप्रेस-वे कैसा है।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है आप बैठ जाइये।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

महोदय, अन्त में मैं बस एक बात की सलाह दूंगा उनको कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कैसा है याद करना कि दुर्योधन के पास शकुनि थे और अर्जुन के पास श्रीकृष्ण थे याद रखना।

**श्री अखिलेश यादव-**

मान्यवर, यह भी याद रखें कि हम उनके ही वंशज हैं।

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

मान्यवर, इसलिए इन्होंने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगायी थी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगले महीने जन्माष्टमी आयेगी, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि अगर यही एहसास आपको हो गया होता तो सम्भवतः पुलिस लाइन, थाने, और जेलो में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आप रोक नहीं लगाते और महोदय, मैं इसलिए ही आज के इस अवसर पर उन सभी मा0 सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने के आदेश दिये जा चुके हैं। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आ जायेगी वैसे ही सभी को वितरण कर दिया जायेगा, कुछ जगह वितरण शुरू हो गया है। शेष अन्य किसान जिन्हें अन्य नुकसान हुए हैं उनके लिए भी हम लोग आगे कार्य करेंगे और निजी नलकूप फीडर वाले जितने भी किसान हैं। उन सभी किसानों के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की है और उस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए जैसे फीडर सेपरेशन की कार्यवाही सम्पन्न हो

जायेगी तो हम प्रदेश के अन्दर उन सभी निजी नलकूप किसानों को भी फ्री में बिजली देने का काम करेंगे और गत वर्ष भी हमने 50 फीसदी बिजली बिल में कटौती की थी और इस बार जब फीडर सेपरेशन की कार्यवाही के साथ ही इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, मैं इसी के साथ महोदय, आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण सेशन में विधायी कार्य के साथ-साथ अन्नदाता किसानों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को यहां पर चर्चा का विषय बनाया।

मेरी इच्छा थी कि वह सभी 52 सदस्य इस पर बोले जो अब तक इस सदन में बोल नहीं पाये हैं। ऐसे सदस्य जिन्होंने पहली बार अपनी बात को सदन में रखा मैंने उन सभी के सुझाव देखे हैं। उनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक थे। मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने कर्ज माफी से लेकर किसान सम्मान निधि देने की कार्यवाही की है और आगे की कार्यवाही को भी यही सरकार लेकर आगे बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 नेता सदन से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाये।

## सत्र का आखिरी दिन होने के कारण विस्तृत एजेण्डे पर सम्यक् विचारण हेतु सदन की कार्यवाही का अल्प विराम

**श्री अध्यक्ष-**

वर्मा जी आप बैठिये। मेरी बात सुन लीजिये। अभी चर्चा हो रही थी और चर्चा में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन ने अपनी-अपनी बात कही। आज इस सत्र का आखिरी दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब तक विधान सभा का आज का एजेण्डा पूरा नहीं होता है तब तक हम सदन चलायेंगे। आज कुल 136 याचिकायें हैं, नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें हैं, नियम-301 की सूचनायें हैं और नियम-56 की सूचनाएं हैं। जो माननीय सदस्य उपस्थित रहेंगे उन्हीं की नोटिस ली जायेगी। काफी देर से सारे सदस्य बैठे हैं इसलिये मैं आधे घण्टे के लिए सदन स्थगित करता हूँ।

(अपराह्न 03 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने अल्प विराम हेतु सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित की)

(04 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

**उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11 2008 (लो0 आ0) दिनांक 05-08-2008**

**वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सचिवालय प्रशासन अनुभाग-2 (अधि0) का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2008 (लो0आ0), दिनांक 05-08-2008, को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

मद संख्या-3 व 4 में कुछ नहीं है।

**[04:13] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं**

**श्री अध्यक्ष-**

अब इसके बाद नियम-56 ले लेते हैं। आज दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुयीं जिनमें से शलाका के आधार-04 सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 04 सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री लालजी वर्मा, डा0 संग्राम यादव, श्री संदीप सिंह, श्री नफीस अहमद, श्रीमती पूजा, डा0 रागिनी की वर्ष 2018 में 69000 शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

***डा0 संग्राम यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नियम-56 के अन्तर्गत हमें बोलने का अवसर दिया है। महोदय, वर्ष 2018 में 69000 शिक्षकों की भर्ती की गयी। उक्त शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया।

**श्री अध्यक्ष-**

संग्राम सिंह जी, एक मिनट, मा0 सदस्यगण, मैं नियम-300 और याचिका बाद में लेने के लिए इसलिए बोला, क्योंकि बहुत सारे मा0 सदस्य नीचे भोजन कर रहे हैं वह आ जायें, इसके कारण मैंने उक्त सूचना पहले नहीं ली है। ताकि जो सदस्य मौजूद हैं वह आ जायें। अब आप बोलिये।

**डा0 संग्राम यादव-**

मान्यवर, उक्त आरक्षण अधिनियम के अनुसार लगभग 15968 पद अन्य पिछड़े वर्ग का एवं लगभग 3000 पद अनुसूचित जाति का कम भरा गया है। भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने यह माना कि उक्त भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं किया गया। प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण में विसंगति मानकर आरक्षण को सही करने के लिए 6800 अभ्यर्थियों की एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतिरिक्त सूची 05 जनवरी, 2022 को निकाला। परन्तु उक्त सूची बिना अनियमित चयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त किये ही निकाल दिया गया। जिसके कारण अभी तक उक्त 6800 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी। उक्त आरक्षण घोटाले के कारण पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इस लोक महत्व के तात्कालिक एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा की मांग करता हूँ। मान्यवर, मैं शुरू से ही इस बात पर जोर देता आया हूँ और मैंने अभी दो दिन पहले ही जब मा0 मुख्य मंत्री जी उपस्थित थे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी उसी दिन एक बयान दिये थे कि कोई भर्ती हाई कोर्ट में लम्बित नहीं है। मान्यवर, सरकार बार-बार न्यायालयों का बहाना लेकर जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम करती है। उस प्रकरण में जब शिक्षक भर्ती का मामला आया था और लगभग तीन वर्ष से ज्यादा हो गया है। जब इसकी अनियमितता को लेकर जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें लिखा कि हाँ उत्तर प्रदेश में जो यह शिक्षक भर्ती हुयी है उस भर्ती में पिछड़े और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। मान्यवर, उस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी माना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी माना कि वह भर्ती ठीक नहीं है और जो उस समय की कट ऑफ सूची थी उस कट ऑफ सूची को भी देखने का काम किया।

मान्यवर, लेकिन वह छात्र आज तक भटक रहे हैं कभी शिक्षा मंत्री के यहां जाते हैं और संयोग से मा0 उप मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं जो उसी वर्ग से आते हैं। वह लगातार चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं और वह लगातार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लेकिन इस भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया है, जब तक उनको बिना निकाले, हम चाहते हैं कि उनको भी रखा जाए उनको रखने में हमे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ा दी जाए। सरकार लगातार टालने का काम कर रही है। मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी नौजवान हैं, आज बेरोजगारी का किस तरह का आलम है, किसी तरह से नौजवान परीक्षा पास करता है और अगर वह परीक्षा पास करके भर्ती में शामिल होता है तो आज सरकार की गलती के कारण आप उसको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे रहे हैं और चुनाव के समय सरकार ने इस बात को माना था। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं और तीन साल से ज्यादा हो गया है और अब आप किसकी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं और इस बात को भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मान लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को मान लिया है और आपने स्वयं इस सदन में बयान दिया है और आपने कहा कि न्यायालय में लम्बित है और उसी दिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस तरह का विरोधाभास और मैंने तो मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने कहा था और दिखाया भी था कि आपने 15 जुलाई को खुद बोला है कि कोई भी भर्ती हाई कोर्ट में लम्बित नहीं है। आज तो ज्यादा से ज्यादा आपकी भर्तियां हाई कोर्ट में लम्बित हैं और मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी आपकी लचर

पैरवी के कारण पिछड़े एवं दलित वर्ग के छात्र दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप उनके हितों को कम-से-कम ध्यान में रखें। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस गम्भीर विषय पर चर्चा करा दें और आप कोई दिशा-निर्देश जारी करा दें कि जब इस तरह की लोगों के सामने दिक्कतें है तो आखिर सरकार इतना समय क्यों लगा रही है। इसलिए मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ और मा0 सदस्य श्री संदीप सिंह जी एवं पूजा सरोज जी को एक-एक मिनट का समय दे दीजिए, जिससे वह अपनी बात बोल सकें।

**श्री संदीप सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, जिस पर हमारे साथी आदरणीय डॉ0 संग्राम यादव जी ने अपना वक्तव्य रखा उसमें मैं कोई नयी बात कहने के लिए आपके बीच में नहीं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं वही बात आपसे कहने जा रहा हूँ जिसे चुनाव के पहले आपने कहा था। आपने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना और उस रिपोर्ट को मानने के बाद पूरे चुनावी मंचों से जाकर कहा कि सरकार बनने के बाद हम इन नौजवानों और शिक्षकों का समायोजन कर लेंगे। इतना ही नहीं, आपने उसका विज्ञापन 05 जनवरी 2022 को आपने अड़सठ सौ शिक्षकों के लिए नियुक्ति-पत्र भी जारी किया, सारी प्रकिया पूरी कर ली। इतने पर आप नहीं रुके, आपको जब अपने आयोग पर विश्वास नहीं हुआ तो सरकार के राजस्व परिषद के चेयरमैन के साथ 05 सदस्यीय समिति बनाई और आपने जाँच कराई और जाँच रिपोर्ट में भी पाया गया कि आरक्षण में अनियमितता पाई गयी है उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कौन-सी बात रही कि सरकार उन नौजवानों का समायोजन नहीं कर सकी। वे नौजवान पिछले कई सालों से धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार उन्हें थानों में बन्द किया गया, लेकिन आज तक उनको मौका नहीं मिल पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जब-जब हम लोग आपके सामने बात रखते हैं उसमें यह बात आती है कि कोई भी नियुक्ति न्यायपालिका में लम्बित नहीं है। केवल न्यायालय का हवाला देकर इन बच्चों को रोकने का प्रयास किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि आपने जो बात इसके पहले कही थी, जो चुनाव के पहले आपने नौजवानों को विश्वास दिलाया था, जो आपने विज्ञापन जारी किया था, उनको मौका देने का काम करें और इतना ही नहीं, अगर इसमें कोई कठिनाई है तो उस पर सदन में चर्चा कराने की मैं मांग करता हूँ और आदरणीय डॉ0 संग्राम यादव जी के साथ मैं स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर, बेरोजगार नौजवानों पर लगे प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। 69000 शिक्षकों की भर्ती पर भाई संग्राम जी अपनी बात रख चुके हैं, भाई संदीप सिंह जी भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रख चुके है। 69000 शिक्षकों की जो भर्ती है उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें 2249 अभ्यर्थी ऐसे है जो हाई कोर्ट की डबल बेंच से जिनके पक्ष में निर्णय हो चुका है। प्रश्न में इनके कमी थी, प्रश्न-60 बुकलेट (ए) विवादित हो गया था जिसमें 01 अंक जोड़कर हाई कोर्ट ने मेरिट बनाने का आदेश किया। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है वहाँ भी उनकी रिट खारिज कर दी जाती है कि इन अभ्यर्थियों को एक अंक देते हुए मेरिट बनाते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाये लेकिन लगातार कई दिनों से हजारों की संख्या में ये अभ्यर्थी इको गार्डेन में धरने में बैठे है लेकिन इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। कभी-कभी बेसिक शिक्षा निदेशक इनके साथ मीटिंग करते हैं, ज्वाइनिंग का आश्वासन देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं करते हैं। परसों इनकी मीटिंग पुलिस के माध्यम से बघेल जी जो बेसिक शिक्षा परिषद् के सचिव हैं उनके साथ होती हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आखिर ये नौजवान छात्र-छात्राएं जिनको दो-तीन साल पहले नौकरी मिल जानी चाहिए थी, तनख्वाह मिल जानी चाहिए थी। इनका क्या दोष है ? ये हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, हाई कोर्ट से इनके पक्ष में आदेश हो जाता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है कि नौजवानों को नौकरी न मिले, नौजवान उत्तर प्रदेश का बेरोजगार रहे, भुखमरी की कगार पर रहे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहे, दर-दर भटकता रहे, उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की रिट को खारिज कर दिया जाता है, फिर भी इन 2249 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है, इसलिए मैं इस सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की माँग करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी।

**श्रीमती पूजा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, यह शिक्षक भर्ती का मामला जो है, इसमें सबसे बड़ी चिन्ता की जो बात है, वह यह है कि बाबा साहब के दिए गए संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण है, उस पर कुठाराघात किया गया है। मान्यवर, यह सरकार ओपेन फॉर ऑल, जनरल कैटेगरी को सवर्ण आरक्षण की तरह ट्रीट कर रही है। टी0डी0ए0 का विरोध करने वाली इस सरकार का इस भर्ती की प्रकिया में चरित्र, चाल, चेहरा बेनकाब हो गया है। मान्यवर, बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, यह वंचित लोगों को अवसर का मौका दें। मान्यवर, यह सरकार सरकारी नौकरियाँ तो वैसे ही खत्म कर रही है, आउटसोर्सिंग की ये बात करते हैं, उसमें आरक्षण देंगे ही नहीं, आउटसोर्सिंग की तरफ से यह वैसे भी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी समाज में कुछ ऐसे घोर जातिवादी लोग हैं जो आरक्षण को भीख के रूप में देखते हैं। मान्यवर, आरक्षण कोई चैरिटी नहीं है, कोई भीख नहीं है। आरक्षण करोड़ों की आबादी वाले देश में वंचित लोगों को व्यक्तिगत नौकरी देने के लिए भी नहीं है। मान्यवर, आरक्षण का मतलब है, वंचित जातियों के समूह के लोगों को बस यह महसूस कराना, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को यह

महसूस कराना कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी हिस्सा है। मान्यवर, आरक्षण इस बात का कि देश को चलाने में, देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाने में उनका भी हिस्सा है, आरक्षण बस इसलिए है, मान्यवर। संविधान में जो हम सबको आरक्षण मिला हुआ है, उस पर कुठाराघात कर रही है यह सरकार। मान्यवर, ओ0पी0 शुक्ला की लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, उसने सरकार को आदेश दिया था कि 03 माह के अन्दर पूरी लिस्ट फिर से बनायी जाए। हाई कोर्ट ने यह भी माना था कि इस आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार भर्ती लिस्ट में गुणवत्ता, कैटेगरी, सब-कैटेगरी सहित ओ0बी0सी0 का 27 परसेंट आरक्षण और एस0सी0 के 21 परसेंट आरक्षण के साथ 03 महीने के अन्दर वह लिस्ट जारी करे। मान्यवर, अभी तक यह कोई लिस्ट जारी नहीं कर पाये हैं। यह कोर्ट में जाते ही नहीं हैं, वापस जवाब भी नहीं देते हैं। खुद सरकार ने अपने एफिडेविट में यह माना है, जो 27-01-2021 को इन्होंने लगाया था कि ओ0बी0सी0 को जहाँ 27 परसेंट का आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ मात्र 3.80 प्रतिशत ही आरक्षण मिला और जहाँ एस0सी0 को 21 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ 16.62 परसेंट का ही आरक्षण मिला है। मान्यवर, मैं आपसे इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री संदीप सिंह)-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने 69 हजार शिक्षक भर्ती को ले करके अपने प्रश्न उठाये हैं, उस सम्बन्ध में मुझे जानकारी देनी है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती की प्रकिया जिसको 2018 में प्रारम्भ किया गया था। इस भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत अनारक्षित श्रेणी में 34589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18598, अनुसूचित जाति में 14549 और अनुसूचित जनजाति में 1354 लोगों को चयनित किया गया था और यह जो 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रकिया थी, इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद ही इस प्रकिया को कोर्ट में ले करके जाया गया और सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया जब कोर्ट में चली तो सरकार के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया था, उन सारी चीजों का पुनः परीक्षण किया गया।

परीक्षण करने के बाद पाया गया कि जो भी आरक्षण लागू किया गया था, वह आरक्षण सही तरह से लागू नहीं था और उसके पश्चात् सरकार के द्वारा 5 जनवरी, 2022 को जो मा0 न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया था उसका अनुपालन हम सब लोगों ने करते हुए 6800 एक नवीन आरक्षित एवं विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची को प्रकाशित किया गया। मा0 अध्यक्ष जी इस संबंध में आपको जानकारी देनी है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के संबंध में योजित याचिका संख्या-13156/2020 महेन्द्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बन्ध याचिकाओं में दिनांक 13-03-2023 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है। सिंस इट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैज विन डायरेक्टेड दैट द सेलेक्टेड लिस्ट 01-06-2020 टू बी रिवाइज्ड इन द व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस जजमेण्ट द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 6800 डेटेड 5122 स्टैंड्स क्वैश रिजर्वेशन शुड नॉट बी इन एनी सरकमस्टेंसिस मोर दैन 50 परसेण्ट ऑफ दि टोटल सीट्स मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13156/2020 महेन्द्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13-03-2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या-172/2023 महेन्द्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमें मा0 अध्यक्ष जी इसी प्रकरण में आने वाली जो 22 तारीख है, इस 22 तारीख को भी एक तिथि निर्धारित की गई है मा0 न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए, हमारा प्रयास है कि हम सब इस भर्ती प्रकिया में जो भी अनियमितताएं हुई थीं उन सारी अनियमितताओं को हम सब लोग पूर्ण करते हुए और जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत जिनको लाभ मिलना है और जो सीट्स को डिजर्व करते हैं, उन सीट्स को उन सारे अभ्यर्थियों तक दे सकें, लेकिन यह प्रकिया न्यायालय में है, हमारी जो 6800 की लिस्ट भी आई थी, उसको भी न्यायालय के अन्तर्गत चैलेंज किया गया और उस 6800 की लिस्ट को न्यायालय द्वारा क्वैश किया गया है अब न्यायालय ने हमको रिवाइज करने के लिए पूरी लिस्ट को, पूरी भर्ती प्रकिया की सूची को रिवाइज करने के लिए न्यायालय के निर्देश हुए थे उसके पालन के लिए भी सभी लोग न्यायालय में गए हुए हैं कोर्ट में यह प्रकिया चल रही है और जब तक कोर्ट से मा0 न्यायालय से कोई दिशा-निर्देश हम लोगों को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक मा0 अध्यक्ष जी सम्भव नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई निर्णय लिया जाए यह भर्ती प्रक्रिया अब कोई शासन के निर्णय के ऊपर निर्भर नहीं है इसमें मा0 न्यायालय का भी कुछ निर्णय होगा, इसके ऊपर हम सब लोग कार्य कर पाएंगे।

***श्री लालजी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने यह कहा कि न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि आप लिस्ट रिवाइज करें और उस रिवाइज लिस्ट में जो अनियमितता है उसको दुरुस्त करें तो मान्यवर यहां कहां न्यायालय रोक लगाए है। सुप्रीम कोर्ट में तो शासन यह कह गया है कि हमें एक्स्ट्रा 6800 की नियुक्ति करने का आदेश दें, लेकिन जो रिवाइज करके और जो अनियमितता है, जो घोटाला है उसको समाप्त करने का निर्देश शासन को है, उसमें कहीं भी न्यायालय बाधा नहीं है, अगर उस घोटाले को दूर करके जो तत्कालीन समय में हुआ था, अगर नई लिस्ट नियमों के अनुसार जो उत्तर प्रदेश पिछड़ी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम, 1994 है, जिसको इसी सदन में पास किया था, आदरणीय मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उस आरक्षण अधिनियम का अगर पालन करने में कहीं से भी न्यायालय का रोक नहीं है, अगर उसको रिवाइज करते हुए उसका पालन कर लें तो मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूँ इससे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों का हित सम्भव हो पाएगा और उनके साथ न्याय हो पाएगा ऐसा निवेदन है, इसलिए मान्यवर आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा दें, जिससे एक-एक में इसको आप ग्राह्य कर लें और चाहे अगले सत्र में चर्चा करा दें, जिससे इसमें समूल रूप से विचार करके और उन वर्गों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जा सके, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वर्मा जी ने जो बात कही है मान्यवर, हमारी सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जाति का और बैकवर्ड का जो आरक्षण संविधान सम्मत है, उसको 100 प्रतिशत दिया जाए उसमें किसी प्रकार की कोई हीला-हवाली न हो, लेकिन चूंकि मामला सबज्यूडिस है, इसलिए आप उसको घूमाकर कह रहे हैं। सबज्यूडिस मामला न होता मान्यवर, तो जो भी न्यायसंगत, संविधान सम्मत निर्णय था, हम उसको तुरन्त लागू कर देते, लेकिन चूंकि यह मामला सबज्यूडिस है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मामला सबज्यूडिस नहीं है। आप मेरी बात सुन लें। आप स्वयं फाइल मंगवा कर दिखवा लें।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मेरा सिर्फ इतना ही कहना है क्योंकि मामला कोर्ट में है, चूंकि मामला सबज्युडिस है, इसलिए मान्यवर, इस समय उस पर निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। देखिए जितनी भी प्रकियाएँ हुईं, चाहे लोक सेवा आयोग की हुई, चाहे बाकी की हुई जब सबमें हमने आरक्षण का परिपालन किया, उसमें किसी प्रकार की आरक्षण की कोई अवहेलना नहीं है। बार-बार मैं इस बात को दोहराता हूँ कि आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान सम्मत है, उसको देने में कोई हीला-हवाली नहीं है 27 प्रतिशत में भी नहीं है और 21 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत में भी नहीं है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, इसमें दो प्रकरण हैं एक तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई, उसमें अनियमितता पायी गयी। सरकार ने माना कि अनियमितता हुई है और पिछड़े वर्ग आयोग ने माना है कि 18000 की अनियमितता है लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने माना कि 6800 की अनियमितता है। जब एक्स्ट्रा भर्ती करने के लिए सूचना 5 जनवरी, 2022 को निकाली गयी, 69000 की भर्ती के अतिरिक्त जब भर्ती निकाली गई तो उसको उच्च न्यायालय ने क्वैश कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो अनियमितता हुई है उसको रिवाइज करके इसको 69000 में समावेश करें तो, मान्यवर, इसके लिए कोई सबज्युडिस मामला नहीं है। 6800 अध्यापकों की एक्स्ट्रा भर्ती करने के लिए जब हाई कोर्ट ने क्वैश किया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में गई कि हमें 6800 को भर्ती करने की इजाजत दी जाए लेकिन 69000 भर्ती को ठीक करने में किसी तरह का किसी कोर्ट से स्टे नहीं है यदि उसको आप रिवाइज कर लें तो कहीं से स्टे नहीं है यह मेरा निवेदन है।

**श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वर्मा जी का जो विषय है वह आरक्षण न दुरुस्त होने का विषय है और बिल्कुल सही है उसको ठीक करना चाहिए कहीं कोई स्टे नहीं है। मेरा जो विषय है उसी 69000 में प्रश्न पुस्तिका में बुकलेट-ए के प्रश्न-60 पर प्रश्न गलत था, जिसका उत्तर भी गलत गया था तो हाई कोर्ट ने कहा है कि उसमें एक अंक अभ्यर्थियों को देते हुए मेरिट बना ली जाए और 2249 लोगों को समायोजित कर लिया जाए उनको नौकरी दे दी जाए। तब सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट मा0 अध्यक्ष जी, थोड़ा सा मेरा प्रश्न देख लें कि यह प्रश्न गलत था और हाई कोर्ट ने कहा कि इन 2249 अभ्यर्थियों को एक अंक देकर इनको उसमें सम्मिलित कर लिया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। यहाँ सरकार की रिट को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि इन 2249 लोगों को एक अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। कहीं कोई न सुप्रीम कोर्ट और न हाई कोर्ट में कहीं किसी अन्य अदालत में कोई रिट पेन्डिंग नहीं है और इसमें रोज इनको आश्वासन दिया जाता है। मैं रिट संख्या बता देता 343/2021 में हाई कोर्ट आदेश करता है कि इनको एक अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए, उसके बाद 9046/2022 में सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि इनको एक अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा ली जाए। सर्वोच्च न्यायालय से भी इनके पक्ष में आदेश हो जाता है अब कही कोई रिट पेन्डिंग नहीं है और पिछले कई दिनों से हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं इसी लखनऊ में धरने पर बैठे हैं और आप देखिए सभी पेपरों में रोज छप रहा है।

**श्री अध्यक्ष-**

अब हो गया। बात आ गई है और आपने पूरी बात कह दी है। मा0 मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे। मा0 सदस्य अब आपकी पूरी बात आ गयी है।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, ऐसा है कि मामला सबज्यूडिस है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसमें कई लोग पार्टी हैं। मेरा सिर्फ इतना सब्मिशन है कि हम इसमे एडवोकेट जनरल से राय ले लें कि इस विषय पर हमको क्या करना चाहिए ? एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद मैं आपको अवगत भी करा दूंगा। जो भी होगा एज पर लॉ एडवोकेट जनरल की राय के बाद ही होगा।

**डा0 संग्राम यादव-**

क्या इसकी कोई समय-सीमा होगी ?

**श्री अध्यक्ष-**

मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से लेंगे। मैं सरकार से जल्दी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। समय-सीमा नहीं बांध सकता हूँ। यह बहुत इम्पार्टेंट मामला है। जब माननीय मंत्री जी ने

कह दिया है कि एडवोकेट जनरल से राय ले लेंगे। स्वाभाविक है कि यदि लॉ से सम्बन्धित कोई इश्यू होते हैं तो ए0जी0 से राय लेना आवश्यक हो जाता है। मैने माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, माननीय संग्राम यादव जी को सुना श्रीमती पूजा जी को सुना, श्री राकेश प्रताप सिंह जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना ये नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती इसको अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान जी की है।

प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं से अधिक आगणन बनाकर प्रेषित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

***श्री राजपाल सिंह बालियान-**

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से हमारे यहाँ विद्युत विभाग द्वारा किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अगर उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिलत्ता तो ट्रांसफार्मर लेने के लिए व मीटर लगाने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है, किसानों के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और मेरठ में बाढ़ आने पर विद्युत के खम्भे हटने से काफी विद्युत प्रभावित हुई और उससे काफी किसान परेशान है। मैं माननीय बिजली मंत्री जी से चाहूंगा कि बिजली विभाग द्वारा जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं उसे रोकें। बात यह नहीं है कि किसान बिल नहीं दे रहे हैं या चोरी नहीं पकड़ी जा रही है. चोरी पकड़नी चाहिए लेकिन कुछ इस तरीके के छापे डालकर वो इतना असेसमेंट लगा देते हैं कि उसका भुगतान करना किसान के बस से बाहर की बात हो जाती है। ये तो विद्युत की बात हुई। हमारे यहां वर्षा ज्यादा नहीं हुई, वर्षा तो सामान्य ही है लेकिन ऊपर से हिमांचल और उत्तराखण्ड में बारिश होने की वजह से हमारे उधर यमुना में पानी, उधर हिण्डन में पानी, उधर काली नदी में पानी, और ऊपर से हथिनी कुण्ड और टिहरी बांध से जो पानी छोड़ा गया उससे इतना पानी नदियों में आ गया कि नदियों के बराबर के जो गाँव थे उनमें बहुत बड़ा पशुओं का और फसलों का नुकसान हुआ, फसलें बह गई, फसलें गल गईं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला भी था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था।

**श्री अध्यक्ष-**

बाढ़ पर तो बहुत चर्चा हो गयी है, आप बिजली पर कुछ बोल दीजिये। आपस में बात-चीत न करें, जिसे बात-चीत करनी है वह पीछे जाकर कर ले। मेरी रिक्वेस्ट है।

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली फ्री का गवर्मेंट ने वादा किया था वो बिजली फ्री नहीं की गयी। इससे सरकार का भी विश्वास खत्म होता है और हम लोगों का भी विश्वास खत्म होता है। कम-से-कम हाउस के अन्दर जो घोषणा हो उसको पूरा तो होना चाहिए। रही बाढ़ की बात तो बाढ़ से जो हमारे यहां नुकसान हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री अध्यक्ष-**

बाढ़ पर तो तीन दिन चर्चा हो गयी।

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

अध्यक्ष जी, हम नहीं बोले बाढ़ पर।

**श्री अध्यक्ष-**

आप क्यों नहीं बोले ?

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

अध्यक्ष जी, सर्वदलीय नेता छोड़ दिये थे और उन्हें आज बोलना था।

**श्री अध्यक्ष-**

जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने आपको नहीं बोलने दिया।

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लो।

**श्री अध्यक्ष-**

सुन तो ली।

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

अध्यक्ष जी, जो बाढ़ पर नुकसान हुआ और विशेष तौर से बिजनौर के अन्दर तेंदुए से जो नुकसान हुआ है।

**श्री अध्यक्ष-**

अब तेंदुआ भी बिजली में आ जायेगा। प्रसन्न कुमार जी आपसे अप्रसन्न लग रहे हैं। उसको छोड़िए, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर बोल चुके हैं।

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

माननीय अध्यक्ष जी, 14 आदमियों की वहाँ मौत हो चुकी है और पचासों आदमी वहाँ घायल हो चुके हैं, उनको मुआवजा दिया जाय और तेंदुए का प्रबन्ध किया जाय।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रसन्न जी आप बिजली पर बोलियेगा, तेंहुए पर नहीं।

***श्री प्रसन्न कुमार-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि बिजली जैसे मुद्दे पर आपने मुझे नियम-56 पर बोलने का अवसर दिया। बिजली एक ऐसी व्यवस्था है, जिसने हर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्ति के जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है। चाहे कपड़े के प्रेस से लेकर कार चार्जिंग करने की बात हो, बिजली ने हर व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। मान्यवर, यदि मै बिजली विभाग की बात करूं तो इस डिपार्टमेण्ट में घोर अनियमिततायें हैं और जो सरकार ने घोषणायें की हैं, उनकी नीति और नीयत में खोट है।

**श्री अध्यक्ष-**

आप घरेलू विद्युत कनेक्शन पर आ जाइये।

**श्री प्रसन्न कुमार-**

मान्यवर, मैं उस पर ही आऊँगा। सरकार की कुछ घोषणायें ऐसी हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

नियम-56 में उसी विषय के ऊपर बोला जाता है, जो उसमें लिखा जाता है।

**श्री प्रसन्न कुमार-**

मान्यवर, सरकार की कुछ घोषणायें ऐसी हैं जो केवल और केवल कागजों में हैं और मैं इसमें आपको दो-तीन प्वाइंट बताना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

घरेलू विद्युत पर जो बोलेंगे, वह सब लोग सुनेंगे।

**श्री प्रसन्न कुमार-**

मान्यवर, सबसे पहला प्वाइंट है, सरकार ने हर घर बिजली का वायदा किया है। लेकिन अभी भी हर शहर में ऐसी कुछ कालोनियाँ हैं, जिसमें घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन लेने के लिए जब जाता है तो जो बिजली का सरकारी खर्च होता है, उसकी वह रसीद कटवाता है। उसके बावजूद भी बिजली विभाग उसे कनेक्शन नहीं देता और उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि अपने जनप्रतिनिधि के पास जाओ। यदि दो लाख रुपये का, ढाई लाख रुपये का एस्टीमेट बन गया, अगर विधायक निधि से या एम0पी0 निधि से बिजली विभाग से यह कनेक्शन करवाये जायेंगे तो हम कार्य क्या करेंगे ? मैं आपको बिजली विभाग की दूसरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। यह बात होती है कि जब ट्रान्सफार्मर फुंकता है तो 48 घण्टे में चौन होगा। लेकिन वहाँ जो डिपार्टमेण्ट के लोग हैं, जब उनके पास किसान ट्रान्सफार्मर चौज कराने के लिए जाते है तो उनका एक वक्तव्य होता है, पहले मीटर लगवाओ, तब आपका ट्रान्सफार्मर चेंज होगा। यह बहुत गलत बात है। अगर 48 घण्टे में चेन्ज करने की बात हैं तो आपको पहले किसान को ट्रान्सफार्मर देना चाहिए। एक जो सबसे इम्पार्टेंट बात है, वह मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, यहाँ माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। वैसे गलती बिजली विभाग की है। हमारे तीन-चार जिले हैं और मैं तो समझता हूँ कि शायद यह पूरे प्रदेश की प्राब्लम होगी। पहले किसानों के ट्यूबवेल्स पर रात की बिजली आती थी। लेकिन सरकार ने

ऐसी व्यवस्था की है कि अब उसमें रात को करेंट नहीं छोड़ते हैं। उससे क्या हुआ है कि सरकार की कानून-व्यवस्था को धक्का लगा है और हर गाँव में लगभग हर 15 दिन में 10-10, 15-15 हजार रुपये का नुकसान किसानों के ट्यूबवेल्स पर बिजली के उपकरण चोर चोरी कर रहे हैं। मान्यवर, यह गलती बिजली विभाग की है, बिजली विभाग इस पर कार्रवाई करे।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रसन्न कुमार जी, अब हो गया। मैने आपको पूरा मौका दिया। 4 मिनट हो गये हैं और 4 मिनट में आप एक मिनट भी प्वाइंट पर नहीं बोले हैं।

**श्री प्रसन्न कुमार-**

मान्यवर, मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि वह रात के टाइम पर बिजली देने का कार्य करें तो वह चोरी रुक जायेगी। उस किसान के 10-15 हजार रुपये बच जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय मंत्री जी।

**श्री प्रसन्न कुमार-**

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय मंत्री जी, जो नोटिस में है उसी पर जवाब दे दीजिये। मा0 राजपाल सिंह बालियान जी का, अन्य माननीय सदस्यों का नोटिस है, प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ता से अधिक आगणन बना कर प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है। इसके ऊपर जो आपका जवाब हो वह दे दीजिये।

**श्री प्रसन्न कुमार-**

मान्यवर, इसमें कुछ घरेलू उपभोक्ता या किसान की कहीं-न-कहीं कमी होती होगी लेकिन जब उन पर बिजली विभाग की तरफ से छापे वाले जाते हैं। तीस आदमियों की टोली बनाते हैं और उनमें से 15 आदमियों को भ्रष्टाचार करके छोड़ देते हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय मंत्री जी।

**नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-**

मान्यवर, जो नोटिस का मूल मुद्दा है, वह घरेलू कनेक्शन के सम्बन्ध में है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि इस समय राज्य में कुल घरेलू कनेक्शन 2 करोड़ 87 लाख के ऊपर हैं। अगर हमारे सभी कनेक्शन को देखा जागे तो 3 करोड़ 30 लाख के आस-पास कुल कनेक्शन हैं। हमारा ज्यादातर कनेक्शन घरेलू कनेक्शन

की व्याख्या में आता है। हमारा ज्यादातर लोड भी घरेलू कनेक्शन के ऊपर जाता है। जो घरेलू कनेक्शन देने की व्यवस्था है, वह इस समय ऑनलाइन की हुई है। हम लोगों का एक झटपट पोर्टल है जिसके माध्यम से इसका कनेक्शन देते हैं। अगर वर्ष 2022-23 की बात करूं, तो इस पोर्टल के माध्यम से लगभग घरेलू और जो छोटे-मोटे वाणिज्यिक होते हैं उनको मिला करके 16 लाख 62 हजार कनेक्शन दिये गये हैं। अगर वर्तमान में थोड़े समय की बात करूं, तो जनवरी, 2023 के महीने में 1 लाख 22 हजार 556 कनेक्शन झटपट पोर्टल के माध्यम से दिये गये है। अगर इस वर्ष के चार महीनों की बात करूं, अप्रैल से जुलाई तक के महीने की तो 4 लाख 44 हजार कनेक्शन हमारे झटपट पोर्टल के माध्यम से घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। हम लोग बड़ी गहराई से इसका मॉनीटर कर रहे हैं। आवेदन किया, कितने लोगों ने इसका एस्टीमेट भरा, कितने लोगों को कनेक्शन दे दिया गया, कितने लोगों के कनेक्शन में कौन-कौन दिक्कतें है। मान्यवर, इसकी जो पूरी प्रकिया है कि व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है, तब उसका घर जो बिजली का नियरेस्ट पॉइंट है, वहाँ से कितनी दूर है उसके आधार पर उसको एक एस्टीमेट दिया जाता है, वह एस्टीमेट आदमी भरता है और उसका पोर्टल पर डिटेल देने के बाद हमारा प्रयास होता है कि एक सप्ताह के अन्दर उसको कनेक्शन दे दिया जाय। जहाँ तक माननीय विधायक जी ने कहा कि विधायक निधि से देने की बात है तो मैं ऐसा मानता हूँ, विद्युत विभाग, ऐसी कोई दरखास्त कर रहा है, ऐसा अगर संज्ञान में आयेगा तो मै जरूर उसमें देखूंगा लेकिन सामान्य रूप से जो हमें जानकारी है कि जो उपभोक्ता को जो एस्टीमेट दिया जाता है, उसके लिए उसकी मदद के लिए अगर आपके साथ जाते होंगे।

जहाँ तक नये इलाकों में कनेक्शन की बात है, यह कनेक्शन अगर 40 मीटर के अन्दर है तो बहुत ही समान्य कीमत पर होता है लेकिन अगर 40 मीटर से बाहर है तो थोड़ा सा उसका इस्टीमेट बढ़ जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, झटपट पोर्टल के आने के बाद इसमें जो समस्याएं थीं, फरियाद थी हम उसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि बिजली विभाग ने इस्टीमेट भी दे दिया, आवेदक ने पैसा भी जमा कर दिया, सामान भी उपलब्ध है लेकिन जहाँ से लाइन ले जानी है, कई बार वहाँ के पड़ोसी लोग लाइन ले जाने का विरोध करते हैं, ऐसी स्थानिक परिस्थितियों के कारण कई बार विलम्ब होता है लेकिन उसकी भी हम लोग अच्छे से मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

(सदस्य प्रसन्न कुमार और अन्य विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान के मध्य)

**श्री अरविन्द कुमार शर्मा-**

माननीय सदस्य बालियान जी ने और अन्य मा0 सदस्यों ने बिजली विभाग से सम्बन्धित जो और विषय उठाये हैं। पहली बात तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि

अगर हमारे विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा गलत बिल बनाया गया है या गलत छापा मारा गया है।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी नोटिस से बाहर जाकर जवाब दे रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा करा दी जाय।

**श्री अरविन्द कुमार शर्मा-**

मान्यवर, नोटिस से बाहर जा करके जो मुद्दे उठाये गये हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 मंत्री जी नोटिस से बाहर नहीं जा रहे हैं जो विषय आये हैं उन पर स्थिति साफ कर रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

**श्री अरविन्द कुमार शर्मा-**

मान्यवर, ऐसे लोग जो झटपट पोर्टल की बात कर रहे हैं, 2017 के बाद हमारी पूरी आनलाइन व्यवस्था है और उस एक-एक एप्लीकेशन का हमारे पास जवाब है, आपको चाहिए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

**श्री अध्यक्ष-**

अगर कहीं कोई गलत बिल बना रहा है और उसकी जानकारी हो तो उसकी जाँच करा लें।

मैंने मा0 सदस्य श्री राजपाल सिंह बालियान जी को सुना, प्रसन्न कुमार जी को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना मा0 रविदास मेहरोत्रा जी की उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पुरुष वर्ग के कर्मियों का नवीनीकरण न होने से सैकड़ों पुरुष वर्ग के कर्मियों के बेरोजगार होने के सम्बन्ध में।

***श्री रविदास मेहरोत्रा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने गम्भीर विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और नौजवान हताश हो गया है। 25-25 साल पढ़ने के बाद जिनकी नौकरी लग रही है उनको नौकरी से निकालने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत नहीं है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करें। इसके अलावा शनैः शनैः जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं उनको निकालने का काम हो रहा है। यहां उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जहाँ पर कई वर्षों से शिक्षक काम कर रहे थे, उनको संविदा के आधार पर रखा गया था। उन सभी पुरुष कर्मियों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। अभी सरकार ने 20 अप्रैल, 2023 को एक आदेश कर दिया, उस आदेश में कहा गया है कि जो पुरुष कर्मी काम कर रहे हैं उनका नवीनीकरण रोक दिया जाय। महिला कर्मियों का तो नवीनीकरण हो गया है लेकिन पुरुष कर्मियों का नवीनीकरण नहीं हो रहा है। जब हम लोगों की सरकार थी तो उस समय 29 जुलाई, 2013 को यह आदेश किया गया था कि नवीन नियुक्तियां केवल महिला अभ्यर्थियों की की जायेंगी लेकिन पूर्व में कार्यरत् जो पुरुष वर्ग के शैक्षणिक कर्मी हैं उनको यथावत् रखा जायेगा। लेकिन इस सरकार ने अभी 20 अप्रैल को आदेश कर दिया और पुरुष कर्मियों का नवीनीकरण नहीं हुआ है जिसके कारण पुरुष वर्ग के कर्मियों में बहुत रोष व्याप्त है और जो लोग बेरोजगार हो गये हैं उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। मान्यवर, आपसे यह अनुरोध है कि प्रदेश भर में ऐसे बहुत सारे पुरुषकर्मी है, जिनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है। एक तरफ स्कूलों में शिक्षा के लिए टीचर्स नहीं है। छात्र चाहते हैं कि उनको पढ़ाया जाए और पद भी खाली है और उनकी भर्ती नहीं हो रही है और जो शिक्षक लगे हुये थे, उनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है, उनको निकालने का काम हो रहा है। महोदय, आज समय नहीं है, लेकिन आपसे यह अनुरोध है आप आज यह तय कर दें कि अगला सत्र जब बुलाया जाए तब इस पर 2 घंटे की चर्चा करा कर के जिन कर्मियों का नवीनीकरण नहीं हो रहा है, उनका नवीनीकरण करने का काम हो और यह जो बेरोजगारी रोज लगातार बढ़ रही है, यह समाज के लिए बहुत गम्भीर स्थिति है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यह एक लोक महत्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और यह जो महंगाई है वह भी इसी कारण से है, इसी कारण से गरीबी है कि लोग बेरोजगार हैं। अगर लोगों को रोजगार मिल जाए तो न गरीबी रहेगी और न ही महंगाई का असर पड़ेगा, सबसे गम्भीर समस्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की है। नौजवान 25-25 साल पढ़ने के बाद भी भटक रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार न होने के कारण और बहुत समस्याएं हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस पर एक चर्चा कर ली जाए।

**श्री अध्यक्ष-**

आज समय नहीं है, मैने मा0 रविदास महरोत्रा जी को सुना और इन्होंने यह सुझाव दिया है कि जब अगला सत्र होगा, तब यह नोटिस देंगे उसके बाद उस पर सुनवाई होगी। यहीं तो कहा आपने ?

**श्री रविदास मेहरोत्रा-**

अध्यक्ष जी, हमने यह कहा कि चूंकि आज समय हो गया है लेकिन अगले सत्र जब शुरू हो सत्र के पांच दिन इसके ऊपर चर्चा हो। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, नौजवान परेशान है।

**श्री अध्यक्ष-**

आप तो बहुत पुराने सदस्य हो, अगले सत्र का एजेंडा अभी कैसे तय कर दें।

**श्री संदीप कुमार सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को आउट ऑफ स्कूल नेवर एनरोल्ड बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एक केंद्र पुरोधानित योजना है तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही योजना संचालित की जाती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में निर्गत पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2013 द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्देश निर्गत किये गये थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय विद्यालय है अतः बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के दृष्टिगत संयुक्त सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल की शिक्षा के साक्षरता विभाग नई दिल्ली के पत्र संख्या 2-18/2018-is-1-is-15, दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 के साथ संलग्न फ्रेम वर्क के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में केवल महिला कार्मिकों को रखे जाने के निर्देश दिये गये थे, और इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा दिनांक 20-04-2023 में पत्र जारी किया गया और जैसा कि मैने बताया है कि यह भारत सरकार द्वारा संचालित सभी विद्यालय हैं और इसमे भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आती है, जो भी निर्देश होते हैं, उन सारी चीजों को पालन किया जाता है और जो हमारी बालिकाएं कस्तूरबा गांधी में पढ़ती हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। अध्यक्ष महोदय, उन बालिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्देश दिए गये कि वहाँ पर जो भी स्टाफ है, शिक्षक है, सभी महिलाएं रहें। इस आदेश का पालन किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए हम सब लोगों ने इस कदम को उठाया है।

**श्री अध्यक्ष-**

मैने मा0 श्री रविदास मेहरोत्रा जी को सुना।

(श्री रविदास मेहरोत्रा जी के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

वह भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों से सम्बन्धित वर्ष 2013 में ही आयी थी। उसी के हिसाब से उसको किया गया है। उसमें अब और कुछ सुनना नहीं है।

मैंने श्री रविदास मेहरोत्रा जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए इसको अग्राह्य करता हैं।

**श्री लालजी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, सरोज जी को सुन लीजिए। इन्होंने शिक्षा मित्रों पर प्रश्न लगाया था। आज सदन का अंतिम दिन है।

**श्री अध्यक्ष-**

मेरा निवेदन सुन लीजिए। मा0 सरोज जी का आप अभी बोल रहे हैं, सवेरे तो आपने बोला नहीं।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, शिक्षा मित्रों से सम्बन्धित है।

**श्री अध्यक्ष-**

मेरा विषय यह है कि जिस समय मैने कहा था कि इसको ले लीजिए, तो आपने कहा कि ये प्रिआरिटी नहीं है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, इसको ले लीजिए।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 वर्मा जी, इश्यू ये नहीं है। जिसको लेना होता है, उसके बारे में सरकार को बताना होता है। मा0 मंत्री जी को तैयारी करके उसका उत्तर देना होता है, उसकी सूचना मंगाएगे। बिना सूचना मंगाए कैसे उत्तर दे देंगे ? बिना सूचना के अगर जवाब देंगे, तो आप कहेंगे कि इसका उत्तर ऐसे दिया है।

**श्री लालजी वर्मा -**

मान्यवर, जो नोटिस लगती है, वह सबकी सब जाती है।

**श्री अध्यक्ष-**

जो अग्राह्य होती है, उसके ऊपर तैयारी नहीं होती है। सभी नोटिस नहीं जाती हैं।

आज ध्यानाकर्षण के लिए जो स्वीकृत सूचनाएं थी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की, जनपद-आजमगढ़ में दि0 25-07-2023 एवं 20-06-2023 को हुई मौतों के सम्बन्ध में। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव के कुछ बोलने पर।)

इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। श्री प्रभु नारायण यादव जी, श्री जियाउद्दीन रिजवी जी एवं श्री उमाशंकर सिंह जी की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सब लोग इस बात के साक्षी होंगे कि 65 वर्ष बाद नई नियमावली सदन की स्वीकृति के पश्चात आज से लागू हो जायेगी। इसमें मैं श्री सुरेश्वर सिंह जी से कहूँगा कि इसको प्रस्तुत करें, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। सब लोग इसको सुनेंगे। बहुत सारे जो संशोधन आए थे, उसको भी हमने उसमें लिया है। मा0 सुरेश्वर सिंह जी।

## अट्ठारहवीं विधान सभा की ''नियम समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन का अन्तिम प्रतिवेदन†

**श्री सुरेश्वर सिंह-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की अट्ठारहवीं विधान सभा की ''नियम समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन का अन्तिम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधान सभा

† छापा नहीं गया।

की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2023 पर प्राप्त संशोधनों/सुझावों पर पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुज्ञा हो, तो मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रस्ताव करिए।

**[05:07] उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023**[††]

**श्री सुरेश्वर सिंह-**

मान्यवर, प्रस्ताव यह है कि ''उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 251 (ग) एवं (घ) में वर्णित प्राविधानों पर विचार करने के उपरान्त समिति का अंतिम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से प्राविधानित 10 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन के उपवेशन की समाप्ति को कालावधि समझी जाय और कालावधि के समाप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 निरसित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2023 अनुमोदित मानी जाय।''

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि ''उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 251 (ग) एवं (घ) में वर्णित प्राविधानों पर विचार करने के उपरान्त समिति का अंतिम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से प्राविधानित 10 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन के उपवेशन की समाप्ति को कालावधि समझी जाय और कालावधि के समाप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 निरसित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2023 अनुमोदित मानी जाय।''

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हम सभी लोग नियमावली की बात करते थे। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी।

**[05:10] प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-73 (7) के अन्तर्गत प्राविधानित दण्ड हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव**

**वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, जो इसमें संशोधन आये हैं, एक माननीय श्री लालजी वर्मा जी का नियम-74 में तथा आराधना मिश्रा मोना जी का महिला सदस्यों को बोलने के अवसर में

---

[††] छापी नहीं गयी।

वरीयता देने वाला। तो मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2023 के नियम-73 (2) के अन्तर्गत प्राविधानित दण्ड देने हेतु सदन श्री अध्यक्ष को अधिकृत करता है।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2023 के नियम-73 (2) के अन्तर्गत प्राविधानित दंड देने हेतु सदन श्री अध्यक्ष को अधिकृत करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 में संशोधित मुख्य बिन्दु

**श्री अध्यक्ष-**

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के संदर्भ में नियम समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन दिनाँक 07 अगस्त, 2023 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में प्रस्तावित संशोधनों के विषय में जो सुझाव/संशोधन प्राप्त हुए थे उनके आलोक में दिनाँक 09 अगस्त, 2023 को सदन में चर्चा हुई। माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न सुझाव/संशोधनों के विषय पर दिनाँक 10 अगस्त, 2023 को नियम समिति में पुनः विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित सुझाव संशोधन/स्वीकार किया गया :-

1-प्रस्तावित नियम-74 में रू0 50,000/- के स्थान पर रू0 20,000/- रख दिया जाय,

2-प्रस्तावित नियम-287 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाय :-

परन्तु अध्यक्ष, यथासम्भव, महिला सदस्यों को बोलने के अवसर में वरीयता दे सकेंगे।

**श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो दंड देने का प्रस्ताव 73(2) में रखा है तो अभी तक मान्यवर, सदन के अनुमोदन से दंड होता था।

**श्री अध्यक्ष-**

वह इस नियमावली में आया, उसको आपने पूरा पढ़ा, उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं दिया, तो वह नियमावली यहाँ पर पास हो गयी, अब उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 जो अब निरसित हो गयी है और नई नियमावली आ गयी है उसमें निम्नलिखित संशोधन किये जाने

प्रस्तावित थे जिसको हम सब लोगों ने पास किया। सभी माननीय सदस्यों को जो नियमावली पास हो गयी है उसकी हाईलाइट्स बता रहा हूँ:-

नियम-3 (च) के स्थान पर नियम-3 (छ) में गजट (राजपत्र) को भी परिभाषित कर दिया गया है।

नियम-3 में नई परिभाषाएं जोड़ी गईं।

नियम-4 (2) में सदस्यों को आह्वान-पत्र नियत की गई तिथि से 14 दिन के स्थान पर 07 दिन पूर्व प्रमुख सचिव द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

नियम-10 (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा सभा के प्रारम्भ होने पर एवं तदुपरान्त प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर यथा-निर्देशित, सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक 10 सदस्यों का एक अधिष्ठाता मण्डल नाम निर्देशित किया जाएगा।

नियम-17 यदि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है तो सभा के पुनः समवेत होने की तिथि की सूचना सदस्यों को 10 दिन के स्थान पर 05 दिन पूर्व दी जायेगी।

नियम-22 सभा के अधिवेशन में लिए जाने वाले कार्य या अधिवेशन के प्रारम्भिक सप्ताह में लिए जाने वाले कार्य, जैसी स्थिति हो, की सूचना विधान सभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारम्भ होने से 15 दिन के स्थान पर यथासम्भव 07 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जायेगी।

नियम-24-कार्य के क्रम में परिवर्तन/संशोधन अध्यक्ष द्वारा नेता सदन के परामर्श अथवा सदन की सहमति से किया जा सकेगा।

नियम-29(5)-02 या 02 से अधिक सूचना समरूप विषय पर प्राप्त होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सभी सूचनाओं को 01 सूचना के रूप में समेकित किये जाने का निदेश दिया जा सकेगा।

नियम-41-यदि उत्तर के लिए किसी तिथि को निर्धारित अल्पसूचित अथवा तारांकित के अतिरिक्त अतारांकित प्रश्न भी किसी कारण से उक्त तिथि को सदन में न लिये जा सकें, तो वह उत्तरित माने जायेंगे।

नियम-42 (2)-अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय सम्बन्धी तथ्यों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण हेतु एक प्रश्न के स्थान पर 02 अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया और यदि एक से अधिक प्रश्नकर्ता हैं तो प्रश्नकर्ताओं द्वारा भी एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकेगा परन्तु अध्यक्ष 02 अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्नों की अनुज्ञा दे सकेंगे।

नियम-50-प्रश्नों के उत्तर का प्रकाशन एवं प्रसारण का निषेध-प्रश्न, जिनकी सदस्यों ने सूचना दी हो और उनके उत्तर जो मंत्री सदन में देना चाहते हों तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिये जायेंगे के स्थान पर प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किये जायेंगे जब तक कि सदन में प्रश्न न ले

लिये जायें और उनके उत्तर न दे दिये जायें या पटल पर न रख दिये जायें परन्तु यह कि सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर ई-बुक पर विहित प्रक्रिया के अनुसार सदन का उपवेशन प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

नियम-51 (1)-नियम-51 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाएं सदन के प्रारम्भ होने से 01 घण्टा पूर्व के स्थान पर पूर्ववर्ती उपवेशन की समाप्ति के पूर्व तक दी जा सकेंगी।

नियम-51 में निदेश संख्या-16 (1) को नियम-51 (6) के रूप में जोड़ा गया- ध्यान आकर्षण से सम्बन्धित सूचना का उत्तर शासन द्वारा अधिकतम 30 दिन के अंदर सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को भेजा जाएगा।

नियम-58 (1)-कार्य-स्थगन के प्रस्ताव एक उपवेशन में एक से अधिक के स्थान पर 02 से अधिक नहीं किये जायेंगे।

नियम-74- ऐसी अवस्था में जबकि सदन को यह पता चले कि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का आरोप निराधार है तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, खर्चा के रूप में पूर्व में निर्धारित अधिकतम धनराशि रू0 500/- के स्थान पर पहले रु0 50,000/- प्राविधानित था, लेकिन मा0 वर्मा जी के संशोधन पर उसको रु0 20,000/- रख दिया गया है।

**श्री लालजी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैने नियम-315 वाला एक और निवेदन किया था।

**श्री अध्यक्ष-**

नियम-85-असरकारी सदस्य, संकल्प की सूचना कम से कम 15 दिन पहले के स्थान पर कम से कम 07 दिन पहले दे सकेंगे।

नियम-86-मंत्री यदि कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो वह 07 दिन के स्थान पर 05 दिन की सूचना देने का प्राविधान किया गया।

नियम-92-शलाका में सफल एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य असरकारी संकल्पों की सूचना चर्चा हेतु नियत तिथि से 12 दिन पूर्व के स्थान पर 05 दिन पूर्व उसकी आनलाइन या मुद्रित प्रति शासन को भेजी जायेगी।

नियम-105-प्रस्ताव की ग्राहयता हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तें जोड़ दी गई हैं :-

''(8) उसमें असरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज अथवा पत्र पर चर्चा की मांग न की गयी हो,

(9) सामान्यतः वह किसी संसदीय समिति के विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित न हों।

(10) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए न पूछा गया हो।

(11) वह उस विषय से सम्बन्धित न हो, जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न हो।

(12) उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन विषय न उठाये गये हों, जो मुख्यतः राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों।

(13) उसमें ऐसे विषयों के बारे में जानकारी प्रकट करने की मांग न की गयी हो, जो गोपनीय स्वरूप के हों, जैसे- मंत्रि-मण्डल में की जाने वाली चर्चाएं या राज्यपाल को किसी ऐसे विषय में दी गयी मंत्रणा जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्रकट न करने का सांविधिक या रूढ़िगत दायित्व हो।

(14) वह किसी तुच्छ विषय से सम्बन्धित न हो।''

नियम-115 (3)-असरकारी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि 15 दिन के स्थान पर 07 दिन होगी।

नियम-121- असरकारी विधेयकों की शलाका 15 दिन पूर्व के स्थान पर 07 दिन पूर्व की जायेगी।

नियम-128-नियम-128 के परन्तुक में पुरःस्थापन के प्रस्ताव के सम्बन्ध पूर्व में जो 03 दिन की अवधि उल्लिखित थी, उसे परिवर्तित करके 02 दिन कर दिया गया है।

नियम-132 (1) (ग) के उपरान्त नया परन्तुक जोड़ा गया परन्तु यह कि यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिए प्रस्ताव किये जाने के दिन से 02 दिन पहले उपलब्ध न करा दी गई हो तो कोई सदस्य इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकेंगे और यदि अध्यक्ष प्रतिवेदन पर विचार किये जाने की अनुमति न दें तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

नियम-139 (1)-विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना 36 घण्टे पूर्व न दी गयी हो के स्थान पर 01 दिन पूर्व किया गया।

नियम-159-दोनों सदनों से पारित विधेयक में शाब्दिक और आनुषांगिक संशोधन यदि कोई हों तो प्रमुख सचिव के स्थान पर माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

नियम-201 (3)-यदि समिति के सभापति समिति के किसी उपवेशन से अनुपस्थित हों तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिए निर्वाचित कर सकेगी। यदि ऐसा निर्वाचन न हो सके तो अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित उपवेशन के लिए समिति के किसी अन्य सदस्य को सभापति नामित किया जा सकेगा।

नियम-204-समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र का प्रारूप सम्मिलित कर दिया गया है।

नियम-211-समिति द्वारा साक्ष्य लेने, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति में कुछ अभिवृद्धि करने के साथ-साथ समिति के समक्ष शपथ/प्रतिज्ञान का प्रारूप निर्धारित किया गया है।

नियम-229 (2)-लोक लेखा समिति में विधान परिषद के 05 सहयुक्त सदस्य जिनका उल्लेख हस्तपुस्तिका में है, को इस नियमावली में सम्मिलित किया गया है।

नियम-238-याचिका के हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रमाणीकरण विषयक स्पष्ट प्राविधान सम्मिलित किया गया है।

नियम-243 (5)-याचिका समिति में लिये जाने वाले अभ्यावेदनों आदि को ऑनलाइन प्राप्त एवं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था के साथ निदेश संख्या-95 में उल्लिखित व्यवस्था को नियमावली के नियम-243 (5) के रूप में सम्मिलित किया गया है।

नियम-246 (ii)-नया नियम इस आशय का सम्मिलित किया गया है कि अध्यक्ष द्वारा समिति में या सभा में अधीनस्थ विधान के किसी प्रश्न पर विचार से सम्बन्धित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

नियम-269 (ख-ग)-प्रश्न एवं संदर्भ समिति में निदेश संख्या-166-167 में गलत प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति एवं कार्यवाही की व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है।

नियम-269 ट- आचार समिति के कृत्यों को सुस्पष्ट किया गया है।

नियम-269प-ब-''उ0प्र0 विधान सभा अध्यक्ष के निदेश'' के निदेश संख्या-167 के दृष्टिगत संसदीय अनुश्रवण समिति के नियम-269 प से ब में आवश्यक संशोधन सम्मिलित किया गया है।

नियम-269म- निदेश संख्या-96 में उल्लिखित आवास सम्बन्धी संयुक्त समिति सम्मिलित की गयी है :-

नियम-269य-निदेश संख्या- 137 में उल्लिखित विधान पुस्तकालय समिति सम्मिलित की गयी है।

नियम-271-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प की ग्राह्यता हेतु निम्न शर्तों को नियम-271 (2) में सम्मिलित किया गया है-

(i) वह आरोपों के सम्बन्ध में सुस्पष्ट हो,

(ii) वह स्पष्ट और सही रूप से व्यक्त किया गया हो,

(iii) इसमें तर्क-वितर्क, अनुमान, व्यंगात्मक भाषा अथवा मान-हानिकारक कथन का समावेश नहीं होगा।

नियम-286-सदस्यों द्वारा सदन में पालनीय नियमों में निम्नलिखित की वृद्धि की गयी है-

''(11) सदस्य सभा में मोबाईल फोन नहीं लायेंगे,

(12) अध्यक्ष पीठ की ओर पीठ करके न तो बैठेंगे और न ही खड़े होंगे,

(13) अध्यक्ष पीठ के पास स्वयं नहीं जायेंगे। यदि आवश्यक हो तो वे पटल अधिकारी को पर्चियां भेज सकेंगे,

(14) सभा में न तो शस्त्र लायेंगे न ही प्रदर्शित करेंगे,

(15) सभा में झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रदर्श वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे,

(16) सभा में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिकाओं, प्रेस टिप्पणियों, पर्चों इत्यादि का वितरण नहीं करेंगे, जो सभा के कार्य से संबंधित न हो,

(17) सभा में धूम्रपान नहीं करेंगे, और कोई धूम्रपान करता हुआ सदस्य पाया गया तो उसको जितना जुर्माना दूसरा व्यक्ति का है उससे डबल जुर्माना देना होगा,

(18) सभा में किसी दस्तावेज को नहीं फाड़ेंगे तथा

(19) लॉबी में इतनी जोर से बात नहीं करेंगे अथवा हँसेंगे, ताकि विधान सभा की कार्यवाही में बाधा न पड़े।''

नियम-287-प्रस्तावित नियम 287 में निम्नलिखित परन्तुक जुड़ जाए परन्तु अध्यक्ष यथा सम्भव महिला सदस्यों को बोलने के अवसर में वरीयता दे सकेगे।

नियम 289-बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियमों में निम्नलिखित की वृद्धि की गयी :-

''(झ) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे जब तक की चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो, व्याख्या-शब्द उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए।

(ञ) अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे,

(ट) किसी भी दीर्घा में बैठे हुए अजनबियों के प्रति कोई निर्देश नहीं करेंगे,

(ठ) सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करेंगे,

(ड) वाद- विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेंगे, तथा

(ढ) अध्यक्ष पीठ की पूर्व अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ेंगे।''

नियम-291 (ख)-विधान परिषद में दिये गये भाषणों को सभा में उद्धृत किये जाने विषयक प्रतिबन्धात्मक प्राविधान सम्मिलित किया गया।

नियम-301-निदेश संख्या-11 में उल्लिखित सूचना की ग्राहयता की शर्तों एवं सूचना का उत्तर देने की अवधि 90 दिन के स्थान पर 30 दिन का प्रावधान सम्मिलित किया गया।

नियम-311 के प्राविधान को सुस्पष्ट किया गया- नियम-311 में क्योंकि नियम-311 के ऊपर हमेशा चर्चा होती रही है श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जिस समय पिछली बार नियम-311 की ग्राहयता के ऊपर चर्चा हो रही थी कई बार इस विषय के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने इसको उठाया है कि अगर आपको नियम-311 स्वीकार ही नहीं करना है तो आप उसको क्यों लेते हैं। इसलिए नियम-311 के प्राविधान को सुस्पष्ट किया गया है। नियम/नियमों का निलम्बन-कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम/नियमों को निलम्बित कर दिया जाए। अध्यक्ष ऐसे विशेष प्रस्ताव पर नियम/नियमों को निलम्बित कर सकेंगे, जो युक्ति-युक्त, आपात, तात्कालिक एवं ज्वलंत प्रकृति के हों। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय, तो सम्बन्धित नियम/नियमों को तत्समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

अगर नियम-311 में ऐसा कोई विषय आयेगा तो विधान सभा उसको भी सुनेगी। अनुसूची-अनुसूची में प्रारूप-2 (प्रश्न के गलत उत्तर को संशोधित किये जाने एवं गलत उत्तर देने के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कृत कार्रवाई का प्रारूप) तथा प्रारूप-3 (सूचना के गलत उत्तर को संशोधित किये जाने एवं गलत उत्तर देने के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कृत कार्यवाही का प्रारूप) सम्मिलित किया गया है।

यह मैंने कुछ मुख्य प्वाइंट पढ़े थे बाकी हम सभी के पास यह प्रतिवेदन है। मैं आज इस विधान सभा के सभी मा0 सदस्यों को जिनके सहयोग से और विशेष रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने इस पूरी नियमावली को पुनरीक्षित करने के लिये सुझाव दिया, मार्गदर्शन दिया, आप सभी को धन्यवाद और उसके बाद हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनकी विद्वता और संसदीय ज्ञान हम सभी लोगों को मालूम है और जिससे हम सभी लोग सीखते हैं और कम से कम मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने इस नियमावली की एक-एक लाइन को पढ़ा और एक-एक शब्द के ऊपर चर्चा की। मैंने विधान सभा के प्रमुख सचिव के साथ नियम समिति की लगभग 6-7 बैठकें की हैं और जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से इस पर चर्चा की गयी तो उन्होंने एक-एक शब्द के ऊपर अपनी राय दी और उसके कारण ही यह सम्भव हो सका। आज से विगत 65 वर्षों से हम लोग उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 का जिक्र करते थे, लेकिन आज के बाद से हम लोग इसे उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2023 कहेंगे। यह हम सभी लोगों के लिये सौभाग्य की बात है। अब हम अगली मद लेते हैं।

मा0 वर्मा जी, आपने जो विषय उठाया है उसके बारे में आप मुझसे बात करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, हमने एक प्रस्ताव दिया था।

**श्री अध्यक्ष-**

आपका एक प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया।

**श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, निदेश में एक अनुसूची 4, 5 (2) और लगे हैं इसको भी उसमें शामिल कर लेते तो बेहतर होता।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 वर्मा जी, अब तो नियमावली पास भी हो गयी है।

**[05:24] नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्पों पर चर्चा**

**श्री अध्यक्ष-**

दिनांक 24 फरवरी, 2023 को डा0 पल्लवी पटेल, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अजय सिंह, डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री चौधरी बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर चर्चा होनी है, लेकिन इसमें कई मा0 सदस्य आज उपस्थित नहीं हैं और चूँकि आज सदन का अन्तिम दिन है तो इन सभी संकल्पों पर चर्चा जारी रहेगी।

दिनांक 24 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्पों पर चर्चा आगे के लिए जारी हुई :-

| क्रम-सं0 | सदस्य का नाम | संकल्प |
|---|---|---|
| 1 | डॉ0 पल्लवी पटेल | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जाए।'' |
| 2 | श्री जवाहर लाल राजपूत | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध करायी जाये।'' |
| 3 | श्री अजय सिंह | ''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाये।'' |
| 4 | डॉ0 आर0 के0 वर्मा | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में |

| क्रम-सं0 | सदस्य का नाम | संकल्प |
|---|---|---|
| | | जल भराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमसिन ड्रेन का पुनरुद्धार किया जाये।'' |
| 5 | श्री बाबूलाल | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) की स्थापना करायी जाये।'' |

**[05:26] नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा**

**श्री अध्यक्ष-**

डा0 पल्लवी पटेल, डा0 सुरभी, डॉ0 रागिनी, श्री बाबूलाल, श्री आशुतोष शुक्ल के द्वारा आज संकल्प प्रस्तुत किये जाने हैं। इन संकल्पों पर भी चर्चा जारी रहेगी।

आज नियम-301, नियम-51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयीं सभी सूचनाएं तथा मा0 सदस्यों द्वारा दी गयी सभी याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर चर्चा आगे के लिए जारी हुई :-

| क्रम सं0 | सदस्य का नाम | संकल्प |
|---|---|---|
| 1 | डॉ0 पल्लवी पटेल | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोनी एवं कोरों क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चित करायी जाये।'' |
| 2 | डॉ0 सुरभी | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फर्रूखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कर दिया जाये।'' |
| 3 | डॉ0 रागिनी | ''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करायी जाये।'' |
| 4 | श्री बाबूलाल | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान सीमा से लगे करीब 60-70 गांवों के किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था |

| क्रम सं0 | सदस्य का नाम | संकल्प |
|---|---|---|
| | | को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माइनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराया जाये।'' |
| 5 | श्री आशुतोष शुक्ल | ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल, स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड सिकन्दरपुरकरन, तहसील सदर-उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण सुनिश्चित कराया जाये।'' |

**[05:28] याचिकाओं का उपस्थापन**

**श्री अध्यक्ष-**

आज जितने भी मा0 सदस्यों द्वारा याचिकाएं दी गयी हैं वह सभी उपस्थित मानी जाती हैं।

(उपस्थित मानी गयी सभी याचिकाएं संलग्न हैं।)

**श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका†**

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी में गरौठा विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत एरच में मोहल्ला महावीर गंज में 11000 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में श्री अमित चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†**

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत ग्राम उदरनपुर में अतीक के मकान से मुनब्बर के मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†**

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गाँव फेरतीपुर में प्राथमिक विद्यालय से वीरपाल सिंह जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम मण्डावरा में नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध श्री सौरभ यादव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत भू-गर्भ जल संरक्षण हेतु पनकी थर्मल पावर स्टेशन में पक्के तालाब का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत ग्राम दियौरउ में देवदत्त के घर से देवीनगला-डिबाई लिंक मार्ग तक 1200 मीटर सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बधित याचिका†**

श्री हरिओम वर्मा, प्रा0 सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर के ग्राम बड़ागाँव में मुख्य मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित हुई मानी गई।

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनकटा के बड़का ताल में गौशाला बैजनाथ मिश्रा के घर से दिनेश यादव के घर तक लगभग 150 मी0 इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत ग्राम कादीपुर में अधूरा पड़ा कांशीराम आवास योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के घुमाई गढ़वा तालाब से सिपाही के ट्यूबवेल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश कुमार व अन्य सिपाहीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित हुई मानी गई।

**श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत पशु अस्पताल, बीबीगंज का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित हुई मानी गई।

**डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम महमूदापुर से जादौपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री युधिष्ठिर देव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत लखनऊ-झांसी मार्ग से शक्ति नगर नौरय्याखेड़ा होते हुए सी0टी0आई0 चौराहे तक पक्का मार्ग एवं छठ घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†**

श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के सिन्दुरिया से सिसवां मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री जय कुमार सिंह 'जैकी', सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री जय कुमार सिंह 'जैकी', सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के गोपालगंज में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देने के सम्बन्ध में श्री राम प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय करनैलगंज में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्रीमती आशा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती आशा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में मोतीपुर चौराहा, भगौली तीर्थ रोड पर मंग्गू वर्मा के मकान से दीप विद्या मन्दिर स्कूल तक रोड के पश्चिम साइड नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†**

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया में बस्ती सदर पुल से खुटहना होते हुए सुकरौली सरहद तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†**

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां के अतर्गत एंचामऊ पुल से कटिया मिभारीपुर पुल तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शांति स्वरूप कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मलेठी पाहीपर में किताबुद्दीन के घर से उमाशंकर राजभर के मकान तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम छज्जूपुर से गुलावटी सीमा तक कच्चे मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अमित अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अमित अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मेरठ, पौड़ी मार्ग (एन0एच0-34) मेरठ से गढ़-मेरठ मार्ग को जोड़ने वाले आबूनाला प्रथम के दोनों ओर दो-दो लेन सड़क का निर्माण कराकर बाईपास के रूप में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हितेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के ब्रह्मपुरी इन्दिरानगर में सड़क को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**डॉ0 शिव प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत पचपेड़वा के जूड़ी कुईया तथा जगदीशपुर वार्डों के बरसाती जल निकासी के लिये बनी पुलिया को अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल अहद व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†**

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के अन्तर्गत मेरठ-करनाल हाई-वे पर स्थित चन्द्र पैलेस से सिम्भालका रेलवे अण्डरपास तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत कटैया उस्मानपुर से निगोही स्टेशन तक डामर युक्त सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर की ग्राम पंचायत गढ़िया रंगीन को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री लालू प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मन्दाह, साल्हीपुर से प्राइमरी विद्यालय कोर्रा पूरे मुसई तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम नवाबपुरा के अन्तर्गत धनौरा-शेखपुर रोड पर नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†**

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामो की ग्राम पंचायत लालपुर के अन्तर्गत मुराइन का पुरवा से नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगरूप व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री देवेन्द्र निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री देवेन्द्र निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर मनिहारान के अन्तर्गत पहासू से चेहडी सम्पर्क मार्ग व रामशरणदास मार्ग से पहासू बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†**

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के नून नदी पर चिरगुआ जलालपुर के समीप पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†**

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज की पनियरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौरी मौलागंज हसखौरी सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रुपेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत इटावा नगर पालिका को नगर निगम में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सागर दुबे व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†**

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआंडाडा पर एक्सरे मशीन तथा अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध

---

† छापी नहीं गयी।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश सिंह, निवासी जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लाक सैया की ग्राम पंचायत मिहावा में 105 बीघा चारागाह की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर गौशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के मल्लाही टोला प्रथम वार्ड में बैरल नं0-29, राधाग्राम से नये बन्धे तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-105, बाबू पुरवा के अन्तर्गत भीकम सिंह पार्क में लगे नलकूप को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 दानिश व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना वलीदपुर भदीड़ मुख्य मार्ग के राम नगर मोड़ से कोठिया अनुसूचित बस्ती तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पल्टन व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका†**

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत रठेरु मार्ग से रतनपुर होकर समदपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†**

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन तहसील कोंच के अन्तर्गत ग्राम सलैया बुजुर्ग के पास पहुंज नदी की जलधारा परिवर्तन से हो रही क्षति को रोके जाने के

---

† छापी नहीं गयी।

सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बसेन्दुआ में राम सिंह के घर से समीम के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच की तहसील मिहीपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोतीपुर में एक रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गिरी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मिलकिनपुर से मुरलीपुर तक शून्य से लेपन तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत महेश भारी-भेसहवां मार्ग (ओ0डी0आर0) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर के अन्तर्गत एकता नगर के ओम नगर में रेखा मिश्रा के मकान से धर्मेन्द्र कुमार के मकान तक 250 मीटर सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप सिंह, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†**

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बनकटी के खोरिया से डिहिया तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये

---

† छापी नहीं गयी।

जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सृजन महाविद्यालय गेट से चौहान बस्ती होते हुए चितावं तक पिच सड़क के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबली सरोज व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत ग्राम बुआपुर (रूपपुर) पोस्ट बलिकरनगंज, तहसील सदर में छत के ऊपर से गुजर रही 11000 वोल्ट हाईटेंशन लाइन को विस्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री उमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पिलुआ मार्ग से धर्मेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र पलिया में दुधवा उद्यान के साथ बहती सुहेली नदी (नेउरा नाला) की डीसिल्टिंग (गाद) एवं सफाई कराकर नदी को मुख्य धारा में जोड़ने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के ग्राम सकरपुर समसपुर से नेशनल हाई-वे नं0-9 तक वेंक्टेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महमूद अली व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम भनेडा से बसेडा मार्ग पर पड़ने वाली छोईया नदी पर

---

† छापी नहीं गयी।

आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री नबाव मंसूरी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम कोरारी (भरतकूप) में पहाड़ से अवैध पत्थर तुड़ान रुकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसिया व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279 आलापुर के जहांगीरगंज, रामनगर मुख्य मार्ग पर ग्राम जगदीशपुर में जगन्नाथ गौतम के घर से घनश्याम यादव के घर होते हुए पं0 रामलखन डिग्री कालेज, फत्तेपुर खास तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्हदेव यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा रवनियां में श्री करिया यादव के घर से पारा पिच रोड तक 01 किमी0 कच्चे जर्जर मार्ग पर डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री करिया यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के ग्राम पंचायत सढ़ा में इण्टर कॉलेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत नारायणी नदी के पार हाई स्कूल व इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरामन निषाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की नोएडा के सेक्टर-76 में पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन गोयल व अन्य निवासीगण नोएडा की याचिका याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा गोरारी में इन्द्रदेव के मकान से सिहोरी चौहान के मकान से होते हुए बैलर तक सी0सी0 रोड व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†**

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में गंगा जी के गोलहा घाट पर निष्प्रयोज्य पुल को अन्यत्र शिफ्ट कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर में कानपुर महायोजना-2031 में पुराने क्षेत्रों का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†**

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा बम्हना में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप चन्देल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†**

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बाँगरमऊं की ग्राम पंचायत हैबतपुर में शिवराज के ट्यूबवेल से कन्हैया लाल के घर तक डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोना कटियार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्यानागढ़ रोड से श्यामभोज मन्दिर बम्बे की पटरी पर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र-40 नौगावां सादात, तहसील एवं ब्लॉक हसनपुर के ग्राम नगलीजट से ग्राम कोटा तक कच्चे मार्ग को पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसबीर व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका†**

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक बंकी में जहांगीराबाद-अल्लीपुर क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उबेद शानू प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पूर्वी में यूनिटी सिटी, शंकरपुरवा वार्ड-प्रथम में डा0 श्रीनाथ यादव के घर से पानी की टंकी के ट्रांसफार्मर वाले चौराहे तक आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के मोटाआम से स्थाई बाईपास मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जाहिद अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान की सभा जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के कस्बा सहसपुर किवाड़ मार्ग से रेलवे क्रासिंग होते हुए धामपुर-मुरादाबाद मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौकत अली व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलपुर मार्ग, हैदराबाद तिराहा से ग्राम-बखरा तक नव निर्माण (डामरीकरण) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-118, बहेड़ी के विकास खण्ड दमखोदा के ग्राम बसीपुरा नहर से ग्राम हाफिजगंज तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इमरान खान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री रामदुलार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रामदुलार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नगवा में कनहर नदी के धूरघाट नगवा से हरपुरा शिव मन्दिर तक पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगीरी के ग्राम गंगीरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरिश्चन्द्र कुशवाह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री विनोद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित याचिका†**

श्री विनोद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के ब्लॉक चिरईगाँव के अन्तर्गत ग्राम रैमला में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं पर लगाए गए गलत जुर्माने की जाँच करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार पाठक व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत 187, इसौली ब्लॉक वल्दीराय में बीही निदूरा की वल्दीराय से जंगी बाबा की कुटिया तक बने सम्पर्क मार्ग को नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोलानाथ व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका†**

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत किचार से सिकरिया टोला से होते हुए वभनियांव व इमलिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल दुबे व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत सरीला में बालिका इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड वभनजोत के ग्राम पंचायत घारीघाट में पी0डब्लू0डी0 अतिथि गृह डाक बंगला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर नाथ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा जनपद झाँसी महानगर के वार्ड-13 में कोछाभांवर पैरामेडिकल के पास विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के ब्लाक-रमियाबेहड़ के अन्तर्गत पौराणिक लीलानाथ शिव मन्दिर कफारा बाजार स्थित प्रांगण के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्विनी कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम गडावली में बूढ़ी गंगा पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीशपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर में जी0डी0 रोड चौबेपुर से बंदी माता घाट तक मार्ग का पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री राम कृष्ण भार्गव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राम कृष्ण भार्गव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर में सी0सी0जी0 टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार राजवंशी निवासी जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया हरीराम पट्टी चौराहे से ग्राम सभा नवादा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तुलसी राम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्दौर के अखलासपुर से ग्राम गागू नंगला मार्ग को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौ0 आदित्यवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर की तहसील गोपालनगर में स्थित हनुमान मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-डीह में टेकारी मोड़ से डीह में जी0आई0सी0 स्कूल के पास स्थित तालाब तक पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश चौटाला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लॉक-देवमई के अन्तर्गत घाटमपुर रजबाहा कोड़ा जहानाबाद में पम्प कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपू ओमर व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†**

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत महुआपाटन-करौदी मार्ग पर स्थित छोटी गंडक नदी पर निर्मित संकरे

---

† छापी नहीं गयी।

सेतु के स्थान पर नवीन दीर्घ सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप रौनियार व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्त कबीरनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्त कबीरनगर के खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र-313, विकास खण्ड खलीलाबाद के सोनी होटल के ठीक सामने से रेलवे क्रासिंग होते हुए नेहिया निचौरा गड़सड़पार एवं सेमरी गाँव तक 04 किमी0 सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सन्त कबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्त कबीरनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्त कबीरनगर के अन्तर्गत ग्राम साखी पुल से शंकरपुर तक सड़क नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद सन्त कबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राघवेन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा की स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राघवेन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों को विनियमितीकरण अथवा यू0जी0सी0 वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुणेश अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†**

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा, विकास खण्ड जसरा क्षेत्र में मार्ग के पुनः निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री शंकरलाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†**

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत विकास खण्ड माण्डा में ग्राम पंचायत अमिलिया खुर्द से बगहा मार्ग उरुवा में नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लॉक अछनेरा के अछनेरा-भरतपुर मार्ग से कतिपय ग्रामों से होते हुए फतेहपुर सीकरी भरतपुर मार्ग तक पुनः

---

† छापी नहीं गयी।

निर्माण/सौन्दर्यीकरण/सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री पप्पू प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री ओम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†**

श्री ओम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के ग्राम लाला का पुरवा में छतों के ऊपर से निकली विद्युत एल0टी0 लाइन हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-खण्ड संख्या सी-1, नेहरू एनक्लेव रकबा-352.50 वर्ग मी0 को परिवर्तित किये जाने पर समान आकार का भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0डी0 द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका†**

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-100, कासगंज के अन्तर्गत कासगंज-एटा डामर रोड से अजबपुर वाया बढ़ारी वैश्य तक जर्जर रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के विधान सभा चरखारी में विकास खण्ड जैतपुर के अन्तर्गत कस्बा जैतपुर में बाईपास का नव निर्माण एवं सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्की शिवहरे व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†**

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के हसनगंज से अजगैन मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†**

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में चिमकुनी से लेकर धमसिया तक लगभग 3.00 किमी0 व साजनपुर से लेकर

---

† छापी नहीं गयी।

अछलदा नहर के पुल तक 3.00 किमी0 तक सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समोद व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम अरवासी पक्की सड़क होते हुए यादव बस्ती से शेर बहादुर के मकान तक लम्बाई लगभग 300 मी0 सड़क का इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विकास खण्ड मनियर के ग्राम रामपुर में स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रास्ता और प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली, तहसील-रुधौली जनपद बस्ती के परसा पालने मार्ग से परसा लाल शाही सी0सी0 रोड (लगभग 800 मी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द चौधरी निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के सम्पूर्ण क्षेत्र में जनता को जल आपूर्ति कर रहे ट्यूबवेल ऑपरेटर/श्रमिकों की मजदूरी कठौता झील में कर्मचारियों के समान प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 असलम व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार साहू व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर में राजवाहा चरथावल जो मुजफ्फरनगर, थानाभवन मार्ग से प्रारम्भ होकर मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना बड़ौत मार्ग

---

† छापी नहीं गयी।

से आगे तक (ल0 लगभग 16 किमी0) की नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इस्लाम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†**

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में गंगा किशोर गेट से मेरे गाँव तक सिवाल कलां होते हुए मुस्तफाबाद तक की सड़क का शीघ्र निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री तारीक अजीज व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती में बाढ़/कटान की रोकथाम के लिए बांध का निर्माण कराये जाने हेतु श्री राम कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के ब्लॉक बदलापुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महाराजगंज के अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के ब्लॉक हरैया सतघरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत करमैती से परसा होते हुए श्रावस्ती सीमा तक जाने वाले मार्ग पर स्थित गौरिया नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती महाराजी प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती महाराजी प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र-अमेठी के अन्तर्गत ग्राम सभा सुमरेपुर पिच रोड, ग्राम सभा कल्याणपुर, ग्राम सभा भरेथा, ग्राम सभा परसावा एवं ग्राम सभा भौसिंहपुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा कर्मा जगदीशपुर माता कुसुमा देवी विद्यालय से मीना देवी कोटेदार

---

† छापी नहीं गयी।

के घर तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खपरहां (सोनपुरा) में प्राइमरी पाठशाला से लाल बहादुर के घर से होते हुए सूर्यमणि के घर तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत ग्राम सिकंदरपुर बहिगवां में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहादुर यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत दानसहाय मन्दिर (शुक्लागंज) से कांसीराम कॉलोनी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 सतेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी, तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा भिउरा में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा नगर स्थित नवीन मण्डी के गेट से दादू पॉटरी तक नाले का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†**

श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में साँईं बाबा मंदिर से प्रेम

---

† छापी नहीं गयी।

लाल की चक्की तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के न्यू हैदरगंज वार्ड सं0-03 के अन्तर्गत मोहल्ला गोविन्दनगर, नरपतखेड़ा, पारा में श्री आनन्द बाजपेई के मकान से श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†**

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की लखनऊ नगर के खुर्रमनगर में रिंग रोड मोड़ पर आरिफ मेडिकल स्टोर से जीशान खान के घर तक इण्टरलॉकिंग लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†**

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर के अन्तर्गत देवरिया नगर पालिका के सिंचाई विभाग चौराहे से साकेत नगर, खरजरवा, तिलई बेलवा होते हुए सोनूघाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अमन गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित याचिका†**

श्री अमन गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत लखीमपुर रोड से खुटार रोड को जोड़ने वाले गोला गोकर्णनाथ बाईपास पर स्थित चौराहे का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर वर्मा अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका†**

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी ग्राम सभा जिउती में मदन बिन्द के घर से चपऊर कला नाला तक सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री धीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की लिफ्ट अधिनियम से सम्बन्धित याचिका†**

श्री धीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की लिफ्ट अधिनियम की खामियों को दूर कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद ग्रेटर नोएडा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड इकौना के ग्राम खरगौर बस्ती में स्थित महामाया राजकीय महाविद्यालय व विकास खण्ड गिलौला के लंगड़ी गूलर में स्थित महामाया राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की तैनाती कर कुछ अन्य विषयों की मान्यता प्रदान कर संचालन कराये जाने एवं महाविद्यालय की इमारतों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐली से लोलपुर तक पक्के बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†**

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली विकास खण्ड चहनिया के ग्राम कैली, भूपौली, डेरवा, मढ़ौरा, कांवर, अकड़ी आदि गांवों में गंगा के किनारे हो रहे किसानों की जमीन की कटान को रोकने व रिहाइशी मकानों को कटान से रोकने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका†**

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर की विधान सभा क्षेत्र, डुमरियागंज के अन्तर्गत डुमरियागंज-बांसी मार्ग पर सेखुइया से प्राथमिक विद्यालय परसा हुसेन तक मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 उमर परासा, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†**

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में उधरन बाजार चौराहे से लोहटा पचदौरा बड़ी नहर दोहरीघाट पम्प सहायक कैनाल तक विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

**श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका†**

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के मांट तहसील के ग्राम सकतपुर के पूर्व प्रधान अशोक के घर से अलीगढ़ सीमा सालपुर वाले रोड तक लगभग 1 किमी0 का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक, पूर्व प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में देवगढ़ रोड से बुढवार पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†**

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर, ब्लाक बिस्वां के ग्राम मुंडेरी के पास नहर रोड से नहर की पटरी पर मानपुर होते हुए पिपरी तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†**

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र के धनुपुर के विकास खण्ड क्षेत्र के ग्राम सभा भूषलपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशराज प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका', सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†**

श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका', सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया में बारीपुर हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में श्री दिनेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

**श्री अध्यक्ष-**

मद संख्या-06 में कुछ नहीं है।

## नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष-**

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 121 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। सभी मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की जाती हैं।

---

† छापी नहीं गयी।

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 1 | श्री हाकिम लाल बिन्द | प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत भूपलपुर तिराहे से संसारीपुर विन्द बस्ती तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 2 | श्री शफीक अहमद अंसारी | जनपद रामपुर के अन्तर्गत स्वार विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रुसतमनगर, निकट रायपुर में पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 3 | डॉ0 आर0 के0 पटेल | जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत एक वर्कशाप के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 4 | श्री जय कुमार सिंह जैकी | जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में पारादान नहर कोठी के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में। |
| 5 | श्री जीत लाल पटेल | जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित कर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 6 | श्री ओम प्रकाश | जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात विभिन्न पी0आर0ओ0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 7 | श्री लालजी वर्मा | जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में अयोध्या-अम्बेडकरनगर मार्ग से कटेहरी बाजार से रेलवे फाटक होते हुए पिलखावां ग्राम मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 8 | श्री रमेश सिंह | जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 9 | श्रीमती केतकी सिंह | जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम बरियारपुर खरौली के बीच पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 10 | श्री राकेश कुमार गोस्वामी | जनपद महोबा के थाना क्षेत्र कबरई के अन्तर्गत ग्राम पहरा में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 11 | श्री राकेश प्रताप सिंह | जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा के ग्राम सभा हरिपालपुर में पानी की टंकी कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 12 | श्री आशुतोष शुक्ल | जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में लाइनमैन का स्थानातरण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 13 | श्री जवाहर लाल राजपूत | गुरसराय कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 14 | श्री अखिलेश यादव | जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड सठियागंव के अन्तर्गत मुबारकपुर मुहम्मदान मार्ग पर सम्पर्क मार्ग आझौली पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 15 | श्री मनीष रावत | खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लखनऊ में नियुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह, अभिहित अधिकारी के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 16 | श्री भगवान सिंह कुशवाहा | जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत आगरा जगनेर मार्ग मधुवन कालोनी मोड़ से प्रकाश चन्द्र अग्रवाल के घर एवं चौ0 डोरी लाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 17 | श्री राजीव तरारा | जनपद अमरोहा के धनौरा ब्लाक अन्तर्गत विशावली स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (धूने वाले बाबा) पर मूल-भूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 18 | श्री प्रेम नरायन पाण्डेय | विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अत्यधिक आवागमन वाले मार्ग की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लम्बित पत्रावली को राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 19 | श्री ओम कुमार | जनपद बिजनौर में नहटौर नगरपालिका में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन के पुनर्निर्माण कर डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 20 | श्रीमती अनुपमा जायसवाल | जनपद बहराइच के सदर विधान सभा के अन्तर्गत सिंचाई हेतु सोलर पम्पिंग सेट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 21 | श्री मूल चन्द्र सिंह | जनपद जालौन के तहसील माधवगढ़ में कतिपय विद्यालयों को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 22 | श्री देवेन्द्र सिंह लोधी | जनपद बुलन्दशहर के स्थाना विधान सभा के अन्तर्गत 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 23 | श्री निर्मल वर्मा | जनपद सीतापुर के विधान सभा की विसवां के अन्तर्गत देबिया गड़ेचा मार्ग से कैमहरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 24 | श्री पल्टूराम | जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के अन्तर्गत प्राचीन तालाब केरावगढ़ को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 25 | श्री विनय कुमार द्विवेदी | जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन के अन्तर्गत नया विकास खण्ड खरगूपुर बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 26 | श्री रामपाल वर्मा | जनपद हरदोई के अन्तर्गत कछौना विकास खण्ड से तेऊ नाकला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 27 | श्री हरिओम | जनपद कासगंज के अमापुर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम अडउआ के एक ही परिवार के पांच लोगो की कार दुर्घटना में हुई मृत्यु के पश्चात मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 28 | श्री सीताराम वर्मा | जनपद सुल्तानपुर के लम्हुआ विधान सभा क्षेत्र कोइरीपुर क्षेत्र में बालिकाओं के लिये राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 29 | श्री विकास गुप्ता | श्री सौरभ गर्ग को आवन्टित भूमि का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 30 | श्री देवेन्द्र कुमार निम | जनपद सहारनपुर की मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में। |
| 31 | प्रो0 श्याम बिहारी लाल | जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआडाडा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहगंज में एक्स-रे मशीन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 32 | श्री सत्यपाल सिंह राठौर | जनपद एटा के अलीगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 33 | डॉ0 आर0 के0 वर्मा | जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता के ग्राम पंचायत खरवई में स्थित चनौरा देवी तालाब की जल निकासी की व्यवस्था सही कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 34 | श्री रमेश सिंह | उत्तर प्रदेश सेन्सस ऑफ इंडिया के मैनुअल में पार्ट एक में मझवार की पर्यायवाची केवट मल्लाह आदि किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 35 | श्रीमती मीनाक्षी सिंह | विधान सभा क्षेत्र खुर्जा नगर में पॉटरी उद्योग सम्बन्धित इकाईयों से निकलने वाले अपशिष्ट के प्रबंधन के सम्बन्ध में। |
| 36 | श्री तस्लीम अहमद | जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नदी के उफान से एकत्र हुए नदी के किनारे जमा बालू मौरंग निकालने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में। |
| 37 | श्री राम अवतार सिंह | जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के किमी0-49 से अलादीनपुर मार्ग का उच्चीकरण कर सम्पूर्ण चौड़ाई में आबाद भाग में नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 38 | श्री सुरेन्द्र चौरसिया | जनपद देवरिया के मुख्या चिकित्सा अधिकारी द्वारा किये जा रहे लापरवाही की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 39 | श्री अमिताभ बाजपेई | कानपुर से अलीगढ़ 4/6 लेन चौड़ीकरण की अधिग्रहण में कानपुर, कन्नौज सेक्शन में करी गयी अनियमितता के सम्बन्ध में। |
| 40 | श्री राम फेरन पाण्डेय | जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के सीताद्वार को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 41 | श्री राजेन्द्र कुमार | जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा के अन्तर्गत मीरा भवन सेनानी मार्ग से शिवाला मंदिर तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 42 | श्री पीयूष रंजन निषाद | भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में। |
| 43 | श्री गुरु प्रसाद मौर्य | जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामउ के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर धाम में पक्का घाट तथा विद्युत शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 44 | श्री विजयपाल (आढ़ती) | जनपद हापुड़ के विधान सभा सदर के अन्तर्गत पुलिस लाइन से धीर खेड़ा तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 45 | श्री गौरी शंकर वर्मा | जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिकरी राजा से जालौन कोंच रोड तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 46 | श्री तुफानी सरोज | जनपद बस्ती में पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमे करके निर्दोष व्यक्तियों पर हो रही कार्यवाई के सम्बन्ध में। |
| 47 | श्री बम्बा लाल | जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 48 | श्री प्रसन्न कुमार | जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम-भाज्जू बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 49 | श्री चेतराम | जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवाया में चकबंदी प्रक्रिया न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |
| 50 | डॉ0 पल्लवी पटेल | अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक अवरुद्ध भर्ती प्रक्रिया 2021 को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 51 | श्री बृजेश कुमार | स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों एवं उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, में वर्ष 2011 से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बकाया एन0पी0एस0 के मद में की गयी कटौती में से नियोक्ता (इम्प्लायर) के अंश की धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 52 | श्री फतेह बहादुर सिंह | जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय-कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 53 | श्री गुलाम मौहम्मद | जनपद मेरठ के विकास खण्ड जॉनी की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर धूमि से रामपुर को जोड़ने वाली सड़क पर एस0ए0 नहर के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 54 | श्री संदीप सिंह | तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज में सर्जिकल से सम्बन्धित सामग्रियों के भण्डारण/वितरण का चार्ज प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 55 | श्री बेचई सरोज | जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सी0एच0सी0 में डॉ0 और स्टाफ की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 56 | श्री समर पाल सिंह | जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात में ग्राम कटाई ब्लाक हसनपुर के अन्तर्गत कतिपय नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 57 | श्री महबूब अली | प्रदेश के समुचित विकास हेतु पश्चिमांचल विकास निधि जारी करने के सम्बन्ध में। |
| 58 | श्री लक्ष्मी राज सिंह | जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का ई0एस0आई0 अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 59 | श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी | जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र मारहरा के एटा अलीगंज रोड से किशनपुर-बाबरपुर मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 60 | श्री प्रकाश द्विवेदी | जनपद बाँदा के विकास खण्ड महुआ खुरहण्ड गिरवा तथा पिण्डखर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 61 | डॉ0 विमलेश पासवान | जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगाँव के अन्तर्गत कौड़ीराम में ट्रान्सफार्मर का गोडाउन स्टोरेज बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 62 | श्री वीरेन्द्र सिंह राणा | जनपद हाथरस के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराउ में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 63 | श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' | जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 64 | श्री मनोज कुमार पाण्डेय | जनपद रायबरेली में स्थित मेसर्स मनीफ्लोर मिल प्रा0लि0 को हो रहे नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 65 | श्री विरेन्द्र चौधरी | आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी के उत्पीड़न का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 66 | श्री रविदास मेहरोत्रा | आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में। |
| 67 | श्री विनोद चतुर्वेदी | उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 68 | श्री पूरन प्रकाश | जनपद मथुरा में नोएडा आगरा एक्सप्रेस-वे के वृन्दावन कट पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने तथा कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में। |
| 69 | श्री राम चन्द्र यादव | जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थाना मवई व पटरंगा को नवीन भवन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 70 | श्री विवेक कुमार वर्मा | जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र पंचायत दियोरिया कला के नाम से नवीन क्षेत्र पंचायत का गठन किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 71 | श्री रमेश चन्द्र मिश्रा | जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 72 | श्री दुर्गा प्रसाद यादव | जनपद गाजियाबाद में नियुक्त सिंचाई विभाग के अधिकारी की जाँच के सम्बन्ध में। |
| 73 | श्री प्रभु नारायण सिंह यादव | जनपद चन्दौली में पपौरा-अमिलाई सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 74 | श्री जियाउद्दीन रिजवी | जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छितौना मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 75 | श्री नफीस अहमद | प्रदेश के नागरिकों के परिवार रजिस्टर/कुटुम्ब की नकल को अधिकांश सरकारी योजनाओं में लाभ लेने हेतु आवश्यक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |
| 76 | श्री फरीद महफूज किदवई | जनपद बाराबंकी के रामनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पाण्डेयपुर में गुण्डागर्दी कर गिराये गये शौचालयों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 77 | श्री विशम्भर सिंह यादव | जनपद बांदा के बबेरु विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पशु आश्रय स्थलों को भरे जाने के सम्बन्ध में। |
| 78 | श्री जाहीद | जनपद भदोही के बुनकरों को वाराणसी के बुनकरों के समतुल्य बिजली का रेट फिक्स किये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 79 | श्री वीरेन्द्र यादव | जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा महुद्दीनपुर उर्फ जंगीपुर ब्लाक सदर में कूड़ा प्रबन्धन कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 80 | श्री माता प्रसाद पाण्डेय | जनपद सिद्धार्थनगर के पंचायत विस्कोहर एवं इटवा में प्रधानमंत्री योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 81 | मो0 ताहिर खान | जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बल्दीराय की मुख्य सड़क इसौली से देवरा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 82 | श्री आनन्द कुमार यादव | जनपद बहराइच के अन्तर्गत वजीरगंज से नन्दवल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 83 | इंजी0 बृजेश कठेरिया | दलित की पट्टे वाली जमीन पर दबंगों द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जा रोके जाने के सम्बन्ध में। |
| 84 | श्री मो0 हसन 'रूमी' | जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 85 | श्री रफीक अंसारी | जनपद मेरठ के अन्तर्गत सराय लालदास पुलिस चौकी से पूर्वा इलाही तक रोड तथा पुराने कमेले से लिसाडी गेट तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 86 | डॉ0 शिव प्रताप यादव | जनपद बलरामपुर के गैसडी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचपेड़वा के निकट 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 87 | श्री सुरेन्द्र मैथानी | जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत जनहित में अतिआवश्यक रतनलाल नगर को दबौली बेस्ट से जोड़ने हेतु उपरिगामी रेलवे सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 88 | डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल | जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत रौनापार चान्द्रपत्ति बिलरियागंज मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 89 | डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा | जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 90 | श्री अशरफ अली खान | जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में बन्द रोडवेज बस स्टैन्ड को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 91 | श्री मनोज कुमार पारस | जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किरतपुर में मार्ग तथा नाली के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 92 | श्री अभय सिंह | जनपद अयोध्या के ग्राम पंचायत करनाईपुर मुतालका के पारागरीबशाह में खलिहान गाटा संख्या 337 पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 93 | श्री वीर विक्रम सिंह | जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 94 | श्री प्रदीप शुक्ल | जनपद गोरखपुर के सहजनवां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 95 | श्री अवधेश प्रसाद | जनपद रायबरेली-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में घोर अनियमितता और लापरवाही के सम्बन्ध में। |
| 96 | श्री पंकज कुमार मालिक | विद्युत कार्य से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |
| 97 | श्री बाबूलाल | जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के पुर ब्लाक में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 98 | श्री रवेन्द्र पाल सिंह | जनपद मिर्जापुर के औराई मिर्जापुर हाइ-वे से मुजेहरा खुर्द मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 99 | श्री राजपाल सिंह बालियान | जनपद मुजफ्फरनगर के बुधना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 100 | श्री प्रदीप कुमार सिंह | जनपद बांदा के ग्राम पंचायत पच्चुल्ला में रोड से सटे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 101 | श्री अनिल कुमार | जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में एक पुल के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 102 | श्री राकेश पाण्डेय | धारा-144 में अकृषक भूमि के नामांतरण/दाखिल खारिज हेतु एक तरह के मानक लागू किये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 103 | डॉ0 विनोद कुमार बिन्द | जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काश्तकारों को अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 104 | श्री मुकेश चौधरी | जनपद सहारनपुर के नकुड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काली सड़क के स्थान पर सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 105 | श्री महेंद्र सिंह खडगवंशी | जनपद अमरोहा की हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 106 | श्री विवेकानन्द पाण्डेय | जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नए उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 107 | श्री अनिल प्रधान | जनपद चित्रकूट के भरतकूप और सरथुआ को ब्लाक का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 108 | श्री रामकृष्ण भार्गव | जनपद सीतापुर के मिश्रिख विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोमती नदी पर पुल/पैन्टून पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 109 | श्री रमेश जयसवाल | नगर पालिका परिषद् पंडित दीं डाले उपाध्याय के अन्तर्गत ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 110 | डॉ0 डी0सी0 वर्मा | प्रदेश के वध शालाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में। |
| 111 | ई0 संजय निषाद | जनपद सुल्तानपुर की तहसील लम्भुआ के गाटा संख्या 207 व 166 एन0एच0 पर सरकारी भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में। |
| 112 | श्री राजीव गुम्बर | जनपद सहारनपुर के होजरी व्यावसाय ODOP में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 113 | श्री पंकज गुप्ता | जनपद उन्नाव के भगवंत नगर के ब्लाक सिकंदरपुर कारन में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 114 | श्री जय प्रकाश अंचल | जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में। |

| क्र0 सं0 | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 115 | डॉ0 नीरज बोरा | हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में। |
| 116 | श्री चन्दन चौहान | जनपद बांदा के ग्राम कनवारा में नहर की पटरी के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 117 | श्री संजीव कुमार दिवाकर | जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ उत्तर के जानकीपुरम में हाईटेंशन लाइन को भूमिगत किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 118 | श्रीमती सैय्यदा खातून | जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत डुमरियागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 119 | श्री राजेश चौधरी | जनपद मथुरा की मांट तहसील में विद्युत कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |
| 120 | श्री मदन भैया | जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर नगली मार्ग पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 121 | श्री मनीष असीजा | उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा कर्मकार बोर्ड में कार्यरत लोगों को दुर्घटना बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |

## जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत भूपलपुर तिराहे से संसारीपुर बिन्द बस्ती तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री हाकिम लाल बिन्द-**

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र हण्डिया जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत भूपलपुर तिराहे से संसारीपुर बिन्द बस्ती तक नव निर्माण कार्य दूरी लगभग 2 कि0मी0 है। क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण हेतु कई बार अनुरोध किया है, परन्तु अभी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य नहीं हो सका है जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग का नव निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद रामपुर के अन्तर्गत स्वार विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रुस्तमनगर निकट रायपुर में पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री शफीक अहमद अंसारी-**

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रुस्तमनगर निकट रायपुर में पुलिया का निर्माण करवाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद रामपुर के अन्तर्गत स्वार विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रुसतमनगर निकट रायपुर में पुलिया के निर्माण करवाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत एक वर्कशाप के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डॉ0 आर0 के0 पटेल-**

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे जनपद जौनपुर में 62806 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं एवं इनकी मरम्मत के लिए मात्र एक वर्कशाप जौनपुर जनपद में है, एक वर्कशाप बदलापुर विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन है। आस-पास के जनपद जैसे कि प्रयागराज में 57000 ट्रांसफार्मर के लिए 3 वर्कशाप कार्यरत है, वाराणसी में 26770 ट्रांसफार्मर के लिए 2 वर्कशाप कार्यरत हैं। जौनपुर में अन्य जनपदों की तुलना में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर हैं किन्तु केवल एक ही वर्कशाप कार्यरत है। जिसकी वजह से फुंके हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराने में लगभग 15 दिनों का समय लगता है। जिस कारण जनप्रतिनिधियों एवं सरकार की छवि धूमिल हो रही है। यह कार्य करवाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र में एक वर्कशाप का निर्माण करवाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में पारादान नहर कोठी के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री जय कुमार सिंह ''जैकी''-**

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड खजुहा में पारादान नहर कोठी अत्यन्त जर्जर अवस्था में है जिसका जीर्णोद्धार करवाना जनहित में अति आवश्यक है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में पारादान नहर कोठी के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित कर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री जीत लाल पटेल-**

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विश्वनाथगंज में लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-2 व प्रान्तीय खण्ड द्वारा सारी सड़के मानक के अनुरूप नहीं बनाई गयी है तथा विशेष मरम्मत योजना/पं0 दीन दयाल योजना/नाबार्ड योजना/राज्य सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित समस्त सड़कों की जाँच कराना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित कर जाँच कराये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में तैनात विभिन्न पी0आर0ओ0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री ओम प्रकाश-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी मंदिर में दर्शन/स्पर्श दर्शन किये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट (प्रोटोकाल/कानुन व्यवस्था) वाराणसी के पत्रांक में दिनांक 22-03-2023 से प्राप्त औपचारिक अनुमति/प्रोटोकाल के अन्तर्गत गये थे। इतना ही नहीं दर्शन पूजन हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दूरभाष पर श्री सुनील वर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भी अनुरोध किया गया था जिस पर श्री वर्मा द्वारा अखिलेश सिंह, अरविन्द शुक्ला, श्री गौरव राय और श्री गौरव श्री रघुवंशी योगेश वर्मा एवं श्री पुनीत धवन को निर्देशित किया गया। किन्तु इन लोगों द्वारा मेरे पारिवारिक सदस्यों के साथ अभद्रता की गयी, और यह भी कहा गया कि ऐसे प्रोटोकाल को हम कुछ नहीं समझते। ऐसी स्थिति में इन सब कर्मचारियो द्वारा परेशान किया गया है। मन्दिर परिसर में 24 घण्टे अपर मजिस्ट्रेट के स्तर से नामित अधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी तैनात रहते हैं। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की तैनाती

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आधिकारिक रूप से निरन्तर की जाती है तो धार्मिक स्थल की आय से पी0आर0ओ0 को रखकर मानदेय दिया जाना धार्मिक/शासकीय धन अपव्यय एवं दर्शनार्थियों को अनावश्यक ही दर्शन में व्यवधान पैदा किया जाना मात्र है। ऐसी स्थिति में श्री अखिलेश सिंह, श्री अरविन्द्र शुक्ला, श्री गौरव राय, श्री गौरव सिंह रघुवंशी, श्री योगेश वर्मा, श्री पुनीत धवन यह सभी पी0आर0ओ0 आदि द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर प्रांगण में दलाली एवं अवैध वसूली की जा रही है तथा इन लोगों की आय से अधिक अकूत सम्पत्ति की जाँच भी कराया जाना आवश्यक है। जिसकी जाँच कराकर कार्यवाही किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर प्रांगण में किये जा रहे अवैध वसूली को रोकने एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सरकार से मांग करता हूँ।]

## जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में अयोध्या-अम्बेडकरनगर मार्ग से कटेहरी बाजार से रेलवे फाटक होते हुए पिलखांवा ग्राम मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री लालजी वर्मा-**

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र कटेहरी, जिला अम्बेडकरनगर में अयोध्या-अम्बेडकरनगर मार्ग से कटेहरी बाजार से रेलवे फाटक होते हुए पिलखांवा ग्राम मार्ग अति जर्जर हो गया है, जिसके कारण आम-जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आम-जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण की मांग करता हूँ।]

## जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री रमेश सिंह-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज नहीं है। जिससे छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जिससे धन व समय का भी अपव्यय होता है। राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिले में मात्र एक ही कालेज है, जो 40 किमी0 की दूरी पर है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम बरियारपुर खरौली के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्रीमती केतकी सिंह-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह, जनपद बलिया उ0प्र0 के अन्तर्गत ग्राम बरियारपुर खरौली के बीच पुल का निर्माण कार्य कराना जनहित में आवश्यक है। पुल न होने के कारण आम-जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त पुल का निर्माण कराना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

## जनपद महोबा के थाना क्षेत्र कबरई के अन्तर्गत ग्राम पहरा में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राकेश कुमार गोस्वामी-**

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद महोबा के कबरई थाने के अन्तर्गत ग्राम पहरा में एक पुलिस चौकी की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि उस क्षेत्र की दूरी थाना कबरई से लगभग 20 कि0मी0 है और उक्त क्षेत्र के ग्रामों में क्रेशर व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। उस क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक क्रेशर लगे हुए हैं और वह क्षेत्र म0प्र0 सीमा से लगा हुआ है और म0प्र0 सीमा में भी लगभग 100 क्रेशर स्थापित हैं और वहाँ के वाहनों की निकासी भी पहरा के आस-पास के ग्रामों से होती है। उक्त क्षेत्र में पुलिस चौकी न होने के कारण क्रेशर व्यापारियों में असुरक्षा की भावना रहती है। उस क्षेत्र में तमाम तरह की आपराधिक घटनायें भी होती रहती हैं।

अतः उक्त परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुए कबरई थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पहरा में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूँ।]

## जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मछरेहटा के ग्राम सभा हरिपालपुर में पानी की टंकी का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राकेश प्रताप सिंह-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि ग्राम सभा-हरिपालपुर, विकास खण्ड-मछरेहटा, जिला-सीतापुर में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण लगभग दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था, परन्तु आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा आधा-अधूरा कार्य करके कार्य बन्द कर दिया गया है, जिससे एक तरफ सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार की ग्रामीणों को हर घर जल मुहैया कराने की **मुख्य योजना ग्रामीण पेयजल** की धज्जियाँ उड़ रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष है तथा अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूँ कि उपरोक्त पानी की टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।]

## जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में लाइन मैन का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री आशुतोष शुक्ल-**

[महोदय, मैं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के तहसील सदर के परगना हडहा के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के दुबेपुर, श्रीपतपुर, भैंसई कोयल, महाई पंसारी आदि गाँव पुरवा पावर हाउस के चमियानी फीडर विद्युत सप्लाई केन्द्र से सम्बद्ध हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विद्युत ट्रान्सफार्मर 16 के0वी0ए0 के लगे हैं, 2017 में नवीनीकरण के समय लगाये गये थे, परन्तु वर्तमान में ग्राम दुबेपुर, महाई, भैंसई कोयल बस्तियों के विस्तार के फलस्वरूप 16 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर पर लोड बढ़ने पर विद्युत फाल्ट एवं वोल्टेज की समस्या गर्मियों में काफी मात्रा में बढ़ जाती है तथा ग्राम बाजीखेडा से लेकर ग्राम दुबेपुर, श्रीपतपुर, भैंसई कोयल, महाई पंसारी तक विद्युत सप्लाई के तार बहुत ही जीर्ण हो चुके हैं और चमियानी से लेकर ग्राम दुबेपुर और ग्राम महाई तक सिंगल फेस होने से लो वोल्टेज के साथ-साथ ये तार गर्मियों में बिना हवा, आंधी के चले ही टूट जाते हैं और विद्युत कई-कई घण्टों तक नहीं होने से ग्रामीणों को विद्युत सप्लाई से वंचित रहना पड़ता है। गर्मी के मौसम में उक्त विद्युत फीडर से सरकार के मानक के विपरीत विद्युत सप्लाई ग्रामीणों को 0 वोल्टेज के साथ 4 से 6 के लिए ट्रीपिंग के साथ दिया जाता है और ग्रामीणों द्वारा निरन्तर शिकायत करने के बाद भी लाइन मैन राम सिंह और जे0ई0 अशोक पाल के द्वारा अनसुना कर दिया जाता है। आज कई महीनों से उक्त ग्रामीण क्षेत्रों मे 0 वोल्टेज की सप्लाई दी जा रही है। लाइन मैन राम सिंह और उसके कर्मचारी पैसे लेकर ट्यूबेल संचालकों को फेस बदल कर उनको अच्छा वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं जिससे उक्त इन ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या बढ़ जाती है। जब ग्रामीण अपनी बात करने के लिए फोन करते हैं तो किसी का फोन कभी नहीं उठाते हैं।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे आग्रह है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए ग्राम दुबेपुर से लेकर ग्राम महाई तक जर्जर तार को बदल कर दो फेस की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराते हुए लाइन मैन राम सिंह और जे0ई0 अशोक पाल पर जवाबदेही तय करते हुए लाइन मैन राम सिंह को पुरवा पावर हाउस से जिले के अन्य किसी पावर हाउस में स्थानान्तरित करने एवं उक्त उल्लिखित समस्या के निदान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने कि कृपा करें।]

## जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे की आबादी 50 हजार से अधिक है। कस्बे में इण्टर कालेज तो है, लेकिन कोई राजकीय डिग्री कालेज नहीं है। कस्बे का ग्रामीण इलाका बहुत विस्तृत है। इण्टर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र-छात्राएं दूर झांसी में स्थित राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। बहुत से बच्चों को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ जाती है। गरीब बच्चे एवं लड़कियां महंगी फीस के कारण शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर पाती हैं। कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना छात्रों के हित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन में लाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर मुहम्मदान मार्ग पर सम्पर्क मार्ग आझौली पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अखिलेश-**

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में मुबारकपुर-मुहम्मदान मार्ग पर सम्पर्क मार्ग आझौली पुल के शुरुआती भाग को ही एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती निर्माण से रोक दिया गया है, जिससे आवागमन बाधित होता है, जिससे क्षेत्रीय जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छूटे हुए भाग का नव निर्माण कराने एवं सम्पूर्ण भाग की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, लखनऊ में नियुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह, अभिहित अधिकारी के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री मनीष रावत-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अति महत्वपूर्ण लोकहित विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि श्री शैलेन्द्र सिंह, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लखनऊ में काफी समय से एक ही जगह पर नियुक्त हैं। **इनको भ्रष्टाचार की शिकायतें एवं इनके तानाशाही रवैये के कारण प्रदेश सरकार एवं विभाग की छवि खराब हो रही है।**

अतः महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लखनऊ में नियुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह, अभिहित अधिकारी के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं इनके द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की जाँच कराये जाने हेतु मैं सदन से मांग करता हूँ।]

**जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत आगरा-जगनेर मार्ग मधुवन कालोनी मोड़ से प्रकाश चन्द्र अग्रवाल के घर एवं चौ0 डोरी लाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री भगवान सिंह कुशवाहा-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद आगरा-जगनेर मार्ग मधुवन कालोनी खेरिया मोड़ से प्रकाश चन्द्र अग्रवाल के घर एवं चौ0 डोरी लाल के घर तक लम्बाई लगभग 300 मीटर सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिससे स्थाई निवासियों को काफी परेशानियां होती है। बच्चों को स्कूल में भी परेशानियां होती हैं उक्त सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद अमरोहा के धनौरा ब्लाक अन्तर्गत विशावली स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (धूने वाले बाबा) पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री राजीव तरारा-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा के अन्तर्गत ब्लाक धनौरा में विशावली स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (धूने वाले बाबा), है। यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन एवं पूजन हेतु आते हैं। परन्तु यहां पर श्रद्धालुओं के लिए न तो पेयजल, प्रकाश, विश्राम हेतु स्थल की सुविधा न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित में इस प्राचीन मन्दिर पर पेयजल, प्रकाश एवं विश्राम हेतु विश्रामालय निर्माण की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर काफी प्रयास किये गये, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से श्रद्धालुओं में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विशावली स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (धूने वाले बाबा) पर मूल भूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अत्यधिक आवागमन वाले मार्ग की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लम्बित पत्रावली को राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तरबगंज, जनपद गोण्डा की **शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग अत्यधिक आवागमन वाली सड़कों में से एक है** इस मार्ग से क्षेत्र के अधिकांश लोगों का आवागमन रहता है। मार्ग संकरा होने के कारण आये दिन क्षेत्रवासियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का आगणन पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था, परन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। क्षेत्र भम्रण/जनसम्पर्क के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है, क्षेत्र के सबसे ज्यादा आवागमन वाले मार्गों में से यह एक प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

उक्त मार्ग के निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त लगभग 06 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद बिजनौर में नहटौर नगर पालिका में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण कर डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री ओम कुमार-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-21,नहटौर (सुरक्षित) जनपद बिजनौर के अन्तर्गत नहटौर में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण कर डिपो बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके कारण भवन खराब होने के कारण बसें स्टैण्ड पर

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं जा पा रही हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। जनहित में रोडवेज भवन का पुनर्निर्माण कराकर बस स्टेशन का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**जनपद बहराइच के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु सोलर पम्पिंग सेट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-286, सदर बहराइच के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु सोलर पम्पिंग सेट का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

**जनपद जालौन के तहसील माधवगढ़ में कतिपय विद्यालयों को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री मूल चन्द्र-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जालौन, तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत शिक्षा की दृष्टि से रामपुरा विकास खण्ड अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, विकास खण्ड के अन्तर्गत छात्रों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित ग्रामों में जूनियर विद्यालयों को उच्चीकृत कर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

1-ग्राम जायघा (रामपुरा) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (उच्चीकृत की स्थापना)

2-ग्राम-बिलौंहा (रामपुरा) कारगिल शहीद स्व0 सरमन सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (उच्चीकृत की स्थापना)

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद बुलन्दशहर के स्याना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री देवेन्द्र सिंह लोधी-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के क्षेत्र अन्तर्गत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटे होने के कारण गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सामना करना पड़ता है, जिससे की मरीजों को लेकर 50 से 60 किलोमीटर तक जाना पड़ता है कभी-कभी तो दूरी होने के कारण मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है, इसलिए मेरी विधान सभा क्षेत्र में **80-100 बैंड का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल** बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत देबिया-गणेचा मार्ग से कैमहरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री निर्मल वर्मा-**

[महोदय, जनपद सीतापुर के विधान सभा बिसवां, तहसील बिसवां के अन्तर्गत देविया गणेचा मार्ग से सुखांवा होते हुये कैमहरा मार्ग तक पेण्टेड सड़क का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है, उक्त मार्ग के बन जाने से कृषि/खेती एवं व्यापार करने हेतु आवागमन में काफी लाभ मिलेगा। जनहित में उक्त कार्य आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के अन्तर्गत प्राचीन तालाब केरावगढ़ को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री पल्टू राम-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बलरामपुर सदर तहसील उतरौला के अन्तर्गत **ऐतिहासिक/प्राचीन तालाब केरावगढ़**, जोकि लगभग कई एकड़ों में फैला हुआ है, उक्त तालाब में समय-समय पर विदेशी पक्षी भी आते रहते हैं तथा उक्त तालाब में हमेशा जल भरा रहता है जिससे पशु-पक्षी को बहुत लाभ मिलता है, उपरोक्त तालाब को विकसित कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन के अन्तर्गत नया विकास खण्ड खरगूपुर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री विनय कुमार द्विवेदी-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र-295, मेहनौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रुपईडीह जनपद की सबसे बड़ी विकास खण्ड है, जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है जनहित में इस विकास खण्ड को विभाजित करके नवसृजित विकास खण्ड खरगूपुर बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिसका प्रस्ताव जनपद द्वारा शासन को भेजा जा चुका है। जो शासन में विचाराधीन है, जिसकी स्वीकृति किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद हरदोई के अन्तर्गत कछौना विकास खण्ड से तेऊनाकला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री रामपाल वर्मा-**

[महोदय, आपको अवगत कराते हुए यह कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड कछौना की सीमा में ग्राम हथौड़ा, हथौड़ा से तेऊनाकला तक का मार्ग काफी दिनों से अत्यन्त खराब है, जिससे आस-पास के लोगों को आने-जाने में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद कासगंज के अमापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अडउआ के एक ही परिवार के पांच लोगों की कार दुर्घटना में हुई मृत्यु के पश्चात् मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री हरिओम वर्मा-**

[महोदय, सादर विनम्रता के साथ अवगत कराना है कि याचीगण हरेन्द्र, ग्राम प्रधान व सतेन्द्र कुमार, निवासी नगला अडउआ तहसील सहावर, जनपद कासगंज के एक ही परिवार के **पाँच व्यक्तियों (नीरज पुत्र जोधसिंघ, विनीता पत्नी नीरज, तेजेंद्र पुत्र जमुना प्रसाद, सन्तोष कला पत्नी तेजेंद्र, शिवम) का सड़क दुर्घटना में देहान्त** हो गया था। इनका परिवार इन्हीं के ऊपर आश्रित था, इनके परिवार में छोटे-छोटे बच्चे व बुजुर्ग लोग बचे हैं। इनके परिवारों की आय का कोई स्रोत नहीं है।

अतः परिवारों की परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता धनराशि प्रदान करने हेतु याचीगण की याचिका स्वीकार करने की कृपा करें।]

**जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ विधान सभा क्षेत्र के कोइरीपुर क्षेत्र में बालिकाओं के लिये राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री सीताराम वर्मा-**

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र 190, लम्भुआ के पूर्वी एवं पूर्वी भाग में कोइरीपुर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बालिकाओं के लिए राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। जिसकी मांग काफी समय से चल रही है, किन्तु अभी तक

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं होने से इस क्षेत्र की जनता में निराशा एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**श्री सौरभ गर्ग को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री विकास गुप्ता-**

[महोदय, अवगत कराना है कि श्री सौरभ गर्ग ने सेक्टर जेटा 1 रसूलपुरराय, ग्रेटर नोयडा में भू-खण्ड संख्या-219 वर्ष 2002 में पत्र क्रमांक-2002 के माध्यम से एक भू-खण्ड आवंटित किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण धनराशि जमा करने एवं समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद दिनांक 04-08-2021 को रजिस्ट्री हुई, जिसके एवज में क्रेता श्री सौरभ गर्ग को कब्जा प्रमाण-पत्र संख्या-प्राप/किसान/ए, 13 एम आई/2021/932, दिनांक 04-08-2021 द्वारा कब्जा प्रमाण-पत्र जारी किया गया, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया गया।

''महाप्रबन्धक ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास परिषद् को निर्देशित करने का कष्ट करें कि श्री सौरभ गर्ग को पूर्व में आवंटित प्लाट यदि किसी कारण से लीज डीड सम्भव न हो सके तो आवेदक को आवंटित प्लाट ग्राम रसूलपुरराय जेटा के स्थान पर उतने ही क्षेत्रफल का प्लाट अन्यत्र कहीं और आवंटित कर दिया जाय।''

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद सहारनपुर की मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री देवेन्द्र कुमार निम-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-सहारनपुर एक औद्योगिक नगरी है जहाँ विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, मिलें व कारखाने संचालित हैं। इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने यहां का केमिकल युक्त पानी सीधे हिण्डन नदी में बहाया जा रहा है, जिससे हिण्डन नदी प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प से जो पीने का पानी लिया जा रहा है, वह काफी प्रदूषित और केमिकल युक्त आ रहा है, जिसे पीने से लोग काफी गम्भीर बीमारियों कैंसर व अन्य असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं। जनहित में जनपद सहारनपुर में संचालित होने वाली छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों व मिलों को अपने यहां का प्रदूषित पानी हिण्डन नदी में बहाने से रोका जाना नितान्त आवश्यक है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआंडाडा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहगंज में एक्स-रे मशीन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**प्रो0 श्याम बिहारी लाल-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर जनपद बरेली, विकास खण्ड भुता के अन्तर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआंडाडा तथा फरीदपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहगंज पूर्वी में एक्स-रे मशीन की स्थापना जनहित में अत्यन्त आवश्यक हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद एटा के अलीगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री सत्यपाल सिंह राठौर-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद एटा के अलीगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील मुख्यालय पर कोई राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज स्थित नहीं है। जिला मुख्यालय लगभग 55 किलोमीटर दूर राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज स्थित है, जिस कारण से अलीगंज की बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने एटा मुख्यालय जाना पड़ता है। जनहित में अलीगंज विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता के ग्राम पंचायत खरवई में स्थित चनौरा देवी तालाब की जल निकासी की व्यवस्था सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डा0 आर0 के0 वर्मा-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरवई स्थित चनौरा देवी तालाब की जल निकासी प्रातपगढ़-

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रयागराज हाई-वे बनने से बन्द हो गयी है। जिसके कारण आस-पास लगभग 5 ग्राम पंचायतों का वर्षा जल तटबन्धों के अभाव में उक्त तालाब में जमा होता है। जिसके कारण कई ग्राम पंचायतो के किसानों की फसल डूब जाती है और आबादी में भी जलभराव हो जाता है। जिसके कारण क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति घोर आक्रोष व्याप्त है।

अतः महोदय, जनहित की दृष्टिगत इस अबिलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर उक्त जल भराव की निकासी की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

**उत्तर प्रदेश सेन्सस आफ इण्डिया के मैनुअल में पार्ट एक में मझवार की पर्यायवाची केवट, मल्लाह आदि किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री रमेश सिंह-**

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि 29 अगस्त, 1977 के शासनादेश में भारत सरकार के संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति के 66 जातियों के समूह का उल्लेख किया गया है, जिसकी सूची नं0-1 संलग्न है। सन् 1961 में सेन्सस आफ इण्डिया 1961 एपेन्डिस्क टू सेन्सस मैनुअल पार्ट (एक) उत्तर प्रदेश में उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार से इन अनुसूचित जातियों के पर्यायवाची व जेनेरिक नामों का जनगणना करने के सम्बन्ध में जारी है। जिसकी सूची सरकार द्वारा प्रकाशित है, जिसमें अनुसूचित जातियों के नाम के आगे उनके पर्यायवाची और जेनेरिक नाम दिए गये हैं। इस सम्बन्ध में क्रम संख्या-51 पर मझवार की पर्यायवाची जेनेरिक नाम केवट, मल्लाह आदि, क्रम संख्या-1-57 पर पासी की भर, राजभर आदि, क्रम संख्या-63 पर शिल्पकार में प्रजापति, कुम्हार आदि और क्रमांक संख्या-66 पर तुरैहा की कश्यप, कहार, धीवर, धीमर आदि उल्लेखित हैं तथा उसके गाइड लाइन जिन बिन्दुओं के आधार पर बनाए गए हैं, उसमें उनका जो व्यवसाय है-फिशरमैन, क्राफ्टमैन, हण्टर, फारेस्टिव आदि उल्लिखित है, जिसमें सूची नं0-2 संलग्न है।

क्या यह अधिसूचनाएं उत्तर प्रदेश में प्रभावी हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा नगर में पॉटरी उद्योग सम्बन्धित इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट के प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्रीमती मीनाक्षी सिंह-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर की मेरी विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में मूड़ाखेडा रोड व उसके आस-पास के क्षेत्र में पशुओं के अनेक कटान-घर हैं, जिनमें पशुओं का कटान होता है एवं इन कटान-घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ व पशुओं का खून आदि नालों में बहा दिया जाता है एवं कई बार मृत पशु भी इस नाले में छोड़ दिये जाते हैं, जिससे

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मूड़ाखेडा-बोरोली से होते हुए आवास विकास तक जाने वाला यह कच्चा नाला अक्सर चोक रहता है एवं इससे आस-पास के बड़े क्षेत्र में काफी प्रदूषण फैलता है, अतः मैं इस नाले को पक्का किये जाने एवं इसकी निरन्तर सफाई सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध करती हूँ।

इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियों में पशुओं के अवशेषों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे आस-पास के क्षेत्र में काफी दुर्गन्ध फैली रहती है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है और इससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। पशुओं के कटान से निकलने वाला खून जमीन में ही छोड़ दिया जाता है और वह भू-गर्भ जल में जाकर मिल जाता है और इससे आस-पास के क्षेत्र का भू-गर्भ जल काफी प्रदूषित हो गया है एवं स्थानीय लोगों को हैण्डपम्प आदि से निकलने वाले इसी दूषित जल का सेवन करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में आपसे जनहित में अनुरोध करती हूँ कि उक्त तथ्यों की गहनता से जाँच करके उचित कानूनी कदम उठाये जाएं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की माँग करती हूँ।]

## जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नदी के उफान से एकत्र हुए नदी के किनारे जमा बालू, मौरंग निकालने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री तसलीम अहमद-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में अत्यधिक वर्षा के कारण नदियां उफान पर आ गई हैं। नदी किनारे स्थित किसानों के खेतों में नदी के तेज बहाव से बालू, मौरंग एकत्र हो गया है। जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है तथा उनकी उपजाऊ जमीन भी बेकार हो गई है। नदी के उफान से प्रभावित हुई किसानों की जमीन में बालू, मौरंग इकट्ठा होने से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मांग है कि हमें अपनी जमीनों से यह बालू, मौरंग निकालने हेतु जिलाधिकारी, बिजनौर से आदेश दिलाये जायें तथा नियमानुसार बालू, मौरंग निकालने हेतु पट्टा करने का प्रावधान किया जाये।

अतः मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूँ।]

## जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के किमी0-49 से अलादीनपुर मार्ग का उच्चीकरण कर सम्पूर्ण चौड़ाई में आबादी भाग में नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राम अवतार सिंह-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के किमी0-49 से अलादीनपुर मार्ग का पुनः निर्माण कराने

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का प्रस्ताव दिया था, किन्तु उक्त कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। उक्त मार्ग के 01 कि0मी0 के भाग में आबादी हो गयी और दोनों तरफ मकान बन गये हैं जिस कारण पूरा मार्ग नाले के रूप में बदल गया है। जिससे हर समय पानी भरा रहता है और गन्दगी तथा मच्छरों के कारण पूरी आबादी परेशान है।

अतः मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

## जनपद देवरिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही लापरवाही की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री सुरेन्द्र चौरसिया-**

[महोदय, सदन के माध्यम से अवगत कराना है की जनपद देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही खस्ताहाल में है। देवरिया मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को ध्यान में न रखते हुए केवल स्थानान्तरण व टेंडर प्रक्रिया के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आए दिन जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में जिले के मरीजों को जनपद के बाहर भेजा जा रहा है जिसमें दलालों के द्वारा आम आदमी को लूटा जा रहा है, वहीं देवरिया सी0 एच0 ओ0 की रैंकिंग में लुढ़कता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि देवरिया का स्थान प्रदेश में 72वां है, नतीजा ये है कि पाँच वर्षों से जिले की छात्राओं को एक भी नैपकिन का वितरण नहीं किया गया, आज-कल देवरिया स्वास्थ्य विभाग में जहाँ मरीज व तीमारदार स्वास्थ्य सुविधाओं का आभाव झेल रहे हैं, वहीं ये विभाग अखबार व मेडिकल की सुर्खियाँ बना हुआ है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है देवरिया में जहाँ बिना सेवा के सी0एच0ओ0 का वेतन भुगतान किया जा रहा है वही आउट सोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों से ज्यादा संख्या दिखाकर प्रतिमाह धन निकाल कर बंदर बाट किया जा रहा है। देवरिया जनपद में बिना सरकार के गाइडलाइन, बिना टेण्डर के ही करोड़ों रुपये की बाजार रेट से काफी ज्यादा दर पर खरीददारी कर सरकारी धन का बंदर-बांट किया जा रहा है। देवरिया के मुख्य जिला चिकित्साधिकारी के क्रिया कलापों, स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही, बिना टेंडर कराए हो रहे करोड़ों की खरीदारी तथा बिना कार्य किए सी0 एच0 ओ0 के वेतन का आपस में हो रहे बंदर-बांट की जाँच कराकर कठोर कार्यवाही की जाए।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

## कानपुर से अलीगढ़ जीटी रोड 4/6 लेन चौड़ीकरण के अधिग्रहण में कानपुर, कन्नौज सेक्शन में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अमिताभ बाजपेई-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। कानपुर से अलीगढ़ जीटी रोड 4/6 लेन चौड़ीकरण का कार्य चल

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। परन्तु उक्त परियोजना की अधिग्रहण प्रक्रिया में मनमानी व अन्याय किया जा रहा है। यहां तक कि विधान सभा सदन में भी असत्य उत्तर दिये जा रहे हैं। कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1-अधिग्रहण प्रक्रिया में गजट प्रकाशित होने के बाद आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक आपत्ति का गुणात्मक निस्तारण होना चाहिये था।

2-अधिग्रहण करने में 112 गांवों में 2 व्यवसायिक अभिनिर्णय किये गये व 228 आवासीय अभिनिर्णय किये गये यह जाँच का विषय है व अभिनिर्णय करने से पूर्व दस्तावेज दुरुस्तीकरण नहीं किये गये। यहां तक कि भू-उपयोग की जाँच करने हेतु गठित कमेटी जिसमें अभिनिर्णय, बहलोलपुर, भवानीपुर ग्रामों की जाँच करी उसका भी उपयोग अभिनिर्णय में नहीं किया गया। (पत्रांक-185/एस0टी0-विविध/2019 एडीएम भू-अध्याप्ति कानपुर)-

3-नोटिस 228 आवासीय व 2 व्यवसायिक अभिनिर्णय भू-स्वामियों को नहीं दिया पर केवल (1) गाटा संख्या-133 ग्राम बहलोलपुर को दिया गया बताया जो कि असत्य व भ्रामक है। बिना नोटिस जमीनों के कब्जे लिये गये।

4-31 जुलाई तक सरकार द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान करने का उत्तर सदन में दिया गया जो पूरा नहीं किया गया। (प्रथम मंगलवार, प्रथम सत्र-2022 तारांकित प्रश्न संख्या-19)।

5-विधान सभा के प्रथम सत्र-2022 के प्रथम मंगलवार के आतारांकित प्रशन सं0-87 व द्वितीय मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर विरोधाभाषी व भ्रामक हैं।

6-परिसम्पत्तियों के अभिनिर्णीत धनराशि व अन्य अभिनिर्णय में अवैधानिक कटौती करी गयी है।

7-नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया में सरकारी नियमों की पूरी अनदेखी करी गयी है। नोटिस न लिये जाने पर वैकल्पिक तरीके नहीं अपनाये गये।

8-यदि NHAI आर्बीट्रेश अथवा सेक्शन-34 की अपील की जाती है तो उसको ''आटोमेटिक स्टे'' मान लेते हैं जो अवैधानिक है व इस कारण पड़ने वाले ब्याज के व्यय भार का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया जाता है। अपील में जाने से पहले अभिनिर्णय अथवा मध्यस्थता अभिनिर्णय के आदेश लागू नहीं किये जाते।

9-शासन द्वारा अनियमितताओं पर कमेटी द्वारा करायी गयी जाँच आख्या संख्या-906/एक-11-2021/शासन के पत्र संख्या-1/112633 फाइल न0:1-13099/455/2021 में दोषी पाये गये अधिकारियों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः आपके माध्यम से गलत अभिनिर्णय करने वाले, बिना नोटिस, बिना भुगतान कब्जा लेने वाले, नोटिस प्रक्रिया का विधिक पालन न करने वाले व सरकार की मन्शा के विरुद्ध भुगतान शत-प्रतिशत न करने वाले अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करने व लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

## जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के सीताद्वार को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राम फेरन पाण्डेय-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 290-श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विकास खण्ड इकौना के सीताद्वार को पर्यटन स्थल घोषित किया जाये, जिससे सीताद्वार का अस्तित्व त्रेत्रा युग से है। माननीय सदन से अनुरोध है कि सीताद्वार को पर्यटन स्थल घोषित कर जीर्णोद्धार करने की कृपा करें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मीरा भवन सेनानी मार्ग से शिवाला मन्दिर तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान का आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ के जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत चौड़ीकरण-ओ0डी0आर0 निर्माण मीरा भवन सेनानी मार्ग से लेकर शिवाला मन्दिर तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तक अन्य जिला मार्ग पर आम-जनमानस का चलना दूभर हो गया है, वर्षा के समय सड़क पर कीचड़ हो जाता है जिससे आस-पास की हजारों आम जनमानस को आने-जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सड़क बन जाने से यह बाईपास के रूप में कार्य करेगा, उक्त सड़क को जनहित में बनवाया जाना महत्वपूर्ण है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

## भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री पीयूष रंजन निषाद-**

[महोदय, मैं इस सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय पर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय की उपजातियां-मल्लाह, केवट, निषाद, बाथम, तियर/तियार, चाई, खैराहा, राजभर, प्रजापति, बिन्द, धीवर/धीमर, कहार/कश्यप, माझी/गोडिया (पुकारू नाम) सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय की

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपजातियों (गोड़, खरवार, मझवार एवं तुरेहा को राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु शेष उपजातियां वंचित रह गई हैं, जबकि इनका आपस में एक-दूसरे से वैवाहिक सम्बन्ध, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि एक जैसी ही हैं।

इसी सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का संविधान एक है और हिन्दुस्तान के संविधान में आरक्षण का जो मानक दिया गया है, वह यह है कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो विपन्न हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से विपन्न देश की वे जातियां हैं। आज पूरे हिन्दुस्तान में दलित समाज की भी कोई बस्ती शायद ऐसी नहीं होगी, जिनमें कोई पक्का मकान न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसने वाली इन मछुआरों की एक नहीं, हजारों ऐसी बस्तियां हैं, जहाँ पर एक भी पक्का मकान आज भी आजादी के 60 साल के बाद भी नहीं है। आर्थिक रूप से विपन्न होने का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। शैक्षणिक रूप से करोड़ों की संख्या में बसने वाली इन जातियों के लोगों का आज भी पूरे प्रदेश में एक भी आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 अधिकारी नहीं है और सरकारी नौकरियों में 0.01 परसेंट इनकी संख्या है। शैक्षणिक रूप से विपन्न होने की इससे ज्यादा कोई बानगी नहीं हो सकती है और सामाजिक रूप से यह वह समाज है, जिसके बारे में आज नहीं, हजारों साल पहले गोस्वामी जी ने अपने मानस में लिखा है कि लोक वेद सब भातहिं, नीचा, जासू छांई छुई लेऊ सींचा।

इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मझवार जाति/मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर धाम में पक्का घाट तथा विद्युत शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री गुरु प्रसाद मौर्य-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर धाम में घाट पक्का नहीं है जिसके कारण दर्शनार्थियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जनता की समस्याओं का निस्तारण करने हेतु पक्के घाटों का निर्माण कराना एवं दूर-दूर से आने वाले अन्तिम संस्कार हेतु शवों के लिए विद्युत शवदाह गृह का निर्माण का कार्य कराया जाना जनहित के लिए अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर ध्यान आकर्षित कराते हुए जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में पक्का घाट एवं विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत पुलिस लाइन से धीरखेड़ा नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री विजयपाल (आढ़ती)-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-59, हापुड़ सदर के अन्तर्गत हापुड़ शहर में मेरठ रोड पर स्थित पुलिस लाइन से धीरखेड़ा तक पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिकरी राजा से जालौन-कोंच रोड तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-**

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-321, उरई जनपद जालौन के अन्तर्गत जालौन विकास खण्ड के ग्राम सिकरी राजा से जालौन-कोंच रोड तक जाने वाला रास्ता काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद बस्ती में पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमे करके निर्दोष व्यक्तियों पर हो रही कार्रवाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री तुफानी सरोज-**

[महोदय, जनपद-बस्ती के पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमें लगाकर निर्दोष व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/जनजाति नृशंसत निवारण अधिनियम में फँसाया जा रहा है। शासन स्तर पर शिकायतें होने के उपरान्त शासन द्वारा समयबद्ध मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिसके कारण जनपद बस्ती की जनता में पुलिस की अवैधानिक कार्यवाही को लेकर रोष एवं असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप जनपद बस्ती के थाना-वाल्टरगंज में आपसी रंजिशवश मु0अ0सं0-240/2019 धारा-302/34 भ0द0सं0 व धारा-3 (2) (5) अनुसूचित जाति/जनजाति नृशंसत्ता निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया एवं मु0सं0-241/2019 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया जिसकी विवेचना बस्ती पुलिस द्वारा निष्पक्ष ढंग से न करने के कारण पीड़ित पक्ष की शिकायत पर विवेचना बस्ती से जनपद-महराजगंज पुलिस को स्थानान्तरित की गयी, इसी बीच

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विवेचक द्वारा बिना पूरे साक्ष्य आये और गहनता से विवेचना किए बगैर विवेचना स्थानान्तरित होने की जानकारी के बाद भी चार्जशीट तैयार कर दी गयी, जो कि विधिसंगत नहीं है। विवेचना स्थानान्तरित होने के उपरान्त क्षेत्राधिकारी, नौतनवा, जनपद-महराजगंज द्वारा विवेचना में व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होना नहीं पाए गए। मु0अ0सं0-241/2019 साक्ष्यों में फर्जी साबित होने के कारण बस्ती की पुलिस व पुलिस अधिकारी फंसने लगे, इसलिए पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने अपने प्रभाव के बल पर तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर से दोनों मुकदमों की विवेचना दिनांक 10-04-2020 को महराजगंज जनपद से सिद्धार्थनगर और बाद में पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती के अधीन स्थानान्तरित करा लिया बार-बार विवेचना स्थानान्तरित करने की शिकायत पीड़ित पक्ष की ओर से शासन से की गयी जिस पर विवेचना स्थानान्तरित किए जाने का आदेश निरस्त कर पुनः क्षेत्राधिकारी, नौतनवां को दे दी गयी, किन्तु पुलिस के उच्चाधिकारियों के दबाव में विवेचक रिपोर्ट मा0 न्यायालय नहीं भेज रहे हैं। सम्पूर्ण प्रकरण की बिन्दुवार शिकायत श्री कृष्ण कुमार व अन्य द्वारा दिनांक 02-05-2022 को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से की गयी, जिस पर शासन द्वारा तीन कार्य दिवस के अन्दर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर, पुलिस अधीक्षक, बस्ती से आख्या मांगी गयी, किन्तु एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आख्या शासन को प्रेषित नहीं की जा रही है। पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा दोषी पुलिस अधिकारियों को बचाया जा रहा है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय का सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सरकार से वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

## जनपद-उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री बम्बा लाल-**

[महोदय, कृपया आपको सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत सफीपुर के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर नाला/नाली न होने के अभाव में जगह-जगह गन्दा पानी भरा रहता है, जिसके कारण जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महोदय जनहित में नगर पंचायत सफीपुर के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

1-उन्नाव-हरदोई मेन रोड से रेलवे स्टेशन तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मोटेश्वर मन्दिर से बांये तालाब तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

3-उन्नाव-हरदोई मेन रोड से मौलाना दादर तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

4-पी0डब्लू0डी0 गेस्ट हाऊस रोड पर जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

5-डा0 तत्ते चौराहे से श्री मनीश राठौर के घर तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

6-उन्नाव-हरदोई मेन रोड से भगवती चरण वर्मा पार्क तक जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

7-मंगल बाजार मे जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर पंचायत सफीपुर के अन्तर्गत लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उपरोक्त इंगित स्थानों पर जल निकासी हेतु नाला/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

## जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम-भाज्जू में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री प्रसन्न कुमार-**

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र-10, सदर, जनपद शामली के अन्तर्गत ग्राम-भाज्जू लगभग 15000 आबादी का ग्राम है, जो कि शहर से लगभग 13 से 14 कि0मी0 दूरी में स्थित है। उक्त ग्राम बरात घर से वंचित है, जिसके कारण ग्रामवासियों के बच्चों की शादी एवं अन्य कार्यक्रमों को करने में बहुत ही परेशानी होती है। ग्रामवासियों द्वारा उक्त समस्या का निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण में कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में चकबन्दी प्रक्रिया न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री चेतराम-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर अन्तर्गत ग्राम हंसपुर में विगत 30 वर्षों से अधिक अवधि से चकबन्दी प्रक्रियायें वांछित हैं। क्योंकि कुछ भू-माफिया मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश ले आते हैं। जिस कारण स्थानीय किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न द्वारा सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त दायर रिट निरस्त कराना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक की अवरुद्ध भर्ती प्रक्रिया-2021 को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डॉ0 पल्लवी पटेल-**

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध (लम्बित) है, जिसका भर्ती विज्ञापन 25 फरवरी, 2021 को शासनादेश संख्याः 141/अड़सठ-3-2021 द्वारा निर्गत हुआ था जिसमें सहायक अध्यापक पद के सापेक्ष कुल 42,066 तथा प्रधानाध्यापक पद के सापेक्ष कुल 1,544 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नीरसता एवं लापरवाही के कारण आज 2 वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने सम्बन्धित कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आग्रह करती हूँ कि आप हमारे अनुरोध पर शीघ्रतम् इन भर्तियों को पूर्ण कराकर अभ्यर्थियों एवं छात्रों को लाभान्वित करने की कृपा करें।]

**स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों एवं उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति में वर्ष 2011 से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बकाया एन0पी0एस0 के मद में की गयी कटौती में से नियोक्ता (इम्प्लायर) के अंश की धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री बृजेश कुमार-**

[महोदय, निवेदन है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों एवं उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति में वर्ष

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2011 से कार्यरत लगभग 5000 कर्मचारियों व अधिकारियों से एन0पी0एस0 के रूप में कटौतियाँ की जा रही हैं। उक्त विभाग से लगभग 400 से ज्यादा कर्मचारियों के अपरिहार्य कारणोंवश, किसी अन्य संस्थान में नियुक्त हो जाने अथवा कुछ कर्मचारियों की अकस्मात् मृत्यु हो जाने से कार्य करना छोड़ दिया है, परन्तु विभाग द्वारा उन कर्मचारियों को अभी तक एन0पी0एस0 के मद में की गई कटौती में से नियोक्ता (इम्प्लायर) के अंश की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा बकाया धन को उपलब्ध कराये जाने हेतु लगातार मांग की जा रही है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सेवानिवृत्त, मृतक कर्मचारीगण व त्याग-पत्र दे चुके कर्मचारियों को बकाया नियोक्ता (इम्प्लायर) के मद में जमा अंश की धनराशि का भुगतान करने की कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूँ।]

## जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री फतेह बहादुर सिंह-**

[महोदय, जनपद-गोरखपुर के तहसील मुख्यालय-कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग के पास 27 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो खाली पड़ी हुई है। यह जमीन किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु अत्यन्त उपयोगी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। इसलिये इस क्षेत्र के समुचित विकास हेतु गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई को स्थापित कराकर उपयोग में लायी जा सकती है, जो जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनहित में उक्त गन्ना विभाग की 27 एकड़ जमीन पर औद्योगिक इकाई को स्थापित किये जाने की मांग करता हूँ।]

## जनपद मेरठ के विकास खण्ड जॉनी की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर धूमि से बरामपुर जोड़ने वाली सड़क पर एस0ए0 नहर के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री गुलाम मौहम्मद-**

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मेरठ के वि0ख0-जॉनी की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर धूमि से बहरामपुर को जोड़ने वाली सड़क पर एस0ए0 नहर के पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस पुल का निर्माण न होने के कारण 5-6 गांवों के लोगों को

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी दूरी तय करके आना-जाना पड़ता है। जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज में सर्जिकल से सम्बन्धित सामग्रियों के भण्डारण/ वितरण का चार्ज प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री संदीप सिंह-**

[महोदय, मैं एक लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि **तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज में सर्जिकल से सम्बन्धित सामग्रियों** के भण्डारण/वितरण का चार्ज आज तक किसी भी सम्बन्धित फार्मासिस्ट से नहीं कराया जा रहा है और आज तक बाबू से कराया जा रहा है एवं सर्जिकल का भी चार्ज किसी को नहीं दिया गया है, जबकि यह कार्य सिर्फ फार्मासिस्ट का होता है।

मैं सदन के माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए **तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज में सर्जिकल से सम्बन्धित सामग्रियों** के भण्डारण/वितरण से सम्बन्धित का चार्ज शासनादेशों का अनुपालन करते हुए दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सी0एच0सी0 में डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री बेचई सरोज-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नवनिर्मित क्रियाशील, 100 शैय्या का संयुक्त चिकित्सालय, लालगंज, आजमगढ़ का डी0डी0ओ0 कोड (आहरण वितरण संख्या) शासन द्वारा आवंटित नहीं किया है, जिस कारण जनहित में चिकित्सालय के सम्पूर्ण विभागों को पूर्ण रूप से क्रियाशील करके जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में असुविधा हो रही है तथा साफ-सफाई व उच्च श्रेणी के पैथोलाजी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को बाहर से जाँच करानी पड़ रही है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वहाँ के चिकित्सक सहित समस्त स्टाफ समय से आने वाले मरीजों का उपचार कर सकें तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज के समस्त डाक्टर जो कि 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय में चले गये हैं, जिस कारण सी0एच0सी0, लालगंज जो कि बन्द होने के

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कगार पर है, जिस कारण सी0एच0सी0, लालगंज में आने वाले मरीजों को असुविधा हो रही है। जनता की मांग है कि सी0एच0सी0, लालगंज में समस्त डाक्टरों व स्टाफ की व्यवस्था उपलब्ध रहे तथा सी0एच0सी0 को बन्द न किया जाय।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात में ग्राम कटाई, ब्लाक हसनपुर के अन्तर्गत कतिपय नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री समरपाल सिंह-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-नौगावां सादात में ग्राम-कटाई, ब्लाक-हसनपुर, जनपद अमरोहा के अन्दर समस्त नालियां, गली रास्ते कच्चे हैं। गन्दगी से नालियां बजबजा रही हैं। लोगों का निकलना एवं आना-जाना दूभर हो गया है। ग्रामवासियों को कच्चे रास्ते होने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल आते-जाते समय कीचड़ एवं गन्दगी में गिर जाते हैं, जिससे उनकी ड्रेस कीचड़ में सन जाती है। यह प्रकरण तात्कालिक एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**प्रदेश के समुचित विकास हेतु पश्चिमांचल विकास निधि जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री महबूब अली-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि प्रदेश के समुचित विकास हेतु क्षेत्रवार कई निधियां सरकार द्वारा दी जा रही हैं, जैसे पूर्वांचल विकास निधि तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि आदि, चूंकि पश्चिमांचल विकास हेतु कोई निधि न होने के कारण पश्चिम का विकास नहीं हो पा रहा है। पश्चिम के कई जिले आज भी विकास की श्रेणी में अन्य क्षेत्रों से बहुत पिछड़े हैं। सरकार द्वारा पश्चिमांचल विकास निधि भी जारी की जाय, ताकि पश्चिमी जिलों का भी समुचित विकास हो सके। यह प्रकरण तात्कालिक एवं लोक महत्व का है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कारवाई की माँग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का ई0एस0आई0 अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री लक्ष्मी राज सिंह-**

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में औद्योगिक आस्थान स्थित है। सिकन्दराबाद क्षेत्र में लगभग 800 फैक्टरी हैं और जनपद की केवल इस विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत/अपंजीकृत श्रमिकों की संख्या लगभग 50000/- से अधिक तथा जनपद-बुलन्दशहर में लगभग 155000/- श्रमिक हैं, परन्तु श्रमिकों को गुणवत्तापरक् तात्कालिक चिकित्सीय उपचार हेतु सिकन्दराबाद में श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष कोई ई0एस0आई0 अस्पताल नहीं है। जनहित में जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में 100 बेड के ई0एस0आई0 अस्पताल की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र मारहरा के एटा-अलीगंज रोड से किशनपुर, बाबरपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-105, मारहरा, जनपद-एटा में एटा-अलीगंज रोड से किशनपुर-बाबरपुर सम्पर्क मार्ग टूटा-फूटा व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यह सम्पर्क मार्ग कई गाँव को जोड़ता है, जिसकी लम्बाई लगभग 8 किलोमीटर है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ, खुरहण्ड, गिरवां तथा पिण्डखर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री प्रकाश द्विवेदी-**

[महोदय, जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ, खुरहण्ड, गिरवां तथा पिण्डखर में एक भी राजकीय इण्टर कालेज न होने के कारण गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जनहित में उक्त विकास खण्डों में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से इसकी मांग की जा रही है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बांदा के विकास खण्ड महुआ, खुरहण्ड, गिरवां तथा पिण्डखर में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगाँव के अन्तर्गत कौड़ीराम में ट्रान्सफार्मर का गोडाउन स्टोरेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डॉ0 विमलेश पासवान-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगाँव जो गोरखपुर के दक्षिणांचल व बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहां पर विशेष तौर से कौड़ीराम में ट्रान्सफार्मर का गोडाउन स्टोरेज हेतु बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि इन क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर जल जाने पर एक सप्ताह से दो सप्ताह तक का समय 50 कि0मी0 दूर से जाने में लग जाता है। जिससे क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए जनहित में कौड़ीराम में ट्रान्सफार्मर का गोडाउन स्टोरेज बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए कौड़ीराम में ट्रान्सफार्मर का गोडाउन स्टोरेज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद हाथरस के अन्तर्गत तहसील सिकन्दरा राऊ में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस में बस स्टेशन न होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह दिल्ली-कानपुर मार्ग पर जनपद अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस आदि शहरों को जोड़ता है। बस स्टेशन न होने के कारण यात्रियों की भीड़ सड़क के किनारे खड़ी रहती है, जिसके कारण कई बार दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं। जनहित में सिकन्दरा राऊ में बस स्टेशन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस में बस स्टेशन बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

[महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़ अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टिकोण से लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। यह क्षेत्र नदी-नालों से भरा हुआ है, क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिये तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से जनहित में **मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत 'मंगापुर**

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**उदयपुर' के नाम से एक नया विकास खण्ड स्वीकृत किया गया है, जिसका शासनादेश और सरकारी ''गजट'' भी दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को जारी हो गया है, किन्तु अभी तक इसको क्रियाशील नहीं किया गया है।** उक्त विकास खण्ड से जहाँ क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। नवसृजित **'मंगापुर उदयपुर'** जनहित में अतिशीघ्र क्रियाशील किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

## जनपद रायबरेली में स्थित मेसर्स मनी फ्लोर मिल प्रा0लि0 को हो रहे नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

[महोदय, अवगत कराना है कि प्रदेश में बन रहे नेशनल हाई-वे के चौड़ीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया है। ज्ञात हो कि लखनऊ-रायबरेली मार्ग स्थित भूमि का अधिग्रहण 2014-15 में किया गया है। जिसमें आपसी समझौता व भूमि के प्रकार को देखकर मुआवजा तय किया गया था। उपरोक्त में ग्राम कठवारा में 2005 में स्थित औद्योगिक भूमि जो 2005 से ही 143 के अन्तर्गत व्यवसायिक में परिवर्तित हो चुकी है तथा उस पर मेसर्स मनी फ्लोर मिल प्रा0 लि0 2007 से स्थापित है एवं विद्युत विभाग द्वारा उक्त क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे दी जा रही है। उक्त फ्लोर मिल की जो भूमि जिस पर धर्मकांटा, सुरक्षा कक्ष, बाउण्ड्री, स्टाफ क्वार्टर्स आदि का निर्माण किया गया, जिसकी लगभग निर्माण व मशीनरी की कीमत 50 लाख से अधिक है, को अधिग्रहण किया गया है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त अधिग्रहण भूमि का मुआवजा व्यवसायिक दरों से न करके तथा हुये निर्माण व लगी हुयी मशीनरी के नुकसान को न देखकर मात्र कृषि भूमि दर पर बनाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। इसलिए इसकी जाँच कराकर व्यवसायिक दर से मुआवजा व निर्माण व लगी मशीनरी के हो रहे नुकसान का भी आंकलन कराकर मुआवजा दिलाया जाए।

अतः मैं लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये व्यक्तव्य की मांग करता हूँ।]

## आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी के उत्पीड़न का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री वीरेन्द्र चौधरी-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राज्य मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश का पत्र केस नं0-25783(32)/2015-2016/D-11, दिनांक 17-06-2016 विषयक श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी से सम्बन्धित पत्र मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। उक्त पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त को आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी के उत्पीड़न के सम्बन्ध में जाँच करके कार्यवाही करने के आदेश दिया था।

इसके बावजूद आज तक उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त, सचिव व रजिस्ट्रार एवं विधि अधिकारी ने उक्त पत्र का निराकरण नहीं किया है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य सूचना आयुक्त, सचिव व रजिस्ट्रार एवं विधि अधिकारी व सूचना आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण उक्त पत्र पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, जिस कारण से आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं व जन-मानस में शासन, प्रशासन व सूचना आयोग के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः जनहित में राज्य मानव अधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश का पत्र केस नं0-25783(32)/2015-2016/D-11, दिनांक 17-06-2016 के आदेश अनुसार आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी के उत्पीड़न की समस्याओं का निराकरण/समाधान की कार्यवाही जल्द से जल्द कराये जाने की कृपा करें।]

## आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री रविदास मेहरोत्रा-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या-रा0प0-132/43-2-2017, दिनांक 22 मार्च 2017 की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जो राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0 से प्राप्त शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही के विषय में था, उक्त पत्रों के माध्यम से कार्यवाही हेतु राज्यपाल सचिवालय ने 10 पत्र लिखे हैं इसके बाद भी विभाग ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है जिस कारण से आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं व जनमानस में शासन, प्रशासन व सूचना आयोग के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं/जनहित में प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या-रा0प0 132/43-2-2017, दिनांक 22 मार्च 2017 के तहत कार्यवाही जल्द से जल्द कराये जाने की कृपा करें।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री विनोद चतुर्वेदी-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना अन्यथा केन्द्र सरकार रु0 10500 मानदेय दिये जाने मांग कई वर्षों से चली आ रही है। यही ग्राम प्रहरी/चौकीदार से 24 घंटे 30 दिन गाँव की निगरानी रखवाली करते हुए आपराधिक गतिविधि की सूचना थानों पर देते हैं, के एवज में वेतन के नाम पर रु0 2500/- मानदेय दिया जाता है जो आज की भीषण महंगाई में परिवार का भरण-पोषण एवं जीवन-यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रहरियों की निम्नलिखित मांग है :-

1-अगस्त, 2021 के 47.88 करोड़ का बजट लागू कर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों को नियमित कर वेतन वृद्धि करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाय।

2-ग्राम प्रहरी का अधिकारी जन्म मृत्यु का पंजीयन, अपराध पुस्तिका एवं पुलिस के अनरूप वर्दी दी जाय।

3-पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही थाना के सभी ग्राम प्रहरी को एक साथ हाजिरी पर बुलाया जाय तथा थाने में रुकने की समय-सीमा निर्धारित की जाए।

4-ग्राम प्रहरियों के लिए राज विधि आयोग द्वारा तैयार मसौदे को पूर्व प्रकाशित कर लागू किया जाय।

5-मृतक आश्रितों को मृतक रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाय।

6-ग्राम प्रहरी चौकीदारों को उनके कर्तव्य से परिचित कराने का प्रशिक्षण दिया जाय। यह प्रकरण तात्कालिक एवं लोक महत्व तथा जनहित का है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

## जनपद मथुरा में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे के वृन्दावन कट पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने तथा कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री पूरन प्रकाश-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे वृन्दावन कट पर उतरने के बाद सड़क के दोनों साइडों में चाहे वो वृन्दावन जाने के लिए हो या राया की ओर जाने वाला मार्ग हो, पर अवैध रूप से भारी तादात में बिना किसी नक्शा/अथारिटी/

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एक्सप्रेस-वे अथारिटी/स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना भारी संख्या में होटलों का निर्माण ढाबों-रेस्टोरेन्टों का निर्माण बेइंतहा तादाद में किया जा रहा है जिसके कारण बाहर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को, आम नागरिकों को भारी असुविधा व कठिनाई हो रही है तथा आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। उपर्युक्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट में कोई किसी भी प्रकार की मानकता का पालन नहीं किया गया है। भविष्य में कभी भी कोई भी गंभीर दुर्घटना, हादसा हो सकता है। ग्राम सभाओं की जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा किये जा रहे हैं। जनहित में इसकी उच्च स्तरीय जाँच तथा अवैध बहुमंजिलीय इमारतों को मानकता के अन्दर रखते हुए कराया जाये तथा अवैध को हटाया जाये तथा ग्राम सभा की भूमि को खाली कराया जाये।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थाना मवई व पटरंगा को नवीन भवन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राम चन्द्र यादव-**

[महोदय, जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थाना कोतवाली रुदौली, थाना मवई व पटरंगा की स्थापना के समय निर्मित भवन में संचालित हो रहे हैं जो लगभग 60 वर्ष पुराने हैं। वर्तमान समय में उपरोक्त थानों के भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं जहाँ पर न तो स्टेशन अफसर के रहने का आवास है और न ही पुलिस कर्मियों के लिये समुचित आवास है। वर्तमान समय में थाना दिवस के समय फरियादियों के भी बैठने का समुचित इंतजाम नहीं है जिसके कारण अफसरों को तथा कर्मचारियों को भी अपने दायित्वों के निर्वहन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यह सभी थाने अयोध्या की प्रवेश सीमा से सटे हैं। यह क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र भी है। जनहित में इन तीनों थानों को नवीन भवन की अति आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये रुदौली विधान सभा क्षेत्र के सभी पुराने थानों के नये भवन का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र पंचायत दियोरियाकला के नाम से नवीन क्षेत्र पंचायत का गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री विवेक कुमार वर्मा-**

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत विलसण्डा, क्षेत्र पंचायत बीसलपुर एवं क्षेत्र पंचायत बरखेड़ा कलां का सामूहिक एक ऐसा परिक्षेत्र है जिससे सम्बन्धित

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर आवागमन में भारी असुविधाएं है। यह अलग-थलग वाला परिक्षेत्र दियोरियाकला के नाम से जाना जाता है। विकास, सुविधा एवं सरलता की दृष्टि से उक्त उल्लिखित दियोरियाकला परिक्षेत्र को उक्त तीनों क्षेत्र पंचायतों का परिसीमन करके एक नयी क्षेत्र पंचायत दियोरियाकला के नाम से ही गठित करने की नितान्त अपरिहार्यता है। दियोरियाकलां स्थल पर कोतवाली, सहकारी समितियां, वन विभाग का रेंज कार्यालय, शिक्षण संस्थान एवं कृषि उत्पादन की मण्डी भी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव भी गाँव पंचायत द्वारा प्रस्तावित भूमि सं0 137 क्षेत्रफल 3.068 हे0, दिनांक 20 जून, 2015 लेखपाल व कानूनगो की आख्या दिनांक 20 जून, 2015 सहित तहसीलदार व उप जिलाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 13 जुलाई, 2015 साथ ही साथ जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को प्रेषित की जा चुकी है जो कि लम्बित है। उक्त क्रम में प्रस्तावित क्षेत्र पंचायत दियोरियाकला के नाम से नवीन क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर व्यक्तव्य दिलवाये जाने की कृपा की जाये तथा सदन में चर्चा भी करायी जाये।]

## जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री रमेश चन्द्र मिश्र-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बदलापुर में दुगौली खुर्द मरगुपुर के मध्य पीली नदी पर पुल/बाक्स कलवर्ट, विकास खण्ड बक्सा में रारीकला-अगरौरा के मध्य लघु सेतु पान्टून पुल, विकास खण्ड बदलापुर बहुर-कवेली के मध्य पीली नदी पर बॉक्स कलवर्ट एवं लघु सेतु, विकास खण्ड महराजगंज के मनिकापुर में निषाद बस्ती में बगहवा के नारपार बाक्स कलवर्ट, विकास खण्ड बक्सा के ग्राम नरायनपुर व खैरपरा चौहान बस्ती में मध्य लखिया नाला पर बॉक्स कलवर्ट व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त स्थल पर पुल न होने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल का निर्माण होने से कई ग्राम सभाओं के ग्रामीण लाभान्वित होंगे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद गाजियाबाद में नियुक्त सिंचाई विभाग के अधिकारी की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री दुर्गा प्रसाद यादव-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार दिव्यांगजनों को लाभ पहुँचाने एवं दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए अनेकों योजनायें चला रही है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो दिव्यांग बनकर दिव्यांग कोटे का लाभ उठाकर वास्तविक रूप से दिव्यांग लोगों के हितों का हनन कर रहे हैं। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हित को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। विकलांग कोटे में एक बार लाभ प्राप्त करने के उपरान्त ग्रुप-ए, ग्रुप-बी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने (ग्रुप-सी, ग्रुप-डी के अतिरिक्त) का कोई भी प्राविधान नहीं है। मान्यवर, उदाहरण के तौर पर श्री हरिओम जो वर्तमान मे सहायक अभियंता, लघु सिंचाई के पद पर जनपद गाजियाबाद में तैनात हैं। इस सहायक अभियंता के पास अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई गाजियाबाद एवं अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई शामली का अतिरिक्त चार्ज भी है। हरिओम ने विकलांग कोटे में एक बार जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी प्राप्त किया परन्तु पुनः दुबारा विकलांग कोटे में आरक्षण प्राप्त कर जालसाजी करके सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति पा लिया जबकि विकलांग कोटे में एक ही बार लाभ पाने की व्यवस्था है। इनके द्वारा समय-समय पर विकलांगता प्रतिशत बढ़ाकर दो तरह के विकलांग प्रमाण-पत्र लगाये गये हैं। इनके द्वारा अनेकों योजनाओं में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारियों से मिलीभगत करके इन्होने अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खण्ड गाजियाबाद एवं अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई शामली का अतिरिक्त चार्ज ले रखा है। इनकी जहां-जहाँ नियुक्ति हुई इन्होने बड़े स्तर पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर लूट खसोट कर अकूत सम्पत्ति अर्जित की है। इनके द्वारा किये गये समस्त कृत्यों की जाँच कराकर इन्हे इनके मूल पद पर तैनात करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना न्याय संगत होगा। श्री हरिओम द्वारा किये गये समस्त कार्यो की जाँच कराये जाने तथा अतिरिक्त चार्ज तत्काल हटवाकर इनके द्वारा किये गये कृत्यों की जाँच कर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इन्होने विकलांग कोटे में घपला किया है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर कार्यवाही किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद चन्दौली में पपौरा-अमिलाई सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-**

[महोदय, आपका ध्यान जनपद चन्दौली में स्थित पपौरा-अमिलाई सम्पर्क मार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड चन्दौली के अन्तर्गत आता है वर्तमान समय में पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुका है। कई वर्षों पूर्व इस सड़क के मरम्मत का कार्य किया गया था वर्तमान समय में गड्ढायुक्त होने के कारण आम जनमानस का आवागमन पूरी तरह से बाधित है जबकि उक्त मार्ग जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय व चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग (फोर लेन) को भी जोड़ता है। किसान हित में आम जनता के हित में पपौरा-अमिलाई सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से मांग कराता हूँ कि किसान हित व जनहित को ध्यान में रखते हुए पपौरा-अमिलाई सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार द्वारा विभाग को निर्देशित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

## जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छितौना मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री जियाउद्दीन रिजवी-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया अन्तर्गत सिकन्दरपुर, छितौना मार्ग वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पी0एम0जी0एस0वाई0 से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बलिया ने बनाया था। परन्तु यह 10.00 कि0मी0 सड़क एक वर्ष में ही बुरी तरह टूट गई है। सिकन्दरपुर थाने के गेट से ग्राम देवकली तक इतने गड्ढे हो गये हैं कि इस सड़क पर आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बलिया के अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को यह सड़क ट्रान्सफर करने का पत्र लिखा गया है वह पत्र फर्जी निकला एवं लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को अपने विभाग में हस्तानान्तरित नहीं किया। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जब तक इस सड़क की मरम्मत कराकर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग नहीं देगा तब तक हम इस सड़क को नहीं लेंगे। दो विभागों के झगड़े में जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क को ग्राम्य विकास विभाग से मरम्मत कराकर लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित किये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## प्रदेश के नागरिकों के परिवार रजिस्टर/कुटुम्ब की नकल को अधिकांश सरकारी योजनाओं में लाभ देने हेतु आवश्यक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री नफीस अहमद-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश के नागरिकों के परिवार रजिस्टर/कुटुम्ब की नकल की आवश्यकता अधिकांश सरकारी योजनाओं के लाभ लेने हेतु आवश्यक किया गया है। जबकि अधिकतर मामले में आम जनमानस के नाम इन रजिस्टरों में शुद्ध रूप से नहीं लिखे गये हैं। जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसा कि सरकार डिजिटल इण्डिया को बहुत बढ़ावा दे रही है। परन्तु इसके आनलाइन न होने से आम जनमानस को शारीरिक एवं मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ही परेशानी हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्रवाई हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

## जनपद बाराबंकी के रामनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पाण्डेयपुर में गुण्डागर्दी कर गिराये गये शौचालयों का पुनः निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री फरीद महफूज किदवई-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-267, रामनगर के ब्लाक सूरतगंज के ग्राम पाण्डेयपुर मजरे बतनेरा में लगभग 3 वर्ष पहले कुछ लोगों ने शोरपुस्ती व गुण्डागर्दी कर ब्लाक द्वारा बनवाये गये सात शौचालयों को गिरा दिया जिसकी एफ0आई0आर0 हुई तथा गिराने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया गया। तब से यह शौचालय गिरे पड़े है तथा जिस उद्देश्य से शौचालय बनाये गये थे, वह पूरी तरह से उपयोग में नहीं हो पा रहा है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जो शौचालय गिराये गये थे, उन्हें पुनः बनाया जाय ताकि शौचालय का उद्देश्य पूरा हो सके, जिनके शौचालय गिराये गये थे उनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1-शेर अली पुत्र जूबाब अली,

2-नूर हसन पुत्र शेर अली,

3-किताब अली पुत्र जूबाब अली,

4-फखरुउद्दीन पुत्र किताब अली,

5-लाल मोहम्मद पुत्र किताब अली,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6-यासिन पुत्र किताब अली,

7-रिजवान पुत्र शेर अली।]

**जनपद बांदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पशु आश्रय स्थलों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री विशम्भर सिंह यादव-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बबेरू जनपद बांदा के अन्तर्गत सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में छुट्टा पशुओं और सांडो की भारी संख्या में सड़कों को आश्रय स्थल बना दिया। आये दिन दुर्घटनाओं में लोगों तथा पशुओं की मौतें हो रही है। तत्काल पशुओं को आश्रय स्थलों में भेजने व सरकारी स्थलों में भारी पैमाने पर हो रही धन का दुरुपयोग को रोकने तथा सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करने में विफल हो रही है और अन्ना पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। जिससे किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है। ऐसे स्थिति में किसान आत्महत्यायें करने के लिए मजबूर हो रहा है। सड़क पर यात्रा करने वाले लोग गाड़ी में डण्डा लेकर चलते हैं उससे पशुओं को हटाते है उसके बाद फिर आगे की यात्रा करते हैं। जितनी दूरी को तय करने में एक घण्टे लगता है उसी दूरी को तय करने में लगभग तीन घण्टे लग जाते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अन्ना पशु आश्रय स्थलों का उद्घाटन किया गया था, वह आज के समय में वीरान पड़े हुए हैं वहाँ पर एक भी पशु नहीं है और सरकारी धनों की लूट की जा रही है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद भदोही के बुनकरों को वाराणसी के बुनकरों के समतुल्य बिजली का रेट फिक्स किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री जाहीद-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वाराणसी में पावर लूम में बुनकरों की बिजली का रेट फिक्स है।

हमारे जनपद भदोही कारपेट उद्योग का क्षेत्र है, जिसमें कई हजार बुनकर रोजी-रोटी से जुड़े हुए हैं। आज कालीन उद्योग मन्दी के दौर से गुजर रहा है, को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार वाराणसी में बुनकरों की बिजली का रेट फिक्स है उसी प्रकार भदोही में भी बुनकरों की बिजली का रेट फिक्स किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा महुद्दीनपुर उर्फ जंजीरपुर, ब्लाक सदर में कूड़ा प्रबन्धन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डॉ0 वीरेन्द्र यादव-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि ग्राम सभा महुद्दीनपुर उर्फ जंजीरपुर, ब्लाक सदर, गाजीपुर में गाजीपुर शहर का कुड़ा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में डाला जा रहा है और उसके बगल में विद्यालय स्थापित है। प्रतिदिन लड़कियां विद्यालय पढ़ने आती हैं और गाँव के लोगों को भी कूड़े से परेशानी होती है जब कूड़ा जलता है तो उससे जो प्रदूषित धुआं निकलता है उससे बीमारियां फैलती हैं।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद सिद्धार्थनगर के पंचायत विस्कोहर एवं इटवा में प्रधानमंत्री योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत विस्कोहर एवं इटवा में प्रधानमंत्री योजना में आवंटित मकान बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। अपात्रों को मकान दिये गये हैं और पात्रों को लगातार दौड़ाया जाता है और मकान भी नहीं दिया जाता है और जिन पात्रों को दिया भी जाता है उसमें सूडा जेई और पंचायत के दलालों द्वारा 30 से 50 हजार रुपये गरीब पात्रों से लिया गया है। वहाँ के लोगों में काफी रोष है।

अतएव मांग करता हूँ कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय तथा दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बल्दीराय की मुख्य सड़क जो इसौली से देवरा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री मो0 ताहिर खान-**

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर इसौली विधान सभा क्षेत्र-187 के ब्लाक कुड़वार की मुख्य सड़क जो अलीगंज सम्पर्क मार्ग नेशनल हाई-वे सुल्तानपुर लखनऊ को जोड़ती है पूर्व में मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर व 2022-23 में इस सड़क के सम्बन्ध में मजबूती से उठाया था, सड़क पगडण्डी बनी, मगर उसका 7 मीटर चौड़ीकरण किया जाय ताकि दुर्घटनाओं से आम जनमानस को बचाया जा सके।

यह लोक महत्व का विषय है गम्भीरता से मा0 अध्यक्ष जी इस पर सरकार को आदेशित करने का कष्ट करें।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद बहराइच के अन्तर्गत वजीरगंज से नन्दवल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री आनन्द कुमार यादव-**

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद बहराइच के अन्तर्गत वजीरगंज से नन्दवल सम्पर्क मार्ग के तरफ दिलाना चाहता हूँ कि उक्त सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व बनाया गया था, इसकी लम्बाई 3.500 किमी0 है यह मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिससे पूरी तरह से आवागमन बाधित है व क्षेत्रीय जनमानस को काफी कठिनाई एवं परेशानी हो रही है। उक्त मार्ग का जनहित में विशेष मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः महोदय जी के माध्यम से जनहित के प्रकरण पर सरकार से विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

## दलित की पट्टे वाली जमीन पर दबंगों द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जा रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री बृजेश कठेरिया-**

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम परिगवां पो0 भांवत तह0 भोगाँव निवासी सत्यम कठेरिया पुत्र श्री श्याम वरन के माता-पिता श्री श्याम वरन व श्रीमती सरला देवी को वर्ष 2006 में गाटा सं0-588 मि0 में एक बीघा भूमि कुर्रा भांवत मार्ग पर रोड के किनारे ग्राम सभा द्वारा पट्टा मिला था। तभी से उक्त जमीन पर ईंटों की नींव भरकर काबिज है। इसी जमीन के दक्षिण दिशा में रूपचन्द्र की गाटा सं0-623 में पांच बीघा व 588 में 2 बीघा जमीन थी व पश्चिम दिशा में बृजनाथ चौहान की एक बीघा जमीन है। रूपचन्द्र ने अपनी जमीन रामसखी आदि को सत्यम कठेरिया की जमीन व बृजनाथ की रोड के किनारे वाली जमीन की गलत तरीके से चौहद्दी लिखाकर बेच दिया। रामसखी आदि ने जबरन कब्जे की कोशिश की तो सत्यम कठेरिया व बृजनाथ ने रामसखी आदि के खिलाफ मा0 न्यायालय सिविल जज के यहां मुकदमा किया जिस पर मा0 न्यायालय सिविल जज ने स्टे कर दिया है, मुकदमा अभी लम्बित है। सत्यम कठेरिया एवं बृजनाथ की जमीन पर दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा जान-माल की धमकी देते हैं। यह गम्भीर प्रकरण है जिसकी जाँच कराकर न्याय संगत कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं दलित की पट्टे की जमीन पर दबंगों से अवैध कब्जा रोके जाने की मांग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री मो0 हसन रुमी-**

[महोदय, कानपुर का दौरा करने के दौरान भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि कानपुर में तो पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। उनका यह जुमला तबकी सरकार को शर्मसार करने को काफी था। आज फिर कानपुर का वही हाल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र छावनी और बाकी विधान सभा क्षेत्रों की सड़कों का यही हाल है। हमारे नगर से प्रकाशित दैनिक अखबार अमृत विचार इस पर कई दिनों सचित्र रिपोर्ट छापकर मुहिम चला रहा है। सरकार की आंखें खोलने को रिपोर्ट्स पर्याप्त हैं। नगर विकास विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बताएं कि कानपुर की सड़कों की हालत ऐसी क्यों है, यदि बजट की आवश्यकता है तो सरकार इसे संज्ञान में लेते हुए कब तक आवंटित करेगी।]

**जनपद मेरठ के अन्तर्गत सराय लालदास पुलिस चौकी से पूर्वा इलाही तक रोड तथा पुराने कमेले से लिसाड़ी गेट तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री रफीक अंसारी-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत सराय लालदास पुलिस चौकी से पूर्वा इलाही बक्श होते हुए लिसाड़ी रोड तक।

2-पुराने कमेले से लेकर लिसाड़ी गेट चौपला तक पिछले 10 वर्षों पहले नगर निगम मेरठ द्वारा सड़क निर्माण कराया गया था, पर वर्तमान में यह दोनों सड़के जर्जर अवस्था में है। दिन प्रतिदिन लोगों के साथ सड़क दुर्घटना होती है। क्योंकि इस मार्ग का यातायात बहुत है।

आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस सड़क का निर्माण तत्काल कराया जाय।]

**जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचपेड़वा के निकट 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डा0 शिव प्रताप यादव-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पंचपेड़वा नगर, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पंचपेड़वा ग्रामीण तथा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पर सपलाई डीह में विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 उपकेन्द्र तुलसीपुर से की जाती है जो उक्त तीनों विद्युत उपकेन्द्रों से 35 किमी0 की दूरी पर स्थित है जो मानक से अधिक दूरी पर है

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसलिए विद्युत लाइन में जब कोई फाल्ट हो जाता है तो उनको ढूंढने में बहुत समय लगता है जिससे कई घण्टों तक विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाती है और जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए गैंसड़ी तथा पंचपेड़वा के बीच में किसी स्थल पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त स्थान पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

**गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनहित में अतिआवश्यक रतनलाल नगर को दबौली वेस्ट से जोड़ने हेतु उपरिगामी रेलवे सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री सुरेन्द्र मैथानी-**

[महोदय, संज्ञान देना चाहता हूँ कि, हमारी गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत, रतनलाल नगर एवं दबौली वेस्ट दोनों ही घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं परन्तु रेलवे ट्रैक होने के कारण इन्हें जोड़ने का कोई भी मुख्य मार्ग आज तक नहीं बना हुआ है और लाखों की संख्या का प्रतिदिन आवागमन इस स्थल से उस स्थल तक रहता है। यह कानपुर नगर का मुख्य इण्डस्ट्रियल एरिया वाला क्षेत्र है। जहाँ पर सैकड़ों छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हैं और कई बड़ी कम्पनियों की स्थापना, उक्त क्षेत्र में ही प्रस्तावित हैं।

इस क्षेत्र के इण्डस्ट्रियल स्टेट होने के कारण, अस्पताल/कॉलेज/स्कूल, बाजार आदि इस क्षेत्र में स्थापित नहीं है। यह सघन आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ जनता बच्चों की शिक्षा, आवश्यक कार्य हेतु यहाँ के निवासियों को वहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 से 12 किमी0 की दूरी तय करना पड़ता है। उक्त दूरी को तय करने में 1 से 2 घण्टे तक लग जाते है। चूँकि, इस मार्ग पर सदैव जाम की भीषण स्थिति बनी रहती है। जो, महिलाओं/बच्चों और बुजुर्गों के लिये अत्यन्त कष्टदायी होता है।

कई बार संज्ञान में आया है कि, किसी वृद्ध आदि की स्वास्थ्य स्थिति अत्यधिक गम्भीर होने के कारण उपचार हेतु अस्पताल पहुँचने से पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। जो कि अत्यन्त दुखदायी है।

उपरोक्त स्थल पर अतिआवश्यक रतनलाल नगर को दबौली वेस्ट से जोड़ने हेतु एक उपरगामी रेलवे सेतु का निर्माण करा दिया जाये तो, इस पुल के निर्माण से, 10 से 15 किमी0 तक दूरी जो कि, 1 से 1.5 घण्टे में तय की जाती है। वह मात्र 5 से 10 मिनट में तय की जा सकेगी। जिससे कानपुर महानगर की लगभग लाखों की जनता लाभान्वित होगी।

उक्त पुल के न बनने के कारण एक दृश्य बड़े समाचार-पत्रों में तेजी से प्रकाशित हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि घर से स्कूल का रास्ता दूर होने के कारण शार्टकट

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेने को मजबूर, स्कूली बच्चे, रेलवे पुल के किनारे से होकर गुजर रहें हैं। जिस दृश्य की छायाप्रति संलग्न है। जो कि, अत्यन्त ही हृदय विदारक दृश्य है। बच्चे, बुजुर्ग एव महिलायें आदि नितदिन ऐसा करने के लिये विवश रहते हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत, जनहित में अतिआवश्यक रतनलाल नगर को दबौली वेस्ट से जोड़ने हेतु, उपरगामी रेलवे सेतु का निर्माण जनहित में कराया जाना अतिआवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत रौनापार चाँदपट्टी-बिलरियागंज मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री हृदय नारायण पटेल-**

[महोदय, अविलम्बनीय अत्यन्त लोकहित के विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-345, सगड़ी आजमगढ़ में अति जर्जर मार्ग रौनापार-चाँदपट्टी-बिलरियागंज के लिए धन आवंटन के बाद दिनांक 15 मई 2023 को टेंडर के लिए पेपर में प्रकाशन हुआ। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इस मार्ग के अति जर्जर होने के कारण रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। बरसात के दौर में रोड मालूम ही नहीं पड़ती है। जिससे जनमानस को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण पर शीघ्र वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

**जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बन्द रोडवेज बस स्टैंड को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-**

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की सीमान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0-12 के मोहल्ला ककरऊ में राहुल यादव के मैरिज होम से सोनू शर्मा के घर तक एवं आसफाबाद मार्ग रामवीर यादव के घर से रमेश यादव के घर तक की गलियाँ कच्ची हैं, लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं बच्चों को पढ़ाई के लिये स्कूल जाने में कभी-कभी बच्चों की साईकिल भी पलट जाती है। क्षेत्रीय लोगों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व प्रश्न पर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में बन्द रोडवेज बस स्टैन्ड को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अशरफ अली खान-**

[महोदय, आप के माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में दिल्ली-सहारनपुर हाई-वे पर रोडवेज बस स्टैन्ड कई दशक पहले बनाया गया था। लगभग दो वर्ष पूर्व तक इस रोडवेज बस स्टैंड का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम कर रहा था। जिससे यात्रियों को दिल्ली-सहारनपुर, मेरठ, बागपत हरियाणा उत्तराखण्ड समेत विभिन्न राज्यों की बसों का सीधा संचालन प्राप्त हुआ करता था। लेकिन विभाग द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व उक्त रोडवेज बस स्टैंड पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। उक्त रोडवेज बस स्टैंड के भीतर बसे नहीं रुकती है इस कारण क्षेत्र के नागरिकों बुजुर्ग दिव्यांगों महिलाओं, छात्रों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में बन्द रोडवेज बस स्टैंड को पुनः संचालन किये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

## जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किरतपुर में मार्ग तथा नाली के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री मनोज कुमार पारस-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं नाला निर्माण तथा मालन नदी पर रपटा बनाकर ग्राम असगरपुर तक सड़क निर्माण कर कस्बा किरतपुर को ग्राम असगरपुर से जोड़ने का कार्य किया जाना है। 2017 से अब तक यह प्रकरण विधान सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे द्वारा नियम-301 एवं नियम-51 के तहत कई बार उठाया गया है। परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिलाधिकारी बिजनौर एवं पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड नजीबाबाद को भी छूटी कड़ी योजना के अनुरूप मैंने इसका प्रस्ताव दिया था। इस मार्ग से आने जाने हेतु लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस कारण जनता में भारी आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कस्बा किरतपुर मे मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नाला निर्माण तथा मालन नदी पर रपटा पुनः बनाकर ग्राम असगरपुर तक सड़क निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

**जनपद अयोध्या के ग्राम पंचायत करनाईपुर मुतालका के पारागरीबशाह में खलिहान गाटा संख्या-337 पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री अभय सिंह-**

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद-अयोध्या के अतिलोक महत्व के सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत-करनाईपुर, मुतलका-पारागरीबशाह, विकास खण्ड-तारुन, तहसील-बीकापुर, जनपद-अयोध्या में खलिहान गाटा संख्या-337 पर कुछ लोगों द्वारा जबरन अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस सन्दर्भ में ग्रामवासियों द्वारा विभागीय अधिकारियों के यहाँ शिकायत की गयी परन्तु अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत-करनाईपुर, मुतलका-पारागरीबशाह में खलिहान गाटा संख्या-337 पर हुए इस अवैध अतिक्रमण में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री वीर विक्रम सिंह-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहाँपुर में विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत अग्निशमन केन्द्र न होने के कारण क्षेत्रवासियों के साथ आग जैसी आकस्मिक दुर्घटना होती है तो वहाँ से लगभग शाहजहाँपुर की दूरी 70 से 80 किमी0 से अग्निशमन की गाड़ी आते-आते बहुत देर लगती है, जब तक उनको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। विधान सभा क्षेत्र कटरा अति पिछड़ा क्षेत्र है जिससे वहाँ पर कृषक एवं क्षेत्रवासीगण कुछ तरक्की भी कर पाते हैं तब तक आग लगने जैसी दुर्घटनाएं हो जाने से फिर उनका वही हाल हो जाता है। विधान सभा क्षेत्र सैकड़ों किमी0 में फैला क्षेत्र है एवं तीन नदियों से घिरा होने के कारण बरसात के महीने में बाढ़ से कृषकों की फसलें भी जलमग्न हो जाती हैं और रबी की फसल जब तैयार होती है तो उनके साथ आग जैसी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती रहती है। अग्निशमन केन्द्र शाहजहाँपुर होने के कारण आग से बचाव हेतु कार्य बहुत ही देरी से हो पाता है। गाड़ी को भी आने में घण्टों बीत जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र कटरा में दो अग्निशमन केन्द्र बनाया जाना जनहित में अतिआवश्यक है। 1-विकास खण्ड खुदागंज की ग्राम पंचायत बीरमपुर के मजरा मरेना में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने हेतु ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध है। 2-विकास खण्ड कलान के ग्राम पंचायत परौर में भी ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध है। मेरे द्वारा कई बार

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन व प्रशासन को कई बार लिखित रूप से अवगत कराया गया परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम मरेना एवं विकास खण्ड कलान के ग्राम परौर में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

## जनपद गोरखपुर के सहजनवां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री प्रदीप शुक्ल-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-324, सहजनवां, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

1-एन0एच0-28 से कोनिया सम्पर्क मार्ग लम्बाई 0.300 किमी0।

2-कटसहरा-मगहर मार्ग से कटसहरा प्राथमिक विद्यालय तक मार्ग लम्बाई 0.400 किमी0।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## रायबरेली-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में घोर अनियमितता और लापरवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अवधेश प्रसाद-**

[महोदय, रायबरेली से अयोध्या के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन है। लेकिन इस सड़क में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क की ऊँचाई बढ़ी है। आस-पास के मकानात नीचे पड़ गये हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सदैव सड़क के किनारे के घरों में जलभराव की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ इस सड़क से कनेक्ट होने वाली आबादी जैसे डबल नहर के पास और इनायतनगर थाने के दक्षिण तरफ 1.00 किमी0 तक कोई अप्रोच रोड नहीं है। सड़क के किनारे और सड़क से लगी हुई आबादी के रहने वाले लोगों को सदैव परेशानी रहेगी और दुर्घटना की सम्भावना बनी रहेगी। सड़क बनने से पूर्व छोटी मोटी दुकानें रहती थीं, लोगों का जीविकोपार्जन का साधन था इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इन कमियों के रहते लोगों में बहुत बड़ा असन्तोष है। अधिकांश लोग आन्दोलन की राह पर जाने वाले हैं। मामला त्वरित और लोक महत्व का है और बहुत बड़े जनमानस और आबादी से जुड़ा हुआ है। सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूँ कि उपरोक्त कमियों को जनहित में दूर करके सड़क का निर्माण पूर्ण कराया जाये।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## विद्युत कार्य से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री पंकज कुमार मलिक-**

[महोदय, अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि 220 के0वी0 नरा उपकेन्द्र से निर्गत 33 के0वी0 मिमलाना रोड फीडर की लाइन जो कि पूर्व में 33 के0वी0 उपकेन्द्र मिमलाना रोड मु0 नगर को पोषित करती थी, दिनांक 02-02-2022 को 33 के0वी0 उपकेन्द्र मिमलाना रोड की नयी 33 के0वी0 लाइन 220 के0वी0 नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र बधाई कला बनने के बाद ऊर्जीकृत कर दी गयी और 33 के0वी0 मिमलाना रोड उपकेन्द्र 200 के0वी0 उपकेन्द्र बधाई कला से पोषित किया जाने लगा। 220 के0वी0 नरा उपकेन्द्र से 33 के0वी0 मिमलाना रोड की जून-2022 को 66 के0वी0 उपकेन्द्र सुजडू मु0 नगर को दे दी गयी। जिससे 33 के0वी0 लाइन मिमलाना रोड पोषक 220 के0वी0 उपकेन्द्र नरा से लेकर शनिधाम मन्दिर बुढ़ाना मोड़ मु0 नगर तक 14 किमी0 की लाइन अनुर्जीकृत हो गयी।

दिनांक 24-05-2023 को उक्त लाइन की शिफ्टिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी आई0पी0 सिंह व दिलीप कुमार यादव, अवर अभियन्ता के द्वारा साइट शामली रोड बाईपास निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेसर्स AL Manufacture से आगे लगे डबल पोल से लेकर DFCCII की ओवर ब्रिज तक 41 नं0 पोलों को अपने पूर्व स्थान से उखाड़ कर लभग 8 से 10 फीट पीछे उन्हीं खम्भों को पुरानी लाइन सामग्री X-ram insultor, Disc आदि व Dog Conductor तार के कटे टुकड़ों सहित उपयोग करते हुए सड़क के पीछे स्थानान्तरित कर दिये गये और 40 स्पैन का लगभग 5562 मी0 Dog Conductor और 3 नं0 एस0टी0पी0 पोल साइट पर नहीं मिले। NHAI द्वारा अधिकृत फर्म संस्था M/s Kaluwala Construction Pvt. Ltd. C/o Sonu S/o Samsher H.No. 49 Vijay Nagar, Bhiwani, Haryana के द्वारा वहलना चौक, मु0 नगर से लेकर पीनना बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, विभागीय नियमानुसार NHAI द्वारा अधिकृत फर्म संस्था M/s Kaluwala Construction Pvt. Ltd. C/o Sonu S/o Samsher H.No. 49 Vijay Nagar, Bhiwani, Haryana सड़क में बन रहे अवरोधक 33 के0वी0 मिमलाना रोड के खम्भा को दूसरी जगह शिफ्टिंग करने को प्राक्कलन बनाने हेतु आवेदन के उपरान्त उ0प्र0प0क0लि0 के नियमानुसार शिफ्टिंग का प्राक्कलन बनना चाहिए था। परन्तु विभागीय अनुमति लिए बिना ही अवैध रूप से पुरानी 33 के0वी0 लाइन के तार को काट कर पुराने खम्भे उखाड़ कर अन्य स्थान पर गाड़कर अवैध रूप से पुरानी 33 के0वी0 मिमलाना रोड को शिफ्टिंग कर दिया गया है। उपरोक्त फर्म का यह कृत्य विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत दण्डनीय है। उक्त कार्यों में नियमों की अनदेखी करते हुए भ्रष्टाचार किया गया है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त की जाँच कराकर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

## जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री बाबूलाल-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के ग्राम महदऊ से ग्राम मोहम्मदपुर तक कच्चे मार्ग का सड़क निर्माण कराना अति आवश्यक है, क्योंकि उक्त मार्ग से आवागमन अत्यधिक रहता है और क्षेत्रवासियों को कच्चा मार्ग होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने का भी हमेशा भय बना रहता है। जनहित में उक्त मार्ग का सड़क निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

## जनपद मिर्जापुर के औराई-मिर्जापुर हाई-वे से मुजेहरा खुर्द मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री रवेन्द्र पाल सिंह-**

[महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मिर्जापुर के औराई-मिर्जापुर हाई-वे से मुजेहरा खुर्द (महुअरिया) सम्पर्क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण ग्रामवासियों तथा बीमार व्यक्तियों को आने-जाने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा वहाँ की क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मा0 अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनहित में जनपद-मीरजापुर के औराई-मीरजापुर हाई-वे से मुजेहरा खुर्द (महुअरिया) सम्पर्क मार्ग की कुल दूरी लगभग एक किमी0 का पुनः जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

## जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राजपाल सिंह बालियान-**

[मान्यवर, मैं अति लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मुजफ्फरनगर के मेरे विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत निम्न मुख्य मार्ग काफी जर्जर

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवस्था में हैं जिससे जनमानस को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

1- वि0ख0-बुढ़ाना के ग्राम-जोला से विज्ञाना बेहलोलपुर तक नव निर्माण लम्बाई लगभग जीरो से 02 किमी0 तक।

2- वि0ख0-बुढ़ाना के ग्राम-मन्दवाड़ा से शामली मेरठ हाई-वे रोड तक कच्चे मार्ग का लम्बाई लगभग जीरो से 03 किमी0 तक रोड का नव निर्माण।

3- वि0ख0-बुढ़ाना के ग्राम जोला से सरांय तक क्षतिग्रस्त मार्ग लम्बाई लगभग 03 किमी0 मार्ग की विशेष मरम्मत।

4- वि0ख0-बुढ़ाना के ग्राम-कमरुद्दीन नगर (सैनपुर) से ग्राम हरिया खेड़ा तक लम्बाई लगभग 03 मी0 मार्ग की विशेष मरम्मत।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के उपरोक्त सड़कों की विशेष मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने की कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद बांदा के ग्राम पंचायत पचुल्ला में रोड से सटे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री प्रदीप कुमार सिंह-**

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-बाँदा के ग्राम पंचायत-पचुल्ला में मेन रोड से लगा हुआ सेक्टर से 800 मी0 अधूरा मार्ग सुमित्रा प्रजापति के घर से मैकूलाल वर्मा के खेत व मकान तक पड़ा है, उक्त जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में एक पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री अनिल कुमार-**

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी ग्राम खेड़की से बैकुंठपुर जाने वाले रास्ते के बीच में बैकुंठपुर वाली बरसाती नदी

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ती है, उस पर छोटे पुल की आवश्यकता है, यह रास्ता किसानों का, स्थानीय लोगों का आम रास्ता है वहाँ पुल न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त नदी में पुल बनाये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त ग्राम खेड़की से बैकुंठपुर जाने वाले रास्ते के बीच में बैकुंठपुर वाली बरसाती नदी पर एक छोटा पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

## धारा-143 में अकृषक भूमि के नामान्तरण व दाखिल खारिज हेतु एक तरह के मानक लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राकेश पाण्डेय-**

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील अकबरपुर में राजस्व संहिता के पूर्व में प्रदत्त नियमों में कृषक भूमि को आवश्यकतानुसार आवासीय एवं व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु धारा-143 में करने का अधिकार उप जिलाधिकारी को प्रदत्त है, जिसके तहत ऐसे तमाम लोगों ने अपनी पूर्व की कृषि की भूमि जिस पर आवासीय भवन अथवा व्यवसायिक निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया, उनके प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार द्वारा जाँच कराकर 143 में अकृषक घोषित की गयी, उक्त भू-स्वामियों द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि को दाखिल खारिज कराये जाने हेतु तहसीलदार अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के यहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये, परन्तु नायब तहसीलदार अकबरपुर द्वारा दाखिल खारिज कराये जाने में दो मानकों को अपनाया गया है, जहाँ उनके द्वारा वाद संख्या-04128/30-12-20 खाता संख्या-6 रकबा 209.10 वर्ग मी0 विक्रेतागण आशीष पाण्डेय आदि, वाद संख्या-022251/17-06-21, वाद संख्या-1780/2021, दिनांक 16-07-2021, वाद संख्या-1351/2021, दिनांक 16-07-2021, वाद संख्या-1474/2021, आदेश दिनांक 16-07-2021, वाद संख्या-3638/21-08-2021, वाद संख्या-4349/24-09-2021, जैसे अनेक प्रकरणों में उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री दाखिल खारिज करने का निर्देश पारित किया, तदुपरान्त भू-राजस्व के अभिलेखों में वह दाखिल खारिज कर दिये गये। वहीं एक ही तरीके के प्रकरण जो कि धारा 143 के द्वारा अकृषक घोषित किये गये थे, इसी प्रकार एक ही क्षेत्र के (नगर पालिका क्षेत्र) मोहल्ला पुलसांवा में शारदा तिवारी बनाम आशीष पाण्डेय, रीता मिश्रा बनाम आशीष पाण्डेय, रोहित मौर्या बनाम आशीष पाण्डेय, आलोक लालता प्रसाद त्रिपाठी बनाम आशीष पाण्डेय, पूर्णिमा तिवारी बनाम आशीष पाण्डेय, अजय कुमार वर्मा बनाम राहुल अग्रवाल, शीला यादव बनाम आशीष कुमार, किशोर कुमार बनाम आशीष, सुभाष त्रिपाठी बनाम आशीष

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदि में दाखिल खारिज किये जाने के प्रार्थना-पत्र को अनावश्यक रूप से लगभग 6 माह से लम्बित किया गया है, जिसके कारण जिन लोगों को उपरोक्त भूमि/गाटा संख्या पर व्यवसायिक/आवासीय गतिविधियां संचालित कर रहे हैं या करना चाहते हैं और वह बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं दाखिल खारिज अत्यधिक विलम्ब होने के कारण न वह भवन का निर्माण करा पा रहे और न ही अपनी कोई व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक द्वारा दाखिल खारिज के प्रपत्र मांगे जाते हैं।

अतः एक ही तरीके के प्रकरण में पूर्व में समय से आदेश दे दिया जाना, दूसरे प्रकरणों को अनावश्यक लम्बित किया जाना नियमों के सर्वथा विपरीत है, उल्लेखनीय है कि दाखिल खारिज किये जाने की अधिकतम अवधि 35 दिन नियत की गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 वक्तव्य में स्वीकार करने का कष्ट करें।]

## जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काश्तकारों को अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**डा0 विनोद कुमार बिन्द-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना में दिनांक 10 फरवरी 2020 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को 249वीं बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि वृन्दावन योजना, लखनऊ में योजना संख्या 1, 2, 3 व 4 के हितबद्ध काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत का भू-खण्ड एवं वर्ष 2002 से पूर्व बने अवैध निर्माणों के समायोजन/आवंटन के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से 60 वर्गमीटर तक का भू-खण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया था तथा यदि किसी काश्तकार की देयता 60 वर्ग मीटर से कम बनती है तो उसकी देयता के अनुसार भूमि को वर्ष 2013-14 की भूमि दर पर मूल्य लेकर 60 वर्ग मीटर का भू-खण्ड आवंटित किया जाएगा। उपरोक्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) में योजित अपील संख्या-6410/2021/SLP (CIVIL) संख्या-31/2020 के अनुपालन के क्रम में लिया गया था।

परन्तु इतने वर्ष व्यतीत होने एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद कई बार प्रमुख समाचार-पत्रों में उपरोक्त प्रकरण प्रकाशित होने के उपरान्त भी न तो आज तक प्रस्तावित सेक्टर 19B एवं 19C में कोई विकास कार्य हुआ है और न ही किसी काश्तकार को कोई भू-खण्ड आवंटित किया गया है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के वृन्दावन योजना के काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत का भू-खण्ड अतिशीघ्र आवंटन कराये जाने हेतु सदन से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

**जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काली सड़क के स्थान पर सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री मुकेश चौधरी-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर लगभग 80 प्रतिशत काली सड़कें निर्मित हैं, जिनमें से कई सड़कों का निर्माण गत वर्ष ही हुआ है। विगत दिनों में भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि तथा जलभराव होने के कारण उक्त सभी सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष लगभग सभी सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी मात्रा में राजस्व हानि होती है एवं क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का समाना करना पड़ता है। जनमानस के आवगमन में सुगमता एवं इस समस्या के स्थाई समाधन तथा राजस्व हित में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के उक्त समस्त मार्गों पर काली सड़कों के स्थान पर सी0सी0 सड़क निर्माण हेतु नीति बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद अमरोहा की हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी-**

[महोदय, अवगत कराना है, जनपद अमरोहा 42-हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्गों की हालत अत्यन्त जर्जर है जिससे आवागमन बाधित रहता है और दुर्घटना होने का भय बना रहता है। मार्ग निम्नवत् हैं :-

1-ग्राम ख्यालीपुर ढाल से हसनपुर होते हुये गंगाचोली तक मार्ग का चौड़ीकरण

2-ग्राम आदमपुर से खड़करानी तक सड़क का नव निर्माण कार्य/चौड़ीकरण

3-ग्राम कुदैना ढाल से रखेड़ा होते हुये शाहपुर कला तक सड़क का नव निर्माण/चौड़ीकरण

4-ग्राम रहरा से पोरारा घाट तक सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण

5-ग्राम ढवारसी से रहरा तक सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नए उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री विवेकानन्द पाण्डेय-**

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-329, खड्डा, जनपद कुशीनगर अन्तर्गत कोटवा/नेबुआ नोरंगिया उपकेन्द्र की उपभोक्ता के सापेक्ष नये उपकेन्द्र की स्थापना व समस्त फीडरों को नियमित रूप से संचालन करना जनहित में आवश्यक है, क्योंकि 39 हजार विद्युत उपभोक्ता के सापेक्ष नये उपकेन्द्र की स्थापना व नेबुआ नोरंगिया/कोटवा उपकेन्द्र के समस्त फीडरों का नियमित संचालन अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

## जनपद चित्रकूट के भरतकूप और सरधुआ को ब्लाक का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अनिल प्रधान-**

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद चित्रकूट के जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद चित्रकूट के भरतकूप और सरधुवा को ब्लाक का दर्जा प्रदान करने के लिए लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। भरतकूप क्षेत्र के लोगों को कर्वी ब्लाक जाने तथा सरधुवा क्षेत्र में लोगों को पहाड़ी ब्लाक जाने के लिए लगभग 25 से 30 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे उनको अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि जनपद चित्रकूट पिछड़ा हुआ जिला है इसी कारण नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले की श्रेणी में चयनित है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद चित्रकूट के भरतकूप और सरधुवा को ब्लाक का दर्जा प्रदान करने की मांग करता हूँ।]

## जनपद सीतापुर के मिश्रिख विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोमती नदी पर पुल/पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री रामकृष्ण भार्गव-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र-153, मिश्रिख से होकर बहने वाली गोमती नदी पर स्थित पनरभु घाट एवं गोएलाहरी घाट से प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्तियों का आना-जाना होता है। वर्णित स्थानों पर पुल न होने के कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत गोमती नदी पर स्थित पनरभु घाट एवं गोएलाहरी घाट पर पुल/पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अन्तर्गत ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री रमेश जायसवाल-**

[महोदय, अवगत कराना है मेरे विधान सभा क्षेत्र व नगर पालिका परिषद् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर में सुभाष पार्क से अलीनगर त्रिमुहानी तक ओवरब्रिज (उपरिगामी पुल) जिसकी माँग स्थानीय जनता द्वारा व मेरे द्वारा प्रशासन स्तर व विभागीय स्तर पर अनेकों बार पत्राचार द्वारा की गयी है। परन्तु इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जनहित में इस समस्या का निदान कराया जाना अति आवश्यक है। ताकि उक्त नगरवासियों, क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**प्रदेश के वधशालाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-**

[महोदय, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भिन्न-भिन्न एजेन्सियों व वधशालाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् में अनिवार्य रूप से जनहित काराया जाना अति आवश्यक है। जिससे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है एवं प्रदेश में बिना पंजीकृत कितने पशु चिकित्सक कार्यरत हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

**जनपद सुल्तानपुर की तहसील लम्भुआ के गाटा संख्या-207 व 166 एन0एच0 पर सरकारी भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**ई0 सरवन कुमार निषाद-**

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ तहसील स्थित ग्राम सभा शेरपुर परशुरामपुर में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि गाटा संख्या-207 व गाटा संख्या-166 पर अवैध रूप से सालों से कब्जा किया गया है। गाटा संख्या-166 राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे है, जिसके कब्जा मुक्त होने से ग्राम सभा में कोई अच्छा अस्पताल या सरकारी कार्यालय खुल सकता है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय इस महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सरकारी भूमि गाटा संख्या-207 व गाटा संख्या-166, ग्राम सभा शेरपुर परशुरामपुर के तहसील लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर को भू-माफियाओं/अवैध कब्जेदारों से खाली कराए जाने की माँग करता हूँ।]

**जनपद सहारनपुर के होजरी व्यवसाय को ओ0डी0ओ0पी0 में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री राजीव गुम्बर-**

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर होजरी उद्योग के लिए देश भर में काफी प्रसिद्ध है। पूरे देश भर में यहां के होजरी उत्पाद देश भर में सप्लाई किये जाते हैं। जनपद सहारनपुर में होजरी व्यवसाय की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए किसी बड़े भू-भाग पर एक होजरी क्लस्टर स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है। साथ ही साथ जनपद सहारनपुर के होजरी व्यवसाय को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में भी रखा जाना उचित होगा। जनहित में जनपद सहारनपुर के होजरी व्यवसाय को एक जनपद एक उत्पाद की श्रेणी में सम्मिलित कराते हुए एक नये भू-भाग पर होजरी क्लस्टर की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

**जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर के ब्लाक सिकन्दरपुर करन में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री पंकज गुप्ता-**

[महोदय, आपसे निवेदन है कि जनपद उन्नाव के ग्राम दुबेपुर में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मन्दिर के तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31-05-2022 को मेरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना में जिला मुख्य विकास अधिकारी के अन्तर्गत प्राप्त रिपोर्ट में ब्लाक सिकन्दरपुर करन के खण्ड विकास अधिकारी जी ने केवल तालाब के पट्टेदार के पट्टे के कागज के आधार पर शासन को आख्या भेज दी है। जबकि माननीय श्री मोदी जी एवं माननीय श्री योगी जी के द्वारा सरोवर योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में गाँव के तालाबों का सौन्दर्यीकरण के द्वारा कायाकल्प हो रहा है। तालाब के पट्टेदार द्वारा सौन्दर्यीकरण कराये जाने पर आपत्ति जताकर सरकार की इस योजना के लिए चुनौती सी प्रतीत हो रही है। तालाब के परिसर में गाटा सं0-492 पर पट्टेदार पक्का आवास बनाकर अतिक्रमण फैलाये हुए है। गत दिनों पिछले सत्र 03-03-23 नियम-51 के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रेषित सूचना में तहसीलदार सदर की ओर से बताया गया था कि पट्टे कैंसिलेशन की कार्यवाही प्रचलित है। जबकि मेरे संज्ञान में

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभी तक 15डी की कार्यवाही को छोड़कर अभी तक पट्टे कैंसिलेशन की कार्यवाही लम्बित है। जिसके कारण तालाब अपने चारों ओर से घने जंगली बबूल के पेडों से घिर गया है, जिसके कारण मन्दिर की दीवार मे दरारें पड़ने लगी हैं और आवारा/पालतू पशुओं के पानी पीने पर रोक लगा दी है जिससे ग्रामीणों को अपने पालतु पशुओं के पानी के लिए परेशानी बनी हुई है।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि उक्त प्रकरण को ध्यान में रखते हुए पट्टेदार के निरस्तीकरण प्रक्रिया विभाग की ओर से जल्द पूर्ण कराकर के इस पट्टाधारक को गाँव में अन्य स्थान पर दे देया जाय तथा पट्टे कैंसिलेशन की कार्यवाही में हो रहे विलम्ब को जल्द कराकर उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित **अमृत सरोवर योजना** के अन्तर्गत श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मन्दिर के तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने को लेकर सम्बन्धित विभाग को उचित आदेश देने की कृपा करें।]

## जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री जय प्रकाश अंचल-**

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के निम्न मार्गों का लेपन व सी0सी0 मार्ग के रूप में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो निम्नवत् है :-

1-ग्राम पंचायत चांद दियर एन0एच0-31 से यावनगर होकर पल्टूनगर को जाने वाली सड़क काफी दयनीय स्थिति में है।

2-दलन छपरा रामपुर कोड़रहा होते हुए बिहार बार्डर तक जाने वली सड़क गड्ढा युक्त है।

3-दलन छपरा (गजहवा बाबा) के स्थान से प्रसाद छपरा को जाने वाली सड़क।

4-अचलगढ़ ढाला मुनछपरा से नवकागाँव चट्टी तक जाने वाली सड़क।

5-कोनाला चट्टी से दल छपरा होते हुए दल छपरा श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क।

6-सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से मठिया होकर शिवाल मठिया होते हए गोपालनगर पोखरे तक जाने वाली सड़क।

7-शोभा छपरा से मढन्जू गिरि होते हुए जयप्रकाशनगर जाने वाली सड़क।

8-एन0एच0-31 दुबे छपरा हनुमान मंदिर से उदई छपरा रिंग बांध तक जाने वाली सड़क।

9-सुघर छपरा से नवकागाँव होते हुए अचलगढ़ चरण बाबा के स्थान तक जाने वाली सड़क।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10—एन0एच0—31 छया छपरा से बुद्धनचक होकर रिंग बांध तक जाने वाली सड़क।

11-एन0एच0-31 पाण्डेयपुर ढाला से रामपुर मिश्र की मठिया होते हुए जगदेवा बी0एस0टी0 बन्धा तक।

12-एन0एच0-31 के दया छपरा से चिन्तामणि राय के टोला पाण्डेयपुर जगदेवा तक रिंग बांध तक जाने वाली सड़क।

13-दत्तहा दिमागी चट्टी से रेखहानूरपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग तक जाने वाली सड़क।

14-समरथ पाल से दुधैला सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत।

15-हल्दी-सहतवार मार्ग बिगही काली स्थान से विगही गाँव होकर बांसडीह सोनवानी मार्ग तक विशेष मरम्मत।

16—मानगढ़ पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से वशिष्ठनगर होकर गोपालनगर पंचायत भवन तक।

17-मानगढ पी0एम0जी0एस0वाई0 से अर्जुन यादव पूर्व प्रधान के घर होकर गोपालनगर पुलिस चौकी तक।

18-एन0एच0-31 बादिलपुर भरखोखा से सोनवानी पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग तक।

19-रेवती-बैरिया मार्ग से चौबे छपरा छेड़ीडीह होकर पिपरौटा तक जाने वाली सड़क।

20-सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से उपाध्यायपुर होकर चाई छपरा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत।

21-एन0एच0-31 के शुक्ल छपरा बेलही से पानी की टंकी तक सम्पर्क मार्ग।

22-सोनवरसा-दलन छपरा मार्ग भगवानपुर से रामनगर मार्ग तक।

23-मुरली छपरा पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से लालगंज सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

24-श्रीनगर पानी की टंकी से सैनिक टोला श्रीनगर तक सी0सी0/पी0सी0 मार्ग का निर्माण।

25-बैरिया नगर पंचायत एनएच0-31 से भोजापुर मार्ग की विशेष मरम्मत।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के उपरोक्त मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

## हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**डॉ0 नीरज बोरा-**

[महोदय, हेल्थ सेक्टर में विभिन्न सरकारी अस्पतालों और उपक्रमों में कर्मचारियों की कमी से प्रायः असहज स्थितियां निर्मित होती हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत हेल्थ सेक्टर में बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशिक्षण प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स के अभ्यर्थी को रोजगार के अवसर मिलें, इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग/उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा पंजीकरण के माध्यम से ऐसी योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे फैकल्टी की आय भी बढ़े और प्रशिक्षित नौजवानों को रोजी-रोटी प्राप्त हो।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा हेल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित युवकों को पंजीकृत कर रोजगार दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

## जनपद बांदा के ग्राम कनवारा में नहर की पटरी के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री चन्दन चौहान-**

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद बांदा के ग्राम-कनवारा में लघुडाल नहर खण्ड की नहर की पटरी में नहर पटरी लगभग 1000 मी0 तक नाली/पाइप लाइन न होने से किसानों की फसलें सूख रही हैं। उक्त नहर की पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय किसानों में रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त नहर पटरी से 1000 मी0 तक नाली/पाइप का कार्य कराये जाने की कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

## जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ उत्तर के जानकीपुरम में हाईटेंशन लाइन को भूमिगत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री संजीव कुमार दिवाकर-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र लखनऊ (उत्तर) के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र यशोदापुरम, शिव विहार कालोनी, सेक्टर-आई, जानकीपुरम के सैम पब्लिक स्कूल से दिव्यता ग्रेस अपार्टमेंट तक खुली 11000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन है। अवगत कराना है कि आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल उपभोग के लिए सप्लाई खुली हाईटेंशन लाइन के माध्यम से पहुँचाई गयी है, जबकि इस लाइन के आने से पूर्व ही कुछ घर बन चुके थे किन्तु कामर्शियल लाइन उपभोक्ता के लागत में कमी रखने के लिए अण्डरग्राउण्ड लाइन की अपेक्षा खुली लाइन से कनेक्शन लिया है। सूच्य है कि दिव्यता ग्रेस अपार्टमेंट से आगे एक अन्य अपार्टमेंट तक 11000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन भूमिगत माध्यम से ही गयी है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिन-प्रतिदिन समाचार-पत्रों में इस प्रकार की 11000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से होने वाली जनहानि की खबरों से स्थानीय निवासी सदैव भयभीत रहते हैं। उनके परिवार के सदस्य तेज हवा, बारिश के दिनों में तार लहराने से सम्भावित जान-माल के खतरे से भय के वातावरण में रहते हैं जिसका निदान कराया जाना न केवल सरकार का कर्तव्य है, बल्कि जनहित में अति-आवश्यक है। भूमिगत केबलिंग स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्यों के भी अनुरूप है। प्रश्नगत समस्या के निदान हेतु प्रभावित निवासियों द्वारा पूर्व में शासन/प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया है, किन्तु उक्त समस्या का निदान नहीं हो सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्थानीय निवासियों के जान-माल की रक्षा हेतु जनहित में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ (उत्तर) के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र यशोदापुरम, शिव विहार कालोनी, सेक्टर-आई, जानकीपुरम में सैम पब्लिक स्कूल से दिव्यता ग्रेस अपार्टमेंट तक खुली 11000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन को भूमिगत लाइन से बदलने हेतु मैं सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

**जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत डुमरियागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्रीमती सैय्यदा खातून-**

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरियागंज का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। अस्पताल के चारों तरफ कोई चहारदीवार नहीं है। भवन जर्जर होने के कारण प्रतिदिन अप्रिय घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन को ध्वस्त करके नया भवन का निर्माण तथा साथ ही साथ चहारदीवार का भी निर्माण कराये जाने की जनहित में अति आवश्यकता है। यह प्रकरण लोक महत्व का है और क्षेत्रीय जनता से जुड़ा हुआ है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन बनाने तथा चहारदीवारी के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करती हूँ।]

**जनपद मथुरा के मांट तहसील में विद्युत कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री राजेश चौधरी-**

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद मथुरा की मांट तहसील में लगभग सभी परिवारों ने विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं और कुछ परिवार समय-समय पर नये कनेक्शन लेते रहते हैं, परन्तु सभी के साथ एक सामान्य समस्या आ रही है, कनेक्शन होने के बावजूद भी

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग द्वारा कई महीनों तक उपभोक्ता के घर या परिसर पर बिजली मीटर नहीं लगाया जाता और कुछ समय बाद ही मीटर ना होने के कारण से उपभोक्ताओं पर कार्यवाही कर दी जाती हैं, जबकि मीटर लगाना विभाग की जिम्मेदारी है, और ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा मौखिक रूप से विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय समय पर मीटर लगाने हेतु बोला जाता है फिर भी मीटर नहीं लगाया जाता, जिसमें उपभोक्ता का कोई दोष नहीं होता जिसके बावजूद उन पर कार्यवाही कर दी जाती है। इसमें उपभोक्ता की क्या गलती है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

## जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर-नगली मार्ग पर पुल का निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री मदन भैया-**

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर नगली-फुलत मार्ग पर खलासी परदी का पुल पुराना व जर्जर होने के कारण पुनर्निर्माण किया जाना था, जो 14 वर्षों के बाद भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण सैकड़ों गाँव के किसानों को गन्ने आदि की फसल ले जाने में बहुत परेशानी हो रही है।

क्षेत्रीय जनता ने समय-समय पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन से भी गुहार लगायी है तथा भारतीय किसान यूनियन के नेता ने भी इस बदहाली व पुल निर्माण में भ्रष्टाचार व देरी के सम्बन्ध में प्रशासन को बेमियादी धरने की चेतावनी दी है।

मान्यवर, जनहित के इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कमेटी से घपले की जाँच कराकर सिंचाई विभाग शीघ्र पुल निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।]

## उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा कर्मकार बोर्ड में कार्यरत लोगों को दुर्घटना बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री मनीष असीजा-**

[महोदय, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में भिन्न-भिन्न प्रकार के अंसगठित क्षेत्रों में श्रमिकों एवं उनके परिवार कार्यरत हैं। ये श्रमिक एवं इनके परिवार आकस्मिक दुर्घटना अथवा बीमारी के शिकार होने की परिस्थिति में कोई वैकल्पिक साधन नहीं होने के कारण असहाय हो जाते हैं तथा धनाभाव/साधनों की अनउपलब्धता के चलते परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं अथवा कर्ज के मकड़जाल में फंस जाते हैं।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुये अपने प्रदेश में **उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा कर्मकार बोर्ड** का गठन करा गया एवं एक अभियान चलाते हुये लगभग 8.5 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया एवं इनको 'e' श्रम कार्ड जारी कर दिये गये।

इन असंगठित क्षेत्र के **'e' श्रम कार्ड** धारक श्रमिकों को कोई दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सुविधाओं आदि का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इस योजना की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है।

असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सुविधा आदि का लाभ दिलाये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा कर्मकार बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 'e' श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष-**

आज दिनांक 11-08-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 159 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। सभी मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गयीं।

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 1 | श्री स्वामी ओउ्मवेश | जनपद उन्नाव में ग्राम पंचायत के सचिवों को जनपद के किसी अन्य ब्लाक में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में। |
| 2 | श्री अताउर्रहमान | जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में कतिपय सड़क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 3 | श्री तसलीम अहमद | जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के मोटाआम में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 4 | श्रीमती मीनाक्षी सिंह | जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 5 | श्री राजेन्द्र सिंह पटेल | जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में राजकीय महिला इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 6 | श्री चन्द्रपाल सिंह | जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 7 | श्री अरमान खान | जनपद उन्नाव में ग्राम पंचायत के सचिवों को जनपद के किसी अन्य ब्लाक में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में। |
| 8 | श्री मोहन वर्मा | जनपद कुशीनगर में मदरसा तेगिया शरिफिया नूरुल उलूम शाहपुर में तत्कालीन रजिस्ट्रार अधिकारी की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में। |
| 9 | श्री सुरेन्द्र चौरसिया | जनपद मेरठ के ग्राम रछौती के थाना मुण्डाली में मु0सं0 40/23 में थाना प्रभारी के खिलाफ जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 10 | श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी | चित्रकूट से लखनऊ जनरथ बस सेवा चालू करवाने के सम्बन्ध में। |
| 11 | श्री विजय पाल (आढ़ती) | जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्ग पर नाला निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 12 | श्री अमिताभ बाजपेई | कानपुर के यातायात डायवर्जन के कारण कार्डियोलॉजी एवं हैलेट अस्पताल में हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में। |
| 13 | श्री त्रिभुवन दत्त | जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के वि0ख0 रामनगर में सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 14 | श्री राजेन्द्र कुमार | जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा गोबरी के अन्तर्गत महादेवनपुरवा गाँव को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में। |
| 15 | श्री संदीप सिंह | विधान सभा क्षेत्र मेजा में अण्डरपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 16 | श्री रविदास मेहरोत्रा | लखनऊ नगर निगम द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 17 | श्री मनीष रावत | जनपद लखनऊ के सेंट जोसेफ इण्टर कालेज द्वारा ग्रीन बेल्ट को बाउण्ड्री के अन्दर लेने की जाँच कराये जाने एवं सर्विस लेन एवं सड़क पर किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 18 | श्री गुरु प्रसाद मौर्या | जनपद लखनऊ के पलटन छावनी में अवैध पार्किंग हटाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 19 | श्री हाकिम लाल बिन्द | जनपद प्रयागराज के हण्डिया में कतिपय मार्ग पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 20 | श्री राम फेरन पाण्डेय | जनपद श्रावस्ती के इकौना व गिलौला में शीतगृह की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 21 | श्री बृजेश कुमार | नई दिल्ली पर स्थित सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 22 | श्री अंकुर तिवारी | जनपद सन्तकबीरनगर के वि0ख0 खलीलाबाद में कतिपय मार्ग के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 23 | श्री राम अवतार सिंह | जनपद बिजनौर के नूरपुर में विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से चालू कराए जाने के सम्बन्ध में। |
| 24 | डॉ0 पल्लवी पटेल | जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में अवैध रूप से प्लाटिंग के सम्बन्ध में। |
| 25 | श्री तूफानी सरोज | जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कतिपय पीड़िता की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 26 | श्रीमती नीलिमा कटियार | जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी पुलिया से बगिया क्रासिंग तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 27 | डॉ0 अजय कुमार | जनपद बागपत के अन्तर्गत कतिपय रजवाहे की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 28 | श्री प्रसन्न कुमार | जनपद शामली में बिजली की सप्लाई समय पर न होने से किसानों की फसलें बर्बाद होने के सम्बन्ध में। |
| 29 | श्री बम्बालाल | राजकीय हाई स्कूल रायपुरगढ़ी की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 30 | डॉ0 संग्राम यादव | जनपद आजमगढ़ के कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 31 | श्री राकेश पाण्डेय | जनपद अम्बेडकरनगर के जलालपुर में कतिपय सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। |
| 32 | श्री असीम कुमार | जनपद उन्नाव के सदर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 33 | श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) | जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन उरगाँव में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 34 | श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू राजभर | जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में कतिपय डॉक्टर की रेडियोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर हुई नियुक्ति की जाँच किए जाने के सम्बन्ध में। |
| 35 | श्री रत्नाकर मिश्र | जनपद मिर्जापुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। |
| 36 | श्री राकेश कुमार गोस्वामी | जनपद महोबा के कबरई में पेयजल योजना हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में। |
| 37 | श्री महेश त्रिवेदी | विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में कतिपय मार्गों के विकास कार्य के सम्बन्ध में। |
| 38 | श्री आशुतोष शुक्ल | विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के अन्तर्गत कतिपय मार्ग को स्थाई कराए जाने के सम्बन्ध में। |
| 39 | श्री गुलाम मौहम्मद | जनपद मेरठ के वि0ख0 सरूरपुर में कतिपय मार्ग पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 40 | श्री जवाहर लाल राजपूत | जनपद झांसी में तहसील मोठ के चोपड़ा तालाब में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 41 | श्री भगवान सिंह कुशवाहा | जनपद आगरा के जगनेर में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 42 | श्री अखिलेश यादव | जनपद आजमगढ़ के नहर और राजबहों की सफाई में व्यापक धांधली के सम्बन्ध में। |
| 43 | श्री प्रेम नरायन पाण्डेय | विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र तरबगंज के ग्राम पंचायत ऐली से लोलपुर तक पक्के बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 44 | श्री विवेक कुमार वर्मा | जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अविलम्ब भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 45 | श्री ओम कुमार | वि0ख0 हल्दौर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 46 | श्री देवेन्द्र कुमार निम | जनपद सहारनपुर के वि0ख0 मनिहारान के कतिपय स्थान पर रपटा बनवाने के सम्बन्ध में। |
| 47 | श्री निर्मल वर्मा | विधान सभा क्षेत्र बिसवां में कतिपय मार्ग पर सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 48 | श्री देवेन्द्र सिंह लोधी | विधान सभा क्षेत्र स्याना के कतिपय मार्ग पर सड़क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 49 | श्री प्रेम सागर पटेल | जनपद महराजगंज के कृषि विभाग में कृषि यंत्रो के नाम पर खरीद में हुयी धांधली के सम्बन्ध में। |
| 50 | श्री पल्टूराम | जनपद बलरामपुर में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे मिलने के सम्बन्ध में। |
| 51 | श्री विनोद शंकर अवस्थी | जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कतिपय मार्ग के सड़क मरम्मत किए जाने के सम्बन्ध में। |
| 52 | श्री विनय कुमार द्विवेदी | जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन में डाक बंगले के आधुनिक निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में। |
| 53 | श्री हरिओम | जनपद कासगंज के अमांपुर के ग्राम अडरुआ में एक ही परिवार के पांच लोगों की हुई मृत्यु के पश्चात् मुख्य मंत्री राहत कोष से मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में। |
| 54 | श्रीमती अनुपमा जायसवाल | जनपद बहराइच में शवदाह स्थल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में। |
| 55 | श्री सीताराम वर्मा | विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ में नहरों को पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 56 | प्रो0 श्याम बिहारी लाल | विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम कल्याणपुर से कतिपय मार्ग तक पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 57 | श्री सत्यपाल सिंह राठौर | जनपद एटा के वि0ख0 के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 58 | श्री हृदय नारायण सिंह पटेल | मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित रोड को बनवाने के सम्बन्ध में। |
| 59 | श्री राजीव तरारा | जनपद अमरोहा के गजरौला में सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 60 | श्री पूरन प्रकाश | जनपद मथुरा में मिनी सचिवालयों की स्थापना के नाम पर हो रही धांधली की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 61 | डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा | टी0टी0जेड0 क्षेत्र में दी गयी अनुमति की जाँच के सम्बन्ध में। |
| 62 | श्री संजीव कुमार दिवाकर | लखनऊ के ए0वी0एम कॉलोनी, अर्जुनगंज में नाली के निर्माण और लगे हुये बिजली के खम्भों पर रोड लाइट लगवाने के सम्बन्ध में। |
| 63 | श्री पंकज कुमार मलिक | जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रहरी को राज्य कर्मचारी का दर्जा व मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में। |
| 64 | श्री लक्ष्मी राज सिंह | जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद से कतिपय मार्गों तक बस सेवा संचालित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 65 | श्री महबूब अली | जनपद अमरोहा में कॉटन बेस्ड उद्योग के कारोबारियों को पुनः सब्सिडी दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 66 | श्री बेचई सरोज | जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 67 | श्री राम अचल राजभर | जनपद सन्तकबीरनगर के थाना धनघटा में अपराध सं0-421/23 में पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 68 | श्री लालजी वर्मा | जिला सुल्तानपुर के थाना लम्भुआ में बन्द कैदियों को बिना उ0प्र0 प्रिजनर्स आन प्रोवेशन अधिनियम, 1938 के मानक को बिना पूरा किये रिहा करने के सम्बन्ध में। |
| 69 | श्री ऋषि त्रिपाठी | जनपद महराजगंज के नौतनवां में कतिपय मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। |
| 70 | श्री मदन भैया | जनपद लखनऊ के गोपाल पुरवा निशातगंज में लगे ट्रांसफारमर को किसी अन्य स्थान पर लगाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 71 | श्री राजपाल सिंह बालियान | जनपद अलीगढ़ के ग्राम लोधा में कतिपय परिवार को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 72 | श्री राकेश प्रताप सिंह | जनपद अमेठी के गौरीगंज में अपराध सं0-198/23 में जाँच कराकर न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 73 | श्री समरपाल सिंह | जनपद अमरोहा के नौगावां के ग्राम बीलना में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 74 | श्री प्रकाश द्विवेदी | जनपद बांदा के वि0ख0 महुआ के ग्राम बछेही में बिना मानक के जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करने एवं एडेड किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 75 | डॉ0 विमलेश पासवान | जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगाँव में कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 76 | श्री राजीव गुम्बर | जनपद सहारनपुर में वाहन स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 77 | श्री ओम प्रकाश | गाजीपुर के वि0ख0 भदौरा के ग्राम पंचायत बहुआरा में मनरेगा द्वारा किये जा रहे काम की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 78 | श्री जीत लाल पटेल | जनपद प्रतापगढ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में ग्राम सभा महुवा वनगामी में निर्मित डिग्री कालेज की समिति के जाँच के सम्बन्ध में। |
| 79 | डॉ0 आर0 के0 पटेल | प्रदेश के सभी जनपदों के थानों में बुजुर्ग हेल्प डेस्क बनवाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 80 | श्री शफीक अहमद अंसारी | जनपद रामपुर के नगर पालिका परिषद् स्वार एवं टाण्डा में रोडवेज बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 81 | श्री जय कुमार सिंह जैकी | जनपद फतेहपुर में फतेहपुर विकास प्राधिकरण बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 82 | श्री बाबूलाल | जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी को जिला बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 83 | श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' | जनपद प्रतापगढ़ में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज अझारा को सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 84 | श्री विनोद चतुर्वेदी | जनपद जालौन में नमामि गंगे योजना को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 85 | श्री मनोज कुमार पाण्डेय | विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में माहे पासी किला को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 86 | श्री पंकज गुप्ता | जनपद बांदा व चित्रकूट मण्डल में तैनात जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 87 | डॉ0 विनोद कुमार बिंद | जनपद मिर्जापुर ग्राम सभा बरैनी में शमशान घाट व विश्राम स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 88 | श्री कमाल अख्तर | जनपद मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण में अनावासीय भूमि को आवासीय कराने के सम्बन्ध में। |
| 89 | श्री वीरेन्द्र चौधरी | आर0टी0आई0 एक्टीविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी के उत्पीडन के सम्बन्ध में। |
| 90 | श्री विनोद सरोज | जनपद वाराणसी के ब्लाक चिरईगाँव में ऊर्जा विभाग द्वारा मीटर में फाल्ट दिखाकर बिल के सम्बन्ध में। |
| 91 | श्री रमेश चन्द्र मिश्र | जनपद जौनपुर के बदलापुर के ग्राम तियरा में प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से हाइटेंशन लाइन हटवाने के सम्बन्ध में। |
| 92 | श्री रमेश सिंह | जनपद जौनपुर के शाहगंज में कतिपय सड़क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 93 | श्रीमती पूजा | जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में लोनी नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 94 | श्री पंकज पटेल | जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर में कतिपय मार्गों का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 95 | श्री प्रभु नारायण सिंह यादव | जनपद चंदौली में कतिपय मार्गों को फोर लेन किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 96 | श्री लकी यादव | जनपद जौनपुर के मल्हनी में कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 97 | डॉ0 आर0के0 वर्मा | जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज में कतिपय पीड़िता के घर की जे0सी0बी0 से घर की दीवार गिराये जाने एवं उसको प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 98 | श्री दुर्गा प्रसाद यादव | जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 रानी की सराय में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 99 | श्री जियाउद्दीन रिजवी | जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में अग्निशमन केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 100 | श्री महेन्द्र नाथ यादव | जनपद बस्ती में गोंड जाति के प्रमाण-पत्र बिना जाँच के निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 101 | श्री आशू मलिक | जनपद सहारनपुर के कतिपय मार्गों पर ढमोला नदी पर पुल रपटा तथा तटबंध का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 102 | श्री हाजी नासिर कुरैशी | श्री हाजी नासिर कुरैशी ग्राम पंचायत भोजपुर पीपलसाना व ठाकुरद्वारा विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 103 | श्री फरीद महफूज किदवई | जनपद बाराबंकी के रामनगर में कतिपय मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 104 | श्री मो0 हसन रुमी | कतिपय मार्गों पर इण्टरलॉकिंग व सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 105 | इंजी0 बृजेश कठेरिया | जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र किसनी में भू-माफिया के खिलाफ कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में। |
| 106 | मो0 ताहिर खान | पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में इसौली में कट दिये जाने के सम्बन्ध में। |
| 107 | श्री आनन्द कुमार यादव | जनपद बहराइच की गण्डारा के कतिपय मार्ग पर मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 108 | श्री श्याम सुन्दर | जनपद रायबरेली के बेसिक शिक्षा विभाग में शासनादेशों के विपरीत कनिष्ठ शिक्षकों से विद्यालय संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 109 | श्री इन्द्रजीत सरोज | जनपद कौशाम्बी में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 110 | श्री वीरेन्द्र यादव | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं की पदोन्नति के सम्बन्ध में। |
| 111 | डॉ0 शिव प्रताप यादव | जनपद बलरामपुर के गैसड़ी में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। |
| 112 | श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह | लखनऊ दुग्ध संघ पराग डेरी में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। |
| 113 | श्री रफीक अंसारी | जनपद मेरठ में कतिपय नगर निगम की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 114 | श्री प्रदीप कुमार यादव | जनपद औरैया के दिबियापुर में कतिपय सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 115 | श्री नफीस अहमद | राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्ति में हुयी अनियमितता के सम्बन्ध में। |
| 116 | श्री गौरव कुमार | जनपद बाराबंकी के कतिपय मार्गों का सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में। |
| 117 | श्री जगदीश नारायण राय | सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों द्वारा पठन एवं पाठन के समय अभद्र एवं अनुशासनहीन प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में। |
| 118 | डॉ0 मंजू शिवाच | विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ब्लाक मुरादनगर के गाँव डिडौली में अतिवृष्टि के कारण गाँव में अत्यधिक जलभराव व बीमारी फैलने के सम्बन्ध में। |
| 119 | श्री प्रदीप कुमार चौधरी | जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र में बुलन्दशहर चावली में कतिपय सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 120 | श्री छोटेलाल वर्मा | जनपद आगरा के फतेहाबाद में ठेकेदार द्वारा पानी का ढाल सही न बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 121 | श्री संजय कुमार शर्मा | विभिन्न जनपदों में बी0सी0जी0 टैक्नीशियनों के संवर्ग को अनुपयोगी घोषित कर कैडर डेड कराने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 122 | श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'' | जनपद उन्नाव के भगवंतनगर के तहसील सदर के ब्लाक सिकन्दरपुर में कतिपय तालाब का पट्टा मुक्त कराकर सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में। |
| 123 | श्री आशीष कुमार सिंह आशू | विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां जनपद हरदोई के वि0ख0 बिलग्राम में कतिपय स्थान पर विद्यालय का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 124 | श्री वीर विक्रम सिंह | जनपद शाहजहांपुर के कटरा में वि0ख0 जैतीपर में तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 125 | श्री ज्ञानेन्द्र सिंह | जनपद हरदोई में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नवीन ब्लड बैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 126 | श्री प्रदीप शुक्ला | जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। |
| 127 | श्री अवधेश प्रसाद | जनपद अयोध्या के स्थित गाँव पिठला, थाना कुमारगंज के एक परिवार के 11 सदस्यों की दर्दनाक मौत के सम्बन्ध में। |
| 128 | श्री अभय सिंह | पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज खजुरहट अयोध्या में गणित के प्रवक्ता के अनियमित चयन के सम्बन्ध में। |
| 129 | श्री उमाशंकर सिंह | जनपद बलिया के रसड़ा के ग्रामों में ट्रांसफारमरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 130 | श्री मनोज कुमार पारस | जनपद बिजनौर के नगीना में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 131 | श्री मौहम्मद फहीम इरफान | मुरादाबाद मण्डल के झोजा पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध लम्बित संवैधानिक शिकायत निरस्त होने/करने के सम्बन्ध में। |
| 132 | श्री शहजिल इस्लाम अंसारी | बरेली के भोजीपुरा के अन्तर्गत कतिपय मार्ग का चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। |
| 133 | श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह | 182, सरेनी विधान सभा क्षेत्र जनपद रायबरेली में कतिपय स्थान पर ट्रांसफारमर लगवाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 134 | श्री अमित अग्रवाल | जनपद हापुड़ में कतिपय मार्ग सेतु निगम द्वारा ऐलीवेटेड रोड के निर्माण के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 135 | इंजी0 सरवन कुमार निषाद | जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में कतिपय सडकों एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 136 | श्रीमती केतकी सिंह | जनपद बलिया के बांसडीह में रोडवेज बस चलवाने के सम्बन्ध में। |
| 137 | श्री अनिल कुमार | जनपद जौनपुर के मछलीशहर में कतिपय मार्ग पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 138 | श्री प्रदीप कुमार सिंह | जनपद लखनऊ के कतिपय मार्गों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। |
| 139 | श्री राम चन्द्र यादव | जनपद अयोध्या के रुदौली में सड़क निर्माण व प्रकाश की व्यवस्था के सम्बन्ध में। |
| 140 | श्री मुकेश चौधरी | जनपद सहारनपुर के नकुड़ में कार्डियक कैथलैब की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 141 | श्री जय प्रकाश अंचल | जनपद बलिया के बैरिया में घाघरा नदी पर कटान होने से जनमानस को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में। |
| 142 | श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी | जनपद अमरोहा के हसनपुर में कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। |
| 143 | श्री विवेकानन्द पाण्डेय | जनपद कुशीनगर के खड्डा में प्राथमिक विद्यालयों में टी0ए0सी0 जाँच के सम्बन्ध में। |
| 144 | श्री प्रेम पाल सिंह धनगर | सचिवालय की न्यू ड्राइवर कालोनी डालीबाग में अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में। |
| 145 | श्री अनिल प्रधान | जनपद चित्रकूट के रामघाट में प्रशासन के द्वारा गरीबों के घर गिराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 146 | डॉ0 डी0सी0 वर्मा | जनपद बरेली के मीरगंज में कतिपय फैक्ट्री को सरकार के पक्ष में करवाने के सम्बन्ध में। |
| 147 | श्री मनीष असीजा | भोगनीपुर की शाखा में सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 148 | श्री रमेश जायसवाल | जनपद मुगलसराय में कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 149 | श्री राम कृष्ण भार्गव | सीतापुर के मिश्रिख में जलभराव से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में। |
| 150 | श्री राजेश चौधरी | जनपद मथुरा के तत्कालीन ख0वि0अधि0 की टी0ए0सी0 द्वारा जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में। |

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय |
|---|---|---|
| 151 | श्रीमती सैय्यदा खातून | जनपद सिद्धार्थनगर के बिथरियां में कतिपय मार्ग के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 152 | श्रीमती राजबाला सिंह | जनपद रामपुर के अन्तर्गत पुलिस चौकी अजीतपुर की जाँच एवं सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 153 | डा0 नीरज बोरा | उ0प्र0 आवास विकास परिषद की कालोनियों में स्थित भवनों के भू-उपयोग के सम्बन्ध में। |
| 154 | श्री चन्दन चौहान | जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में जल निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 155 | श्री योगेश वर्मा | लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ परिसर के सरकारी आवास टाइप-1 में अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 156 | श्री अमरेश कुमार | मोहनलालगंज में कतिपय पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में। |
| 157 | श्री राम निवास वर्मा | लखनऊ कैंट आलमबाग में कतिपय मार्ग पर सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में। |
| 158 | श्री सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी | जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में कतिपय मार्ग में पाइप लीकेज व केबल फाल्ट ठीक कराने के सम्बन्ध में। |
| 159 | श्री उमर अली खान | जनपद सहारनपुर के बेहट में कतिपय मार्ग/पुल निर्माण के सम्बन्ध में। |

**जनपद जौनपुर के जिला पंचायत में दिनांक 03-07-2021 से वर्तमान तक किये गये अधोमानक कार्यों के भुगतान की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

**लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-**

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के दौरान श्री रमेश सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत...

**श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने किया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

**श्री जितिन प्रसाद-**

[दी गयी सूचना दिनांक 07-08-2023 पर निर्धारित वक्तव्य दिनांक 11-08-2023 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला पंचायत जौनपुर द्वारा रु0 10.00 लाख से अधिक के विभिन्न कार्यों की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, तत्पश्चात् शासनादेशानुसार ऑनलाइन निविदा विज्ञापन द्वारा ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है, प्राप्त टेण्डरों को सर्वप्रथम टेण्डर समिति द्वारा ऑनलाइन प्राप्त निविदा की तकनीकी बिड खोली जाती है, तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त अर्ह निविदाओं की वित्तीय निविदा खोले जाने के उपरान्त न्यूनतम निविदादाता के नाम से कार्य स्वीकृत किये जाते हैं, जिला पंचायत जौनपुर द्वारा उपरोक्त अवधि में 86.27 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की गयी थीं एवं मात्र 13.73 प्रतिशत ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की गयीं, जिला पंचायत जौनपुर द्वारा आनलाइन एवं ऑफलाइन टेण्डर की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ शासनादेश के अनुरूप निष्पादित किया गया है, किसी भी दशा में शासनादेशों को विचलन नहीं किया गया है। उपरोक्त अवधि में किये गये भुगतान एवं कार्यों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | वित्तीय वर्ष | अवधि | योजना का नाम | प्रा0 शेष धनराशि (लाख रु0) | वर्ष में प्राप्त धनराशि (लाख रु0) | कुल धनराशि (लाख रु0) | व्यय धनराशि (लाख रु0) | शेष धनराशि (लाख रु0) | कुल कराये गये कार्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | 03-07-2021 से 31-03-2022 | चतुर्थ राज्य वित्त | 5487.77 | 143.34 | 5631.11 | 3021.13 | 2609.98 | 381 |
| | | | पंचम राज्य वित्त | 2104.21 | 2420.63 | 4524.84 | 1322.43 | 3202.41 | 166 |
| | | | 15वाँ वित्त | 3775.72 | 2890.63 | 6666.35 | 1582.84 | 5083.51 | 174 |
| | | | **योग** | **11367.7** | **5454.6** | **16822.3** | **5926.4** | **10895.9** | **721** |
| 2 | 2022-23 | 01-04-2022 से 31-03-2023 | चतुर्थ राज्य वित्त | 2609.98 | 41.37 | 2651.35 | 1428.3 | 1223.05 | 550 |
| | | | पंचम राज्य वित्त | 3202.41 | 2722.2 | 5924.61 | 4047.21 | 1877.4 | 466 |
| | | | 15वाँ वित्त | 5083.51 | 3016.74 | 8100.99 | 3392.72 | 4708.27 | 807 |
| | | | **योग** | **10895.9** | **5780.31** | **16676.95** | **8868.23** | **7808.72** | **1823** |
| 3 | 2023-24 | 01-04-2023 से 07-08-2023 | चतुर्थ राज्य वित्त | 1223.05 | 9.08 | 1232.13 | 663.5 | 568.63 | 41 |

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

| क्र0 सं0 | वित्तीय वर्ष | अवधि | योजना का नाम | प्रा0 शेष धनराशि (लाख रु0) | वर्ष में प्राप्त धनराशि (लाख रु0) | कुल धनराशि (लाख रु0) | व्यय धनराशि (लाख रु0) | शेष धनराशि (लाख रु0) | कुल कराये गये कार्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पंचम राज्य वित्त | 1877.4 | 823.08 | 2700.48 | 1024.69 | 1675.79 | 101 |
| | | | 15वाँ वित्त | 4708.27 | 0 | 4708.27 | 1074.84 | 3733.43 | 137 |
| | | | **योग** | **7808.72** | **832.16** | **8640.88** | **2763.03** | **5977.85** | **279** |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों में किए गए भुगतान नियमित एवं शासनादेशों के अनुरूप है, तत्पश्चात् किए गए भुगतान से आयकर, जी0एस0टी0, सेस कर व रायल्टी की कटौती करने के उपरान्त ही ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

| वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 07-08-2023 तक के समस्त योजनाओं के भुगतान का विवरण | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | अवधि | आयकर (धनराशि लाख रु0) | जी0एस0टी0 (धनराशि लाख रु0) | सेस कर (धनराशि लाख रु0) | रायल्टी (धनराशि लाख रु0) | ठेकेदार को भुगतान (धनराशि लाख रु0) | कुल भुगतान (धनराशि लाख रु0) |
| 1 | 2021-22 | 03-07-2021 से 31-03-2022 | 112 | 112 | 56 | 0 | 5316.4 | 5596.4 |
| 2 | 2022-23 | 01-04-2022 से 31-03-2023 | 172 | 172 | 86 | 59.27 | 8095.36 | 8584.63 |
| 3 | 2023-24 | 01-04-2023 से 07-08-2023 | 47 | 47 | 23.5 | 1.72 | 2243.81 | 2363.03 |
| **योग** | | | **331** | **331** | **165.5** | **60.99** | **15655.57** | **16544.06** |

इस प्रकार कार्यालय जिला पंचायत द्वारा किए गए भुगतान के समय ठेकेदारों से प्राप्त एम0एम0-II की जाँच नियमानुसार शासनादेश संख्या-115 (1)/86-2020 दिनांक 15 जनवरी, 2020 के पैरा-2 में उल्लेख किया गया था कि कार्यदायी संस्थाओं में प्रयुक्त उपखनिजों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उस जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराया जायेगा, जहाँ कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किया गया है/कराया जा रहा है, परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से रायल्टी के मद में कटौती की गयी धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी, तत्क्रम में उप खनिज के समतुल्य धनराशि रक्षित करते हुए जाँच हेतु सम्बन्धित जनपद के खान अधिकारी को प्रेषित की गयी थी, किन्तु अभी तक जाँच रिपोर्ट

प्राप्त नहीं हुई। ऐसी दशा में शासनादेशानुसार प्रयुक्त होने वाले उप खनिज के समतुल्य धनराशि रक्षित करते हुए अन्तिम भुगतान कर दिया गया है। तत्पश्चात् रायल्टी की जाँच बारकोड के माध्यम से शासनादेशानुसार की जा रही थी, वर्तमान में शासनादेशानुसार ही भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट https://upmines.upsdc.gov.in/ के माध्यम से जाँच करते हुए अवैध खनन पाये जाने पर 6 गुना की दर से कटौती करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जा रहा है, जिसका उल्लेख उक्त तालिका में किया जा चुका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री कृपाशंकर यादव पुत्र अजय कुमार यादव निवासी ग्राम-कदमरसुल हुसैनाबाद द्वारा दिये गये आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-40019423046552, 40019423046543 का निस्तारण भी कर दिया गया है। एक आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-40019423046550 के निस्तारण कर दिया गया था परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा असन्तुष्ट फीडबैक अंकित किये जाने के कारण उक्त संदर्भ पुनःर्जीवित हो गया है, जिसके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।]

**श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, इस पर मा0 सदस्य को अनुपूरक पूछ लेने दीजिये।

**श्री अध्यक्ष-**

आपको पूरा उत्तर मिल गया है तो अब इसमें अनुपूरक क्या पूछना है। इसके अलावा आपकी अगर कोई अन्य जिज्ञासा है तो आप मा0 मंत्री जी से अलग से मिल लीजियेगा।

## जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में कतिपय स्थान पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विवेकानन्द पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

**लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-**

मान्यवर, जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-खड्डा, ग्राम-भैसहा नरायणी नदी के अपस्ट्रीम में लगभग 38 किमी0...

**श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

**श्री जितिन प्रसाद-**

[की दूरी पर बैराज तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 11.50 किमी0 की दूरी पर 850 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर नदी के दो धाराओं में विभक्त होने के दृष्टिगत

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगभग 5 किमी0 लम्बाई के सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत रु0 47383.98 लाख अनुमानित है। अतः प्रश्नगत सेतु के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम सभा बसडीला के बड़े नाले (तुर्कहा नाला) के प्रश्नगत बगही घाट पर 6x6 मी0 स्पान हेतु रु0 180.00 लाख की लागत के लघु सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

**उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरण सूची में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की सम्मिलित स्थानान्तरित शिक्षिकाओं को वर्तमान जनपद से कार्यमुक्त एवं स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य**

**बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप सिंह)-**

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-832/68-5-2023-133/2022...

**श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।]

**श्री संदीप सिंह-**

[दिनांक 02 जून, 2023 के क्रम में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदनों के आधार पर दिनांक 26-06-2023 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एवं स्थानान्तरण पोर्टल पर शासनादेश दिनांक 02-06-2023 के क्रम में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की स्थानान्तरण सूची प्रकाशित की गयी थी।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित कर आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी गयी है, माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं को याचिका संख्या-13156/2020 महेन्द्र पाल

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध कर दिनांक 13-03-2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है :-

157. All impleadment application stands allowed.

158. Since, it has been directed that the select list dated 01-06-2020 to be revised in view of the observation made in this Judgment, the select list of 6800 dated 05-01-2022 stands quashed.

159. Reservation should not be in any circumstances more than 50% of the total seats.

160. All the Writ petitions are disposed of in the aforesaid terms and all interim orders stands vacated.

161. In the facts of the present case, there shall be no orders as to cost.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-03-2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-172/2023 महेन्द्र पाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित है जो विचाराधीन है।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पारित होने वाले आदेश का अनुपालन करने पर चयनित अभ्यर्थियों के चयन एवं जनपद आवंटन सूची में परिवर्तन की सम्भावना से होने वाली शासकीय व विधिक कठिनाई के दृष्टिगत कार्यमुक्त नहीं किये जाने के आदेश दिये गये थे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन विशेष अपील संख्या 172/2023 महेन्द्र पाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में सुनवाई के लिये दिनांक 17-07-2023 एवं दिनांक 26-07-2023 निर्धारित की गयी थी। पुनः दिनांक 22-08-2023 सुनवाई के लिये तिथि निर्धारित की गयी है, में समय लगने की सम्भावना के कारण 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को प्रकरण में योजित विशेष अपील संख्या-172/2023 महेन्द्र पाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, उक्त विशेष अपील में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन कार्यमुक्त करने का निर्णय लेते हुए उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या-बे0शि0प0/22830-909/2023-24, दिनांक 09-08-2023 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षक एवं शिक्षिका जिनका स्थानान्तरण किया गया है, को नियमानुसार कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिये गये हैं।]

**राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में कार्यरत संविदा कर्मियों के अनुबन्ध का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य**

**सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर)-**

मान्यवर, जनहित में लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए...

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य सहकारिता मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

**श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-**

[अवगत कराना है कि सहकारिता विभाग की संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ में कार्यरत संविदा कर्मियों के अनुबन्ध का नवीनीकरण उनके पक्ष में उच्च न्यायालय प्रयागराज की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 02-04-2022 एवं 25-03-2023 को पारित आदेश के बावजूद नहीं करने से उनके परिवार गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय मुद्दे पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (शीत0), सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 09-08-2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर स्थिति निम्नवत् है:-

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उसके साथ पठित उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के अन्तर्गत निबन्धित एक शीर्ष सहकारी समिति है। जिसे उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्त शीर्ष सहकारी समिति को तृतीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) द्वारा उ0प्र0 सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आवंटित निर्माण परियोजनाओं को पूरी पारदर्शिता, समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाता है।

उल्लेख करना है कि नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा दिनांक 02-04-2022 एवं 25-03-2023 में कोई आदेश पारित नहीं

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया है। उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 27-03-2023 पारित किया गया है।

प्रकरण में कतिपय संविदा कर्मियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका (रिट-ए) संख्या-3451/2022 योजित की गयी। उक्त याचिका के साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में 05 अन्य याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 05 याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में दाखिल की गयी हैं। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिकाओं की मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 27-03-2023 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत संघ के विभिन्न संवर्गों में अनुबन्ध पर कार्मिकों की आवश्यकता व उनके पिछले कार्य अनुभव/व्यवहार का परीक्षण करने हेतु संस्था द्वारा 06 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

तद्क्रम में संघ के स्तर से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।]

***श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ में अनुबन्ध सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता लिपिक सहयोगी के पद पर प्रदेश के विभिन्न प्रबन्धकों में दशकों से काम कर रहे थे।

**श्री अध्यक्ष-**

जो उत्तर आया है उस पर यदि कोई स्पष्टीकरण पूछना हो तो वह पूछ लीजिए।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का अन्तिम आदेश 27-03-2023 को हुआ था। लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी संस्था के प्रबन्ध निदेशक यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लखनऊ के द्वारा 6 सदस्यीय कमेटी जो दिनांक 02-05-2023 को गठित की गयी है। मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि गठित कमेटी को लगभग 3 माह का समय बीत गया है अभी तक कोई भी कार्यवाही कमेटी द्वारा नहीं की गयी है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहता हूँ कि मंत्री जी सदन में यह बतायें कि जो कमेटी तीन महीने पहले बनायी गयी है उसने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि हालात यह हैं कि इसमें कई लोगों की मौत भी हो गयी है यह निर्णय गलत होने की वजह से 5 कर्मियों की मृत्यु हो गयी है मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको हर हालत में आश्वासन समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जिससे कि जल्द से जल्द इसका उत्तर आ सके। मा0 मंत्री जी यह विषय बहुत ही गम्भीर है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य महोदय ने जिस सम्बन्ध में बात की है उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ इस सम्बन्ध में बताना चाहूँगा कि जो अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारी थे उनको फिर से अनुबन्ध पर रखने के लिए नवीनीकरण किया गया, यह लोग मा0 उच्च न्यायालय में गये, उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, इन्होंने प्रश्न में गलत जानकारी दी इन्होंने कहा कि 02-04-2022 एवं 25-03-2023 को कोई निर्णय हुआ ही नहीं है। 27-03-2023 को अन्तिम निर्णय आया है और तत्काल बाद उसमें हमने 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। मा0 उच्च न्यायालय ने कहा कि इनका कार्य व्यवहार और पुराने अनुभव का परीक्षण करके फिर से अनुबन्ध पर रखा जाए। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 अध्यक्ष जी, इसको समयबद्ध करा दीजिए, क्योंकि 3 महीने तो हो ही गए हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर इसको समयबद्ध नहीं किया जा सकता है।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 अध्यक्ष जी, 6 सदस्यीय कमेटी 02-05-2023 को गठित हुई थी तब से 3 महीने हो गये है। तीन महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसमें थोड़ा सा समयबद्ध करा दीजिए।

**श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-**

मा0 अध्यक्ष जी, एक चीज की और जानकारी देना चाहूँगा कि मा0 उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि इसे 3 महीने में करना है या 6 महीने में करना है। दूसरा मा0 न्यायालय ने यह भी कहा है कि आपको जितने कार्मिकों की आवश्यकता हो उनका परीक्षण करें, उनको रखें और अभी मान लीजिए कि हमें एक भी कार्मिक की आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों रखूँगा ? यह स्थिति है। जब हमको आवश्यकता होगी तभी कार्मिक रखेंगे अन्यथा नहीं रखेंगे।

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 मंत्री जी, 27-03-2023 को न्यायमूर्ति द्वारा उक्त याचिका को कर्मचारी के पक्ष में निस्तारित किया जा चुका है।

**श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-**

मैं कह रहा हूँ कि जब मा0 उच्च न्यायालय ने कहा कि जितने कर्मचारियों की आपको आवश्यकता हो उतने आप रख लीजिए। जब मुझे एक भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों रखूँ ?

**श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 अध्यक्ष जी, फिर कमेटी क्यों बनी है ?

**उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एवं स्केलेटर अधिनियम लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह एवं श्री पंकज सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

**नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-**

मान्यवर, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन...

**श्री धीरेन्द्र सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

**श्री अरविन्द कुमार शर्मा-**

[2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापनों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण/परीक्षण करके रिपोर्ट जारी की जाती हैं। नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित विभिन्न लिफ्ट्स/एस्केलेटर्स के विद्युतीय अधिष्ठापनों का विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट जारी की गयी हैं। प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण और ऊँची इमारतों के प्रसार से लिफ्ट का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर अधिनियम प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।]

**श्री धीरेन्द्र सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम है यह कब तक प्रख्यापित हो जाएगा, क्योंकि बहुत दुर्घटनायें हो रही हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

आपको उत्तर मिला होगा, क्या आपने उत्तर पढ़ा है ?

**श्री धीरेन्द्र सिंह-**

जी मान्यवर, पढ़ा है।

**श्री अध्यक्ष-**

इसमें यदि कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**श्री धीरेन्द्र सिंह-**

मान्यवर, मैं समय जानना चाहता हूँ।

**श्री अरविन्द कुमार शर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य को आपके माध्यम से धन्यवाद भी दूँगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और इस पर सरकार पूरी तरह से सजग है। हम लोगों ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और यह हमारे हाथ में भी है। शीघ्र ही हम इसको सदन के समक्ष ले आयेंगे।

**जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत कृष्णालोक कालोनी में 11वीं की छात्रा की करेन्ट लगने से हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

**नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-**

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09-08-2023 को...

**श्री धीरेन्द्र सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

**श्री अरविन्द कुमार शर्मा-**

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत कृष्णा लोक कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ की रहने वाली लखनऊ पब्लिक स्कूल, साउथ सिटी में शिक्षारत 11वीं की छात्रा कीर्ति द्विवेदी पुत्री श्री विनीत द्विवेदी, दिनांक 05 अगस्त, 2023 को फिनिक्स माल के पास आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग से वापस आते समय विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण पोल पर आ रहे करेण्ट के लगने से मौत हो गयी है। कु0 कीर्ति द्विवेदी जे0ई0ई0 मेन्स की तैयारी कर रही थी, जिसके कारण इनका परिवार काफी आहत है। विद्युत विभाग की इस लापरवाही से जनसामान्य में आक्रोश व्याप्त है। ऐसी स्थिति में विभागीय लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कराए जाने की मांग की जा रही है।

2-उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया गया है :-

1-प्रश्नगत दुर्घटना स्थल के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि दुर्घटना स्थल पर लगा हुआ पोल गैल्वेनाइज्ड है एवं जंक्शन बॉक्स में कनेक्शन हेतु केबिल भूमिगत कराया

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। प्रश्नगत पोल में लगाई गई एल0ई0डी0 फिटिंग एवं इसके अनुरक्षण का कार्य फर्म ई0ई0एस0एल0 द्वारा किया जाता है।

2-दिनांक 05-08-2023 को भारी वर्षा हो जाने के कारण उक्त पोल के आस-पास अत्याधिक जल भराव हो गया था, जिसके कारण पोल के जंक्शन बॉक्स तक पानी पहुंच गया था। पोल के जंक्शन बॉक्स से स्ट्रीट लाइट के कन्डक्टर तक केबिल का रख-रखाव फर्म ई0ई0एस0एल0 द्वारा किया जाता है।

3-लाइटें मरम्मत करने हेतु केबिल कनेक्शन के उपरान्त फर्म ई0ई0एस0एल0 द्वारा समुचित इन्सुलेटेड टेपिंग नहीं कराई गयी थी तथा बिना परीक्षण कराये एल0ई0डी0 फिटिंग को ऊर्जीकृत कर दिया गया, जिससे सम्भवतः करेन्ट पानी में प्रवाहित हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप उक्त दुर्घटना हुई।

इस प्रकार प्रश्नगत दुर्घटना के लिए प्रथम दृष्टया फर्म ई0ई0एस0एस0 को उत्तरदायी पाया गया है। तदोपरान्त फर्म ई0ई0एस0एल0 के विरुद्ध प्राथमिकी (एफ0आई0 आर0) दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही त्वरित राहत के तौर पर मृतक के परिजनों को रु0 06.00 लाख की धनराशि का मुआवजा दिये जाने हेतु फर्म को निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त अनुरक्षण कार्य का पर्यवेक्षणीय दायित्व रखने वाले नगर निगम के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने की कार्यवाही भी की जायेगी।]

## जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सलोना कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

**वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद शाहजहाँपुर के 133 तिलहर...

**श्री धीरेन्द्र सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

[ग्राम पतराजपुर स्थित आराजी गाटा संख्या-133 के 1/3 भाग का फर्जी बैनामा करा कर, सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया गया, तथा सरकारी नाले पर भी अतिक्रमण कर दिया गया एवं नेशनल हाई-वे की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया। उक्त भूमि पर अवैध कब्जा सचिन वर्मा पुत्र रोशन लाल द्वारा किया गया।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित से सम्बन्धित इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, उपरोक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए, तथा दोषी व्यक्तियों के प्रति कठोर कार्यवाही की जाये।

**आख्या**

ग्राम पतराजपुर, परगना निगोही, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर की गाटा संख्या 133 रकवा 0.397 हे0 सूफिया खानम, जगदीश व मनीराम आदि के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज उद्धरण खतौनी है। उक्त खतौनी में न्यायालय नायब तहसीलदार निगोही द्वारा वाद संख्या टी-202112610301846/09-07-2021, विलेख सं0-2291, दिनांक 08-02-2021 के आधार पर श्रीमती सूफिया खानम पत्नी अयूब खाँ नि0 ग्राम का नाम निरस्त कर क्रेता सचिन कुमार वर्मा पुत्र रोशन लाल वर्मा नि0 ग्राम निगोही दर्ज किये जाने हेतु आदेश दर्ज है तथा उक्त गाटे पर मौके पर आबादी बनी हुई है।

पूर्व खतौनी में उक्त ग्राम की गाटा संख्या-133 रकवा 0.397 हे0 अयूब खाँ पुत्र नन्हू खाँ तथा जगदीश व मनीराम आदि के नाम दर्ज उद्धरण खतौनी है। उक्त खातेदारों में अयूब खाँ पुत्र नन्हू खाँ नि0 ग्राम की मृत्यु उपरान्त वरासत उनके विधिक वारिस श्रीमती सूफिया खानम पत्नी अयूब खाँ के नाम दर्ज की गई। उसके उपरान्त उक्त भूमि का बैनामा के आधार पर अन्तरण सचिन कुमार वर्मा पुत्र रोशन लाल वर्मा नि0 ग्राम निगोही किया गया जो वर्तमान में भी उद्धरण खतौनी में दर्ज है।

मा0 न्यायालय ए0सीजे0एम0-II/अपर सिविल जज सी0डि0 शाहजहाँपुर में योजित वाद संख्या-94/2009, मकसूद खाँ बनाम श्रीमती सूफिया आदि में पारित निर्णय दिनांक 18-12-2012 में वादग्रस्त सम्पत्ति के शिड्यूल 1,2 व 3 में वर्णित मकान व दुकानात तथा लाइसेंसी हथियार रिवाल्वर व बन्दूक में वादी मकसूद खाँ (शिकायतकर्ता के पिता) का 1/2 आधा भाग अलग करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रारम्भिक डिक्री तैयार किये जाने का निर्णय किया गया। शिकायती प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी पत्र शेड्यूल-III के हैं।

उक्त आराजी से सम्बन्धित एक वाद मा0 न्यायालय सिविल जज सी0डि0 शाहजहाँपुर में योजित वाद संख्या-78/2021, अजीम बनाम अरुण चौधरी तथा सचिन वर्मा इत्यादि विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 08-02-2021 पारित किया गया है।

उक्त आराजी से सम्बन्धित एक अन्य वाद मा0 न्यायालय सिविल जज सी0डि0 शाहजहाँपुर में योजित वाद संख्या-100/2021, अजीम बनाम सचिन कुमार वर्मा में बैनामा विलेख संख्या 2291/08-02-2021 को निरस्तीकरण हेतु वाद विचाराधीन है। अतः ग्राम पतराजपुर परगना निगोही की गाटा संख्या-133 रकबा 0.397 हे0 जो उक्तानुसार खातेदारों के नाम दर्ज है। जिसका कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वर्तमान में मौके पर कोई निर्माण कार्य

नहीं हो रहा है। उक्त गाटे के सम्बन्ध में मा0 सिविल न्यायालय सी0डि0 शाहजहाँपुर में दो वाद विचाराधीन हैं। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

**जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में गांगनौली शुगर मिल पर किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का केवल वक्तव्य**

**वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 सदस्य, विधान सभा के द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर...

**श्री धीरेन्द्र सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

[में गांगनौली शुगर मिल में गन्ना किसानों का दिसम्बर, 2022 तक के बाद अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया है जिससे इस क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। सम्बन्धित मिल में किसान गन्ना भुगतान कराने हेतु प्रार्थना-पत्र व आवेदन दे रहे हैं, परन्तु मिल द्वारा किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जनहित में दिसम्बर, 2022 के बाद का भुगतान कराने हेतु गांगनौली शुगर मिल, सहारनपुर को आदेशित किया जाना नितान्त आवश्यक है। तत्क्रम में नियम-51 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चीनी मिल गांगनौली बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 समूह की एक इकाई है, जो जिला-सहारनपुर में स्थित है। इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 9,000 टी0सी0डी0 है।

प्रश्नगत चीनी मिल ने पेराई सत्र, 2006-07 से अपना पेराई कार्य प्रारम्भ किया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चीनी मिल गांगनौली द्वारा पेराई सत्र 2007-08 से 2011-12 तक कुल 211.38 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुए कुल रु0 399.54 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया था। इसी प्रकार पेराई सत्र, 2012-13 से 2016-17 तक कुल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

245.77 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुए कुल रु0 698.33 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया था।

वर्तमान सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-18 से 2022-23 तक 06 पेराई सत्रों में कुल 577.03 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कराते हुए कुल रु0 1,674.61 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है, जो विगत 10 पेराई सत्रों की गन्ना पेराई एवं कृत गन्ना मूल्य भुगतान से भी अधिक है।

अद्यतन सूचना दिनांक 09-08-2023 के अनुसार बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, गांगनौली द्वारा पेराई सत्र, 2021-22 के अन्तर्गत कुल देय गन्ना मूल्य रु0 359.61 करोड़ के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत चीनी मिल गांगनौली द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 356.46 करोड़ के सापेक्ष रु0 157.18 करोड़ का भुगतान किया गया है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु प्रश्नगत चीनी मिल को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023 एवं 22-06-2023 को नोटिसें निर्गत की गई हैं। इसके साथ ही समय-समय पर सक्षम स्तर से आहूत समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी चीनी मिल को अवशेष गन्ना मूल्य के शीघ्र भुगतान हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार गांगनौली चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों की समस्याओं एवं गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं गम्भीर है।]

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष-**

नियम-300 छूट गया था। आज नियम-300 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। जिसमें पहली सूचना डा0 पल्लवी पटेल जी की थी। लेखपाल भर्ती नियम-300 में नहीं आती। दूसरी सूचना मनोज कुमार पाण्डेय जी की है। तीसरी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक जी की थी। रेलवे कूपन नियम-300 में कैसे आ जायेगा ?

**श्री पंकज कुमार मलिक-**

मान्यवर, एक मिनट में बात आ जायेगी। आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में आ जायेगी।

**वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यह नियम-300 में नहीं आता। इससे कोई व्यवस्था संचालित नहीं होती।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष-**

ये कह रहे हैं कि आता है तो एक लाइन में सुन लेते हैं कि क्या होता है।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, ये बतायें कि ये आने वाली पीढ़ियों को कार्यवाही में क्या देना चाहते हैं ?

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ, आता है।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, यह गलत परम्परा है। यह नहीं पड़नी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष-**

नहीं पड़ेगी। कूपन का मामला नियम-300 में नहीं आता। मनोज जी की सूचना पर आते हैं। आप बोल दीजिए, ग्राह्यता के लिए सुनी जायेगी। यह सबसे सम्बन्धित है। बहुत इम्पॉर्टेन्ट बात है। आज लास्ट डे है, इसलिए सुन रहा हूँ।

## [05:36] विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों के शिलापट पर विपक्ष के विधायकों का नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से सदन का ध्यान एक औचित्य के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ। विधान सभा के विगत सत्रों में माननीय जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत के द्वारा कार्य कराये गये। कार्य स्थानों में शिलापट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नाम लिखे जाने के दिशा-निर्देश यहां से जारी किये गये। परन्तु सरकार की उदासीनता के चलते विपक्ष के विधायकों के साथ भेद-भाव हो रहा है। उनके नाम शिलापट पर नहीं लिखे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं संशोधन करते हुए यह कहना चाहता हूँ, कुछ अपने शब्द वापस लेते हुए कि यह सही है। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं, विधायक हैं। उन क्षेत्रों में जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम विकास, पी0डब्लू0डी0, आर0ई0एस0, गन्ना विभाग या विभिन्न विभाग जो विकास कार्यों को सम्पादित करते हैं उनमें प्राधिकरण लोकल डेवलेपमेन्ट अथॉरिटी है। मैं ऐसे करीब 70 फोटोग्राफ उत्तर प्रदेश की लाया हूँ। केवल एक विधान सभा क्षेत्र की नहीं है। वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक हैं। वहाँ विधायक का नाम गायब है और दो जगह तो ऐसे लिखे हुए मिले कि अगर उनको पढ़ना हो तो सूक्ष्मदर्शी से पढ़ा जा सकता है। सामान्य ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता। हम चुनकर आये हैं। उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। विधान सभा, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार में उसके लिए लिखा-पढ़ी करते हैं, प्रयास करते हैं। नीचे तक जाते हैं। कई बार शासनादेश के बाद भी शिलापट पर अगर विधायक का नाम न रहे तो निश्चित रूप से यह हम लोगों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अमर्यादित है। माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक बात है कि खन्ना साहब बहुत सीनियर आदमी हैं। लेकिन मैं यहीं की एक घटना बता दे रहा हूँ। औचित्य में न आये तो आप अस्वीकार कर दीजिएगा। मुझे दिल्ली जाना था। मेरे पास कूपन खत्म हो गये थे। मैंने देखा मेरा विषय छूट गया। मेरा अगला क्रम था। मैंने सोचा कि हमारे पास कूपन नहीं है मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा। यह औचित्य में आता है। हमारा प्रश्न छूट गया।

**श्री अध्यक्ष-**

मनोज जी, जो आपने पहले कहा वह गम्भीर मामला है। उसके ऊपर आयें। आपका आगे लिखा नहीं जायेगा। इनका माइक बन्द कर दें।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री आप शिलापट पर बोलिए। मा0 मनोज पाण्डेय जी, आप बैठिए प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि उसका उत्तर आये तो बैठ जाइये प्लीज।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 सदस्यों ने बात उठाई है तो इसका पहले से ही शिलापट पर नाम लिखने का शासनादेश जारी हो रखा है आप कहें तो मैं आपको यह आदेश भेज दूं। हम इसको फिर से सुनिश्चित करवा देंगे कि मा0 सदस्यों का नाम उनके क्षेत्र में होने वाले काम के शिलापट पर लिखा हुआ होना चाहिए यह हम सुनिश्चित करा देंगे। इसमें सरकार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो सरकार शासनादेश ही क्यों जारी करती।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जो शासनादेश जारी हुआ है उसका आप अनुपालन सुनिश्चित करा दीजिए।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, हम इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

यह नियम-300 में नहीं आता है इसको अग्राह्य किया जाए।

## विधान सभा की कार्य शैली में डिजिटल पद्धति लागू करने तथा सदन के संचालन में सहयोग हेतु आभार

**श्री अध्यक्ष-**

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो शासनादेश जारी किया था उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इसको सुनिश्चित कराने के लिए आदेश दिये हैं। कई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अफसरों के ऊपर यह भी बात सामने आयी है मा0 मंत्री जी जो स्थानीय स्तर के जो विकास के कार्य होते हैं उसका अधिकारी लोग अपने-आप से फीता काट देते हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाते हैं वह विधायक हो या सांसद हो या प्रभारी मंत्री हो तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी जो सरकार से सम्बन्धित विषय हो या प्रभारी मंत्री जी के द्वारा या वहाँ पर सांसदों या विधायकों की भागीदारी आवश्यक हो अधिकारी वह काम नहीं करे जो जनप्रतिनिधियों को करना है। इस बात को मेरी आप सुनिश्चित करा लेंगे ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष जी, 7 अगस्त, 2023 से दूसरा सत्र प्रारम्भ हुआ बड़ी संख्या में तारांकित प्रश्न नियम-56, नियम-51 और नियम-301 और नियम-300 की नोटिसें विपक्ष और सत्ता पक्ष से भी दी गयी समग्र चर्चा जो उत्तर प्रदेश की समस्या थी सूखा, बाढ़ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम मा0 सदस्य जहाँ तक कि वरिष्ठ मंत्रीगणों ने भी चर्चा पर भाग लिया उनके सुझाव भी आये हैं उनकी समस्या भी आयी है, लेकिन इन सबके अतिरिक्त आज हम यह कहना चाहते हैं कि विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आपने जो एक नये तरीके की विधान सभा नये तरीके की पद्धति नयी शुरुआत आपने देने का काम किया है उसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक हम जैसे सदस्यों को गौरवान्वित करने का काम किया है। हम सबको कहीं न कहीं अपने सम्मान में अपनी शक्ति में अपनी ऊर्जा में नयी ताकत का संचार हुआ है। चाहे सवाल इलेक्ट्रानिक सबजेक्ट का हो जो हम लोगों के सामने लगा है, चाहे यहां की गैलरी का सवाल हो। हम सदस्यों ने कभी कल्पना नहीं की थी तो आपने उत्तर प्रदेश के हम 403 विधायकों की फोटो और उनका इतिहास देने का काम किया है। यह आने वाले दिनों में हम सबके लिए बहुत सुखद और सम्मान का परिचायक होगा। हमारे एक रिलेटिव कर्नाटक से आये थे। हमने उनसे पूछा कि आपको लखनऊ में कहाँ घुमा दे तो उन्होंने कहा कि पहले हमें अपनी विधान सभा में घुमा दीजिये क्योंकि विधान सभा से अच्छी कोई और देखने की जगह नहीं है। उस समय हमको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि कम से कम आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा उस ओर चल पड़ी है। आपने 67 साल के लम्बे अन्तराल के बाद नियमों में भी परिवर्तन किया है। विधान सभा की जितनी तमाम इण्टरनल समितियां हैं आपने उनको कहीं-न-कहीं सशक्त करने का काम किया है। मैं सदैव से इस चीज का अनुयायी हूँ और सदैव आपका संरक्षण चाहता हूँ। हमारे सामने बैठे हुये जो साथीगण हैं मैं उन सबसे भी यह कहता हूँ कि हम जिस स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की जिन शक्तियों की बात करते हैं, हम जिनका परिपालन कराने की बात करते हैं उसमें विधायिका सबसे महत्वपूर्ण है। विधायिका के मजबूत और परिपूर्ण हुये बिना लोकतंत्र की मजबूती का स्वप्न नहीं देखा जा सकता है। आप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस दिशा में आगे लगातार बढ़े हैं। आपके इस चेयर पर बैठने के बाद उ0प्र0 विधान सभा में अवमानना मामले की कार्यवाही को पूरे हिन्दुस्तान ने देखा है और उससे एक नजीर मिली है। इससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में विधान सभा के सदस्यों के सम्मान और अधिकार स्वतः बिना कुछ कहे बढ़ोत्तरी हुई है जिसके लिए हम आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। मैं एक अन्तिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुये हैं और वह हम लोगों के संरक्षक हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कभी-कभी कह देते हैं कि हम दांत के डाक्टर हैं और आप गांठ के दर्द की बात हमसे करते हैं। दलीय बैठक में स्पष्ट रूप से हमारी मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 नेता सदन जी ने कह दिया था कि हमने सारे अधिकार इनमें निहित कर रखे हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

चलिये। आप बैठिये।

**श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

हमने कई बार विधायक निधि पर जी0एस0टी0 का विरोध किया है। हमारा कहना है कि कम से कम राज्य सरकार उसकी प्रतिपूर्ति कर दे।

**श्री अध्यक्ष-**

पाण्डेय जी आप बैठिये। मा0 श्री राजपाल सिंह बालियान जी आप बोलिये।

(माइक ऑफ होने पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य द्वारा बोलते रहने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

इस समय का यह विषय नहीं है। आप जबर्दस्ती मत कहिये। आपका बोला लिखा नहीं जा रहा है और आपका माइक भी बन्द है। पाण्डेय जी का कुछ भी लिखा नहीं जायेगा। पाण्डेय जी बैठिये, आप क्यों उस लाइन पर जाना चाहते हैं। आज आखिरी दिन है। अब आज वैसे भी नहीं निकालेंगे आपको। आप कृपया बैठिये। आपके लिए मुझे तीन बार बोलना पड़े तो यह आपके लिए भी शोभा नहीं देगा और मुझे भी शोभा नहीं देगा। श्री बालियान जी, कृपया आप बोलिये।

***श्री राजपाल सिंह बालियान-**

मा0 अध्यक्ष जी, आप जब से अध्यक्ष चुने गये तब से पूरी विधान सभा में परिवर्तन हुआ है जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। आदरणीय स्व0 केशरी नाथ त्रिपाठी जी के कार्यकाल में वर्ष 2002 में एक सूची पट्ट लगाया गया था जिसमें उस समय के विधायकों के नाम हैं। उससे पहले और उसके बाद कभी भी उस प्रकार का सूची पट्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं लगाया गया। आपके आने के बाद हम जिधर से निकलते हैं उधर सभी सदस्यगणों के फोटो दिखते हैं। आपने विधान सभा को जिस तौर-तरीके से चमकाया है वह काबिले तारीफ है। आप हम लोगों को जिस प्रकार से संरक्षण देते हैं और हमारी बात को मानते हैं उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। इस बार एक सदस्य के द्वारा थोड़ी-सी नाराजगी आई थी जिसके लिए हम लोगों ने आपसे क्षमा याचना की थी। आप बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको लम्बी आयु दे और दिनों-दिन आपकी कीर्ति बढ़ती रहे। अगर आप चाहें कि मैं एम0पी0 का चुनाव लड़ लूं, तो हम सब विरोध करेंगे। हम सभी लोग चाहेंगे कि आप हमारे विधान सभा अध्यक्ष ही रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, आज हम इस मानसून सत्र के अन्तिम दिन विदाई के समय में खड़े हुये हैं। निश्चित रूप से इस पांच दिन के मानसून सत्र को आपने अपनी कार्यकुशलता से और पीठ पर अपने प्रभाव से लोगों को दिल को जीतते हुये पांच दिन के इस सूक्ष्म समय में भी आपने एक दिन भी एजेण्डे में हमारे सब्जेक्ट को जाया नहीं होने दिया। बल्कि रोज की कार्यवाही को आपने प्रॉपर तरीके से सम्पन्न कराकर आपने विद्वता का परिचय दिया। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हम सभी आपके बहुत ही अनुज हैं और हम लोग हमेशा आपसे कुछ सीखते हैं। लेकिन कोई सदस्य हमारे चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों अपनी-अपनी बात कहते समय अगर हम सभी से कहीं कोई उस तरह का भाव निकला हो तो हमें अपना अनुज समझते हुये हमें क्षमा करेंगे। अध्यक्ष जी, जब से आप पीठ पर बैठे जिस तरह से आप रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, आज नियम समिति के जिस प्रस्ताव को आपने नियमावली, 2023 के रूप में प्रख्यापित किया, आने वाले दिनों में जो भी संसदीय कार्य मंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों जो भी अपनी बात को रखेंगे, जो हमेशा 1958 की चर्चा करते थे, पर आप रहें या न रहें, बल्कि हम चाहते हैं हमारी शुभकामना हैं इससे भी अधिक आगे आप जायें। हो सकता है कि हम लोग भी पीछे-पीछे रास्ता पकड़कर वहीं आ जायेंगे, लेकिन हम अपने लिये आपको यहाँ पर बैठाये रहें यह उचित नहीं होगा। अध्यक्ष जी, आपने जिस तरह से अभी नियम-56 में नियमित वर्षा का प्रकरण जो मैं लेकर आया था उस पर आपने तीन आपने इतनी अच्छी चर्चा करायी, मैं तो इतने दिनों से देख रहा हूँ कभी ऐसी चर्चा नहीं हुयी। मैं पूरे समय में बैठता हूँ, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि आपके नेतृत्व में तीन दिन की चर्चा के समापन में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों लोगों ने उसको कन्क्लूड किया यह भी अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। मा0 अध्यक्ष जी, केवल आपसे एक आग्रह है और वह भी आपके ही द्वारा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप राइट देखते हों या लेफ्ट देखते हों, आप कभी-कभी सीधा भी देखते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जब आप सीधा देखेंगे तो फिर केवल आप एक काम और कर दें, क्योंकि अधिक से अधिक सदन चलाने की चर्चा होती है उसमें यह कहा जाता है कि आपने कितने दिन चलाया और आपने कितने दिन चलाया। यह तो चलता रहेगा। लेकिन आप सरकार पर यह भी दबाव बनाइये और इस चीज को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी चाहते हैं हमारी अकेले में बात हुयी थी उन्होंने कहा कि हम भी इसके पक्षधर है कि हम अपने संसदीय कार्यकाल में यह बात सिद्ध करें कि हम अधिक से अधिक सदन को चलायें। 90 दिन न भी चले लेकिन थोड़ा अधिक दिन चले। लेकिन आप अभी तक के सारे रिकार्ड को तोड़कर अधिक ले जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आप उन सभी रिकार्डों को तोड़कर अधिक ले जा रहे हैं। हम वह आपसे ही कह सकते हैं, क्योंकि उसको आप ही पूरा करा सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी आपका पुनः एक बार बहुत-बहुत आभार और सभी मा0 सदस्य सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोगों ने आप जैसे मा0 अध्यक्ष जी को पाया है। 402 मा0 सदस्यों एवं अपने आपको अलग करके और आपने पूरे भारतवर्ष में इस विधान सभा के माध्यम से हम सबके सम्मान को बढ़ाया है उसके लिए हम सभी मा0 सदस्य आपके आभारी हैं।

***श्री दुर्गा प्रसाद यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी आज 07 तारीख से 11 तारीख हो गयी है। आपने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, खासतौर से आपने विपक्ष के मा0 सदस्यों को सम्मान एवं बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैंने वर्ष 1985 में पहला चुनाव जीता था और जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है और तब से लेकर आज तक मैं नौवीं बार विधायक बनकर इस सदन में आया हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे विधान सभा अध्यक्षों को देखा है, लेकिन आज इतना सम्मान विपक्ष को किसी ने नहीं दिया है जितना आपने विपक्ष को सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को चाहे सत्तापक्ष या विपक्ष के विधायक हों सभी को जनता ने चुनकर भेजा है। हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं और आपने सभी को मौका दिया है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और जनता ने इनको भी लगातार चुनकर सदन में भेजने का काम किया है। आपने तो निर्देशित करने का काम किया है और हम लोग आपके संरक्षण में रहते हैं। आप जो सम्मान मा0 सदस्यों को दे देते हैं मैंने देखा है कि आज तक उतना सम्मान किसी ने भी नहीं दिया है। आपने विधान सभा की रूप रेखा को बदल दिया है। इस गलियारे को पिछली सरकारों में दबा दिया गया था, लेकिन मैंने कई बार कहा कि इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। परन्तु आपने सभी कुछ हटवा दिया है अब एक नये तरीके से आपने विधान सभा को चमकाने का काम किया है। आज लाइट लगी है तो हमें मालूम होता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जैसे कोई फाइव स्टार होटल हो। यहां पर बाहर राज्यों से कमेटियां आती है और हम लोग कमेटी के माध्यम से बाहर के राज्यों में जाते हैं तो मुझे बहुत सारी विधान सभाओं को देखने का मौका मिला है, लेकिन यहां आने के बाद अबकी बार ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे संरक्षक मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी ने इस तरह की रूप रेखा विधान सभा को दी है, विधान सभा को चमकाने का काम किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विधान सभा है। आपने अच्छी तरह से सदन का संचालन किया है, सभी मा0 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमने देखा है कि विधान सभा में बहुत परिवर्तन हुआ है। इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 सदस्य मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अवधेश जी आप बहुत सीनियर नेता है आप बोल लीजिए।

***श्री अवधेश प्रसाद-**

माननीय अध्यक्ष जी, यूं तो मुझे कई माननीय अध्यक्षों के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ आपने केवल चेयर की शोभा नहीं बढ़ाई है, बल्कि सारी विधान सभा के जितने हम जैसे सदस्य हैं उन सबको सम्मान देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यह बड़ा प्रदेश है जिसने देश को आधा दर्जन प्रधानमंत्री दिये हैं। यह प्रदेश वह प्रदेश है जो राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। आपके द्वारा जो ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं और काम किया गया है वह पूरे देश की जितनी विधान सभाएं हैं उन सभी के लिए प्रेरणा और सीख है कि इसी तरह का आचरण करें और मा0 विधायकों को सम्मान दें। मैं ज्यादा कुछ न कहकर आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं एवं स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से यह बात इतिहासकार आपको इतिहास-पुरुष के रूप में लिखेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाये वह कम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय अवधेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपनी बात कहिए।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन पांच दिन पहले आहूत हुआ था और पांच दिन के अपनी सभी बिजनेस को पूरा करने के बाद आज हम समापन की ओर बढ़ रहा है। अभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाजवादी पार्टी के तीनों नेतागण बोले हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, लोकदल के नेता और सभी माननीय नेतागण ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ। निश्चित रूप से कहा तो यही जाता है कि याद तो वही लोग किये जाते हैं जो कुछ न कुछ देकर जाते हैं।

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

आपने इन रिनोवेशन्स के साथ विधान सभा में कई नयी चीजें जोड़ी है उसके लिए विशेष रूप से आपको बधाई। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सदन की चर्चा बार-बार आती है कि सदन ज्यादा चले। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक विषय दिया बाढ़ और सूखा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत से क्षेत्रों की समस्या है और बहुत-से क्षेत्रों की यह मजबूरी भी है कि उस पर चर्चा करें और लोगों ने बड़े स्वेच्छा से उसके लिए अपने क्षेत्र की परेशानी भी बताई और आवश्यकता के ऊपर भी बल दिया और सत्ता पक्ष की ओर से उसका समाधान करने के लिए भरपूर आश्वासन भी दिया गया और आगे उसके लिए काम करेंगे भी। यह बात मैंने इसलिए कोड की कि अगर रुचि का विषय हो, समय-समय पर जब दलीय नेताओं के साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप से लोग चर्चा में भी रुचि लेते हैं और उसका समाधान भी हो सकता है तो मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि जब दलीय नेताओं के साथ जब बैठक हो तो उसमें यह विषय जरूर हो कि नये विषय के ऊपर हम किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। दलीय नेताओं की मीटिंग में यदि यह बात निकल कर आयेगी तो सारे लोग उस पर रुचि लेंगे और सदन को ज्यादा चलाने में भी उनको रुचि रहेगी और मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश एक सर्वोत्तम प्रदेश बने। जब दूसरे प्रदेशों से हमारा मुकाबला होता है, कम्प्टीशन होता है, किसी न किसी रूप में हमारी प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारा प्रदेश सबसे आगे रहे। चाहे वह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार के ऊपर हो, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार के ऊपर हो या डेवलपमेंट या इण्डस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में हो, सभी लोग यह चाहते हैं। लेकिन उसके चाहने के ऊपर हमें उसी के अनुरूप अपना कार्य-व्यवहार भी करना चाहिए। हम इस सदन में केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं आते हैं, हम आते हैं इसलिए कि उत्तर प्रदेश को और आगे, और अधिक ऊँचाइयों तक ले जायें। हम लोग पक्ष-विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है और मैं समझता हूँ कि जिस परम्परा से हम लोग आए हैं, जिस परम्परा में हम पले-बढ़े हैं, यहाँ पर हाउस में तो हम अपने-अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध है, उसकी नीतियों के अनुसार हम अपना कार्य-व्यवहार करते हैं, लेकिन बाहर तो हम एक आदमी हैं, एक मानव है, एक ह्यूमन बिइंग है और शनैः-शनैः हमारी परम्पराओं में जिस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है, एक बस्ती में, एक गाँव में जब कोई एक व्यक्ति दूल्हा बनता था तो वह सारे लोगों से आशीर्वाद लेता था, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबसे आशीर्वाद लेता था। किसी एक घर से अगर किसी की अर्थी उठती थी तो पूरे गाँव में चूल्हा नहीं जलता था। पूरे गाँव में ऐसी स्थिति

होती थी कि चूल्हा तब जलेगा, जब उसकी अर्थी उठ जायेगी, यानी किसी न किसी रूप में क्रिमेशन हो जायेगा। किसी एक कन्या का विवाह होता था तो पूरे गाँव का, पूरे क्षेत्र का संगम होता था, यह हमारी परम्परा है, यह हमारी विरासत है और अब हम इसको छोड़कर कहाँ पहुँचे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं ? राजनीति में पहले हर तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, हम उस प्रकार का व्यवहार करते थे, लेकिन आज जिस परिस्थिति में हम पहुँच रहे हैं, वह अपने आप में बहुत दुःखद है। हम कोई विधान सभा में इतिहास बनाने नहीं आए हैं। जब मैं पहली बार विधान सभा में आया था तो सोचता था कि 2-4 परसेंट क्षेत्र के लोगों का भला करेंगे और क्षेत्र वालों ने काफी साथ दिया। लोग एक बार दो बार, तीन बार आते हैं, लोगों को दूसरी बार आने में ही परेशानी होती है लेकिन हम 80 के दशक से यहाँ पर हैं। इतना बदलाव आया है और यह बदलाव मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता अपनी बात है, अपने संकल्प-पत्र के प्रति प्रतिबद्धता एक बात है, लेकिन जो मानवीय गुणों का लगातार ह्रास हो रहा है, राजनीति में एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव इतना बढ़ रहा है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफदेय है और यदि यह मंच नहीं सोचेगा तो कौन सा मंच सोचेगा ?

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

कहने को तो यह बात काफी दिनों से थी, लेकिन जब हम देखते हैं तो हर चीज को इतने दिनों से उत्तर प्रदेश जब से बना है, तब से आज तक हर पार्टी ने अपने-अपने हिसाब से कुछ न कुछ बेहतर किया है। लेकिन ऐसा भी है कि कभी-कभी हम कोई निर्णय लेते हैं, अच्छी नीयत से लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम उल्टा निकलता है, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं निकलता है। परन्तु उसके पीछे जरूरी नहीं हैं कि मंशा वैसी हो।

हम समझते हैं कि हम सभी लोग एक राय होकर इस बात के लिए जरूर सोचें कि हम अपने प्रदेश को कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं। विधान सभा की जो चर्चा है वह भी अपने आप में बड़ी तकलीफदेय है, तकलीफदेय इसलिए कि मैंने तीन दिन से बिल पेश किया, लेकिन लोगों में बिल के प्रति कोई रुचि नहीं है, खासतौर से हम कानून बनाने के लिए यहां बैठे हैं, लेकिन लोगों में इसके प्रति रुचि नहीं है तो आखिरकार किस स्तर से मैंने देखा, मैं जब आया तो उस समय मा0 रविन्द्र तिवारी जी थे, उस वक्त स्वतंत्र भारत ने स्कूप भी निकाला था ''तिवारी बनाम तिवारी'' एक्सटेम्पोर न वह तैयार थे विषय पर न वह तैयार थे, लेकिन जिस प्रकार की डिबेट होती थी ऐसा लगता था कि हम इनसे बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ सीख लेंगे। आज जब हम विधान सभा में सुनते हैं कि कोई अगर इस तरह की बात कहे तो बहुत अच्छा लगता है और यह मंच हमारी सारी कार्यवाही अब आजकल तो टेलीविजन पर भी आती है, यह हर कार्यवाही नोट होती है, आखिरकार जब हम रोल मॉडल बनने के लिए यहां पर आए हैं तो वह कौन सा दिन होगा जब उस तरह की चर्चा यहां सदन में सुनाई पड़ेगी,

क्योंकि एक भी दिन इस प्रकार की स्थिति नहीं आती, हम अपने क्षेत्र की समस्याएं तो रखते हैं, लेकिन बात अगर स्तर की और तरीके से हो तो मैं समझता हूँ कि पूरा सदन पक्ष-विपक्ष के लोग सब एप्रिशिएट करें।

कल मैं सुन रहा था श्री सचिन यादव को आज मैंने उनसे कहा भी हमारे पक्ष के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं और आपकी बात का जवाब भी देते हैं मैं समझता हूँ कि इस सरकार में कोई टालने वाला मंत्री नहीं है, वास्तविकता यही है कि सरकार का जवाब आता है अधिकारी लोग जवाब भेजते हैं यह बिल्कुल सही है, लेकिन यही परम्परा बरसों से चली आ रही है, यह आज की कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन सब की मंशा यही है कि हम टू दि प्वाइंट बात करें, क्योंकि ऊपर से भी यही निर्देश है और मुख्य मंत्री जी का भी निर्देश है और हम भी यही सोचते हैं कि जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें उतना करें, स्तर की बात हो, टू दि प्वाइंट बात हो और हर तरह से वह अपने आपमें एक ऐसी चीज बने जो रोल मॉडल के रूप में हम यहां पर बैठे हैं तो वास्तव में रोल मॉडल का एक मैसेज भी दिया जाए इस विधान सभा में। और इस तरीके से कभी-कभी नियमों के खिलाफ जब बात करते हैं तो आप सोचिए नियमों से थोड़ा हट के, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सारा कुछ हम ही जानते हैं, यह भी जरूरी नहीं कि जो विचार हमारा है वह पूरी तरीके से सही हो। सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट ऐसे आए गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस जिसमें 6 जजों का एक विचार था और 5 का विचार दूसरा था, लेकिन मेज्योरिटी जजमेंट प्रिवेल करता है। इसी तरीके से केशवानंद भारती का जजमेण्ट आज तक जो केशवानंद भारती का जजमेंट है उसमें 13 जजों की बेंच में एक फैसला लिया जिसमें 7 जजों का एक फैसला था और 6 जजों का एक फैसला था, दोनों अपनी-अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन हमारा इण्टरप्रेटेशन हमारा सोचने का एंगल ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी मंशा वैसी हो, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोकतंत्र में होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन न हो कि किसी भी तरीके से किसी का परपज ही डिफिट कर दे, उसका ठीक उल्टा इण्टरप्रियेट कर दे।

मिसाल के तौर पर जैसे नियम-300 है, 300 में अगर औचित्य का प्रश्न है तो उसका थोड़ी बहुत हटकर बात हो सकती है, लेकिन जिसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कहीं कोई विषय नहीं हो उसका भी 300 है इसलिए कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको क्या देखेगी, कि क्या कह रहे थे और कौन सा विषय उठ रहा है इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा ? इसलिए थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आप कहोगे कि आ रहे या नहीं आ रहे, लेकिन अगर उसके आस-पास भी कहीं हो तब तो सुन लिया जाए, लेकिन कहीं दूर तक उसका सम्बन्ध न हो यह बात मैंने किसी के ऊपर कोट करके नहीं कही है इसके लिए क्षमा करिएगा, अभी विषय आ रहा है इसलिए कह दिया। हर तरह से हर सदस्य को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि हमारा हर एक्शन बाहर देखा,

नापा और तौला जाता है। हमारा हर एक्शन, बाहर देखा, तौला और नापा जा रहा है। हमारी हँसी हमारा तौर-तरीका, हमारा दुआ, सलाम का तरीका जो भी आचरण हम कुछ करते हैं हमारा हर आचरण जनता न भूलती है और न माफ करती है। हर चीज बहुत बारीकी से जनता हमारी देखती है और उसी के ऊपर सारा कुछ मूल्यांकन होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत सी चीजें जो समाज में हैं उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर आत्मसात् करें, लेकिन जो कुछ भी हम जिस उद्देश्य से जिस परपज़ से जिस सीट से चुनकर आए हैं अपने क्षेत्र के विकास की ज्यादा-से-ज्यादा बात यहाँ करें यदि सत्ता में हैं तो ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटायें और विपक्ष में हैं तो अपनी आवाज बुलन्द करके कम से कम यह कहें कि यह सही है, लेकिन हर चीज इस तरह से प्रेजेन्ट होनी चाहिए कि हम एक रोल मॉडल बन सकें। अगर यह होगा तो निश्चित रूप से विधान सभा का सम्मान बढ़ेगा। आज हमने इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक किया इसके लिए जो भी आवश्यकतायें थीं उसकी पूर्ति की लेकिन विधान सभा का स्तर तो तभी ऊँचा होगा जब हमारे डिस्कशन का, हमारी बहस का, हमारी चर्चा का स्तर ऊँचा होगा। वह तभी ऊपर होगा जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में कितने लोग जाकर बैठते हैं। कभी-कभी चार-चार, पाँच-पाँच घंटे हम अकेले वहाँ पर बैठते हैं तो देखते हैं कि एक 1980-81 के विधायक वहाँ पर आते हैं बाकी यहाँ के लोग दिखायी नहीं देते हैं। जब हम पहली दफे आये थे तो 40-40, 50-50 विधायक बैठते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा इस चीज को सुधारने की आवश्यकता है और हर तरीके से लोकतंत्र को मजबूती देने के अपने क्षेत्र को उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है।

मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं तो केवल अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ और जो कुछ महसूस करता हूँ वही कह रहा हूँ, कोई बनावटी नहीं है। जो कुछ भी महसूस करते हैं वहीं हम आपसे कह रहे हैं। आज हमारे मुख्य मंत्री जी की मंशा और नीयत देखिए कि सुबह चार बजे से रात के ग्यारह बजे तक उनका केवल एक ही उद्देश्य एक ही जुनून है कि हमारा प्रदेश किस तरह से एक नम्बर पर पहुँचे। अगर वन ट्रिलियन डॉलर का सपना है तो वास्तव में उसी के लिए जुटे हुए हैं। उसी के लिए जुटे हैं, लगातार किसी भी तरीके से हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लें और अगर यह आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो उसका फर्क सबके ऊपर पड़ता है सारे लोगों को उसका लाभ होता है पक्ष और विपक्ष सभी पर इसका फर्क पड़ता है। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो आप लोग भी गर्व से कहेंगे कि हम आज उस प्रदेश से हैं जो सबसे अच्छा है। दूसरे लोग जो सीना ठोकते हैं आज हमारा प्रदेश छः-साढ़े छः सालों में बहुत आगे पहुँचा है उसका परसेप्शन बदला है और यह परसेप्शन एक दिन में नहीं बदलता है। पब्लिक परसेप्शन एक दिन में नहीं बदलता है लगातार वैसी स्थितियाँ पैदा हों, लगातार वैसा दिखायी पड़े तभी यह बनता है और यह गलत पब्लिक परसेप्शन बनता भी नहीं है। पब्लिक परसेप्शन ज्यादातर बहुत सही बनता है। आज उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया की निगाह में बेहतर हुई है इसको और बेहतर कैसे बनाये और अधिक आर्थिक रूप से कैसे सम्पन्न हों, इस विषय पर विचार करना चाहिए। आप लोग जो बार-बार कहते हैं कि कंजूस हो, कंजूस हो।

आप भी अपने घर की चाभी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो सही तरीके से सही जगह पर खर्च करेगा। इस बारे में किसी वक्त समय होगा तो बताएंगे आज वक्त नहीं है। हमने 13-14 ऐसे निर्णय लिये हैं जिससे वित्त विभाग में काफी कुछ डिसिप्लिन मेनटेन हुआ है। यह तो नहीं कह सकते हैं कि हमने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन काफी कुछ डिसिप्लिन मेनटेन किया है। अब कोशिश हर स्तर पर यही है। यदि आप किसी को अपने खजाने की या अपने घर की किसी को खजांची बनाओगे तो क्या यह चाहेंगे कि वह लुटाये। ऐसा कोई नहीं चाहेगा और एक बात बतायें आपको कि कभी डेवलपमेंट के किसी काम में हम पीछे नहीं है और खास तौर से जो हर स्तर पर हाँ इस पर डिबेट हो सकती है कि कौन से काम पर खर्च हो, कौन से काम पर खर्च न हो, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन कोशिश यही है कि सरकारी खजाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यह मेरे पिताजी का नहीं है, मेरे बाबा ने नहीं दिया था तो जिस तरह से एक सरकारी खजाने का खर्च होना चाहिए, कोशिश यही रहती है कि अगर हम पूरी तरीके से बहुत सर्वोत्तम दृष्टि से न कर सकें तो उसके करीब जरूर रहें। उसको और अधिक बेहतर बनायें, बेहतर तरीके से करें यहाँ मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। मै माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा। हम अपने सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं और पूरे सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

आज इस वातावरण में जब हम 5 दिन से एक साथ यहां पर बैठकर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में प्रदेश के हित के सम्बन्ध में, प्रदेश की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि प्रदेश की प्रगति तभी होगी जब उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति के बारे में हम विचार करेंगे। विगत 5 दिनों से हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। हम सबको मालूम है कि संविधान निर्माताओं ने सदन का संचालन करने के लिए कोई विशिष्ट नियम अथवा कोई कड़े कानून नहीं बनाये हैं, क्योंकि उनको यह आभास था कि भारत में लोकतंत्र शनैः-शनैः प्रगति करेगा और ऐसे संक्रमण काल में सदन संचालित करने के कड़े नियम बनाने से लोकतंत्र की प्रगति में बाधा पड़ सकती है। अतः हम सबकी यह जिम्मेवारी है कि सदन सदाशयता से संचालित हो जिससे कि लोकतंत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। सदन को संचालित करना अध्यक्ष का कार्य नहीं है और न ही ऐसा सम्भव है। अध्यक्ष सभी के सहयोग से सदन संचालित करते हैं। भारत में लोकतंत्र की प्रगति सन्तोषजनक रही है, परन्तु अभी भी बहुत परिमार्जन बाकी है। हम सबकी यह जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे कि जनता का विश्वास जन प्रतिनिधियों में और विधायकों में बना रहे। विधायिका की गरिमा के उन्नयन हेतु अपने स्तर से मैंने अवस्थापना, सौंदर्यीकरण एवं प्रक्रियात्मक सुधार करने का प्रयत्न किया है और यह सब आप सबके सहयोग से ही सम्भव हो पाया है। मैं इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने विधायिका के उन्नयन के लिए सदैव अपना मार्गदर्शन एवं संसाधन उपलब्ध कराये हैं। हम सबको मालूम है कि विगत जिस दिन ये सत्र शुरू हुआ है उसके एक दिन पहले ही यहां

पर बहुत सारे नवाचार, जो बहुत सारे हमने कॉरिडोर बनाये हैं, डिजिटल गैलरी तो हमने पहले ही बना दी थी, डिजिटल कॉरिडोर बनाया, पटल कार्यालय को ठीक किया, पटल कार्यालय के सामने का हिस्सा ठीक किया, बी0जे0पी0 विधान मण्डल दल कार्यालय को ठीक किया, यहां पर हमने डिजिटल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए एक सेल बनाया और अगले चरण के अन्तर्गत मैं सभी विधान मण्डल दल के कार्यालयों को अगले सत्र से पहले ठीक करुंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। मैंने मुख्य मंत्री जी को जिस समय यह बताया उसी दरमियान मैंने उनको कहा कि कुछ काम बाकी है। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए जितने भी बजट की आवश्यकता होगी वो माननीय वित्त मंत्री जी से बात करके हमें दिलायेंगे। इसके लिए पूरे सदन की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो कुछ भी विधान सभा में हो रहा है वह उनके सहयोग, संरक्षण और मार्गदर्शन में हो रहा है। हम सबको मालूम है, इस प्रकार की हम सब लोगों ने चर्चा की है, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जिस समय अपनी बात कह रहे थे उन्होंने कहा कि हम 36 घण्टे, वन ट्रिलियन एकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार की चर्चा आने वाले समय मे हम निश्चित करेंगे, उससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश की विधान सभा की गरिमा बढ़ेगी। उसमें हम सब लोग शामिल हैं, मैंने इस बात को पहले भी कहा था और मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि, उत्तर प्रदेश की विधान सभा केवल 403 सदस्यों की विधान सभा नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा 25 करोड़ जनता की विधान सभा है। जिस समय हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की विधान सभा के साथ जुड़ा है और जिस समय हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लाते हैं चाहे वह नियमों में हो, चाहे वह कार्य-संचालन में हो, चाहे टेकओवर के माध्यम से हो, सारी की सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता की गरिमा को बढ़ाने के लिए समर्पित होती हैं।

सदन में सामाजिक द्वन्द भी परिलक्षित होते हैं, इसके कारणवश कभी-कभी सदन में तल्खी भी हो जाती है। परन्तु वह लोकतंत्र के संक्रमणकाल की प्रक्रिया है और उसे हम सबको समझना चाहिए। परन्तु इसके साथ-साथ यह प्रयास भी करना चाहिए कि सदन में परिपक्वता बनी रहे एवं उत्तरदायीपूर्ण ढंग से हम सभी जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को यहाँ पर उठा सकें। संसदीय आचरण को आदर्श माना जाता है। संसद में ऐसा आचरण किया जाना अपेक्षित है जो कि अनुकरणीय हो, सदन की गरिमा उच्च परम्पराओं से ही स्थापित हो सकती है। हमारे पूर्वज पीठासीन अधिकारियों द्वारा ऐसी परम्परायें स्थापित की गईं, जो प्रशंसनीय हैं। हम सबको उससे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक संसदीय लोकतंत्र से बेहतर कोई भी पद्धति स्थापित नहीं हुई, जिससे कि जनता का कल्याण हो सके। संसदीय लोकतंत्र का आधार जनसामान्य की आकांक्षायें हैं। हम सब यहाँ पर जनता की आकाँक्षाओं को प्रदर्शित करने एवं उनको पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। हमारा प्रयास है कि हम जन आकांक्षाओं की पूर्ति करा सकें। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रारम्भ से लेकर अब तक सदन का मुझे

भरपूर सहयोग मिला है। नेता प्रतिपक्ष, स्वयं इस सदन के नेता भी रह चुके हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार का सहयोग विपक्ष की ओर से दिया गया, वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की उच्च परम्पराओं को स्थापित करता है। नेता प्रतिपक्ष का योगदान सदैव याद किया जायेगा। उनके पिता, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लोकतंत्र में बड़े आयाम स्थापित किये और वह स्वयं भी इस दिशा में उच्च स्तरीय कार्य कर चुके हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जो एक अच्छे, कुशल राजनीतिज्ञ हैं, संसदीय विधाओं और संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं, उनको आज जिस रूप में हम लोगों ने देखा, उन्होंने भावनात्मक दृष्टि से अपनी बात यहाँ पर कही। उनका यह रूप भी हम सब लोगों के सामने है। जनता के लिए किस प्रकार से समर्पित होकर वह अपना कार्य करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सदन को संचालन करने के मानक स्थापित किये हैं, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा-निर्देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मैं इस हेतु उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ।

हम सबको मालूम है कि यह सदन प्रत्येक सदस्य के सहयोग से चलता है। यहाँ पर मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि प्रतिपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया और सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी पूरी तैयारी के साथ उसका जवाब दिया गया। यह सदन दोनों को मिलाकर चलता है। यह बिना विपक्ष के सहयोग के नहीं चल सकता और यदि सरकार अपनी तैयारी के साथ न आये तब भी नहीं चल सकता। लेकिन यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरा सदन तैयारी करके आता है। इसमें विशेष रूप से मैं पुनः एक बार कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संरक्षण और मार्गदर्शन रहता है, वह हमें आगे बढ़ाता है। आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने देश में एक पहचान बनाई है। हम सब लोगों ने मिलकर जो विगत सवा वर्ष के अन्तर्गत काम किये हैं, उस काम की आज पूरे देश में चर्चा है। हमारे कुछ सदस्य मुम्बई गये थे, जहाँ नेशनल लेजिस्लेटिव काउन्सिल हुई थी। वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार प्रगति के पथ पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के विधायकों का एक परसेप्शन जो दुर्भाग्य से बहुत निगेटिव था, उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाने का जो विगत एक वर्ष में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, बहुत सारे हमारे एम0एल0ए0 बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि यह हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जब मैने इनको ब्रांड एम्बेसडर कह रहा हूँ तो मैं 2-4-10 लोगों का नाम लूंगा तो यह होगा कि क्या यही लोग हैं। यह न हो कि मैं कुछ लोगों का फेवर कर रहा हूँ, इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सबको मालूम है। कोई कहता है कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं पूरे देश में जाकर जिस समय आप लोगों की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ऐसे-ऐसे एम0एल0ए0 हैं, जरूरी नहीं है कि उनको कोई डिग्री प्राप्त हो या कृषि क्षेत्र से हों। मैं उनको बताता हूँ कि हमारे वहाँ एक गरीब, मोटर मैकेनिक भी जनता के बीच से चुन कर आता है और वह भी जनता का काम करता है। मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं देश या

दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो मैं लोगों को बताता हूँ कि यू0पी0 की विधान सभा बहुत इनरिच्ड विधान सभा है, इसमें बहुत योग्य लोग हैं और उनको अलग-अलग डिफरेंशियेट करके बताता हूँ। यह केवल मेरे कारण नहीं हो रहा। मैं अगर उत्तर प्रदेश विधान सभा की गरिमा के बारे में वहाँ पर बोलूँगा तो वह मेरे एक व्यक्ति के कारण नहीं है, इस सदन के प्रत्येक सदस्य के कारण है। जिनका नाम लेकर, जिनकी वजह से मैं इस विधान सभा का गुणगान करता हूँ और वह वजह यहाँ के सारे 403 सदस्य हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सदन को संचालित करने हेतु मैं यहाँ पर फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई दुराभाव किसी भी माननीय सदस्य के लिए नहीं है। मैं सबको आदर और सम्मान के साथ बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सदन को संचालित करने हेतु मेरे से यदि किसी भी प्रकार का किसी को दुःख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। सदन के संचालन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जिसमें कि कड़े निर्णय लेने होते हैं, परन्तु इसमें किसी को दुःख पहुंचाने का कोई मंतव्य नहीं रहता है और न ही किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह होता है। आशा है कि आप सब आगे भी इस तथ्य को समझेंगे और इसी प्रकार सदन संचालन हेतु सहयोग देते रहेंगे। मैं प्रमुख सचिव, विधान सभा और विधान सभा के सारे कर्मचारियों को, चाहे वह हमारे किसी भी स्तर के कर्मचारी हों, हमारे गार्ड हों, हमारे फोर्थ क्लास के कर्मचारी हों, हमारे प्रमुख सचिव हों उनके साथ सारा स्टाफ हो, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनके सहयोग के बिना हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। एक सबसे छोटा कर्मचारी भी पूरे मनोयोग से यहाँ पर काम करता है और इधर कुछ दिनों से बहुत देर तक सदन चला है। बजट सेशन तो रात के 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक चला, लेकिन इधर भी काफी समय हम लोगों ने मिल कर काम किया। मैं पुनः एक बार फिर, यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, तो मैं सभी सदस्यों से उसका खेद व्यक्त करता हूँ और आप सबके सहयोग के लिए, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश की गरिमा पूरे देश और दुनिया में है, उसके लिए प्रत्येक सदस्य यहाँ का उसमें भागीदार है और मैं प्रत्येक सदस्य का हृदय से आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**[06:32] सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव**

**वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

**राष्ट्रगान**

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़ उत्कल बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय, जय हे।।

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 33 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

**प्रदीप कुमार दुबे,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ-58-59 पर)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2014/आश्विन 16, 1936
No. 517] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2014/ASVINA 16, 1936

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2014

**सा.का.नि. 709 (अ).–** केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 666(अ), तारीख 17 सितंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ; दस दिन की अवधि के समाप्त होने से के पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 17 सितंबर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 27, धारा 64 और धारा 110 और धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के उपनियम (गक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(गख) "ई-रिक्शा" से तीन पहिये वाला विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढ़ोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना आशयित है, परंतु,--

(i) ऐसा यान चार से अनधिक सवारियों, जिसमें चालक सम्मिलित नहीं है, और कुल चालीस किलोग्राम से अनधिक सामान को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है ;

(ii) इसकी मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अधिक नहीं है ;

(iii) यान की अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है ।'।

'(गग) "ई-गाड़ी" से तीन पहिये वाला विशेष प्रयोजन बैटरी प्रचालित यान अभिप्रेत है और जिससे सवारियों को भाड़े या पारिश्रमिक पर ढोने हेतु अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रबंध करना आशयित है, परंतु,--

(i) ऐसा यान चार से अनधिक सवारियों, जिसमें चालक सम्मिलित नहीं है, और कुल चालीस किलोग्राम से अनधिक सामान को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है ;

(ii) इसकी मोटर की शक्ति 2000 वॉट से अधिक नहीं है ;

(iii) यान की अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है ।'।

3. उक्त नियम के नियम 16 में, उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) ई-रिक्शा या ई-गाड़ी चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी या नवीकृत प्रत्येक चालन अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि या चालन अनुज्ञप्ति के विधिमान्य रहने तक, जो भी पूर्वतर हो, वैध रहेगी ।"।

4. उक्त नियम के नियम 50 में, उपनियम (1) के खंड (vi) की सारणी में, "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल और ई-रिक्शा या ई-गाड़ी " शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 51 की सारणी में, क्रम सं0 5 के सामने की प्रविष्टि के स्तंभ 2 में, अंत में आने वाले "तिपहिया वाहन" शब्दों के पश्चात्, "और ई-रिक्शा या ई-गाड़ी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियम के नियम 56 के उपनियम (2) में,--

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "बीमा प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर, "बीमा प्रमाणपत्र ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के मामले में चालन अनुज्ञप्ति और परमिट ।"।

7. उक्त नियम के नियम 57 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "प्रमाणित प्रति" शब्दों के स्थान पर, "प्रमाणित प्रति ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के स्वामित्व के अंतरण के मामले में चालन अनुज्ञप्ति और परमिट ।"।

8. उक्त नियम के नियम 62 के उपनियम (1) में,--

(i) सारणी में, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

| | |
|---|---|
| "(खक) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के संबंध में ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीकरण | तीन वर्ष।"। |

(ii) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के मामले में, ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीकरण नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षण करने के पश्चात् ही किया जाएगा :-

**सारणी**

| मद | चेक फिटमेंट | मूल उपकरण सिफारिश के अनुसार चेक मेक/टाइप/ रेटिंग, आदि | चेक दशा | चेक गतिविधि | परीक्षण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम गति | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हां | सीधी या सपाट सड़क पर बिना भार के यान (पूरे चार्ज के साथ तथा पूरे एक्सेलरेटर स्थिति में) चलाया जाएगा और जब यान पूरी गति प्राप्त कर ले, तो नियत दूरी (जैसे 50 मीटर) की यात्रा में लिए गए समय के माप द्वारा अधिकतम गति संगणित की जाएगी।"। |

9. उक्त नियम के नियम 93 में,--

(क) उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की समग्र चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।"।

(ख) उपनियम (2) में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(viii) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के मामले में, 2.8 मीटर से अधिक नहीं होगी।"।

(ग) उपनियम (4) में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के मामले में, 1.8 मीटर से अधिक नहीं होगी।"।

10. उक्त नियम के नियम 94 में, उपनियम (3) के खंड (iv) में, "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल और ई-रिक्शा और ई-गाड़ी " शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम के नियम 95 में, उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया साइकिल की दशा में" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की दशा में" शब्द रखे जाएंगे।

12. उक्त नियम के नियम 96 में, उपनियम (4) में,--

(क) खंड (i) में, "दुपहिया और तिपहिया" शब्दों के स्थान पर, "दुपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा और ई-गाड़ी" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (ii) में, "कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर" शब्दों के स्थान पर, "कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी" शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त नियम के नियम 117 के उपनियम (1) में, "बिगड़ी हुई गाड़ी से भिन्न प्रत्येक मोटर यान (निर्माण यान उपस्कर सहित) या किसी यान, जिसकी अभिकल्पित गति प्रति घंटे तीस किलोमीटर से अधिक नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "अवैध गाड़ी से भिन्न प्रत्येक मोटर यान (निर्माण यान उपस्कर सहित) या ई-रिक्शा और ई-गाड़ी या यान," शब्द रखे जाएंगे।

14. उक्त नियम के नियम 119 के उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही, इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक ई-रिक्शा और ई-गाड़ी को लागू होंगी।"।

15. उक्त नियम के नियम 122 के उपनियम (1) में,--

(क) परंतुक में, "एन वर्ग के यान और मालवाहक चौपहिया साइकिल" अक्षर और शब्दों के स्थान पर, "एन वर्ग के यान, मालवाहक चौपहिया साइकिल, ई-रिक्शा तथा ई-गाड़ी" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही, इस नियम के अधीन अपेक्षाएं प्रत्येक ई-रिक्शा और ई-गाड़ी को लागू होंगी :

परंतु यह कि जहां कहीं ई-रिक्शा के अनुमोदन के लिए ई-रिक्शा रजिस्टर्ड संघ आवेदन करेगा, वहां परीक्षण अभिकरण यान पहचान संख्यांक प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होंगे ।"।

16. उक्त नियम के नियम 126 में "ट्रैलर और अर्द्धट्रैलरों से भिन्न मोटर यान" शब्दों के पश्चात् "जिसमें ई-रिक्शा के लिए, जहां लागू हो, रजिस्टर्ड संघ (संबंधित राज्य परिवहन विभाग द्वारा पहचान प्राप्त) भी है" शब्द रखे जाएंगे ।

17. उक्त नियम के प्ररूप 2 में, वर्ग "(छ)" के पश्चात्, और "आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां" से पहले निम्नलिखित मोटर यान वर्ग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) ई-रिक्शा

"(झ) ई-गाड़ी ।"।

18. उक्त नियम के प्ररूप 3 में, "एक शिक्षार्थी के रूप में" से प्रारंभ होने वाले और "अनुज्ञाप्त किया जाता है" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"एक शिक्षार्थी के रूप में केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित वर्ग के मोटरयान को भारत में सर्वत्र और ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के मामले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या रूटों पर, चलाने के लिए अनुज्ञाप्त किया जाता है"।

19. उक्त नियम के प्ररूप 4 में, वर्ग "(छ)" के पश्चात्, और "आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां" से पहले निम्नलिखित मोटर यान वर्ग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) ई-रिक्शा

"(झ) ई-गाड़ी ।"।

20. उक्त नियम के प्ररूप 6 में, "इस अनुज्ञप्ति के धारकों" से प्रारंभ होने वाले और "अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"इस अनुज्ञप्ति के धारकों को निम्नलिखित वर्णन के मोटरयान को संपूर्ण भारत में और ई-रिक्शा या ई-गाड़ी के मामले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या रूटों पर, चालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है"।

21. उक्त नियम के प्ररूप 7 में, "मशीन पठनयोग्य क्षेत्र" शीर्ष के अधीन, "बैज विवरण" उपशीर्ष से पहले, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"..... (क्षेत्रों या रूटों को विनिर्दिष्ट करें) में ई-रिक्शा या ई-गाड़ी चालन के लिए प्राधिकृत करना "।

22. उक्त नियम के प्ररूप 8 में, वर्ग "(ञ )" के पश्चात्, निम्नलिखित मोटर यान वर्ग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ट) ई-रिक्शा

"(ठ) ई-गाड़ी ।"।

[सं. आर.टी.-11036/80/2012-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि.602(अ), तारीख 21 अगस्त, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

## नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तर पीछे पृष्ठ-64 पर)

समय सारिणी–बुढाना–कांधला मार्ग (12 बसों का संचालन

| अप साइड | | डाउन साइड | |
|---|---|---|---|
| प्रस्थान समय | डिपो | प्रस्थान समय | डिपो |
| 6:35 | मुजफ्फरनगर | 5:45 | मुजफ्फरनगर |
| 7:05 | खतौली | 6:15 | मुजफ्फरनगर |
| 7:35 | मुजफ्फरनगर | 6:25 | खतौली |
| 7:45 | खतौली | 7:00 | मुजफ्फरनगर |
| 8:20 | मुजफ्फरनगर | 7:05 | खतौली |
| 9:05 | मुज़फ्फरनगर | 7:30 | मुजफ्फरनगर |
| 9:35 | मुजफ्फरनगर | 8:00 | मुजफ्फरनगर |
| 9:45 | खतौली | 8:30 | मुजफ्फरनगर |
| 10:05 | मुजफ्फरनगर | 8:50 | खतौली |
| 10:35 | मुजफ्फरनगर | 9:00 | मुजफ्फरनगर |
| 10:45 | खतौली | 9:30 | मुजफ्फरनगर |
| 11:20 | मुजफ्फरनगर | 9:40 | खतौली |
| 12:00 | खतौली | 10:00 | मुजफ्फरनगर |
| 12:05 | मुजफ्फरनगर | 10:45 | मुजफ्फरनगर |
| 12:35 | मुजफ्फरनगर | 11:20 | खतौली |
| 12:40 | खतौली | 11:30 | मुज़फ्फरनगर |
| 13:05 | मुजफ्फरनगर | 12:15 | मुजफ्फरनगर |
| 13:35 | मुजफ्फरनगर | 12:25 | खतौली |
| 14:05 | मुजफ्फरनगर | 12:50 | खतौली |
| 14:30 | खतौली | 13:00 | मुजफ्फरनगर |
| 14:35 | मुजफ्फरनगर | 13:45 | मुजफ्फरनगर |
| 15:05 | मुजफ्फरनगर | 14:30 | मुजफ्फरनगर |
| 15:30 | खतौली | 14:40 | खतौली |
| 15:35 | मुजफ्फरनगर | 15:15 | मुजफ्फरनगर |
| 16:05 | मुजफ्फरनगर | 16:00 | मुजफ्फरनगर |
| 16:35 | मुजफ्फरनगर | 16:25 | खतौली |
| 17:05 | खतौली | 16:45 | मुजफ्फरनगर |
| 17:15 | मुजफ्फरनगर | 16:55 | खतौली |
| 17:35 | मुजफ्फरनगर | 17:30 | मुजफ्फरनगर |
| 17:45 | खतौली | 18:00 | मुजफ्फरनगर |
| 18:05 | मुजफ्फरनगर | – | – |
| 18:35 | मुजफ्फरनगर | – | – |
| 19:05 | मुजफ्फरनगर | – | – |

## नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का उत्तर पीछे पृष्ठ-68 पर)

भोजन के मानक प्रति बंदी प्रति माह की दर से औसत व्यय का विवरण

| क्र0 सं0 | खाद्यान्न | मात्रा सिद्धदोष | | मात्रा विचाराधीन | | प्रति दिन में एक बार | सप्ताह में दो बार | सप्ताह में तीन बार | माह में तीन बार | दर (रू0 में) | | पूरे माह में सिद्धदोष | | पूरे माह में विचाराधीन | | योग सिद्धदोष (रू0 में) | योग विचाराधीन (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| 1 | आटा | 700 | gm. | 640 | gm. | * | | | | | 32.60 | kg | 21000 | gm. | 16200 | gm. | 682.50 | 525.50 |
| 2 | चावल | 235 | gm. | 235 | gm. | | | * | | | 34.10 | kg | 1880 | gm. | 1880 | gm. | 64.11 | 64.11 |
| 3 | दाल | 90 | gm. | 90 | gm. | * | | | | | 110.00 | kg. | 2700 | gm. | 2700 | gm. | 297.00 | 297.00 |
| 4 | राजमा | 15 | gm. | 15 | gm. | | * | | | | 105.00 | kg. | 60 | gm. | 60 | gm. | 6.30 | 6.30 |
| 5 | सब्जी | 230 | gm. | 230 | gm. | * | | | | | 65.00 | kg. | 6900 | gm. | 6900 | gm. | 448.50 | 448.50 |
| 6 | कोफ्तापीस | 10 | gm. | 10 | gm. | | * | | | | 105.00 | kg. | 40 | gm. | 40 | gm. | 4.20 | 4.20 |
| 7 | सरसों की हरी | 15 | gm. | 15 | gm. | | * | | | | 110.00 | kg. | 60 | gm. | 60 | gm. | 6.60 | 6.60 |
| 8 | सरसों की हरी का तेल | 2 | gm. | 2 | gm. | | * | | | | 195.00 | kg. | 8 | gm. | 8 | gm. | 1.56 | 1.56 |
| 9 | तेल छौंका | 15 | gm. | 15 | gm. | * | | | | | 190.00 | kg. | 450 | gm. | 450 | gm. | 85.50 | 85.50 |
| 10 | हल्दी | 1 | gm. | 1 | gm. | * | | | | | 205.00 | kg. | 30 | gm. | 30 | gm. | 6.15 | 6.15 |
| 11 | मिर्च | 0.5 | gm. | 0.5 | gm. | * | | | | | 195.00 | kg. | 15 | gm. | 15 | gm. | 2.925 | 2.925 |
| 12 | गरम मसाला | 0.25 | gm. | 0.25 | gm. | * | | | | | 900.00 | kg. | 7.5 | gm. | 7.5 | gm. | 6.75 | 6.75 |
| 13 | नमक | 14 | gm. | 14 | gm. | * | | | | | 22.00 | kg. | 420 | gm. | 420 | gm. | 9.24 | 9.24 |
| 14 | एचपीसीएल गैस (भोजन, चाय एवं नाश्ता) | | | | | * | | | | | 2122.00 | per cyldr. (19kg) | 3600 | gm. | 3600 | gm. | 402.06 | 402.06 |
| 15 | गुड़ | 45 | gm. | 45 | gm. | * | | | | | 60.00 | kg. | 1350 | gm. | 1350 | gm. | 81.00 | 81.00 |
| 16 | चाय | 1.5 | gm. | 1.5 | gm. | * | | | | | 505.00 | kg. | 45 | gm. | 45 | gm. | 22.73 | 22.73 |
| 17 | चीनी | 10 | gm. | 10 | gm. | * | | | | | 45.00 | kg. | 300 | gm. | 300 | gm. | 13.5 | 13.5 |
| 18 | दूध | 25 | gm. | 25 | gm. | * | | | | | 60.00 | kg. | 750 | gm. | 750 | gm. | 45.00 | 45.00 |
| 19 | दलिया | 60 | gm. | 60 | gm. | | | | * | | 35.00 | kg. | 720 | gm. | 720 | gm. | 25.20 | 25.20 |
| 20 | दलिया की चीनी | 30 | gm. | 30 | gm. | | | | * | | 45.00 | kg. | 360 | gm. | 360 | gm. | 16.2 | 16.2 |
| 21 | चना नाश्ता | 45 | gm. | 45 | gm. | | | * | | | 90.00 | kg. | 360 | gm. | 360 | gm. | 32.4 | 32.4 |
| 22 | नमक नाश्ता | 2 | gm. | 2 | gm. | | | * | | | 22.00 | kg. | 16 | gm. | 16 | gm. | 0.35 | 0.35 |
| 23 | निर्वा नाश्ता | 0.5 | gm. | 0.5 | gm. | | | * | | | 195.00 | kg. | 4 | gm. | 4 | gm. | 0.78 | 0.78 |
| 24 | टैल नाश्ता | 1 | gm. | 1 | gm. | | | * | | | 190.00 | kg. | 8 | gm. | 8 | gm. | 1.52 | 1.52 |
| 25 | अनसूर | 2 | gm. | 2 | gm. | | | * | | | 130.00 | kg. | 16 | gm. | 16 | gm. | 2.08 | 2.08 |
| 26 | अन्ड | 1 | pcs. | 1 | pcs. | | | * | | | 5.50 | per pcs. | 8 | pcs. | 8 | pcs. | 44.00 | 44.00 |
| 27 | सूजी हलुआ | 30 | gm. | 30 | gm. | | | | | * | 40.00 | kg. | 90 | gm. | 90 | gm. | 3.60 | 3.60 |
| 28 | बालशा | 15 | gm. | 15 | gm. | | | | | * | 130.00 | kg. | 45 | gm. | 45 | gm. | 5.85 | 5.85 |
| 29 | चीनी | 40 | gm. | 40 | gm. | | | | | * | 45.00 | kg. | 120 | gm. | 120 | gm. | 5.4 | 5.4 |
| 30 | पिशाइन्द पूरी का | 90 | gm. | 90 | gm. | | | | | * | 170.00 | kg. | 270 | gm. | 270 | gm. | 45.90 | 45.90 |
| 31 | आलू नाश्ता (पनीर के साथ) | 25 | gm. | 25 | gm. | | | * | | | 45.00 | kg. | 200 | gm. | 200 | gm. | 9.00 | 9.00 |
| | योग | | | | | | | | | | | | | | | | 2377.90 | 2221.90 |
| | प्रतिदिन | | | | | | | | | | | | | | | | 79.26 | 74.06 |

नोटः- उपरोक्त सूची में अंकित व्यय सामान्य रूप से बंदियों को दी जाने वाली खुराक पर आधारित है, जिसमें बंदियों के बीमार होने की स्थिति में विशेष भोजन के रूप में दी जाने वाली खाद्य सामग्री पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।

औसत दर रू0 77/-प्रति बंदी प्रति दिन

## नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का उत्तर पीछे पृष्ठ-104 पर)

डॉ0 वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस', मा0 सदस्य विधान सभा, द्वारा पूछे गये विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-75 के उत्तर के संदर्भ में सूचना

| Sno | Registration No. | Scheme Application No. | Labour Name | Scheme Name | Amount | Current Status | Action Date | Action For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9236497199869 | D234700749 | surendra singh | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-08-2022 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 09100100012068 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 21-07-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 2 | 9235303618762 | D234700610 | Ram Das | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-08-2022 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 11028100003682 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 21-07-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 3 | 9236300188885 | D234700616 | Rampal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-08-2022 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56610100019330 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 21-07-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 4 | 9235100034856 | D234700617 | dhan pal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-08-2022 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56370100006673 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 21-07-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 5 | 9235300067584 | D234700773 | Shamshul Hasan | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 17-11-2022 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 0379219101116 9 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 6 | 9235300066466 | D234700775 | BALIHASAN | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 18-11-2022 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 03792121004193 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 7 | 9231100189532 | D234700772 | LAL BAHADUR | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 24-03-2023 को INDIAN BANK के खाता संख्या 000000062101516 06 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 8 | 9236097175336 | D234700777 | Surja Devi | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 24-03-2023 को SARVA HARYANA GRAMIN BANK के खाता संख्या 77020101008211 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 9 | 9235897243820 | D234701405 | Balak Ram | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 18-11-2022 को UNION BANK OF INDIA के खाता संख्या 740802120001602 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 10 | 9231100070754 | D234700979 | VEERPAL | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 17-11-2022 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 23720100004070 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नारिट राम
सहायक श्रमायुक्त
शाहजहाँपुर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9235800048699 | D23470 0795 | Ompal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | BANK के खाता संख्या 56330100007215 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 12 | 9235597042137 | D23470 0750 | Sarvesh | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 18-11-2022 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 32625505948 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 13 | 9236197926928 | D23470 0774 | vijay kumar | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 23-03-2023 को PUNJAB & SIND BANK के खाता संख्या 05131000110675 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-09-2022 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 14 | 9235300004705 | D23470 1262 | SARVESH KUMAR | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 23348100002269 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 15 | 9235397432489 | D23470 1264 | RAMNIVAS | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को PUNJAB & SIND BANK के खाता संख्या 05521000008377 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 16 | 9230500010664 | D23470 1280 | RAMPAL | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 30966764668 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 17 | 9235397506673 | D23470 1345 | Sanjiv Kumar | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 03792121002519 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 18 | 9231100071119 | D23470 1358 | Surendera | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 30-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 27000100006265 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 19 | 9235100044358 | D23470 1370 | Balak Ram | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 28-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 47948100000596 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 20 | 9235300011008 | D23470 1033 | VEERPAL | पुत्री-विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 11020100021484 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 21 | 9235397339667 | D23470 1124 | Virendra Kumar | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 28-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56360100018950 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 22 | 9235200061291 | D23470 1161 | DEV RAJ | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को INDIAN BANK के खाता संख्या 00000050225844460 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नासिर खाँ
सहायक श्रमायुक्त
फतेहपुर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9236200060903 | D23470 1255 | Nandram | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 28-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 16170100000956 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 24 | 9236197036073 | D23470 0630 | Ujagar Lal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 03122151004342 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 25 | 9235303618734 | D23470 1498 | Vishamve | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 28-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 30978435120 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 26 | 9235300050612 | D23470 1009 | bhagabandas | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 28-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 23340100005892 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 27 | 9235324075084 | D23470 0683 | Ramsaran | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 28-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 33605456189 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 28 | 9236100062848 | D23470 1613 | JAGDISH | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56620100003132 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 29 | 9235397081425 | D23470 0628 | RAJPAL SINGH | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 28-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 11020100004517 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 30 | 9236100065131 | D23470 1462 | ROSHAN LAL | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 31-03-2023 को INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED के खाता संख्या 060210083853 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 31 | 9231100071497 | D23470 0688 | Lalmuni | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 23720100008613 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 32 | 9230500067524 | D23470 1643 | RAGHUVEER | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 30-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 22408100004879 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 33 | 9235300071983 | D23470 0776 | ISRAR | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 5500 0 | दिनांक 29-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 03792191007407 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नासिर खाँ
सहायक श्रमायुक्त
शाहजहाँपुर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 9236400046612 | D23470 0779 | RATIRAM | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56530100011602 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 35 | 9236100007026 | D23470 0934 | umashankar | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 0910001700165592 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 36 | 9231000068707 | D23470 0764 | Radheshyam | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 28-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 06730100015433 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 37 | 9235398059512 | D23470 1263 | BADSHAAH | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 11028100007568 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 38 | 9235324078833 | D23470 0752 | Mukesh | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 11020100011589 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 39 | 9236497055546 | D23470 0883 | Kripal singh | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56340100000284 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 40 | 9235100188352 | D23470 1181 | Rafiulla | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 28-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 26990100003829 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 41 | 9231100045180 | D23470 1431 | Ram Kumar | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 03372010006920 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 42 | 9231100065275 | D23470 1304 | Iqrar Khan | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 28-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56570100032036 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 43 | 9236200065940 | D23470 1446 | MUNNE BABU | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56360100003441 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 44 | 9235100035393 | D23470 1449 | Arvind | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 28-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 30692290549 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 9236300189633 | D23470 1456 | RAMKRIPA L | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56610100003156 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 46 | 9235397018195 | D23470 0682 | ASHOK KUMAR | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56560100005750 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 47 | 9231100066271 | D23470 1582 | Prempal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को THE NAINITAL BANK LIMITED के खाता संख्या 1382000000000473 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 48 | 9236497055139 | D23470 1038 | Bhagwan Das | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 17840100008601 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 49 | 9236200046641 | D23470 1206 | CHATRAPA L | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 29-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56360100028607 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 50 | 9235397741868 | D23470 1226 | lekhpal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 30-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56560100001979 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 18-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 51 | 9230800050665 | D23470 2055 | Israar Ahmad | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को INDIAN BANK के खाता संख्या 0000005007912 4740 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 52 | 9235900068171 | D23470 2076 | RAMSARA N | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56550100014215 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 53 | 9235200045559 | D23470 2155 | Shrawan Kumar | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को INDIAN BANK के खाता संख्या 00000021489045915 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 54 | 9235200021813 | D23470 2156 | Ramsagar | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 0947212100179 1 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 55 | 9236400053567 | D23470 2157 | Rajpal Singh | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 09100100007301 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नासिर खाँन
सहायक श्रमायुक्त
रामजीपुर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9236400053567 | D23470 2158 | Rajpal Singh | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 09100100007301 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 57 | 9236400190041 | D23470 2218 | Mahipal | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 17840100003862 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 58 | 9236400051221 | D23470 2243 | ram naresh | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 23490100010465 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 59 | 9235300063015 | D23470 1871 | Nause Ali | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 03792162563281 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 60 | 9235397018108 | D23470 1894 | Ravendra | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 33630729099 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 61 | 9230800000717 | D23470 1910 | Mahesh Kashyap | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 1658000100086469 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 62 | 9235397022929 | D23470 1704 | Rajesh | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56300100002763 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 63 | 9235300001153 | D23470 1708 | Omprkash | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 00770100011444 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 64 | 9235903606036 | D23470 1706 | ramdeen | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56550100016086 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 65 | 9231100190982 | D23470 1922 | RAM CHANDRA | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 01752413000147 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 66 | 9235397339657 | D23470 1941 | Rajesh | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56570100003839 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नासिर खान
सहायक श्रम आयुक्त

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 9235897161003 | D23470 1956 | RAMESH | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 4103001700011754 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 68 | 9235900065272 | D23470 2402 | ramanapal | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 47888100003180 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 69 | 9235300056129 | D23470 1703 | RAMBAHORE | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 00770100001304 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 70 | 9236200009313 | D23470 1862 | Satya pal | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56520100005899 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 71 | 9236100067398 | D23470 1720 | Rakesh Kumar | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56520100007912 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 72 | 9231100047189 | D23470 1874 | shameem husain | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 34615440410 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 73 | 9235300006833 | D23470 2047 | Nanhe Lal | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 11020100012590 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 74 | 9236100027809 | D23470 1750 | Ram Sanehi | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 16222282016693 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 75 | 9236400014639 | D23470 1719 | Ramnaresh Chandra | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 17850100004089 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 27-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 76 | 9231100042028 | D23470 1117 | Haripal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 23380100011427 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 77 | 9230800004388 | D23470 1257 | Bateshwar Dayal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 09100100011616 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 78 | 9235797054240 | D23470 0095 | Ramesh | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 16898100014069 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नासिर खाँ
सहायक श्रमायुक्त
शाहजहाँपुर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 9235300010200 | D23470 1455 | RAMESHC HANDRA | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को PUNJAB & SIND BANK के खाता संख्या 05521000008993 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 80 | 9235200052700 | D23470 1469 | ram singh | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56410100011023 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 81 | 9235300059605 | D23470 1477 | rajesh kumar | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 23340100010004 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 82 | 9235100020192 | D23470 1595 | shiv nandan | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED के खाता संख्या 060810094581 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 83 | 9235397507124 | D23470 1467 | ramdas | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56360100024864 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 84 | 9235100007013 | D23470 1463 | Charan Jeet | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 35823636600 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 85 | 9231197178752 | D23470 1542 | SHER BAHADUR | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को PUNJAB NATIONAL BANK के खाता संख्या 0312201001246 0 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 86 | 9236400190943 | D23469 9911 | Jabir Hussan | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 37232334083 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 87 | 9236000005150 | D23470 0050 | Kali Charan | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56600100010976 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 88 | 9235700049779 | D23470 0093 | Netrpal | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 16898100008540 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 89 | 9235700007297 | D23470 0094 | Randheer | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 12578100039130 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नासिर खाँ
सहायक श्रमायुक्त
[illegible]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 9235997493805 | D23470 1170 | ASHARAM | पुत्री विवाह अनुदान योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 22428100000550 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 91 | 9235100048184 | D23470 1865 | Vipin | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 49418100001307 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 92 | 9235100052097 | D23470 2334 | Uday Singh | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 22370100002335 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 93 | 9235397741751 | D23470 2428 | GAYADEEN | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56570100001073 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 94 | 9236297042421 | D23470 2409 | Madan Lal | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 35155187764 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 95 | 9236100036301 | D23470 2169 | DHARMPA L | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को BANK OF BARODA के खाता संख्या 16648100001188 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 96 | 9235100007334 | D23470 2067 | MOHD SHER | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को STATE BANK OF INDIA के खाता संख्या 33717899135 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 97 | 9236297276119 | D23470 1812 | RAKESH | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 31-03-2023 को BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK के खाता संख्या 56360100006515 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 98 | 9235300034500 | D23470 2102 | RAJU | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को PUNJAB & SIND BANK के खाता संख्या 05521000008905 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |
| 99 | 9235300000549 | D23470 1940 | Waseem Khan | कन्या विवाह सहायता योजना | 55000 | दिनांक 01-04-2023 को AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED के खाता संख्या 8009448403 में रुपये 55000.00 का भुगतान हो गया है। | 29-03-2023 | उप श्रम आयुक्त के द्वारा भुगतान |

नासिर खान
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरपुर

# नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-95 का उत्तर पीछे पृष्ठ-119-120 पर)

सेवायोजन विभाग के कार्यो का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | आयोजित मेला | चयनित अभ्यर्थी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आगरा | 31 | 5416 |
| 2 | मैनपुरी | 23 | 3094 |
| 3 | फिरोजाबाद | 33 | 2434 |
| 4 | मथुरा | 21 | 1588 |
| | योग | **108** | **12532** |
| 5 | अलीगढ़ | 30 | 6043 |
| 6 | एटा | 30 | 2192 |
| 7 | हाथरस | 23 | 2258 |
| 8 | कासगंज | 26 | 2170 |
| | योग | **109** | **12663** |
| 9 | प्रयागराज | 25 | 6076 |
| 10 | फतेहपुर | 27 | 1953 |
| 11 | प्रतापगढ़ | 27 | 2161 |
| 12 | कौशाम्बी | 20 | 1633 |
| | योग | **99** | **11823** |
| 13 | आजमगढ़ | 28 | 5321 |
| 14 | मऊ | 38 | 5833 |
| 15 | बलिया | 33 | 2980 |
| | योग | **99** | **14134** |
| 16 | बॉदा | 32 | 3272 |
| 17 | हमीरपुर | 17 | 940 |
| 18 | महोबा | 30 | 2144 |
| 19 | चित्रकूट | 13 | 1182 |
| | योग | **92** | **7538** |
| 20 | बरेली | 26 | 6818 |
| 21 | पीलीभीत | 18 | 2475 |
| 22 | शाहजहॉपुर | 26 | 2651 |
| 23 | बदॉयू | 24 | 3159 |
| | योग | **94** | **15103** |
| 24 | बस्ती | 32 | 4171 |
| 25 | सिद्धार्थनगर | 14 | 1267 |
| 26 | सन्त कबीर नगर | 21 | 1881 |
| | योग | **67** | **7319** |
| 27 | अयोध्या | 35 | 3868 |
| 28 | अम्बेडकर नगर | 21 | 2310 |
| 29 | बाराबंकी | 29 | 4040 |
| 30 | अमेठी | 22 | 1755 |
| 31 | सुल्तानपुर | 32 | 2414 |
| | योग | **139** | **14387** |
| 32 | गोरखपुर | 32 | 5164 |
| 33 | देवरिया | 42 | 2911 |
| 34 | कुशीनगर | 29 | 2027 |
| 35 | महाराजगंज | 14 | 1087 |
| | योग | **117** | **11189** |
| 36 | गोण्डा | 27 | 4143 |
| 37 | बहराइच | 43 | 1398 |

21/7/23 21.07.23

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | बलरामपुर | 15 | 1074 |
| 39 | श्रवास्ती | 18 | 1000 |
| | योग | **103** | **7615** |
| 40 | झाँसी | 19 | 4540 |
| 41 | ललितपुर | 17 | 2230 |
| 42 | उरई | 17 | 2332 |
| | योग | **53** | **9102** |
| 43 | लखनऊ | 31 | 6235 |
| 44 | उन्नाव | 26 | 1748 |
| 45 | हरदोई | 21 | 2629 |
| 46 | लखीमपुर–खीरी | 28 | 2486 |
| 47 | रायबरेली | 24 | 1856 |
| 48 | सीतापुर | 32 | 2019 |
| | योग | **162** | **16973** |
| 49 | मेरठ | 39 | 4825 |
| 50 | बुलन्दशहर | 30 | 2372 |
| 51 | गाजियाबाद | 24 | 2272 |
| 52 | हापुड़ | 21 | 1623 |
| 53 | गौतमबुद्ध नगर | 11 | 2372 |
| 54 | बागपत | 7 | 1319 |
| | योग | **132** | **14783** |
| 55 | कानपुर | 30 | 5226 |
| 56 | कानपुर देहात | 24 | 866 |
| 57 | इटावा | 20 | 2205 |
| 58 | फतेहगढ़ फरूर्खाबाद | 23 | 2053 |
| 59 | कन्नौज | 16 | 1409 |
| 60 | औरैया | 18 | 1275 |
| | योग | **131** | **13034** |
| 61 | मिर्जापुर | 40 | 5855 |
| 62 | सोनभद्र | 35 | 1840 |
| 63 | सन्त रविदास नगर | 20 | 1459 |
| | योग | **95** | **9154** |
| 64 | सहारनपुर | 26 | 3785 |
| 65 | मुजफ्फरनगर | 27 | 1187 |
| 66 | शामली | 18 | 1710 |
| | योग | **71** | **6682** |
| 67 | वाराणसी | 36 | 9471 |
| 68 | गाजीपुर | 33 | 2211 |
| 69 | जौनपुर | 21 | 2108 |
| 70 | चन्दौली | 19 | 2067 |
| | योग | **109** | **15857** |
| 71 | मुरादाबाद | 25 | 2183 |
| 72 | बिजनौर | 26 | 2032 |
| 73 | रामपुर | 15 | 1542 |
| 74 | सम्भल | 25 | 838 |
| 75 | ज्योतिबाफ्ले नगर | 20 | 945 |
| | योग | **111** | **7540** |
| | महायोग | **1891** | **207428** |

V.gaurav 20/07/2023

21/7/23

24.07.23
(पी० के० पुण्डीर)
अपर निदेशक (संवायोजन)

| वित्तीय वर्ष 2022–23 में सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची | |
|---|---|
| जनपद | पंजीकृत अभ्यर्थी |
| आगरा | 10698 |
| अलीगढ़ | 6962 |
| अम्बेडकरनगर | 6835 |
| अमेठी | 2535 |
| अमरोहा | 3405 |
| औरैया | 3432 |
| अयोध्या | 6913 |
| आजमगढ़ | 20579 |
| बदायूं | 5360 |
| बागपत | 2494 |
| बलिया | 12590 |
| बलरामपुर | 1966 |
| बांदा | 5905 |
| बाराबंकी | 6439 |
| बरेली | 10328 |
| बस्ती | 9684 |
| बहराइच | 3975 |
| भदोही | 3094 |
| बिजनौर | 6742 |
| बुलन्दशहर | 5413 |
| चंदौली | 3569 |
| चित्रकूट | 2072 |
| देवरिया | 12487 |
| एटा | 7826 |
| इटावा | 5671 |
| फर्रूखाबाद | 3976 |
| फतेहपुर | 8957 |
| फिरोजाबाद | 6369 |
| गौतमबुद्धनगर | 2646 |
| गाजियाबाद | 4980 |
| गाजीपुर | 18392 |
| गोण्डा | 6662 |
| गोरखपुर | 13765 |
| हमीरपुर | 4585 |
| हापुड़ | 1903 |
| हरदोई | 11031 |
| हाथरस | 3176 |
| जालौन | 7844 |
| जौनपुर | 19807 |
| झांसी | 7358 |
| कन्नौज | 3295 |
| कानपुर देहात | 3046 |
| कानपुर नगर | 13725 |
| कासगंज | 2816 |
| कौशाम्बी | 2953 |

| | |
|---|---|
| लखीमपुर खीरी | 5731 |
| कुशीनगर | 5238 |
| ललितपुर | 3165 |
| लखनऊ | 26300 |
| महाराजगंज | 4842 |
| महोबा | 2692 |
| मैनपुरी | 6481 |
| मथुरा | 4577 |
| मऊ | 10084 |
| मेरठ | 9625 |
| मिर्जापुर | 12092 |
| मुरादाबाद | 7435 |
| मुजफ्फरनगर | 5465 |
| पीलीभीत | 3113 |
| प्रतापगढ़ | 8968 |
| प्रयागराज | 20410 |
| रायबरेली | 5377 |
| रामपुर | 3931 |
| सहारनपुर | 9799 |
| सम्भल | 3800 |
| शाहजहांपुर | 4512 |
| शामली | 2758 |
| श्रावस्ती | 1011 |
| सिद्धार्थनगर | 6145 |
| सीतापुर | 7677 |
| संतकबीरनगर | 3491 |
| सोनभद्र | 2982 |
| सुल्तानपुर | 5684 |
| उन्नाव | 4274 |
| वाराणसी | 11066 |
| कुल | **522985** |

Vigaurav 24/07/23

24/7/23

24/7/23

31.07.23
(पी0 के0 पुण्डीर)
अपर निदेशक (सेवायोजन)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित मा0 सदस्य विधान सभा श्री मनोज कुमार पारस द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–95 का संलग्नक

| क्र.सं. | जनपद का नाम | प्रशिक्षित युवा (सं0) | सेवायोजित युवा (सं0) |
|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | 1697 | 1584 |
| 2 | अलीगढ | 1337 | 910 |
| 3 | अम्बेडकरनगर | 1538 | 403 |
| 4 | अमेठी | 1111 | 484 |
| 5 | अमरोहा | 1168 | 847 |
| 6 | औरैया | 2168 | 826 |
| 7 | अयोध्या | 1598 | 693 |
| 8 | आजमगढ़ | 3489 | 954 |
| 9 | बागपत | 2308 | 858 |
| 10 | बहराइच | 1158 | 478 |
| 11 | बलिया | 1561 | 597 |
| 12 | बलरामपुर | 413 | 301 |
| 13 | बाँदा | 1150 | 635 |
| 14 | बाराबंकी | 1971 | 285 |
| 15 | बरेली | 2780 | 1604 |
| 16 | बस्ती | 627 | 370 |
| 17 | भदोही | 1496 | 639 |
| 18 | बिजनौर | 6160 | 2294 |
| 19 | बदायूं | 956 | 2334 |
| 20 | बुलन्दशहर | 1816 | 1529 |
| 21 | चंदौली | 1370 | 546 |
| 22 | चित्रकूट | 508 | 422 |
| 23 | देवरिया | 1191 | 332 |
| 24 | एटा | 676 | 418 |
| 25 | इटावा | 851 | 191 |
| 26 | फर्रुखाबाद | 1373 | 509 |
| 27 | फतेहपुर | 2256 | 231 |
| 28 | फिरोजाबाद | 1144 | 449 |
| 29 | गौतम बुद्ध नगर | 965 | 617 |
| 30 | गाज़ियाबाद | 1564 | 907 |
| 31 | गाजीपुर | 3089 | 747 |
| 32 | गोंडा | 1093 | 251 |
| 33 | गोरखपुर | 1761 | 1520 |
| 34 | हमीरपुर | 699 | 466 |
| 35 | हापुड़ | 390 | 366 |
| 36 | हरदोई | 1235 | 649 |
| 37 | हाथरस | 1014 | 796 |

| क्र.सं. | जनपद का नाम | प्रशिक्षित युवा (सं0) | सेवायोजित युवा (सं0) |
|---|---|---|---|
| 38 | जालौन | 858 | 351 |
| 39 | जौनपुर | 3916 | 1065 |
| 40 | झांसी | 1069 | 570 |
| 41 | कन्नौज | 678 | 503 |
| 42 | कानपुर देहात | 1688 | 882 |
| 43 | कानपुर नगर | 3634 | 1601 |
| 44 | कासगंज | 491 | 223 |
| 45 | कौशांबी | 1106 | 1033 |
| 46 | लखीमपुर खीरी | 1426 | 334 |
| 47 | कुशीनगर | 475 | 265 |
| 48 | ललितपुर | 1105 | 734 |
| 49 | लखनऊ | 5257 | 463 |
| 50 | महाराजगंज | 1196 | 678 |
| 51 | महोबा | 303 | 593 |
| 52 | मैनपुरी | 1167 | 367 |
| 53 | मथुरा | 2026 | 252 |
| 54 | मऊ | 1469 | 419 |
| 55 | मेरठ | 1149 | 710 |
| 56 | मिर्जापुर | 1894 | 800 |
| 57 | मुरादाबाद | 2266 | 805 |
| 58 | मुजफ्फरनगर | 1754 | 730 |
| 59 | पीलीभीत | 1212 | 888 |
| 60 | प्रतापगढ़ | 889 | 434 |
| 61 | प्रयागराज | 2634 | 906 |
| 62 | रायबरेली | 1516 | 829 |
| 63 | रामपुर | 504 | 921 |
| 64 | सहारनपुर | 2584 | 1219 |
| 65 | संभल | 553 | 469 |
| 66 | संतकबीर नगर | 195 | 511 |
| 67 | शाहजहांपुर | 1291 | 757 |
| 68 | शामली | 968 | 764 |
| 69 | श्रावस्ती | 669 | 431 |
| 70 | सिद्धार्थनगर | 121 | 424 |
| 71 | सीतापुर | 1224 | 580 |
| 72 | सोनभद्र | 2044 | 927 |
| 73 | सुल्तानपुर | 1381 | 501 |
| 74 | उन्नाव | 1755 | 893 |
| 75 | वाराणसी | 4851 | 1484 |
| | **योग** | **112148** | **54358** |

## नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-113 का उत्तर पीछे पृष्ठ-132-133 पर)

**कार्यालय जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स झाँसी।**

फोन+ 0510–2360613 मो0–8005194051 ई मेल– dchgjhansi@gmail.com

पत्रांक सं0 370 /अधै0स्था0–पत्रा0/2022 दिनांकः–जून 28 , 2023

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 विधायक, गरौठा, झाँसी के पत्र जोकि होमगार्ड्स हरगोविन्द पुत्र श्री वृन्दावन निवासी–ग्राम धौरका झाँसी चिरगाँव खुर्द जनपद झाँसी के जन्मतिथि/सेवानिवृत्त तिथि से संबधित हैं पर आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि होमगार्ड्स मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा व्हाटसएप पर मा0 विधायक महोदय का विषयांकित पत्र प्रेषित करते हुये दूरभाष पर प्रकरण में अविलम्ब आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में आख्या निम्नवत् हैः–

होमगार्ड्स रेजी0 नं0 1141 हरगोविन्द पुत्र श्री वृन्दावन कम्पनी मौंठ जनपद झाँसी में होमगार्ड्स स्वंयसेवक के पद पर नियुक्त है। साफ्टवेयर डाटा, नामिनलरोल एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित अभिलेखानुसार उक्त होमगार्ड्स की जन्मतिथि से संबधित तथ्य निम्नवत् हैः–

01:–नामिनलरोल व साफ्टवेयर डाटा में उक्त होमगार्ड्स की नियुक्ति तिथि 26.06.1989 अकिंत है।

02:–उक्त होमगार्ड्स की नामिनलरोल व साफ्टवेयर डाटा में जन्मतिथि 02.06.1969 अकिंत हैं। जबकि व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित कक्षा–08 वर्ष–1983 की अंक तालिका (छायाप्रति संलग्न) में जन्मतिथि 02.06.1969 है एवं हाईस्कूल परीक्षा वर्ष–1987 के प्रमाण–पत्र (सनद) (छायाप्रति संलग्न) में उक्त होमगार्ड्स की जन्मतिथि 02.06.1963 अकिंत है।

03:–उक्त होमगार्ड्स द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर हाईस्कूल परीक्षा वर्ष–1987 का अंक पत्र (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया था। जिस पर जन्मतिथि 02.06.1969 अकिंत प्रतीत हो रही थी परन्तु उक्त अंकपत्र में अकिंत जन्मतिथि में वर्ष के अन्तिम अंक 9 ओवरराईट किया हुआ प्रतीत हो रहा था। जिसके कारण उक्त अंकपत्र में अकिंत जन्मतिथि संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी।

04:–उक्त होमगार्ड्स की कक्षा–08 के अंकपत्र व हाईस्कूल के प्रमाण–पत्र में जन्मतिथि की भिन्नता होने तथा हाईस्कूल के अंकपत्र पर जन्मतिथि के ओवरराइट प्रतीत होने जैसी संदेहास्पद स्थितियों के कारण जन्मतिथि संबधित अभिलेखो का सत्यापन सक्षम स्तर से कराया गया।

कक्षा–08 के अंकपत्र के सत्यापन में संबधित विघालय द्वारा उक्त होमगार्ड्स की जन्मतिथि 02.06.1969 सत्यापित (छायाप्रति संलग्न) की गई।

जबकि हाईस्कूल के अकंपत्र व प्रमाण–पत्र (सनद) का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज से कराया गया जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उक्त होमगार्ड्स की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष–1987 के प्रमाण–पत्र में अकिंत जन्मतिथि 02.06.1963 को सही बताते हुये पुष्टि की गई। जबकि हाईस्कूल परीक्षा वर्ष–1987 के अंकपत्र में अकिंत जन्मतिथि 02.06.1969 को त्रुटिपूर्ण बताया गया हैं (छायाप्रति संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि उक्त होमगार्ड्स ने अपने भर्ती वर्ष–1989 के पूर्व हाईस्कूल परीक्षा वर्ष–1987 उत्तीर्ण कर लिया था जिसके प्रमाण–पत्र (सनद) में जन्मतिथि 02.06.1963 अकिंत हैं एवं जिसकी पुष्टि इस कार्यालय में प्रेषित माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा अपने सत्यापन रिर्पोट में की गई है।

क्रमशः (2) पर–

अग्रेतर उल्लेखनीय है कि नियमानुसार सेवा में प्रवेश के समय संबंधित के हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होती हैं। तथा इस संबध में कोई आवेदन पत्र या अभ्यावेदन किन्ही भी परिस्थितियों, चाहे जो भी हो, ग्रहण नही किये जाने की व्यवस्था प्राविधानित हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त होमगार्ड्स की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष–1987 के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि 02.06.1963 को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सत्यापित कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त होमगार्ड्स दिनांक 30.06.2023 को 60 वर्ष की निर्धारित अधिवर्षता आयु पूर्ण कर लेगा।

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28/06/23

(राजेश कुमार सिंह)
जिला कमाण्डेण्ट,
होमगार्ड्स झाँसी।

प्रतिलिपिः–1–श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 विधायक, गरौठा, झाँसी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–डिप्टी कमाण्डेण्ट कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ/बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र झाँसी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3–मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स झाँसी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार सिंह)
जिला कमाण्डेण्ट,
होमगार्ड्स झाँसी।

पी0एस0यू0पी0 एल0 302 विधान सभा (493)-21-03-2024-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।